खण्ड-419, अंक-9
बुधवार, 8 श्रावण, शक संवत् 1919
(30 जुलाई, 1997 ई0)

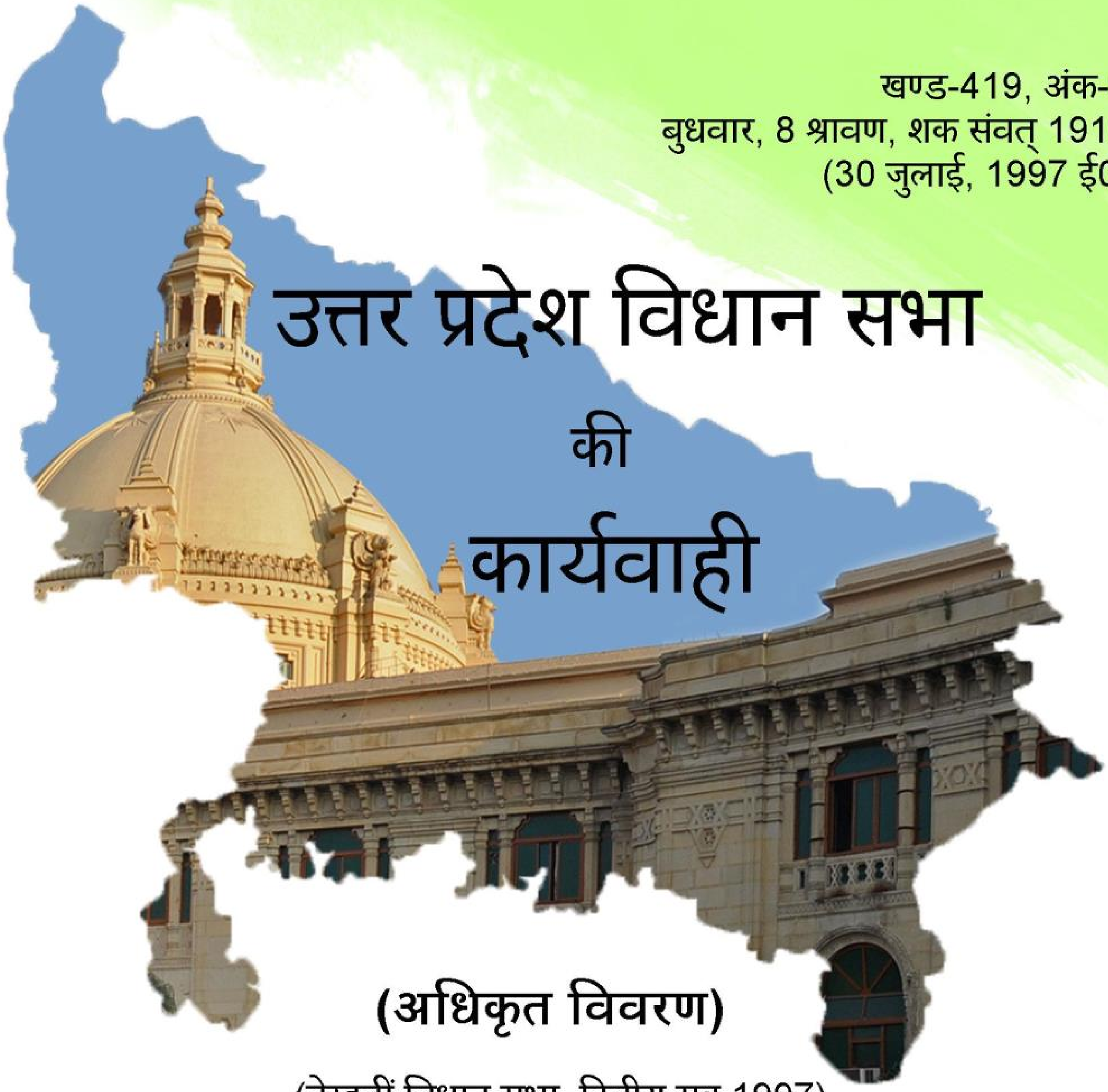

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 1997)

खण्ड 419 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1997

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1—2
प्रश्नोत्तर	
नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	3—101
जनपद फतेहपुर की ग्राम सभा खखरेरु में पेयजल समस्या निदान विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	101
जिला टिहरी गढ़वाल के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रामक रोग की रोकथाम हेतु स्वास्थ सेवाएं उपलब्ध कराने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	101—102
सीतापुर के बेहटा क्षेत्र में बाढ़ एवं नदियों की कटान की समस्या का निदान करने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	102
फैजाबाद के मोहल्ला सिविल लाइन में अतिक्रमण हटाओ अभियान से प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति की मांग विषयक नियम 301 के अर्न्तगत सूचना ..	102—103
आंग्ल भारतीय अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित कतिपय स्कूलों में सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की मांग विषयक नियम 301 के अर्न्तगत सूचना	103
समाज कल्याण विभाग व जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में एल०टी० ग्रेड अध्यापकों को समता समिति द्वारा अनुमन्य सेलेक्शन ग्रेड एवं प्रोन्नति वेतनमान देने की मांग विषयक नियम 301 के अर्न्तगत सूचना ..	103—104
गोण्डा के ग्राम सभा अम्बरपुर में अपात्रों का पट्टा निरस्त कर पात्र लोगों को पट्टा दिलाये जाने की मांग विषयक नियम 301 के अर्न्तगत सूचना ..	104
प्रश्नो के उत्तर तथा बजट साहित्य शासन द्वारा समय से न उपलब्ध कराये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	105—107
हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद तक काँवरियों के कारण व्याप्त असन्तोष के संबंध में औचित्य का प्रश्न	107—109
जनपद बस्ती के विकास खण्ड सांऊ घाट, बनकटी और बस्ती सदर को पूर्वांचल विकास निधि से सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृत धन को रोके जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	109—115
प्रदेश के कतिपय चौदह विश्वविद्यालयों में कार्य करने हेतु विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	115
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	115—138
वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या47-प्राविधिक शिक्षा विभाग,अनुदान संख्या73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत)	138—169
वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या89-भाषा विभाग, अनुदान संख्या72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत)	169—186

विधान पुस्तकालय कार्यवाही खण्ड,
उत्तर प्रदेश

विषय	पृष्ठ संख्या
वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 71-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), अनुदान संख्या 74-शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा), अनुदान संख्या 75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) (स्वीकृत)	186-207
वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास), अनुदान संख्या 1-आबकारी विभाग, अनुदान संख्या 40-नियोजन विभाग (स्वीकृत)	207—214
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	214—215
मेरठ जनपद में हापुड़ रोड लोहिया नगर स्थित एक मदरसे की छत गिर जाने से हुई दस बच्चों की मृत्यु विषयक नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	215—218
सम्पूर्ण प्रदेश में विशेषकर मैनपुरी जनपद में पूर्ण साक्षरता योजनान्तर्गत फर्जी आंकड़े प्रस्तुत कर लाखों रुपयों का घोटाला किये जाने विषयक नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य का स्थगन	218—219
जनपद भदोही के जंगीगंज कस्बे के कालीन व्यवसायी के साथ हुई लूटपाट की घटना से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	219—220
नत्थियां	220—235

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

बुधवार, दिनांक 30 जुलाई, 1997

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अक्षयवर लाल, श्री (बहराइच)

अजय राय, श्री (वाराणसी)

अफजाल अंसारी, श्री (गाजीपुर)

अब्दुल खालिक, श्री (अलीगढ़)

अरविन्द गिरि, श्री (खीरी)

*आलमबदी, श्री (आजमगढ़)

उर्मिला देवी, श्रीमती (मैनपुरी)

कमला प्रसाद रावत, श्री (बाराबंकी)

कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री (सहारनपुर)

केदार सिंह फोनिया, श्री (चमोली)

चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री (झांसी)

जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री (फर्रुखाबाद)

जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया (गोरखपुर)

ज्ञान चन्द, श्री (उत्तरकाशी)

तौफीक अहमद, श्री (सिद्धार्थनगर)

देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री (कानपुर देहात)

धर्मपाल सिंह, श्री (बरेली)

नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)

पूरन सिंह, बुन्देला, श्री (ललितपुर)

फतेह बहादुर, श्री (महराजगंज)

बंशीधर भगत, श्री (नैनीताल)

बाबू लाल कुशवाहा, श्री (बांदा)

भोनू, श्री (गाजीपुर)

मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आंगरा)

महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा (आगरा)

मातवर सिंह कण्डारी, श्री (टिहरी गढ़वाल)

मायावती, सुश्री (सहारनपुर)

रणधीर सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर (पडरौना)

राकेश धर त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)

रामं जन्द्र मौर्य, श्री (मिर्जापुर)

रामपाल वर्मा, श्री (हरदोई)

राम स्वरूप शर्मा, श्री (हरदोई)

राम स्वरूप शर्मा, श्री (मथुरा)

लालजी टण्डन, श्री (लखनऊ)

लालजी वर्मा, श्री (अम्बेडकर नगर)

*वसीम अहमद, श्री (आजमगढ़)

विजय सिंह, श्री (सोनभद्र)

विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू", श्री (गोण्डा)

बिरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री (बुलन्दशहर)

---

*माननीय सदस्य ने अभी शपथ ग्रहण नहीं की है।

विशम्भर सिंह, श्री (मथुरा)

शरदवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)

शिवपूजन राम, श्री (वाराणसी)

संदीप अग्रवाल, श्री (मुरादाबाद)

सुशीला अग्रवाल, श्रीमती (मुजफ्फरनगर)

हरदेव सिंह, श्री (बाराबंकी)

हिरशंकर तिवारी, श्री (गोरखपुर)

हरीकिशन, श्री (कानपुर देहात)

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

बुधवार, 30 जुलाई, 1997

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

प्रश्नोत्तर

श्री शिवपाल सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे एक विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है।.....

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर सूचना दे दीजिये, इस पर विचार कर लेते हैं।

श्री अखिलेश सिंह–

मान्यवर, बाराबंकी में 7 लोगों की हत्यायें हुई हैं, इसलिये इस पर आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायें, प्रश्न काल हो जाने दें।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ नगर की सफाई व्यवस्था ठीक करने हेतु विशेष अभियान

**1—श्री जगदम्बिका पाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या इन दिनों नगर की सड़कों, गलियों एवं पार्कों में गन्दगी फैलती जा रही है ? क्या सरकार नगर को स्वच्छ बनाने के लिये कोई विशेष अभियान चलाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आवास एवं नगर विकास राज्य मंत्री (डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय)–

जी नहीं, लखनऊ नगर में सफाई की समुचित व्यवस्था है।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

लखनऊ नगर को और अधिक स्वच्छ बनाने के लिये एवं जन-सामान्य में सफाई के प्रति जागरुकता लाने के उद्देश्य से नगर निगम, लखनऊ द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में दिनांक 7-4-1997 से 15 दिन के लिये तथा दिनांक 1-7-97 से 31-7-97 तक एक माह का विशेष सफाई अभियान चलाया गया है।

उपरोक्तानुसार–

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से लखनऊ नगर की सफाई के बारे में इस लिये जानना चाहा है कि यदि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं होगी तो अन्य जनपदों और शहरों की क्या बानगी होगी ? आज प्रदेश के किसी भी शहर में नगरपालिकाओं की जो स्थिति है, गन्दगी की स्थिति है, इस सम्बन्ध में मैंने स्पष्ट रूप से यह सवाल पूछा कि क्या नगर विकास मंत्री जी बतायेंगे कि लखनऊ नगर में सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं है ? माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि जी नहीं, लखनऊ नगर में सफाई की समुचित व्यवस्था है।

मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के तीसरे पैराग्राफ में केवल यह कहा है कि लखनऊ नगर को और अधिक स्वच्छ बनाने के लिये एवं जन-सामान्य में सफाई के प्रति जागरुकता लाने के उद्देश्य से नगर निगम, लखनऊ द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में दिनांक 7-4-1997 से 15 दिन के लिये तथा दिनांक 1-7-97 से 31-7-97 तक एक माह का विशेष सफाई अभियान चलाया गया है। मान्यवर, केवल दो विशेष सफाई अभियानों का उल्लेख माननीय मंत्री जी ने किया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राजधानी लखनऊ में निरन्तर जनसंख्या बढ़ रही है और सफाई कर्मचारियों पर दबाव भी बढ़ रहा है लेकिन नई नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, जो निरन्तर सफाई की प्रक्रिया है उसके सम्बन्ध में इन्होंने कौन सी व्यवस्था कर रखी है ? वह माननीय मंत्री जी ने नहीं बताया है, एक तो यह जानना चाहता हूं। दूसरी बात इस समय प्रदेश में जब मानसून का समय है तो इस समय बीमारियाँ फैल रही हैं पुराना लखनऊ हो या इसके अन्य मोहल्ले हों, कई-कई महीनों से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है, उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी क्या कार्यवाही कर रहे हैं, किसी भी मोहल्ले में भेज दीजिये पूरे शहर में कहीं कूड़ा नहीं उठ रहा है।

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय पाल जी ने यह जानना चाहा है कि केवल 2 सफाई अभियान से क्या सफाई हो जायेगा। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि दूसरा सफाई अभियान अभी चल ही रहा है समाप्त नहीं हुआ है, निरन्तर चल रहा है। जहां तक अन्य शहरों की बात है तो अन्य शहरों में भी, मूल प्रश्न लखनऊ नगर निगम से सम्बन्धित है अन्य शहरों में सफाई अभियान बेहतर है और सफाई अभियान निरन्तर चल रहा है। पाल जी ने यह जो बताया कि इतने मोहल्लों में कूड़े पड़े हुये हैं मान्यवर, पाल जी के और सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि 53 मोहल्ले संवेदनशील और गन्दगी से ज्यादा प्रभावित मोहल्ले चयनित किये गये हैं। सफाई अभियान में चिन्हित करके काम हो रहा है, विशेष अभियान चलाये गये हैं और हमारे अधिकारी मुख्य नगर अधिकारी तथा अपर मुख्य नगर अधिकारी एक-एक वार्ड का प्रतिदिन निरीक्षण करते हैं इस नाते सफाई अभियान में लखनऊ नगर निगम की स्थिति बेहतर है।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय मंत्री जी ने संवेदनशील मोहल्लों की सूची बता दी और बाकी उत्तर में लीपापोती कर दी। मैंने आपके माध्यम से जानना चाहा है कि आज भी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मानक से 153 सफाई कर्मचारियों की कमी है। क्या इस सम्बन्ध में शासन कोई उपाय करेगा, राजधानी को स्वच्छ बनाने के लिये सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति पर विचार करेगा ? मान्यवर, आपको स्मरण होगा, इसी लखनऊ में पिछले साल इसी बरसात में 17-18 लोग कालरा से मर गये थे, इस वर्ष फिर भयंकर बीमारियाँ शुरू हो गई हैं, बलरामपुर अस्पताल, मेडिकल कालेज में गैस्ट्रो, कालरा के मरीज भर्ती होना शुरू हो गये हैं, लखनऊ को महामारी से बचाने के लिये नगर निगम और शासन क्या कर रहा है ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, सफाई कर्मचारियों की कोई नई नियुक्ति तो इस समय नहीं की गई है, लेकिन सफाई की विशेष आवश्यकता को देखते हुये संविदा के आधार पर 200 अतिरिक्त कर्मचारी लगाये गये हैं, जो इस विशेष सफाई अभियान में लगे हैं। जहां तक बीमारी की बात कही गई है, उसके सम्बन्ध में बताना चाहूंगा कि पहले की सरकारों में जो कुछ हुआ हो, हुआ लेकिन इस बार यह पहली बार ऐसा हुआ है जब प्रदेश में कई जगह सफाई अभियान चलाया गया है और संक्रामक रोगों जैसी कोई स्थिति नहीं है।

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि कुछ मोहल्ले चयनित किये गये हैं। लखनऊ शहर के ख्यालीगंज और कैसरबाग सबसे ज्यादे गन्दगी वाले क्षेत्र हैं, जहाँ गन्दगी का अम्बार लगा हुआ है, यह उस सूची में चयनित किये गये हैं अथवा नहीं और वहाँ की सफाई के ऊपर क्या ध्यान सरकार दे रही है ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा जो संज्ञान में लाया गया है, उस तरफ विशेष सफाई का कार्य करवा लेंगे।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में नगर निगमों की संख्या बढ़ी है, स्वाभाविक है कि आबादी की संख्या भी बढ़ी होगी। जब नगर पालिका, नगर निगम बन गये तो ऐसी परिस्थिति में उनका क्षेत्रफल भी बढ़ा है, लेकिन कर्मचारियों की स्थिति आज से कम से कम 15 वर्ष पूर्व वाली है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या जिस प्रकार से क्षेत्रफल बढ़ा है, उसी हिसाब से सफाई की व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने के लिये आश्वस्त करेंगे ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मूल प्रश्न लखनऊ नगर निगम से सम्बन्धित है। माननीय सदस्य कोई सुझाव देना चाहेंगे तो हम उन्हें अपने कक्ष में आमंत्रित कर रहे हैं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित एक बात जानना चाहता हूं। यह आपके संज्ञान में भी है कि लखनऊ शहर की जितनी गलियाँ-नालियाँ हैं, वह बजबजा रही हैं। केवल 15 दिन के और उसके बाद एक महीने के सफाई अभियान से क्या पूरी सफाई हो जायेगी ? क्या आप इसके लिये कोई बृहत् कार्यक्रम बनायेंगे, जिससे कम से कम राजधानी लखनऊ में तो गन्दगी न दिखे और महामारियों के फैलने की आशंका जो है, वह निर्मूल हो सके।

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, बृहद् अभियान मैंने बताया है 53 मोहल्ले चयनित किये गये और 43 नाले सफाई के लिये लिये गये और जब यह 43 नालों का कार्य पूर्ण हो गया तो उसके बाद और नाले लिये गये, कुल 59 नालों की सफाई की जा चुकी है। माननीय सदस्य किसी और तरफ इंगित करेंगे, उसको बतायेंगे तो दिखवा लेंगे।

श्री अब्दुल कलाम–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बनारस में डायरिया से कितनी कैजुअल्टी हो चुकी है ?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, आप बैठें।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

डा० वेद प्रकाश सिंह–

मान्यवर, सफाई कर्मचारी मुक्ति आंदोलन पिछले दो हफ्ते से चल रहा है यह समस्या पूरे प्रदेश में फैल सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इनको राज्य का सरकारी कर्मचारी घोषित करने की घोषणा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। इसके लिये आप अलग से प्रश्न करिये।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आपने 200 से अधिक कर्मचारियों को प्रतिदिन दिहाड़ी मजदूरी के रूप में लगाने की मंशा है। इस समस्या को देखते हुये कि कूड़ा ज्यादा है, मैला ज्यादा है उठाना है तो इन्हें रखकर उसे उठाने की अनुमति दे दी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो अनुमति आपने दी है इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा क्या इसकी जगह सीधी भर्ती की प्रक्रिया को अपनाकर जितनी जिसकी आवश्यकता हो उस आवश्यकता के अनुसार श्रमिक रखवाने की व्यवस्था करेंगे अथवा नहीं ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, पुराने विधायक निवास–3, ओ० सी० आर० में विधायक लोग रहते हैं वहाँ रोड पर सुअर 24 घंटे कूड़े को फैलाया करते हैं कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है क्या वहां पर सफाई की व्यवस्था करायेंगे तथा कूड़े को हटवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, जहां-जहां विधायकगण के निवास हैं कृपया वहां विशेष रूप से सफाई के निर्देश दे दीजिये सम्बन्धित विभागों को ,कि सभी जगह सफाई की व्यवस्था हो जाय।

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, आपके निर्देशानुसार विशेष सफाई अभियान चलवा दूंगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जितने माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं, उन सभी के क्षेत्रों से जुड़ा हुआ यह सवाल है।.....

श्री धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष–

श्री मिश्र जी आप बैठ जायें। मैंने आप की बात को सुनकर सरकार को निर्देशित कर दिया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, सफाई कर्मचारियों का जो वर्तमान में मानक है, वह बहुत पुराना है। पुराना मानक जो है, उसके आधार पर 10 हजार की आबादी पर 66 कर्मचारी रखे गये हैं। परन्तु मान्यवर, आज आबादी बढ़ी और क्षेत्र भी बढ़ा, इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आबादी व क्षेत्र बढ़ने के साथ ही साथ क्या वह इस पुराने मानक में परिवर्तन करेंगे ? क्योंकि आज जो नगरीय क्षेत्र में गंदगी दिखायी पड़ रही है, वह पुराने मानकों के कारण है और वे बदले नहीं गये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि मानकों में आप परिवर्तन करेंगे कि नहीं करेंगे ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

वैसे मान्यवर, मूल प्रश्न से इसका सम्बन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

यह तो मैं तय करूंगा कि प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित है कि नहीं है।

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, क्षमा चाहता हूं। शोर में मुझे प्रश्न साफ नहीं सुनाई पड़ा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुये भर्ती के सम्बन्ध में जो मानक हैं, उन मानकों में आप परिवर्तन करेंगे कि नहीं करेंगे ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध की दृष्टि से वर्तमान में हम मानकों में परिवर्तन करने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं।

श्री सतीश शर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि पूरे प्रदेश में सफाई अभियान चल रहा है। सफाई अभियान के नाम पर पोस कालोनियों जैसे राजनगर व कविनगर में मकानों के बाहर की नालियों की सफाई के नाम पर जो रैलिंगें लगी हुई थीं, उन्हें तोड़ दिया गया और नालियों की सफाई आज तक नहीं हुई और जो बड़ी नालियां हैं उनमें गन्दगी बरकरार है। क्या माननीय मंत्री जी इन नालियों को साफ करने की व्यवस्था करेंगे ? दूसरा, जो रैलिंगें तोड़ी गई हैं क्या इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने जिस स्थान की ओर इंगित किया है, उसकी जानकारी आपको है ? आप उसको संज्ञान में ले लीजिये और उस पर आवश्यक कार्यवाही कीजिये।

श्री जय नारायन तिवारी–

मान्यवर, माननीय श्री शुक्ला जी को तो माननीय मंत्री जी ने अपने कमरे में बुलवा लिया है और माननीय डंग जी को इस पर आपत्ति है। इसलिये मान्यवर, उन्हें भी खड़ा करके बुलवा लीजिये और फिर कक्ष में बुलवा लीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शांत रहें।

श्री सुरेश चन्द्र तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि लखनऊ नगर निगम 110 वार्डों में बंटा हुआ है। तो क्या इन 110 वार्डों में नियमित सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं ? यदि नहीं, तो कब तक नियुक्त हो जायेंगे ?

डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

मान्यवर, 110 वार्डों में सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, विधायक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। अतः मैं नियम–49 के अन्तर्गत चर्चा की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

इसमें चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बैठ जायें।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में विकलांगों को निःशुल्क यात्रा सुविधा दिये जाने की मांग

**2–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विकलांगों को विकालांग ऐक्ट, 95 के मानदण्डों के अनुसार परिभाषित कर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा सम्बन्धी शासन के विचाराधीन प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ? यदि हां, तो सम्बन्धित शासनादेश कब तक जारी कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)–(श्री शिव चरण प्रजापति)–

जी नहीं।

यथाशीघ्र जारी किये जाने का प्रयास है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी मेरे प्रश्न का उत्तर दिया कि यथाशीघ्र जारी करने का प्रयास किया जा रहा है। यह जो प्रयास किया जा रहा है यह कब तक पूरा हो जायेगा एक माह या दो माह में ? दूसरा यह कि विकलांगों के साथ रेलवे बोर्ड की तरह एक सहवर्ती की भी सुविधा दी जायेगी ?

श्री शिव चरण प्रजापति–

मान्यवर, बहुत शीघ्र प्रयास में हैं वह पूरा करा दिया जायेगा।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

मान्यवर, सहवर्ती के बारे में उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने आश्वासन तो दे दिया है कि पूरा कर लिया जायेगा।

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

प्रदेश में सिंचाई की नई परियोजनाएं

*1—श्री श्यामदेव राय चौधरी—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि पिछले दो दशकों से कोई नई सिंचाई परियोजना शुरू नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इसके परिणाम स्वरूप राज्य में सिंचन क्षमता में वृद्धि नहीं हो पा रही है और कृषि व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है ? यदि हां, तो सरकार इसके लिये किसी उपाय पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई एवं गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

पिछले दो दशकों में 24 नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से सिंचाई परियोजनाओं को नियोजित ढंग से क्रियान्वित करके अतिरिक्त सिंचन क्षमता के सृजन के उद्देश्य से नवीं पंचवर्षीय योजना में सिंचाई में महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है।

श्री श्याम देव राय चौधरी—

मान्यवर, पिछले दो दशकों में 24 नई सिंचाई की परियोजनाएं शुरू की गयीं ऐसा उत्तर आया है। नीचे यह कहा गया है कि वित्तीय संसाधन की कमी के कारण क्षमता में वृद्धि नहीं हो पायी है। तो मेरा प्रश्न यह है कि जितनी भी योजनाएं अब तक शुरू की गयीं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थीं, तो ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं थीं जो शुरू तो की गयी लेकिन पूरी नहीं हो पायीं ? यह क्यों नहीं पूरी हो पायीं और इससे जो सिंचन क्षमता का लक्ष्य है वह बाधित तो नहीं हो रहा है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, वित्तीय संसाधन के कारण जो परियोजनाएं शुरू की गयी हैं उनमें सब की सब पूरी नहीं हो पायीं। पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में 20 परियोजनाएं थीं। पंचम योजनाकाल में 40 नई परियोजनाएं शुरू की गयीं और उसके पश्चात् छठें से आठवें योजनाकाल में 24 परियोजनाएं शुरू की गयीं। वार्षिक योजना 70—80 के बीच में 13 योजनाएं आरम्भ की गयीं जिनमें से 3 परियोजनाएं पूर्ण हुईं। छठीं योजनाकाल 80—85 के बीच में 6 योजनाएं आरम्भ की गयीं तथा 13 परियोजनाएं पूर्ण की गयीं। सप्तम् योजना, 1985—90 में एक शुरू की गयी, और योजनाकाल में 23 परियोजनाओं को पूरा किया गया। अष्टम् योजना में कोई योजना नहीं आरम्भ की गयी। इस प्रकार से 24 योजनाएं आरम्भ की गईं और 54 परियोजनाएं योजना काल में पूर्ण की गयीं। जो परियोजनाएं लम्बित हैं, उनके लिये धन का आवंटन नहीं हो सका है, इसलिये लम्बित हैं।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था में कितने हेक्टेयर ज़मीन पर खेती हो रही है और जो शेष जमीन बच रही है, उस पर पूरी सिंचन क्षमता कब तक लागू हो जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होने से पूर्व परियोजनाओं से 25.53 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन हो चुका है ।.....

(व्यवधान)

श्री अमर मणि–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि सरयू सहायक कैनाल में कितना पैसा व्यय हुआ है और उसका कमान्ड एरिया क्या है ? उस पर कितना रुपया व्यय हुआ है ? कितने हेक्टेयर की सिंचाई हुई है और कब तक कार्य पूरा हो जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

श्रीमन्, सरयू योजना पर 554 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और 80 करोड़ रुपया और व्यय कर रहे हैं और इस परियोजना के सन् 2005 तक पूरी हो जाने की संभावना है।

(व्यवधान)

श्री अमर मणि–

मान्यवर, हमारे सवाल का उत्तर नहीं आया। यह नहीं बताया कि कमान्ड एरिया क्या होगा और कितने में कार्य हुआ और उससे कितनी सिंचाई हो रही है ? माननीय मंत्री जी ने बता दिया कि 2005 तक पूरा हो जायेगा ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, इससे 7 जिले लाभान्वित होंगे। बाकी एक परियोजना के बारे में जो सूचना मांगी है, वह इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री सुखपाल पान्डेय–

माननीय मंत्री जी ने जिन योजनाओं के बारे में जिक्र किया है, यह कितने रुपये की हैं, किनने रुपये की स्वीकृत हुई हैं, और अब कितने रुपये की लागत हो गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

राज्य परिव्यय पंचम् योजना में 3093.64 करोड़ रुपया, वार्षिक योजना, 78—80 में 1042.70 करोड़, षष्ठम् योजना में 6493.29 करोड़, सप्तम् योजना में 11940.74 करोड़, वार्षिक योजना 90—91 में 3208.22 करोड़ रुपया, वार्षिक योजना 91—92 में 3695.54 करोड़ रुपया का राज्य परिव्यय है। आठवीं योजना में 22005 करोड़ रुपया का परिव्यय है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इतनी परियोजनाओं का जिक्र किया गया है, वह संसाधनों की कमी के कारण अधूरी रह गयी हैं। समानान्तर गंगा की योजना शुरू की गयी और 100 करोड़ से अधिक खर्च हो चुका है और वह वैसे ही पड़ी हुई है। रुड़की से आगे नहीं निकली। सौ करोड़ से अधिक इस पर खर्च हो चुका है, करोड़ों रुपयों की मशीनें खाली पड़ी हुई हैं कोई आदमी काम करने वाला नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि उस योजना को आगे बढ़ाने का कोई कार्यक्रम है या नहीं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, यह योजना विश्व बैंक से पोषित थी, विश्व बैंक ने अनुदान देना बन्द कर दिया है। जैसे-जैसे संसाधन उपलब्ध होंगे उसके अनुसार निर्णय करेंगे।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि गाजीपुर लगभग 10 छोटी-छोटी सिंचाई परियोजनाओं जैसे हरनाथपुर जो बंद पड़ी हैं, उसे चालू करने तथा अमोटा पूर्वी गहमर पश्चिमी को चालू करने से छोटे काश्तकारों को लाभ मिलेगा इनको शुरू में ज्यादा खर्च भी नहीं आयेगा और इनसे प्रदेश की सिंचन क्षमता बढ़ेगी तो क्या इनको चालू करने पर विचार करेंगे ? यह छोटी-छोटी कोई 10 क्यूसेक की कोई 5 क्यूसेक की क्षमता की हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, बुंदेलखण्ड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेष कर सिंचाई सुविधा तुलनात्मक रूप से कम है क्योंकि यहां सब कुछ सिंचाई पर निर्भर करता है। हमारे संसाधन कम हैं हम पम्प कैनाल बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने जो कहा हैं अगर संसाधन अनुमति देंगे तो उन प्रस्तावों को स्वीकार करने में आपत्ति नहीं है।

श्री मुरली धर–

मान्यवर, जनपद फतेहपुर में जरौली पम्प कैनाल योजना 81 में स्वीकृत हुई थी उसका निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो क्या माननीय मंत्री जी उसका निर्माण करायेंगे ? मैं जानना चाहता हूं कि उसकी लागत कितनी है और कितने समय में वह कार्य हो जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, इस पम्प की अभी हमें जल संसाधन मंत्रालय से स्वीकृति नहीं मिली है इसलिये योजना स्थगित है। इसकी तकनीकी स्वीकृति मिल जायेगी तो हम विचार करेंगे।

श्री राम जग–

तमाम योजनायें जो माननीय मंत्री जी ने बताई इनमें किसानों को मुआवजा न मिलने के कारण नहरों की खुदाई नहीं हो पाती है, हमारे आजमगढ़ में तमाम ऐसी योजनायें हैं जो अधूरी पड़ी हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न में कहां आता है ?

(व्यवधान)

श्री समरपाल सिंह–

मेरठ में मान्यवर, कृष्णा हिंडन दोआब नहर परियोजना पिछले 20 सालों से पड़ी हुई है उसे स्वीकृत कराने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

इस योजना के लिये धन आवंटित किया गया है सरकार ने आते ही किया था, आगे भी प्रस्तावित है। इसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने का लक्ष्य है।

श्री अमर मणि–

मान्यवर, रोही नदी पर बांध बनाकर जो सिंचाई शुरू की गयी उसमें टांडा नहर जो नेपाल से निकल कर भारत में आती है उसमें टेल तक पानी नहीं जा रहा है इसकी शिकायत भी की गयी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्या माननीय मंत्री जी टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, हमारी योजना प्रदेश की समस्त नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने की है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कुछ अव्यवस्था के कारण पिछले वर्षों में टेल तक पानी पहुंचा नहीं। हम एक अभियान चलाकर टेल तक पानी पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि जितनी भी योजनाएं शुरू की गयीं उनके वांछित परिणाम नहीं आये जिसके कारण उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने मूल उत्तर में कहा है सिंचन क्षमता के सृजन के उद्देश्य से नवीं पंचवर्षीय योजना में महत्वपूर्ण

ध्यान दिया गया है इसका मतलब यह हुआ कि अभी तक महत्वपूर्ण ध्यान नहीं दिया गया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित करने के लिये 9 वीं पंचवर्षीय योजना में कौन सा उद्देश्य होगा और उसके अनुरूप कितना लक्ष्य प्राप्त कर पायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, पिछले दो दशकों, 1978 से लेकर 1979 के वर्षों में कुल परिव्यय 4719 करोड़ रुपये सिंचाई परियोजनाओं पर किया गया और उससे 18.42 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित हुई। 10-वीं पंचवर्षीय योजना में 10 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है और उसके लिये 3800 करोड़ रुपये के परिव्यय की आवश्यकता होगी।

प्रदेश के वर्तमान असिंचित क्षेत्रफल को सिंचाई सुविधा सुलभ कराये जाने की सरकार की नीति

*2—श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के वर्तमान असिंचित क्षेत्रफल को सिंचाई सुविधा सुलभ कराने के लिये वर्तमान सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? क्या इसके लिये सरकार ने कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

प्रदेश में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से सिंचाई परियोजनाओं को नियोजित ढंग से क्रियान्वित करके पूर्ण कर तथा निर्माणाधीन परियोजना से अधिकाधिक सिंचन क्षमता सृजित कर प्रदेश के असिंचित क्षेत्रफल को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

जी हां।

प्रदेश में उपलब्ध समस्त जल संसाधन को सन् 2022 तक उपयोग करने हेतु एक ''परिदृष्टीय योजना–2022'' बनाई गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया कि निर्माणाधीन परियोजना से अधिकाधिक सिंचन क्षमता सृजित कर प्रदेश के असिंचित क्षेत्रफल को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अभी माननीय मंत्री जी ने इससे पहले के प्रश्न के उत्तर में यह जवाब दिया कि 4700 करोड़ रुपये का व्यय करके 4 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता में वृद्धि की गयी है। मेरा निवेदन है कि पिछले 5 वर्षों से सिंचन क्षमता ठप्प पड़ गयी है और जो निर्मित परियोजनाएं हैं जैसे गंडक परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और जो सिंचन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है उस पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रदेश की नहरों की सफाई और मेंटीनेंस न होने से सिंचन क्षमता में गिरावट आ रही है जबकि दूसरी तरफ फर्जी सृजित स्रोतों के आधार पर किसान पर शुल्क लादा जा रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार सिंचन क्षमता को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में क्या उपाय करेगी और दूसरे जिन नहरों के अगल-बगल माइनर्स नहीं गयी हैं और कमांड .एरिया के बाहर जो बहुत से गांव हैं जिनके टेल प्वाइंट पर सिंचाई सुविधा नहीं है क्या वहां पर राजकीय नलकूप लगाकर सिंचन क्षमता प्रदान किये जाने की योजना है और इस साल इस सम्बन्ध में कितना लक्ष्य रखा गया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, जहां तक सिंचन क्षमता सृजित करने का प्रश्न है, सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है ताकि सिंचन क्षमता बढ़े। परियोजनाओं के साथ-साथ जो निजी क्षेत्रों और राजकीय क्षेत्रों के नलकूप हैं उनकी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जहां तक निर्मित जो साधन हैं उनकी क्षमता कुव्यवस्था के कारण, जैसा कि माननीय सदस्य ने भी कहा है घटती जा रही है। हम इनमें सुधार करके जो भी संसाधन हैं उसका सदुपयोग करेंगे। पुरानी व्यवस्था में जो उनकी सिंचित क्षमता थी उसे वहां तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और उसके निमित्त प्रयास भी किया है। जहां तक नये नलकूप लगाये जाने की बात है। नये नलकूप का लगाया जाना जिला योजना में चला गया है अब राज्य सरकार का इससे कोई मतलब नहीं है। माननीय सदस्य जिला योजना के सदस्य हैं वे स्वयं इसकी व्यवस्था देख सकते हैं। जिला परियोजना के अन्तर्गत जो धनराशि होती है वह उन्हें विभिन्न कार्यों हेतु दे दी जाती है अब यह स्टेट गर्वनमेंट के अधीन नहीं रहा है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मौजूदा सिंचाई परियोजनाओं की क्षमता घट रही है। गण्डक परियोजना की सिंचाई क्षमता 40 प्रतिशत से अधिक घट गई है। एक ओर आप कह रहे हैं कि सिंचाई क्षमता बढ़ाये जाने के लिये खर्च कर रहे हैं। मान्यवर, जो मौजूदा परियोजनाएं हैं और उनकी सिंचन क्षमता घट चुकी है जिनका कार्य काल पूरा हो गया है उनके बारे में आपने क्या रूपरेखा बनाई है ? ट्यूबवेल लगाने के कार्य को आपने बताया कि वह जिला सेक्टर का है। जिला सेक्टर के लिये भी धनराशि यहीं से जाती है। यहीं से पैसा भेजा जाता है कि फलां विभाग के लिये इतना पैसा है। मान्यवर, टेल प्वाइन्ट तक और जो सिंचाई कमान एरिया से बाहर है उसके लिये भी सिंचाई व्यवस्था मुहैय्या करायेंगे। जिला योजना और राज्य परियोजना के अन्तर्गत कितने नलकूप लगवाये जायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि जिला परियोजना का निर्धारण योजना विभाग करता है उसका निर्धारण सिंचाई विभाग नहीं करता है। जहां तक सिंचाई क्षमता की बात है तो उसके लिये सारे प्रयास किये जा रहे हैं कि क्षमता बढ़े। अभी जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि गण्डक परियोजना की क्षमता घट गई है। प्रदेश में और भी परियोजना में कोई ऐसी बात है या प्रदेश में कहीं बिना सिंचाई के कोई सिंचाई शुल्क लिया जा रहा है तो उसकी शिकायत बतायें हम उसको दिखवा लेंगे और जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही कर लेंगे।

श्री राम स्वरूप सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जहां पानी की और तरह की समस्याएं हैं। बिजनौर नजीबाबाद पूर्वी गंगा नहर है उसकी छोटी-छोटी नहरें बनाकर माइनर नहीं बनाया गया है जब जून के महीने में पानी छोड़ा जाता है तो 20 गांव पानी में डूब जाते हैं क्योंकि माइनर न होने के कारण से पानी के लिये रास्ता नहीं है। पानी के आ जाने के कारण किसान की लाखों की फसल नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तमाम गांव डूब गये हैं अब तक तालाब बन गये हैं तो क्या गांवों तक योजना पहुंचाने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

अगर किसी विशेष गांव की कोई समस्या है तो निश्चित ही हम उस समस्या के समाधान का पूरा प्रयास करेंगे।

श्री अरिमर्दन सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि 1992-93 में जो नोरहा बांध टूट गया तो क्या उसकी गुणवत्ता सही थी ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

अगर अनुमति दें तो बता दूं।

श्री राम कृपाल–

इलाहाबाद जनपद में विकास खण्ड मेजा, मांडा, तुरहा में कोई सिंचाई की सुविधा नहीं है, तो मेरे क्षेत्र के अन्तर्गत जहां सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है वहां सिंचाई की व्यवस्था कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, प्रदेश में एक जिला और एक क्षेत्र भी सिंचाई से वंचित नहीं है मैंने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि कुल बोया जाने वाला क्षेत्र 117 लाख हेक्टेयर है, सिंचाई सुविधा 113 लाख हेक्टेयर में है जो शेष क्षेत्र बचता है उसमें सिंचाई की सुविधा को बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। माननीय सदस्य जो बता रहे हैं उसको हम दिखवा लेंगे।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया श्रीमन् माननीय सदस्य ने पूछा था क्या राज्य सेक्टर ने नलकूप की योजना खत्म कर दी है ? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां पर नहर नहीं हैं वहां पर नलकूप से सिंचाई की जो योजना थी, जो नलकूप से सिंचाई की व्यवस्था थी उसको बन्द कर दिया गया है ? उसको जिला योजना में भेजने की क्या प्रक्रिया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, जो जिला योजना में भेजने की बात है यह निर्णय मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ था जहां तक सिंचाई के साधन बढ़ाने की बात है वह चाहे नलकूप से ही लिफ्ट से हो, नहरों से हो, सर्वेक्षण कराया जायेगा, इसमें प्रयास किया जा रहा है, संसाधन के आधार पर प्रयास किया जा रहा है।

श्री प्रभुनारायण सिंह यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चंदौली जनपद की भकोली नहर की क्षमता में वृद्धि करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

जब सिंचाई विभाग का बजट प्रस्तुत हो उस समय आप अपनी बात कह सकते हैं इस तरह के प्रश्नों की सूचना यहां पर उपलब्ध नहीं होगी।

श्री पारसनाथ यादव–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो नहरें हमारी स्वीकृत हैं उनके टेल तक निर्माण न होने के कारण जहां तक नहरें निर्मित रहती हैं और जहां निर्मित नहीं रहती हैं वहां पानी बहता रहता है जिससे किसानों के खेतों में पानी बहने के कारण उनकी फसल नष्ट हो जाती है तथा सिंचाई विभाग के लोग उन पर लगान भी लगा देते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट तौर पर जानना चाहता हूं कि जो नहरें स्वीकृत हैं उनको टेल तक निर्माण करायेंगे ? शारदा सहायक खण्ड 39 जो हमारे

क्षेत्र से होकर गुजरती है तथा शारदा सहायक खण्ड 36 का टेल तक निर्माण नहीं हुआ है जिससे आगे खेतों में पानी भरा रहता है जिससे किसानों को नुकसान भुगतना पड़ता है। क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट तौर पर बताने की कृपा करेंगे कि जो स्वीकृत नहरें हैं उन नहरों को टेल तक निर्मित करने की योजना बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, शारदा सहायक नदी अपनी पूरी क्षमता के साथ अभी नहीं चलाई जा सकी है उसमें लाइनिंग करने का प्राविधान था वह लाइनिंग अभी पूरी नहीं हुई है। इसलिये टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। जो नहरें माइनर्स प्रस्तावित हैं और पानी नहीं है वहां पर जल की उपलब्धता को देखते हुये ही हम नये माइनर्स के निर्माण का निर्णय करते हैं। शारदा सहायक में जल की उपलब्धता जब तक पूरी क्षमता से नहीं चलाने लगते तब तक सारे माइनर्स, सारे टेल तक पानी पहुंचाना सम्भव नहीं होगा। जो नहरें प्रस्तावित हैं उनको पूरा किया जायेगा।

श्री बालचन्द्र मिश्र–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों की यह समस्या होगी लेकिन मेरे कानपुर नगर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र में जो नगर निगम के अन्तर्गत 80 गांव हैं उनकी तरफ सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो ग्राम नगर निगमों के कक्षों के भीतर हैं हमारे गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र में 80 ग्राम हैं आज तक न तो वहां पर नलकूप लगे हैं न ही किसी प्रकार की सिंचाई की योजना वहां है और आज भी हजारों एकड़ क्षेत्र में खेती हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे ग्रामों में सिंचाई के लिये क्या सरकार ने कोई योजना बनायी है, यदि हां, तो उसको किस रूप में क्रियान्वित करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, प्रदेश के सभी असिंचित क्षेत्र को सिंचित करने के लिये एक ही दृष्टि की योजना है, कोई भेदभाव नहीं है। हम आवश्यकतानुसार प्राथमिकतायें तय करते हैं। यदि कोई क्षेत्र रह जाता है तो आवश्यकतानुसार विचार करके तय किया जाता है। शहर/नगर के अन्दर और बाहर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है।

(व्यवधान)

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, मेरठ में 25 प्रतिशत सरकारी नलकूप खराब हैं। कुछ नलकूप तो 7—8 महीनों से खराब पड़े हैं क्या सरकार उनको ठीक करवायेगी ? उसके अलावा कुछ नलकूप कर्मचारियों की लापरवाही के कारण बन्द पड़े हैं तो क्या सरकार उन कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करके उन नलकूपों को चलवायेगी ?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी, जहां तक नलकूपों की बात है जिसके सम्बन्ध में अनेक माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे और आप से कहेंगे कि आपके अधीक्षण अभियन्ता गावों में जहां नलकूप लगे हैं उनका निरीक्षण करने नहीं जाते हैं और बहुत सी शिकायतें हैं कि नलकूप खराब हैं और अधिकारी उनकी मरम्मत नहीं कराते हैं। आपके विभाग के निम्न स्तर के कर्मचारी गांवों में जाकर खराब नलकूपों को पैसा लेकर ही ठीक करते हैं। इसलिये इस सम्बन्ध में शासन की ओर से प्रदेश में सभी अधीक्षण अभियन्ताओं को निर्देश भेजे जायें कि वे स्वयं गांवों में जाकर नलकूपों का निरीक्षण करें और उसकी रिपोर्ट शासन को दें तथा शासन उनको चालू करवाने की व्यवस्था करे। यह मैंने आप सभी की भावनाओं को व्यक्त किया है। इसलिये आप लोग बैठ जायें।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, आपने जो निर्देश दिया है यह प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने का उत्तम सुझाव है। मैं जब पिछली बार सिंचाई मंत्री था तो एक बार जिलाधिकारियों के माध्यम से नलकूपों का सर्वेक्षण कराया था और साथ ही विभागीय सर्वेक्षण भी कराया था, इसमें जो अन्तर पाया गया था तो उनको दण्डित किया गया था।

मान्यवर, इस समय वर्षा का समय है इसलिये नलकूपों के पानी की मांग नहीं है। इसलिये रबी के समय नलकूपों की डिमाण्ड अधिक होगी, अतः उस समय सर्वेक्षण कराया जायेगा तो अधिक लाभ होगा। (व्यवधान) आप लोग मेरी पूरी बात सुन लें।

मान्यवर, जहां तक अधीक्षण अभियन्ता के सम्बन्ध में कहा है तो हम तत्काल आदेश जारी कर देंगे कि वह सर्वेक्षण करें। रबी की फसल शुरू होने से पहले नलकूपों का जिलाधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण करें जिससे किसानों को सिंचाई का अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया माननीय सदस्यगण बैठ जायं।

श्री राम प्यारे–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आजमगढ़ जनपद में शारदा सहायक खण्ड-52 एक ऐसी नहर है जिससे अधिकतम भाग की सिंचाई होती है। इस वर्ष माह जनवरी, 1997 में केवल एक बार पानी दिया गया और पूरे रबी की फसल में दूसरी बार पानी नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में जब सिंचाई हेतु पानी किसानों को नहीं मिला तो फसलों का नुकसान हुआ। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी उन किसानों को जिनको सिंचाई सुविधा उपलब्ध होते हुये भी पानी न दिये जाने की वजह से क्षति हुई है, उन किसानों को क्षतिपूर्ति देने का कोई प्राविधान सरकार करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, एक प्रश्न कई बार उठा, बजट भाषण के दौरान भी उठा। पिछले कई वर्षों के बाद इस बार एक घटना घटी उसका उल्लेख करके इस माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। पहाड़ों पर बर्फ पिघलने के कारण गर्मियों में नदियों में पानी आता है। इस बार पहाड़ों का मौसम गर्म न होने के कारण, बार-बार बदली और वर्षा होने के कारण पानी का प्रतिशत 30 से 35 प्रतिशत तक अप्रैल से जून तक कम आया। गंगा नदी में 30 प्रतिशत तथा शारदा में 35 से 40 प्रतिशत कम पानी आया। नदियों में पानी कम होने के कारण ऐसा हुआ है एक तरह से प्रकृति के कारण ऐसा हुआ है। हम जितना पानी पहुंचा सकते थे पहुंचा दिया था लेकिन इस प्राकृतिक विपदा के कारण, बर्फ कम पिघलने के कारण यह सुविधा नहीं मिल पायी जो शारदा सहायक की बात कर रहे हैं कि टेल तक पानी नहीं पहुंचा वह वाकई नहीं पहुंचा है।

श्री राम हर्ष सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र अमेठी में दो रजबहे, अमेठी और टिकरी हैं जिनकी क्षमता माइनर से भी कम है और अमेठी रजंबहे में 18 और टिकरी में 19 माइनरें निकाल दी गयी हैं। जब क्षमता माइनर की नहीं है और उनमें से इतनी माइनरें निकाल दी गई हैं तो टेल तक पानी पहुंच ही नहीं सकता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उस विषय में इसकी क्षमता बढ़ाने के लिये इस बजट में कोई व्यवस्था की है ?

श्री अध्यक्ष–

जब इस विभाग का अनुदान आयेगा तब यह पूछियेगा। यह प्रश्न जो चल रहा है यह नीतिगत है और सरकार की नीति के बारे में उत्तर आ गया है।

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कोठियारा, पोखार, अलेरू आदि नहरें केवल कागजों पर निर्मित दिखाई गई हैं और उनमें आज तक एक बूंद पानी भी किसानों को उपलब्ध नहीं हो रहा है, क्या उन नहरों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करायेंगे और जिन अधिकारियों ने केवल कागजों पर फर्जी नहरें दिखाकर शासन और किसानों को धोखा दिया है, के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, यह स्थान विशेष का प्रकरण है। माननीय सदस्य चाहें तो अभी लिखकर दे दें, नहीं तो हम प्रोसीडिंग से ले लेंगे, इसकी जांच करा लेंगे और जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी, उसे अवश्य करेंगे।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने अभी किसानों को जल की उपलब्धता कम होने के कारण पानी टेल तक न पहुंचा पाने की बात कही, यह भी कहा कि पानी सभी माइनर्स में भी नहीं पहुंचाया जा सकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी, जहां पानी नहीं पहुंचेगा, वहां सिंचाई राजस्व न लिखवाने के लिये विभागीय आदेश प्रसारित करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैंने केवल इतना कहा कि अप्रैल से जून तक पहाड़ से पिघलने वाली बर्फ से जिन नदियों में पानी आता है, उन नदियों में इस बार बर्फ कम पिघलने के कारण 30 से 50 प्रतिशत कम पानी पहुंचा। यह भी स्वीकार किया कि जून के अन्त तक टेल तक पानी नहीं पहुंचा पाये। जून के बाद भी नहीं पहुंचा पाऊंगा, यह मैंने नहीं कहा है। अनुपूरक प्रश्न का दूसरा जो भाग है, जहां सिंचाई नहीं हुई है, वहां राजस्व शुल्क माफ करने के सम्बन्ध में, उसके सम्बन्ध में बताना चाहूंगा कि जहां पानी नहीं मिल पाता है, ट्यूबवेल से, लिफ्ट नहर से, वहां सिंचाई शुल्क लगना ही नहीं चाहिये, माफ करने का तो प्रश्न ही नहीं होता। यह तो पहले से नियम है, कानून है। चूंकि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, इसलिये हम उस आदेश को फिर से भेज देंगे।

(कई सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने की मांग किये जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

किसी प्रश्न पर 3—4—5 अनुपूरक होते हैं। यदि एक प्रश्न पर 10-10, 15-15 अनुपूरक प्रश्न पूछे जायेंगे तो शेष प्रश्न कैसे आयेंगे ? प्रश्न आमतौर से नीतियों से सम्बन्धित है, नीति बता दी गई। अब माननीय सदस्य अलग-अलग क्षेत्रों के बारे में जानना चाहते हैं तो जब विभागीय अनुदान आयेगा, तब बात कहियेगा, वरना शेष महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर नहीं आ पायेगा।

श्री बिहारी लाल आर्य–

मान्यवर, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड सिंचाई के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है, वहां पर सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं, यहां के किसानों की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि बुन्देलखण्ड में जल स्तर काफी नीचे चला गया है, राजकीय नलकूप इसलिये नहीं लगाये जा रहे हैं कि

33 हजार गैलन पानी की उपलब्धता पर लगाने का मानक है। बुन्देलखण्ड में जो सर्वे रिपोर्ट है, उसके अनुसार वहां 12 हजार, 15 हजार गैलन से ज्यादा पानी नहीं मिल सकता, तो इसके लिये माननीय मंत्री जी क्या जलस्तर को देखते हुये 15 हजार गैलन पर ट्यूबवेल लगवाये जाने का प्राविधान करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, बुन्देलखण्ड में ट्यूबवेल लगाने का काम वहां की प्राकृतिक स्थिति के अनुसार ही होगा। बुन्देलखण्ड विशेष क्षेत्र है, वहां तो हमने वैसे ही तमाम परियोजनायें स्वीकार की हैं।

प्रदेश सरकार एवं हरियाणा राज्य से यमुना नदी के जल बंटवारे का समझौता

*3—श्री सरदार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार ने हरियाणा सरकार से अपर आगरा कैनाल मथुरा के पानी के बंटवारे के संदर्भ में कोई समझौता किया है ? यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं ? क्या समझौते के अनुसार मथुरा एवं आगरा जनपदों को कम पानी मिलेगा ? यदि हां, तो समझौते का औचित्य क्या था ? क्या सरकार पूरे प्रकरण को सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रदेश सरकार ने हरियाणा राज्य से अपर आगरा नहर, मथुरा के पानी के सम्बन्ध में समझौता नहीं किया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वर्तमान में कितना पानी हरियाणा को मिल रहा है ? कितना उत्तर प्रदेश को मिल रहा है ? क्या इसमें कोई परिवर्तन करने के लिये नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिये हरियाणा की ओर से कोई सुझाव मिला है, यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, इसमें पानी किसी नहर के द्वारा प्रदेशों के बीच नहीं बंटता यमुना नदी से कितना पानी कौन कहां से लेगा और कहां से ले रहा है यह बंटवारा होता है और इस यमुना नहर के बंटवारे में पांच प्रदेशों का हिस्सा है जहां तक नहर को नियंत्रण में लेने का प्रश्न है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हाल ही में पत्र लिखा कि अपर आगरा कैनाल का नियंत्रण जो हरियाणा क्षेत्र में है, वह हरियाणा को दे दिया जाये इस पर उत्तर प्रदेश शासन ने अपनी पूरी असहमति व्यक्त किया है और इसके पहले भी हरियाणा इस बात को उठा चुका है और उत्तर प्रदेश से यह इन्कार किया गया है और आगे भी उनको नियंत्रण देने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी–

मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि पिछले 10—12 साल से हरियाणा सरकार ने आबपासी उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं दी है हमारे जिले में भयंकर सूखा है। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार का कितना पैसा हरियाणा को देने की कृपा करेंगे।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैंने पूर्व में ही कहा कि नदी के पानी का बंटवारा एक स्थाई समझौते द्वारा होता है और वह अन्तर्राज्यीय समझौता केन्द्र सरकार की देखरेख में होता है। उस समझौते के अनुसार हम किसी भी राज्य के हिस्से का पानी बन्द नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। जहां तक बकाये का सवाल है लगभग पांच करोड़ रुपया बकाया है उसके लिये लिखा-पढ़ी हो रही है कि वह दे दें।

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सिंचाई मंत्री जी ने अभी अपने उत्तर में कहा कि जो अपर यमुना कैनाल है उसका नियंत्रण हरियाणा को दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो भारत सरकार का अपर यमुना बोर्ड है जो समय-समय पर इस बात का सर्वेक्षण करता है कि अपर यमुना कैनाल जहां से निकलती है उससे ऊपर का जो क्षेत्र है उसके अन्दर पानी की उपलब्धता की क्या स्थिति है। क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि अपर यमुना बोर्ड के अधिकारियों ने बीते वर्ष में अपर यमुना क्षेत्र में अपस्ट्रीम कितनी बात सर्वे किया है और जो डाटा भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया क्या वह डाटा प्रदेश सरकार के पास उपलब्ध है ?

माननीय मंत्री जी मेरे क्षेत्र के सिंचाई विभाग देहरादून को यह निर्देश देने की कृपा करेंगे कि अपर यमुना क्षेत्र से, कट्टा पटधर क्षेत्र से जो पहली पर्वतीय नहर निकलती है उसका डिस्चार्ज न घटाया जाय, उसके पानी की सेयरिंग न की जाय ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य जो सूचना देते हैं, निर्देश दे दिये जाते हैं भविष्य में भी निर्देश दे देंगे। नियम के अन्तर्गत क्या है, उसमें कार्यवाही की जायेगी।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

अन्तर्राज्यीय समझौता के अनुपालन की जिम्मेदारी क्या केवल उत्तर प्रदेश की है या हरियाणा व राजस्थान की भी है ? और वे राज्य इसका पालन कर रहे हैं या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, अन्तर्राज्यीय समझौता जिन भी राज्यों के बीच होता है प्रत्येक सदस्य राज्य का यह दायित्व बनता है और यह संवैधानिक दायित्व है कि वे उसका पालन करें और यह राज्य पालन भी कर रहे हैं। कहीं भी चाहे उन्हें या उत्तर प्रदेश को लगता है कि नियम के विपरीत हो रहा है तो इस पर आपत्तियां आती हैं और अधिकारी स्तर की वार्ता होती है, उसमें उसका समाधान खोजने का प्रयास होता है।

श्री सरदार सिंह–

हरियाणा पूरा-पूरा पानी ले जाता है और चोरी भी होती है, हमारे अधिकारियों का कोई प्रभाव नहीं रहता है तो क्या हरियाणा में पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, जिससे पानी की चोरी न हो सके और आगरा जिले को भी पूरा पानी मिल सके ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, कोई किसान ऐसा करता पाया जाता है, शिकायत आती है तो शासन को लिखा जाता है।

(बुधवार, दिनांक 30 जुलाई, 1997 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

प्रदेश में गोंड जाति के लोगों को अनुसूचित जाति में रखा जाना

*1—श्री सूर्य प्रताप शाही तथा श्री शिव प्रताप शुक्ल–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि राज्य सरकार ने गोंड जाति के लोगों को अनुसूचित जाति/जनजाति की समस्त सुविधायें तथा प्रमाण-पत्र देने का निर्णय वर्ष 1977 में लिया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि गोरखपुर मण्डल के जिलों में गोंड जाति के लोगों को गत दो वर्षों से जाति प्रमाण-पत्र नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन की नीति के अनुरूप प्रमाण-पत्र न देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री श्रीराम पाल)–

जी हां। शासनादेश संख्या–6744/26—77—17(21)-74, दिनांक 29-8-77 में सम्पूर्ण उ० प्र० में गोंड जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, उत्तर का दूसरा भाग सत्य से परे हैं। मान्यवर, 24 सितम्बर, 1977 का शासनादेश है जो श्री एस०पी० आर्य, उप सचिव के हस्ताक्षर से जारी हुआ जिसमें लिखा है कि "सारे उत्तर प्रदेश में तथा गोड जाति को केवल बुन्देलखण्ड मण्डल तथा जिला मिर्जापुर में कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में अनुसूचित जाति माना जायेगा अब समाप्त कर दिया गया है तथा दिनांक 17 जुलाई, 1977 से इन जातियों को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों को मिलने वाली समस्त सम्वैधानिक, शैक्षिक तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।" इसमें निर्देश दिया गया है और गोंड जाति के लोगों को अनुसूचित जाति के भीतर रखा गया है और उनको सारी सुविधायें दी जायेंगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, पहले आप इस विरोधाभाष को स्पष्ट कर दें।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, गोरखपुर के तत्कालीन कमिश्नर ने इसे ठप्प कर दिया और एक निर्देश दे दिया कि गोंड जाति के लोगों को वे सुविधायें नहीं दी जायेंगी। इसलिए क्या माननीय मंत्री जी देवरिया, गोरखपुर

पडरौना, महराजगंज आदि में जो गोंड जति के लोग रहते हैं, उन्हें वे सुविधायें तत्काल प्रदान करने की कृपा करेंगे। दूसरा, श्री हरीश चन्द्र 'हरीश' जी, जिन्होंने उनके अधिकारों को ठप्प कर दिया, के खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, गोंड जाति के अनुसूचित जति होने के बारे में कई शासनादेश निर्गत किये गये हैं और कभी भी ऐसा प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है कि गोंड जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र न दिया जाय। किसी भी जिले में प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। 1977 में इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया था। 22-5-57 को जो शासनादेश जारी हुआ उसमें बुन्देलखंड क्षेत्र और मिर्जापुर जनपद तथा कैमूर पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में रहने वाले जो गोंड जाति के लोग हैं अब यदि वह प्रदेश के किसी भी जगह रह रहे हों तो उन्हें अनुसूचित जाति का माना जायेगा। गोरखपुर में कहार जाति व धीमर जाति के जो लोग हैं वे अति पिछड़ी जाति में आते हैं उन्होंने भी गोंड जाति का प्रमाण-पत्र बनवाने हेतु प्रत्यावेदन दिये। उसकी जांच पड़ताल हुई। इसलिए तत्कालीन कमिश्नर ने उसे रोक दिया और उनके प्रमाण-पत्र नहीं बनाये। गोंड जाति के लोगों के तब भी बन रहे थे और आज भी बन रहे हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मेरे पास जनगणना की रिपोर्ट है। उस जनगणना की रिपोर्ट में 1091 में गोरखपुर में 47884 गोंड जाति के लोग थे, 1911 में 47030 थे, 1931 में 50501 थे और खुद उत्तर प्रदेश सरकार ने 1981 में 13792 गोंड जाति के लोग बताये हैं। देवरिया में 1981 में 56232 गोंड जाति के लोग हैं। पहले देवरिया व गोरखपुर एक ही था परन्तु विभाजन के बाद 13792 गोंड जाति के जो लोग गोरखपुर में रह रहे थे, उनको फायदा न मिले, इस शासनादेश पर रोक लगा दी गई। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जनगणना रिपोर्ट के आधार पर वहां के गोंड जाति के इन लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र देने की व्यवस्था करेंगे। दूसरा, क्या तत्कालीन आयुक्त के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, जिसने इसे रोक दिया ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आप केवल कार्यवाही के बारे में एक वाक्य में बता दें।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, जैसा मैं पहले भी अवगत करा चुका हूं कि गोंड जाति का अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र बनता था, वह कभी बंद नहीं हुआ और वह आज भी है।

(श्री शाही जी के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री शाही जी 29 अगस्त, 1977 व 24 सितम्बर, 1977 के शासनादेश में अगर कोई विरोधाभाष है और माननीय मंत्री जी का उत्तर आपके हिसाब से सत्य से परे है, तो आप कृपा करके संगत नियमों के अंतर्गत सूचना दे दें, मैं उस पर कार्यवाही करुँगा।

(प्रश्नोत्तर काल समाप्त)

नोट :–नत्थी ग तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

जनपद मथुरा तहसील मांट के ग्राम डागोली में यमुना नदी के पानी के कटाव रोकने की योजना

*2—श्री यशपाल सिंह चौहान—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि परमपूज्य देवरहा बाबा के समाधिस्थल जनपद मथुरा तहसील मांट के ग्राम डागोली में यमुना नदी से 2 हजार एकड़ भूमि का कटाव हो गया है ? क्या इस कटाव से किसानों को भरी क्षति तथा बाबा की समाधि स्थल को भी खतरा हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कटाव को रोकने के लिये कोई प्रयास कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां। 200 एकड़ में कटान हुआ।

समाधि की सुरक्षा एवं भूमि के कटाव को रोकने के लिये रु० 25.50 लाख की एक योजना स्वीकृत की गयी थी, जिससे संबंधित कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लघु सिंचाई विभाग द्वारा पाइपों की खरीद में की गई अनियमितता की शिकायत

*3—श्री श्यामदेव राय चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या चालू वित्तीय वर्ष में लघु सिंचाई विभाग द्वारा पाइपों की खरीद में अनियमितता तथा आर्थिक गड़बड़ी किये जाने का मामला शासन के संज्ञान में आया है ? क्या उक्त प्रकरण की कोई जांच कराई जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)—

जी हां। उक्त प्रकरण की जांच कराई जा चुकी है। प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य महानिदेशालय के मुख्य सम्प्रेक्षा अधिकारी के विरुद्ध संगठन का शिकायती पत्र पर जांच कार्यवाही

*4—श्री सुरेन्द्र नाथ—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य महानिदेशालय के मुख्य सम्प्रेक्षा अधिकारी के विरुद्ध संगठन के पत्र सं०—प्रा०सं०/97/1 दिनांक 14/15-1-97 द्वारा शासन को शिकायतें प्राप्त हुयी हैं ? उस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य महानिदेशालय के कथित वित्तीय घोटालों के संबंध में यू०पी० मेडिकल एण्ड पब्लिक हेल्थ मिनिस्टीरियल एसोसियेशन उ० प्र० एवं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परि० क० महानिदेशालय मिनिस्ट्रीरियल कर्मचारी संघ द्वारा प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं को भेजे गये शिकायती पत्र दिनांक 14/15-1-97 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)—

जी हां। शिकायती पत्र पर महानिदेशक से जांच करायी जा रही है। जी हां। प्राप्त शिकायती-पत्रों पर महानिदेशक द्वारा जांच करायी जा रही है। जांच आख्या प्रतीक्षित है। इसी मध्य श्री एस० पी० सिंह, मुख्य सम्प्रेक्षाधिकारी का स्थानान्तरण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से अन्यत्र हो गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर जनपद में निर्माणाधीन 300 शैय्याओं के अस्पताल को पूर्ण कराये जाने की मांग

*5—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद में अनेक वर्षों से निर्माणाधीन 300 शैय्याओं के अस्पताल के लिए इस वर्ष सरकार धन की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कितनी धनराशि दी जानी प्रस्तावित है और कब तक उसका निर्माण पूरा हो जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री—

जी हां।

चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 में उक्त निर्माण कार्य हेतु रुपये 200.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। अवशेष अपेक्षित धनराशि के उपलब्ध होने की दशा में निर्माण कार्य लगभग अगले तीन वर्ष में पूर्ण हो जाने की संभावना है।

निदेशक प्राणि उद्यान लखनऊ के विरुद्ध शिकायत की जांच

*6—श्री राम सिंह, श्री मस्त राम, श्री दीप लाल भारतीय, श्री नरेन्द्र सिंह तथा, श्री शिव पूजन राम—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष (जून, 1997 तक) कितने माननीय विधायकों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों ने निदेशक, प्राणि उद्यान, लखनऊ के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं घोटाले की शिकायत की है ? क्या इन सब शिकायतों की जांच कर ली गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

इस वर्ष जून 1997 तक 6 माननीय विधायकों एवं तीन अन्य जनप्रतिनिधियों के, निदेशक, प्राणि उद्यान के विरुद्ध शिकायती पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से 5 शिकायतों की जांच 26-4-97 एवं शेष 4 की जांच 23-7-97 को की गई है। जांच आख्या शासन में प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर प्रदेश में मेडिकल/डेन्टल कालेजों की स्थापना हेतु शासन की नीति की जानकारी

*7—श्री अखिलेश कुमार सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में मेडिकल/डेन्टल कालेजों की स्थापना हेतु शासन की कोई नीति है ? यदि हां, तो क्या और अभी तक शासन द्वारा इस संबंध में किन-किन संस्थाओं को अनापत्ति/आवश्यकता प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं ? उनमें से कितनी संस्थाओं ने मेडिकल/डेन्टल कालेजों की स्थापना कर ली है ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

नीति विषयक शासनादेश दिनांक 23-12-94 की प्रति संलग्न है।

अब तक जिन-जिन संस्थाओं को अनापत्ति/आवश्यकता प्रमाण-पत्र जारी/निर्गत किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है।*

दो संस्थाओं द्वारा मेडिकल कालेज तथा पांच संस्थाओं द्वारा डेन्टल/कालेजों की स्थापना की जानकारी प्राप्त हुई है।

---

* छापी नहीं गयी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय लखनऊ में राजकीय सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा करायी गयी अधिकृत चिकित्सा की प्रतिपूर्ति का निस्तारण

*8—श्री गंगा सिंह चौहान—

क्या सरकार को जानकारी है कि चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य निदेशालय, लखनऊ में राजकीय सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा करायी गयी अपनी अधिकृत चिकित्सा की प्रतिपूर्ति के दावे गत अनेकों वर्षों से लम्बित पड़े हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ? क्या सरकार अपने कर्मियों को होने वाली उक्त आर्थिक असुविधा को दृष्टिगत रखते हुये उक्त निदेशालय द्वारा प्रत्येक ऐसा दावा एक निश्चित कालावधि के भीतर अवश्य निस्तारित किये जाने के निर्देश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री—

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय लखनऊ में राजकीय सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा करायी गयी अधिकृत चिकित्सा की प्रतिपूर्ति का कोई भी दावा अनेकों वर्षों से लम्बित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

यद्यपि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में प्रतिपूर्ति दावों के निस्तारण में पर्याप्त तत्परता से कार्यवाही की जा रही है। फिर भी शासन द्वारा समय-समय पर दावों के निस्तारण में शीघ्रता से कार्यवाही किये जाने के निर्देश महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

*9—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

(तीसरे गुरु में तारा० प्र० सं० 12 के अंतर्गत स्थानान्तरित)

जनपद सोनभद्र के रेनूकूट में बिड़ला बन्धुओं के हिण्डालको नामक संस्थान के परिसर में बनाये गये छार्ड का पुल के ढहने से हुई मौतों के मृतकों को मुआवजा

*10—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी तथा श्री राजा राम पाण्डेय—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद सोनभद्र के रेनूकूट में बिड़ला बन्धुओं के हिण्डालको नामक संस्थान के परिसर में प्रशासन तंत्र द्वारा बनवाये गये छाया के पुल के ढहने से उक्त संस्थान के दलित एवं अनुसूचित जाति के पचास मजदूर अप्रैल, 1996 के प्रथम सप्ताह में दब कर मर गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार ने हिण्डालको के प्रशासन तंत्र के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? क्या सरकार उक्त प्रबन्ध तंत्र से मृतकों के आश्रितों को पांच लाख (प्रति मजदूर) दिलाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जनपद सोनभद्र के रेनूकूट में हिण्डालको परिसर में हिण्डालको कम्पनी के विसर्जित छाई (राख)के जल मिश्रित बहाव को रोकने के लिये कम्पनी प्रबन्धन द्वारा निर्मित छाई (राख) बांध अचानक टूट गया था, जिसमें जनधन की शिकायत प्राप्त होने पर मैजिस्टीरियल जांच कराई गई। प्रवाहित छाई (राख)के मलवे को हटवाकर तलाश करने पर कोई लाश प्राप्त नहीं हुई। मात्र दो व्यक्तियों के घटना के समय व इसके पश्चात लापता होने की बात प्रकाश में आयी थी। अन्य किसी के इस घटना में मरने की बात प्रकाश में नहीं आयी। मैजिस्टीरियल जाँच में इस घटना को महज संयोगवश घटित होना बताया गया।

श्री द्वारिका सिंह अध्यक्ष, हिन्डालको प्रगतिशील

मजदूर सभा रेनूकूट की लिखित सूचना पर थाना पिपरी में मुकदमा अपराध संख्या 66/96 धारा-337 भा०द०वि० के तहत हिन्डालको प्रबन्धक रेनूकूट के विरुद्ध दायर किया गया था। पुलिस अभिलेखों में दो व्यक्तियों श्री कौशल प्रधान व पुजारी गिरी के गायब होने की सूचना अंकित है। सन्देह किया गया है कि वे ऐश डैम के बहाव में दब गये। किन्तु खुदाई में कोई शव बरामद नहीं हुआ। दौरान विवेचना श्री एस०बी० माहेश्वरी निर्माण प्रबन्धक एवं श्री सन्तोष कुमार मिश्रा, निर्माण उप प्रबन्धक हिन्डलको इण्डस्ट्रीज प्रकाश में आये हैं, जिनके विरुद्ध विवेचना पूर्ण कराने के उपरान्त दिनांक 11-10-96 को आरोप-पत्र भेजा गया है, जो मा० न्यायालय में विचाराधीन है। मैजिस्टीरियल जांच में उक्त घटना संयोगवश घटित होने का उल्लेख है। इस घटना से मात्र दो श्रमिकों, श्री कौशल प्रधान पुत्र श्री राम प्रसाद एवं श्री पुजारी गोस्वामी के लापता मृत होने की बात प्रकाश में आयी है। हिन्डालको प्रबन्धक द्वारा मृत/लापता स्व० पुजारी गोस्वामी की विधवा को रु० 3000=00 मासिक पेन्शन/सहायता दी जा रही है तथा स्व० श्री कौशल प्रधान की विधवा को प्रतिष्ठान के अस्पताल में सेवायोजित कर रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने में ग्रीन कार्ड धारकों को नौकरियों में प्रोत्साहन

*11—श्री राम विशुन आजाद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार क्या कोई प्रभावी कदम उठा रही है ? क्या सरकार नसबन्दी ग्रीन कार्ड धारकों के लिए कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? क्या सरकारी संस्थाओं में ग्रीन कार्ड धारकों की पदोन्नति के लिए भी सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है और कब तक लागू की जायेगी ?

श्री रमापति शास्त्री—

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी शिक्षक नियमावली, 1990 में विभागाध्यक्षों के पदों पर नियुक्ति का मामला

*12—श्री नारायण राम दास—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी शिक्षक नियमावली, 1990 में विभागाध्यक्षों के पद सृजित एवं परिभाषित हैं ? यदि नहीं, तो क्या शासन द्वारा आयुर्वेदिक एवं यूनानी शिक्षकों को विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु अनुभव प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त नियमावली में संशोधन करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

शासन द्वारा आयुर्वेदिक एवं यूनानी शिक्षकों जो रीडर/विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु अनापत्ति/अनुभव प्रमाण-पत्र निर्गत किये जा रहे हैं।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उ० प्र० के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के वर्गों के लिये आरक्षित प्रवक्ता के पदों को भरे जाने का मामला

*13—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ० प्र० के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के वर्गों के लिये आरक्षित प्रवक्ताओं के पद रिक्त चल रहे हैं। ? यदि हां, तो कितने और कब से ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने के लिये कोई आदेश निर्गत कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के वर्गों के लिये प्रवक्ताओं के आरक्षित पदों का विवरण निम्नलिखित है :–

विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय	आरक्षित पदों का विवरण			आरक्षित पदों की रिक्तियों की अवधि
	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	
एलोपैथिक	4	34	1	वर्ष 1979 से 1995 के मध्य
होम्योपैथिक	5	21	2	वर्ष 1992 से 1997 के मध्य
आयुर्वेदिक/ यूनानी	11	9	—	वर्ष 1992 से

उत्तर प्रदेश के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवक्ता के पद लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत सीधी भर्ती के पद हैं जिन पर सीधी भर्ती हेतु चयन लोक सेवा आयोग के माध्यम से होता है। उक्त रिक्त पदों को भरे जाने के निमित्त चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजे जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

*14—श्री राम तेज यादव एडवोकेट तथा श्री महराज सिंह यादव—
(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

*15—श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री विवेक कुमार सिंह तथा श्री अमर मणि—
(तीसरे गुरू में ता० प्र० सं० 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

ब्लाक चिलकहर, तहसील रसड़ा, जिला बलिया के जल स्तर एवं डीप बोरिंग मशीन व्यवस्था

*16—श्री शिवाकान्त—

क्या सरकार को जानकारी है कि ब्लाक चिलकहर, तहसील रसड़ा जिला बलिया में भू-गर्भ जल का स्तर 200 फीट से नीचे चला गया है, जिससे किसानों की ट्यूबवेल बोरिंग फेल हो गयी है ? क्या सरकार ऐसी स्थिति में किसानों की सिंचाई की समस्या को देखते हुये डीप बोरिंग कराने हेतु उक्त जिले में स्थायी रूप से डीप बोरिंग मशीन की व्ववस्था जिला मुख्यालय पर उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि गहरी बोरिंग हेतु कृषकों का कोई भी प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका

*17—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के चयन तथा स्वीकृत एवं अनुश्रवण के संबंध में भारत सरकार अथवा उ० प्र० सरकार द्वारा क्या कोई दिशा निर्देश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार भारत सरकार द्वारा भेजे गये तथा उ० प्र० सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों की प्रतिलिपियां सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)—

जी हां।

सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अध्याय 3.5 एवं 6 में कार्यों के चयन, स्वीकृति एवं अनुश्रवण के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं । प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या 1676/38—4-97, दिनांक 14-5-97 के प्रस्तर 8, 9, 10 एवं 14 में योजनान्तर्गत कार्यों के चयन स्वीकृति एवं अनुश्रवण के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं, जो संक्षेप में निम्नवत् हैं। योजनान्तर्गत कार्यों के चयन में प्राथमिकता निर्धारित किये जाने के संबंध में निम्नलिखित निर्देश हैं :—

(क) वाटरशेड विकास के अन्तर्गत जल संरक्षण, भू-संरक्षण, मेड़ों द्वारा अवरोध वनरोपण, कृषि बागवानी, वन चारागाह आदि उपचार योजनाओं के आधार पर कार्यों की पहचान की गयी है।

(ख) लघु सिंचाई टैंक, परिश्रवण टैंक, ग्रामीण टैंक, नहर का कार्य आदि।

(ग) जो गांव सड़क से जुड़े हुये नहीं हैं, उन्हें सड़क से जोड़ने के लिये जिले के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान के आधार पर चुनी गई सम्पर्क सड़कों का कार्य।

(घ) जवाहर रोजगार योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की पद्वति के आधार पर प्राथमिक स्कूल भवनों का निर्माण कार्य।

(ड़) आंगनबाड़ी के लिये भवन।

2—स्वीकृति सम्बन्धी निर्देश :—

(क) प्रशासनिक स्वीकृति जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है।

(ख) तकनीकी स्वीकृति सामान्य विभागीय मानकों तथा नियमों के अनुसार होती है।

3—**अनुश्रवण**—योजना का कार्यान्वयन, प्रगति एवं अनुश्रवण, समग्र देखरेख, मार्गदर्शन तथा निगरानी के लिये राज्य, जनपद, विकास खण्ड एवं ग्राम सभा स्तर पर निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है, जो योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का नियमित रूप से अनुश्रवण का कार्य करती है :—

1—राज्य स्तरीय समन्वय समिति।

2—जिला सुनिश्चित रोजगार योजना समिति।

3—विकास खण्ड स्तरीय समिति।

4—ग्राम सभा स्तरीय समिति।

विकास खण्ड स्तर पर गठित समिति द्वारा माह में दो बार बैठकें करके कार्यों की प्रगति, गुणात्मक समीक्षा सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी (कार्यान्वयन अधिकारी) को उपलब्ध करायेगी।

जनपद स्तर पर गठित समिति केअध्यक्ष/जिलाधिकारी/कार्यान्वयन प्राधिकारी द्वारा मासिक प्रगति एवं अनुश्रवण सम्बन्धी रिपोर्ट मुख्यालय को प्रत्येक माह उपलब्ध करायी जाती है।

सदन के पटल पर रखने हेतु भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा जारी मार्ग निर्देशों के सुसंगत उद्धरण की प्रतियां संलग्न हैं।†

प्रदेश के भू-जल स्रोत का संतुलन को संतुलित बनाये रखने हेतु सरकार की योजना

*18—श्री सरदार सिंह तथा डा० सरजीत सिंह डंग—

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के भू-जल स्रोत असंतुलन की स्थिति में है ? यदि हां, तो भू-जल स्रोत का संतुलन बनाये रखने के लिये सरकार क्या कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी हां, प्रदेश के 85 विकास खण्ड ''डार्क'' श्रेणी में हैं।

''डार्क'' श्रेणी के ऐसे विकास खण्डों में, जहां असंतुलन की स्थिति परिलक्षित हुई है, में भू-जल स्रोत को बढ़ाने के लिये विभाग द्वारा योजना के अभाव में अभी कोई कार्य नहीं किया गया है। भू-जल

---

† छापी नहीं गयी।

संवर्धन हेतु कृत्रिम रिचार्ज एक विशिष्ट तकनीक है। जनपद रायबरेली के एक विकास खण्ड सतांव के लिये इस हेतु एक पायलेट योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1996-97 में रुपया 7.25 लाख की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसका क्रियान्वयन वर्ष 1997-98 में होगा।

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा गौतम बुद्ध नगर के ग्राम नगला की जमीन में फार्म्स एण्ड फार्म्स इण्डिया लि० नामक फर्जी सोसाइटी के विरुद्ध कार्यवाही

*19—श्री नरेन्द्र सिंह भाटी—

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा गौतम बुद्ध नगर के ग्राम नगला की जमीन जो कि जमुना बांध के अन्दर स्थित है, में फार्म्स एण्ड फार्म्स इण्डिया लि० नामक फर्जी सोसाइटी ने रिवर ब्रिज नाम से फार्म हाउस बेचे हैं, जबकि रिवर बेल्ट में फार्म हाउस बनाया जाना नियम विरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी एवं बैनामें रदद् करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

प्रश्नगत भूमि प्राधिकरण की ''कृषि'' उपयोग की होने के कारण, फार्म हाउस बनाया जाना नियम विरुद्ध है। रिवर ब्रिज, में० फार्म्स एण्ड फार्म्स इण्डिया लि० द्वारा उक्त भूमि के व्यवसायिक प्रयोग हेतु क्रय-विक्रय करने, भ्रामक प्रचार से जनता को गुमराह करके अवैध रूप से धन हड़पने की जानकारी होने पर, प्राधिकरण द्वारा दैनिक समाचार-पत्रों में दिनांक 6-11-96 तथा 26-4-97 को सार्वजनिक चेतावनी प्रकाशित करायी गयी।

औद्योगिक विकास अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत एक नोटिस भी उक्त संस्थाओं के विरुद्ध ज़ारी की जा चुकी है तथा थाना सेक्टर 20 नोएडा, जनपद गौतम बुद्ध नगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ०आई०आर०) भी दर्ज करा दी गयी है।

अतारांकित प्रश्न

मेरठ जनपद के खेकड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत चिकित्सकों की संख्या तथा चिकित्सक का परिसर आवास में न रहने का औचित्य

1—श्री रूप चौधरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जनपद के खेकड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर वर्तमान में कितने चिकित्सक हैं और वे कितने वर्षों से कार्यरत हैं ? क्या वे प्राथमिक स्वा० केन्द्र परिसर में बने आवास में रहते हैं ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,खेकड़ा, जनपद—मेरठ में वर्तमान में मात्र एक चिकित्सा अधिकारी कार्यरत हैं। नहीं। परिसर में बने आवास में पूर्व तैनात चिकित्सा अधिकारी द्वारा भवन खाली न करने के कारण नहीं रहते हैं।

2—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

(2रे शुक्र में अता० प्र० स० 40 के अंतर्गत स्थानान्तरित)

दि किसान सहकारी चीनी मिल, सठियाँव, जनपद आजमगढ़ द्वारा किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान का आश्वासन

श्री नरेन्द्र–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सठियांव शुगर मिल (आजमगढ़) पर वर्ष 95-96 तथा 96-97 का किसानों का कितना गन्ना मूल्य बकाया है ? क्या इसका भुगतान सरकार सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

दि किसान सहकारी चीनी मिल, सठियाँव, जनपद आजमगढ़ पर पेराई सत्र 95-96 का कोई गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अवशेष नहीं है। दिनांक 25-7-97 की स्थिति के अनुसार उक्त चीनी मिल पर पेराई सत्र 96-97 से सम्बन्धित 424.19 लाख रुपया का गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अवशेष है।

जी हाँ।

अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान यथाशीघ्र कराने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

4—श्री अजय भट्ट–

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

प्रदेश में वनों से हो रही लकड़ी की चोरी की घटनाओं को सरकार द्वारा रोके जाने का प्रयास

5—श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि वनों से लकड़ी चोरी की घटना को रोकने में शासन की विफलता के कारण बड़े पैमाने पर चोरियां हो रही हैं और सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की हानि हो रही है? क्या वन अधिनियम में संशोधन हेतु कोई प्रस्ताव वर्ष 1993 में केन्द्र सरकार को भेजा गया था? यदि हां, तो इस विषय में अब तक क्या निर्णय लिया गया?

सुश्री मायावती–

यह सत्य नहीं है कि लकड़ी की चोरी रोकने में सरकार विफल रही है। चोरी की छुटपुट घटनायें गाँवों के पास के वनों में कभी–कभी हो जाती हैं, जिन पर तत्परता से कार्यवाही करके प्रकाष्ठ जब्त किया जाता है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्राविधानों के अन्तर्गत केस की प्रशमन की दशा में अपराधियों से वृक्षों का मूल्य व मुआवजा की धनराशि वसूल की जाती है। अन्यथा अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही की जाती है। राज्य सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये की हानि की बात सत्य नहीं है।

जी हाँ।

अब इस प्रस्ताव पर अपेक्षित कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।

राज्य में डेंगू बुखार से मरने वालों की संख्या तथा रोकथाम के उपायों की जानकारी

6—श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे की गत वर्ष राज्य में डेंगू बुखार से कितने लोगों की मृत्यु हुई? डेंगू बुखार का अधिक प्रकोप किस जिले में था? इसकी रोकथाम हेतु राज्य स्तर पर क्या उपाय

किये गये? क्या इसके लिये जिलों को अलग से कोई धन दिया गया था? यदि हां, तो किस जिले को कितना धन दिया गया?

श्री रमापति शास्त्री–

गत वर्ष राज्य में डेंगू बुखार से 10 लोगों की मृत्यु हुई।

डेंगू बुखार का अधिक प्रकोप लखनऊ जिले में था।

इसकी रोकथाम हेतु महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में प्रतिदिन/साप्ताहिक अनुश्रवण किया तथा क्या करें, क्या न करें, की जानकारी जन साधारण को रेडियो, टी०वी०, समाचार-पत्र एवं हैण्ड-बिल के माध्यम से उपलब्ध कराई गई। प्रभावित रोगियों के रक्त परीक्षण एवं फागिंग करने के निर्देश/आदेश से संबंधित अधिकारियों को दिये गये।

संवेदनशील जनपदों को रु० 20 लाख का आवंटन किया गया था। जनपदवार आवंटन का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 220 पर)

उ० प्र० में समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त आवर्तक अनुदान पर संचालित प्राइमरी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान का मामला

7—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार को ज्ञात है कि उ० प्र० में समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त आवर्तक अनुदान पर संचालित प्राइमरी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को वर्तमान में वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उनको अवशेष वेतन का भुगतान करवाना सुनिश्चित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीराम पाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अध्यापकों के वर्ष 1995-96 व उसके पूर्व के अवशेष वेतन भुगतान हेतु आयोजनागत मद से रु० 951.92 लाख और आयोजनेत्तर मद से रु० 625.00 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। अवशेष रु० 886.84 लाख के भुगतान हेतु इस वर्ष के बजट में प्रावधान कर दिया गया है।

उ० प्र० द्वारा आवर्तक अनुदान पर संचालित प्राइमरी विद्यालयों में आया/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग

8—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार समाज कल्याण विभाग, उ० प्र० द्वारा आवर्तक अनुदान पर संचालित प्राइमरी विद्यालयों में छोटे-छोटे बच्चों की सुविधा के लिये आया/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति करवाने की कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीराम पाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन की ऐसी कोई नीतिं नहीं है।

9—श्री श्यामदेव राय चौधरी–

(न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

जनपद आगरा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में वर्ष 1996-97 में शासन द्वारा स्वीकृत हैण्ड पम्पों को लगाये जाने की मांग

10—श्री विजयपाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में वर्ष 1996-97 में शासन ने कितने हैण्ड पम्पों को लगवाने की स्वीकृति दी थी ? क्या उन हैण्ड पम्पों को लगवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जनपद आगरा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में वर्ष 1996-97 में 211 हैण्ड पम्पों को लगवाने की स्वीकृति दी गयी थी जिनमें से 203 हैण्ड पम्प लगा दिये गये हैं। अन्य पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

आगरा जनपद में विधान सभा क्षेत्रवार लगाये गये हैण्ड पाइपों की संख्या एवं जनप्रतिनिधियों की सहमति

11—श्री विजयपाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है अक्टूबर, 96 से मार्च, 97 तक आगरा जनपद में विधान सभा क्षेत्रवार कितने-कितने हैण्ड पाइप लगाये गये हैं ? क्या लगाये गये हैण्ड पम्पों की सहमति जनप्रतिनिधियों से ली गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जनपद आगरा में ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र में हैण्ड पम्प अधिष्ठापन की माह अक्टूबर, 1996 से मार्च, 1997 तक की विधान सभा क्षेत्रवार स्थिति निम्नानुसार है :–

क्र०सं०	विधान सभा क्षेत्र	अधिष्ठापित हैण्ड पम्पों की संख्या
1	एतमादपुर	25 नग हैण्ड पम्प
2	फतेहपुर सीकरी	137 नग हैण्ड पम्प
3	खैरागढ़	146 नग हैण्ड पम्प
4	दयालबाग	48 नग हैण्ड पम्प
5	फतेहाबाद	82 नग हैण्ड पम्प
6	वाह	77 नग हैण्ड पम्प
7	आगरा	
8	आगरा पूर्वी/आगरा महानगर	
9	आगरा पश्चिमी	50 नग हैण्ड पम्प

जल निगम द्वारा सूची जिला प्रशासन से ली गयी है जो उनके द्वारा सामान्यत: जनप्रतिनिधियों की सहमति से बनायी गयी है।

प्रदेश में दलित एवं गरीब अग्नि पीड़ित व्यक्तियों के लिये सरकार द्वारा इन्दिरा आवास दिये जाने का प्राविधान

12—श्री राम विशुन आजाद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में दलित एवं गरीब अग्नि पीड़ित व्यक्तियों के लिये सरकार द्वारा आवास निर्माण के लिये क्या व्यवस्था की गई है ? क्या सरकार अग्नि पीड़ित व्यक्तियों के लिये इन्दिरा आवास योजना और निर्बल वर्ग आवास योजना में चयन करके आवास निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर—

प्रदेश में दलित एवं गरीब अग्नि पीड़ित व्यक्तियों के लिये सरकार द्वारा इन्दिरा आवास दिये जाने का प्राविधान है।

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के विभिन्न अंचलों में कच्ची शराब बनाये जाने पर रोक

13—श्री राम विशुन आजाद—

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के विभिन्न अंचलों में कच्ची शराब निर्बल वर्ग के व्यक्तियों द्वारा बनायी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे कुटीर उद्योग का दर्जा देने के लिये कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक कुटीर उद्योग का दर्जा दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

गैर कानूनी एवं अवैध रूप से कच्ची शराब बनाये जाने की आपराधिक घटनायें यदाकदा प्रकाश में आती हैं, जिनकी धरपकड़ एवं रोकथाम के लिये प्रभावी रूप से कानूनी कार्यवाही नियमानुसार की जाती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अवैध एवं गैर कानूनी ढंग से कच्ची शराब के निर्माण को कुटीर उद्योग का दर्जा दिया जाना न तो जनस्वास्थ्य की दृष्टि से और न ही नैतिकता की दृष्टि से उचित है।

गांधी ब्लाक तथा गांधी ग्रामों को धन उपलब्ध कराये जाने की शासन की नीति

14—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि शासन द्वारा घोषित गांधी ब्लाक तथा गांधी ग्रामों को धन उपलब्ध कराये जाने के बारे में शासन की कोई नीति है ? यदि हां, तो उसका पूरा विवरण क्या है ?

श्री सुखदेव राजभर—

जी हां।

गांधी ब्लाक वर्ष 1995-96 में भारत सरकार द्वारा चयनित किये गये थे। उनमें इन्दिरा आवासों के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रति गांधी ब्लाक रु० 10.00 लाख की दर से रु० 160.00 लाख तथा राज्य सरकार द्वारा समतुल्य राज्यांश प्रति विकास खण्ड रु० 2.50 लाख की दर से कुल रु० 40.00 लाख अवमुक्त किया गया। गांधी ग्रामों में विभिन्न विकास कार्यों को करने हेतु संबंधित विभागों को कार्यक्रमवार उत्तरदायी बनाया गया है। विभागों द्वारा अपने विभागीय बजट से प्राथमिकता के आधार पर इन ग्रामों में विकास कार्यों हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जाती है।

तिलोई, रायबरेली से निकलने वाली शारदा नहर से निकले रजबहों की सफाई

15—डा० मुस्लिम—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि तिलोई, रायबरेली से निकलने वाली शारदा नहर से निकले रजबहे डी डिबाई, साहमऊ, राजामऊ बिल्कुल मिट्टी से पटे हुये हैं ? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी, रायबरेली ने नहर व रजबहों की सफाई न कराये जाने के संबंध में वर्तमान में कोई आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार नहर व रजबहों की सफाई कराने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

आंशिक रूप से सिल्ट भरी है।

जी हां।

जिलाधिकारी, रायबरेली का यह आदेश है कि दिनांक 1-6-97 से नहरें चलाने के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुये चूंकि अब सिल्ट सफाई का कार्य सम्भव नहीं है अतः जिले में स्थित नहरों से संबंधित किसी भी सिंचाई खण्ड के अधिकारी को इस कार्य हेतु कोई धनराशि अवमुक्त न की जाय। यदि धनराशि अवमुक्त हो गई हो तो उसके व्यय पर तत्काल रोक लगा दी जाय तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाय कि इस धनराशि से आगामी खरीफ की फसल के बाद रबी के मौसम के पहले उक्त कार्य कराने का कार्यक्रम तैयार करें।

आवश्यकतानुसार सिल्ट सफाई प्रत्येक वर्ष की भांति अनुरक्षण कार्यों के अन्तर्गत रबी से पूर्व की जाती है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुदानित प्राइमरी पाठशालाओं के भवन निर्माण की मांग

16—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं के द्वारा संचालित अनुसूचित जाति प्राइमरी पाठशालाओं, जिन्हें आवर्तक अनुदान शासन द्वारा दिया जाता है में से अधिकांश भवनहीन हैं ? यदि हां, तो उनके भवन निर्माण कराने की क्या योजना है ? क्या जनहित में उनके भवन समयबद्ध तरीके से बनवाने का निर्णय सरकार लेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम पाल—

जी नहीं।

अनुदानित प्राइमरी पाठशालाओं के भवन निर्माण की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

गांधी ग्राम-धनापुर, जनपद फैजाबाद की मार्ग में हुई अनियमितता की शिकायत एवं जांच आख्या की जानकारी

17—श्री तेज भान सिंह—

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशक, मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ० प्र० को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-11-96 जिसमें गांधी ग्राम-धनापुर मार्ग में अनियमितता की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच कब और किस अधिकारी ने की है ? क्या जांच में शिकायतकर्ता का भी सहयोग लिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जांच में कोई अनियमितता प्रकाश में आयी है ? यदि हां, तो अब तक क्या कोई कार्यवाही की गई है.? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गंगा प्रसाद पुष्कर—

जी हां।

उक्त शिकायत की स्थलीय जांच अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा परिमंडल फैजाबाद द्वारा दिनांक 3-3-97 को की गई है।

जी हां। जांच अधिकारी के पत्र संख्या 7134, दिनांक 19-2-97 द्वारा शिकायतकर्ता से दिनांक 2-3-97 एवं 3-3-97 को कार्यस्थल पर उपस्थित होने हेतु अनुरोध किया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

प्रकरण में दोषी पाये गये अवर अभियंता श्री आर० के० विश्वकर्मा को वर्ष 1997-98 के लिये भर्त्सना प्रविष्टि देते हुये ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, परिमंडल फैजाबाद से सम्बद्ध कर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ जनपद के ब्लाक लालगंज अम्बेडकर गांव कलीचपुर, महसीरपुर के विकास कार्यों को पूर्ण किये जाने की मांग

18—श्री नरेन्द्र—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के ब्लाक लालगंज अम्बेडकर गांव कलीचपुर, जमुनीपुर, महसीरपुर के विकास कार्य पूर्ण हो गये हैं ? यदि नहीं, तो कब तक विकास कार्य पूर्ण हो जायेगा ?

सुश्री मायावती—

जनपद के विकास खण्ड, लालगंज के अम्बेडकर ग्राम कलीचपुर, जमुनीपुर, महसीरपुर में अम्बेडकर ग्राम विकास योजना में सम्मिलित प्रमुख 11 कार्यक्रम में नाली, खड़ंजा, सम्पर्क मार्ग एवं किसान पेंशन के अतिरिक्त सभी विकास कार्य पूर्ण हो गये हैं अवशेष कार्य शीघ्र पूर्ण करने के लिये प्रयास किया जा रहा है।

मुख्य चिकित्साधिकारी, कार्यालय सिद्धार्थनगर में लिपिकीय वर्ग के कर्मचारियों का अन्यत्र स्थानान्तरण

19—श्री विनोद मणि—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे शासन की वार्षिक स्थानान्तरण नीति में समूह "ग" के लिपिकीय एवं अप्रशासनिक कर्मियों की तैनाती उनके निजी तहसील ग्राम तथा हल्का एवं ब्लाक में न करने की नीति है ? यदि हां, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिद्धार्थनगर के कार्यालय में कितने लिपिकीय कर्मचारी उक्त स्थानान्तरण नीति के विपरीत अपनी तहसील में तैनात/कार्यरत हैं ? क्या मंत्री जी ऐसे कर्मियों का स्थानान्तरण, वार्षिक विभागीय स्थानान्तरण नीति के अनुरूप उनको तहसील से हटाकर अन्यत्र तैनात करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री—

जी हां।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सिद्धार्थनगर में 02 लिपिक वर्गीय कर्मचारी अपनी तहसील में तैनात/कार्यरत हैं।

उक्त कर्मियों को उनकी तहसील से हटाकर अन्यत्र तैनात करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के जिला चिकित्सालय में रक्त कोष की स्थापना, एक्सरे मशीन तथा अन्य आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणों को लगाये जाने की मांग

20—श्री जय प्रताप सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद सिद्धार्थनगर के जिला अस्पताल "लैब टेक्नीशियन" के पद पर चलते विवाद के कारण आज तक रक्त संग्रहालय खुला नहीं है ? क्या यह सही है कि जिला अस्पताल की एक्सरे मशीन बिजली के केबुल के अभाव में आज तक काम नहीं कर पा रही है ? क्या यह भी सही है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा रुपया 1 करोड़ 26 लाख उपरोक्त काम के लिये दिया गया है और काम पूरा नहीं हुआ है ? क्या मंत्री जी जिला अस्पताल को सुचारु रूप से चलाने के लिये उपरोक्त कार्य तत्काल पूर्ण कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कितने समय में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री—

जी नहीं, "लैब टेक्नीशियन" के पद पर चलते विवाद के कारण नहीं, अपितु जिला चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर में रक्त कोष की स्थापना हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन-पत्र से पूर्व निर्धारित औपचारिकताओं की पूर्ति के अभाव में रक्त कोष की स्थापना नहीं हो सकी।

जी हां, किन्तु अब केबुल का कार्य भी पूर्ण किया जा चुका है।

अन्य निर्माण कार्यों के साथ-साथ विद्युत् केबुल के कार्य हेतु सन्दर्भित धनराशि निर्माण एजेन्सी को दी गई है। उपर्युक्त कार्य यथा शीघ्र पूर्ण कर लिये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

सरजू नहर परियोजना की मुख्य नहर अथवा शाखाओं पर मानक के अनुसार पुलों का निर्माण

21—श्री जय प्रताप सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरजू नहर परियोजना की मुख्य नहर अथवा इसकी शाखाओं पर जो छोटे और बड़े पुल बन रहे हैं उनका कोई मानक निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो वह मानक क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां।

पुलों का निर्माण सिंचाई विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुसार किया जाता है।

प्रदेश के निजी भवनों में चल रहे आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का बकाया किराया भुगतान हेतु स्वीकृत धनराशि

22—श्री जगदम्बिका पाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के निजी भवनों में चल रहे आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का किराया विगत तीन वर्षों से उनके स्वामियों को भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उक्त भवनों का किराया कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी हां।

निजी भवनों में चल रहे राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों के लम्बित किरायों के भुगतान हेतु शासनादेश दिनांक 31-3-97 द्वारा रु० 1,27,18,000 की धनराशि स्वीकृत कर पी०एल०ए० में जमा कर दी गयी है। पी०एल०ए० में जमा धनराशि से भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

तिलोई, जनपद रायबरेली से निकलने वाली शारदा नहर व उससे निकलने वाले रजबहों में पानी व्यवस्था

23—डा० मुस्लिम—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि तिलोई, जनपद रायबरेली से निकलने वाली शारदा नहर व उससे निकले रजबहों में पानी अब तक नहीं छोड़ा गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्षेत्र के कृषकों व मवेशियों के लिये कब तक नहर व रजबहों में पानी छोड़ने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

तिलोई, जनपद रायबरेली से निकलने वाली शारदा नहर व उससे निकले रजबहों में पानी दिनांक 14-6-97 को छोड़ा गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत "योजना नगर आवासीय भवन" लखनऊ के निर्माण कराये जाने के उद्देश्य की जानकारी

24—श्री राकेश सोनकर—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत "योजना नगर आवासीय भवन" लखनऊ का निर्माण कराने का उद्देश्य क्या है ? क्या उक्त आवासीय भवन विभागीय कर्मचारियों हेतु निर्माण कराये गये हैं ? यदि हां, तो उनका आवंटन अब तक न किये जाने का कारण क्या है ? क्या यह सही है कि समय से आवंटन न होने के कारण सरकारी राजस्व का नुकसान हो रहा है ? क्या यह भी सही है कि अब अधिकारीगण उक्त आवासीय भवनों को कार्यालय के प्रयोग में लाने पर विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सिंचाई विभाग, नियोजन संगठन के अन्तर्गत लखनऊ में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजना नगर में आवासीय भवनों का निर्माण किया गया है।

जी हां।

सिंचाई विभाग के किसी भी अधिकारी से भवन आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त न होने के कारण।

निर्मित भवनों का आवंटन अभी तक न होने के कारण किराये के रूप में राजस्व प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

आंशिक रूप से निर्मित आवासों के उपयोग हेतु।

वन विभाग से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता के पत्र पर जांच

25—डा० सरजीत सिंह डंग—

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि वन विभाग से संबंधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 16 जून, 1997 का पत्र संख्या ख नम्बर 332682 प्राप्त हुआ है ? क्या इस प्रकरण पर कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी हां।

जी हां। इस प्रकरण की जांच/कुम्बिंग वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से करायी गयी। प्राप्त जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही विचाराधीन है।

गोला नदी से निकलने वाले उप खनिज पर वसूल किये जाने अभिवहन शुल्क के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र पर जांच

26—डा० सरजीत सिंह डंग—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता का दिनांक 16-6-97 का पत्र संख्या 332683 जो गोला नदी से निकलने वाले उप खनिज पर वसूल किये जाने वाले अभिवहन शुल्क नियमावली में प्राविधानों के खिलाफ रु० 7 (सात) प्रति घन मीटर कर देने की सूचना एवं इसके कारण 80 लाख रु० की क्षति के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी हां।

पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच कराई जा रही है।

चम्बल डाल परियोजना बाह, आगरा को प्रारम्भ करने की तिथि, योजना में अनुमानित खर्च तथा इसमें संशोधन

27—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चम्बल डाल परियोजना, बाह, आगरा वर्ष 1977 में आरम्भ की गयी, योजना के प्रारम्भ काल में अनुमानित आंकलन क्या था, और आज अनुमानित आकंलन कितना है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि चम्बल डाल परियोजना बाह, आगरा का पम्प हाऊस इतना नीचा बना है कि गत वर्ष बाढ़ के पानी से डूब गया और उसमें बालू (सिल्ट) भर गयी? क्या उसे ऊंचा उठाने की योजना है? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या ई० ओ० टी० क्रेन की व्यवस्था तकनीकी दृष्टि से संपादित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

चम्बल डाल परियोजना बाह, आगरा वर्ष 1978-79 में प्रारम्भ की गई, योजना का प्रारम्भिक आंकलन वर्ष 1979 में रु० 6.67 करोड़ था, मार्च 1996 की दर के आधार पर योजना का अनुमानित आंकलन रु० 60-63 करोड़ है।

जी हां।

चम्बल नदी की अप्रत्याशित बाढ़ के कारण परिकल्पित बाढ़ स्तर तथा पम्प गृह के परिकल्प में संशोधन पर विचार तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद फिरोजाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियुक्त दाईयों की संख्या तथा उन्हें दिये गये उपकरणों पर व्यय भार

28—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद फिरोजाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दाईयां नियुक्त हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ? क्या यह भी सत्य है कि वर्ष 1996 में मुख्य चिकित्साधिकारी, फिरोजाबाद ने दाईयों के नाम डिटौल, रूई, गौज का टुकड़ा और एक ब्लेड एवं एक छोटा सा साबुन सामान क्रय कर उन्हें आवंटित कर दर्शाया गया था ? क्या यह सामान नान स्टरलाईज था ? यदि हां, तो नान स्टरलाईज सामान के प्रयोग से कितनें शिशुओं की सैप्टिक से मौत हुई और कितने बीमार हुये ? इस खरीद पर कितना व्यय हुआ ? क्या इस प्रकार की लापरवाही के लिये मुख्य चिकित्साधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री—

जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पूर्णकालिक 18 दाईयां तथा अंशकालिक 202 दाईयां कार्यरत हैं।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत क्रय पर रु० 350982.00 व्यय हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

बभनान शुगर मिल बभनान, गोण्डा में शराब प्लान्ट के लगाये जाने का कथित प्रस्ताव

29—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या सरकार को जानकारी है कि बभनान शुगर मिल बभनान, गोण्डा द्वारा शराब बनाने का कोई प्लान्ट लगया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त मिल के विस्तारीकरण एवं शराब प्लान्ट खुल जाने से विशेषकर मिल से सटा हुआ डिग्री कालेज भी प्रदूषित एवं कुप्रभावित होगा ?

यदि हां, तो क्या सरकार शराब प्लाण्ट को लगाने की अनुमति पर पाबन्दी लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी नहीं।

चूंकि प्रशनगत चीनी मिल का क्षमता विस्तार 2500 टी० सी० डी० से 5000 टी० सी० डी० तक किया जा चुका है परन्तु इसमें शराब बनाने का प्लान्ट लगाया जाना प्रस्तावित नहीं है, अतः चीनी मिल से सटे हुये डिग्री कालेज के प्रदूषित एवं कुप्रभावित होने का प्रश्न नहीं उठता।

शराब प्लान्ट लगाया जाना प्रस्तावित ही नहीं है, अतः इस पर पाबन्दी लगाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के स्थान बहेड़ाखाल में स्थित राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय के आकस्मिक निरीक्षण की रिपोर्ट

30—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के स्थान बहेड़ाखाल में स्थित राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण अपर निदेशक (गढ़वाल मण्डल) द्वारा दिनांक 18-12-96 को किया गया था ? यदि हां, तो अपर स्वास्थ्य निदेशक की निरीक्षण रिपोर्ट क्या है ? क्या उप मुख्य चिकित्साधिकारी (प्रथम) द्वारा रिपोर्ट में दिये गये निर्देशानुसार चिकित्सालयों का प्रतिमाह निरीक्षण किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री—

जी हां, अपर स्वास्थ्य निदेशक, गढ़वाल मण्डल की निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है। उप मुख्य चिकित्साधिकारी (प्रथम), पौड़ी द्वारा रिपोर्ट में दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 21-3-97, 10-4-97, 11-6-97 एवं 7-7-97 को राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, बहेड़ाखाल का निरीक्षण किया गया। प्रशासनिक कार्यों में व्यस्तता तथा यात्रा भत्ता एवं पी० ओ० एल० मद में आवंटित धनराशि को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक माह प्रत्येक चिकित्सालय का निरीक्षण नियमित रूप से किया जाना सम्भव नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ .....92)

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल के अम्बेदकर ग्राम बागी के सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

31—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी—

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री को जानकारी है कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, पौड़ी द्वारा 1996-97 में जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल के अम्बेदकर ग्राम बागी के लिए सम्पर्क मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग पौड़ी के विरोध के बावजूद सतपुली, व्यासघाट मोटर मार्ग के समान्तर व्यासघाट की ओर से किया गया है जिससे मोटर मार्ग के क्षतिग्रस्त होने तथा भूस्खलन होने की संभावना हो गई है और ग्राम बागी को इस मार्ग का कोई लाभ पहुंचाने की सम्भावना भी नहीं है ? यदि हां, तो इस अनुपयोगी मार्ग निर्माण का औचित्य क्या है ?

श्री गंगा प्रसाद पुष्कर—

अपर जिलाधिकारी, परियोजना, पौड़ी गढ़वाल के योजना स्वीकृत पत्र संख्या 2362, दिनांक 22-3-1996 द्वारा व्यासघाट झाखड़ीखाल जीप मार्ग निर्माण हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, पौड़ी गढ़वाल को रु० 5.00 लाख (रु० पांच लाख मात्र) की धनराशि उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप विभाग द्वारा उपलब्ध धनराशि के अन्तर्गत प्राक्कलन स्वीकृत कर प्रथम 600 मीटर जीप मार्ग निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। इस जीप मार्ग के निर्माण से लोक निर्माण विभाग की सतपुली-मरोडा-व्यासघाट मोटर मार्ग को कोई क्षति नहीं हुई है और न ही भविष्य में क्षति होने की सम्भावना है। इस विभाग द्वारा निर्मित किये जा रहे उक्त जीप मार्ग का लाभ अम्बेदकर ग्राम बागी के वासियों को पश्चिम नयार पर मोटर पुल निर्मित होने के उपरान्त सम्भव हो जायेगा। स्थानीय जनता की मांग और जीप/मोटर मार्ग की नितान्त आवश्यकता को देखते हुए ही जिला स्तर पर मार्ग निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया।

राज्य चीनी निगम इकाई, जरवल रोड, जनपद बहराइच के सामान्य प्रबन्धक के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

32—श्री अजय प्रताप सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य चीनी निगम इकाई, जरवल रोड, जनपद बहराइच के सामान्य प्रबन्धक के विरुद्ध अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य चीनी निगम द्वारा पत्रांक वि० को०/एम—4/8/92/गोण्डा/97, दिनांक 3-1-97, वि० को०/एम—4/13-92/गोण्डा/97, दिनांक 10-1-97 जांच हेतु प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? क्या सचिव, चीनी उद्योग को संदर्भित आदेश पत्रांक संख्या वि० को०/एम—4/17-92/गोण्डा/97, दिनांक 16-1-97 पर कोई कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? जांच कब तक पूरी कर ली जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां।

प्राथमिक जांच के आधार पर सामान्य प्रबन्धक, जरवल रोड, इकाई जो पी० सी० एस० संवर्ग के अधिकारी हैं तथा निगम में प्रतिनियुक्त पर कार्यरत थे, के विरुद्ध उचित कार्यवाही हेतु नियुक्ति सचिव, उ० प्र० शासन को लिखा गया है।

जी हां, प्रश्नगत प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक, राज्य चीनी निगम को निर्देश जारी किये गये हैं।

प्रबन्ध निदेशक, राज्य चीनी निगम द्वारा जांच पूरी कर प्रकरण नियुक्ति विभाग को सन्दर्भित किया गया है।

उ० प्र० राज्य चीनी मिल इकाई, जरवल रोड, बहराइच को चलाने हेतु बाहर से खरीदी गई "बगास" तथा ब्वायलर के काम न करने की शिकायत

33—श्री अजय प्रताप सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान पेराई सत्र 1996-97 में चीनी मिल को चलाने हेतु रा० चीनी मिल इकाई, जरवल रोड, बहराइच द्वारा कितने रुपये मूल्य की "बगास" बाहर से खरीदी गयी ? क्या इकाई के उत्पादन के उपरान्त प्राप्त बगास से ब्वायलर पूर्ण क्षमता से कार्य कर रहा है ? यदि नहीं, तो इसके लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

उ० प्र० राज्य चीनी निगम की जरवल रोड इकाई द्वारा पेराई सत्र 1996-97 में मिल को चलाने हेतु रु० 04.17 लाख की "बगास" बाहर से क्रय की गयी है।

वर्तमान पेराई सत्र 1996-97 में ब्वायलर को पूर्ण क्षमता पर संचालन करने में कठिनाई आ रही थी। ब्वायलर में आ रही तकनीकी समस्याओं का विश्लेषण ब्वायलर निर्माता के विशेषज्ञों द्वारा कराया गया। विशेषज्ञ की रिपोर्ट के अनुसार मिल के दोनों ब्वायलरों के ट्यूब संख्या 15 एवं 16 के ट्यूबों की स्पेसिंग को बढ़ाया जाना है तथा एक अतिरिक्त शूट ब्लोअर एवं एक सुविधा द्वार (असेस डोर) नया लगाया जाना है। यह कार्य वर्तमान बन्दी सत्र में कराया जाना है।

राज्य चीनी निगम इकाई, जरवल रोड, बहराइच के रख-रखाव में हुए खर्च की जानकारी

34—श्री अजय प्रताप सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य चीनी निगम इकाई, जरवल रोड, बहराइच की इकाई के उत्पादन वर्ष 1996-97 में रख-रखाव (मेंटीनेन्स) पर कितना खर्च आया ? इसमें सिविल मेंटीनेन्स पर कितना खर्च हुआ ? जिन-जिन भवनों का मेन्टीनेन्स किया गया उनका निर्माण पूर्ण होने का वर्ष कौन सा है ? मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रिकल मेन्टीनेन्स पर कितना खर्च हुआ ? क्या यह रख-रखाव राशि पिछले उत्पादन वर्ष 1995-96 से अधिक है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसकी जांच मंत्री जी करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जरवल रोड में उत्पादन वर्ष 1996-97 में रख-रखाव (मेन्टीनेन्स) पर कुल रु० 116.09 लाख का व्यय हुआ।

उत्पादन वर्ष 1996-97 में जरवल रोड इकाई में भवनों के सिविल मेन्टीनेन्स पर कुल रु० 1,75,574.78 का व्यय किया गया।

उक्त धनराशि का व्यय निम्न भवनों के मेन्टीनेन्स पर किया गया तथा उनके निर्माण पूर्ण होने का वर्ष उनके सामने अंकित है।

	धनराशि रु०	वर्ष
कर्मचारियों के भवन	91,520.00	1935
अधिकारियों के भवन	84,054.78	1935
योग ..	1,75,574.78	

जरवल रोड इकाई में उत्पादन वर्ष 1996-97 में मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रिकल मेन्टीनेन्स पर कुल रु० 114.33 लाख व्यय हुआ।

जी हां, अधिक है, परन्तु असामान्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राज्य चीनी निगम इकाई जरवल रोड, बहराइच में उत्पादन वर्ष 1996-97 में प्राप्त शुगर रिकवरी प्रतिशत की जानकारी

35—श्री अजय प्रताप सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य चीनी निगम इकाई जरवल रोड, जनपद बहराइच में उत्पादन वर्ष, 1996-97 में शुगर रिकवरी प्रतिशत का अनुपात दिनांक 31 मार्च, 1997 तक कितना प्राप्त हुआ तथा इसके विरुद्ध इकाई ने कितने क्विंटल चीनी का उत्पादन किया ? क्या शुगर रिकवरी प्रतिशत के विरुद्ध चीनी उत्पादन कम हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

उ० प्र० राज्य चीनी निगम की इकाई जरवल रोड, जनपद बहराइच में उत्पादन वर्ष 1996-97 में 31 मार्च, 1997 तक चीनी की औसत अद्यतन रिकवरी 8.83 प्रतिशत रही। उक्त शुगर रिकवरी के विरुद्ध संदर्भित तिथि तक इकाई द्वारा 1,92,885 क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया।

चीनी उत्पादन शुगर रिकवरी प्रतिशत के अनुसार ही हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ जनपद के कैण्ट रोड स्थित सिंचाई विभाग की कालोनी में सरकारी सेवकों द्वारा किये गये अवैध निर्माण की शिकायत

36—श्री अजय भट्ट—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के कैण्ट रोड स्थित सिंचाई विभाग की कालोनी में कितने अवैध निर्माण विभाग द्वारा, कितने अवैध निर्माण सरकारी सेवकों द्वारा कितने अवैध निर्माण बाहरी तत्वों द्वारा किये गये हैं ? सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/सहायक द्वारा 1-1-80 से कितनी बार उक्त कालोनी का निरीक्षण अब तक किया गया है ? क्या अवैध कृत्य करने वाले सरकारी सेवकों के विरुद्ध अब तक कार्यवाही न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध

अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने की कृपा करेंगे ? वर्तमान सहायक अभियन्ता (प्रभारी-कैनाल कालोनी) के विरुद्ध उनके कार्यभार ग्रहण करने के बाद से अब तक कितने शिकायती-पत्र प्राप्त हुये ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्रीमन्त कल्पना मेडिकल स्टोर बांगरमऊ, जनपद उन्नाव की थोक व फुटकर बिक्री लाइसेन्स के बावजूद दुकान बन्द रहने के कारणों की जानकारी

37–श्री पारस नाथ यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि मेसर्स कल्पना मेडिकल स्टोर बांगरमऊ जनपद उन्नाव के नाम से अंग्रेजी दवाओं के थोक व फुटकर लाइसेन्स नं० आर–14/93 (20)/आर/एससी/15/93 (21)/डब्लू/3 ए/93—(20 बी)/डब्लू/3 ए/एससी/93—(21 बी) वर्ष 93 में स्वीकृत हुआ है ? यदि हां, तो उक्त दुकान आज तक क्यों बन्द रही ? शासनादेश के अनुरूप उक्त दुकान का लाईसेन्स क्यों नहीं निरस्त किया गया ? क्या सरकार उक्त लाईसेन्स निरस्त करते हुये सम्बन्धी दोषी अधिकारी को दण्डित करेगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

श्रीमन्त कल्पना मेडिकल स्टोर बांगरमऊ, जनपद उन्नाव को थोक व फुटकर बिक्री लाइसेन्स, नवीनीकरण अभिलेखों के अनुसार जारी किये गये हैं, जिनकी संख्या क्रमशः डब्लू–3/93, डब्लू–एससी–3 ए/93, आर–14/93 तथा आर–14/एससी/93 है।

दुकान मालिक की स्वयं की बीमारी के कारण दुकान बन्द रही।

दुकान मालिक द्वारा बीमारी के सम्बन्ध में संजय गांधी पोस्ट ग्रेज्यूएट इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज से उपचार कराये जाने के साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के परिप्रेक्ष्य में, दुकान का बन्द रहना औषधि अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन में नहीं आता है। अतएव औषधि एवं प्रसाधन नियम 1945 के नियम 66 के परन्तुक (डी) के प्राविधानों के अनुसार अनुज्ञापी के लाइसेन्स का दिनांक 31-12-96 तक नवीनीकरण किया गया है। उसे निरस्त नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर के अन्तर्गत अखोप माईनर से निकली नहर हेतु अधिग्रहीत जमीन के मुआवजा देने की मांग

38–श्री पारस नाथ यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर के अन्तर्गत अखोप माईनर से निकली नहर जो ग्राम तरछापार, पतनारी, बीबीपुर होते हुए बहोरवा तक जाती है, उक्त नहर निकलने के समय किन-किन गांव के कितने-कितने किसानों की जमीन उक्त नहर हेतु अधिग्रहीत की गई थी ? उक्त जमीन में कितने किसानों का मुआवजा अब तक दिया जा चुका है ? कितने किसानों को मुआवजा देना शेष है ? अवशेष किसानों को कब तक भुगतान करा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

39—श्री हरदेव सिंह—

(माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया)

जनपद बाराबंकी में शारदा सहायक कैनाल के माइनरों व रजबहों में टेल तक पानी न पहुँचने की शिकायत

40—श्री हरदेव सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में शारदा सहायक कैनाल के माइनरों व रजबहों के शिल्ट की सफाई न होने से इस कैनाल के किसी भी माइनर या रजबहे का टेल तक पानी न पहुंचने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-6-97 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र पर कोई कार्यवाही की गयी है ? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 में बाराबंकी जनपद हेतु शारदा सहायक कैनाल के माइनरों व रजबहों की सफाई हेतु कितनी-कितनी राशि का वर्षवार प्रावधान किया गया है तथा कितनी-कितनी राशि प्रतिवर्ष व्यय हुयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हाँ।

टेल पर पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं, खण्डों को अनुरक्षण मद में धनराशि आवंटित की जाती है। वर्ष 1996-97 के अनुरक्षण मद में 79—09 लाख रुपये आवंटित किये गये थे जिसके विरुद्ध सिल्ट सफाई पर रुपया 32—45 लाख व्यय किया गया। वर्ष 1997-98 के लेखा अनुदान के अन्तर्गत छः माह हेतु 34—50 लाख रुपया अनुरक्षण मद में आवंटित किये गये हैं जिसमें सिल्ट सफाई मद में रुपया 13—41 लाख के कार्य कराये जा चुके हैं।

41—श्री हरदेव सिंह—

(तीसरे गुरु में अता० प्र० सं० 70 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

गाँधी ग्राम बेलहर कला, विकास खण्ड रुधौली, जनपद बस्ती हेतु अवमुक्त किया गया धन तथा उसके उपयोग की जानकारी

42—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि गांधी ग्राम बेलहर कला, विकास खण्ड रुधौली, जनपद—बस्ती, तथा गांधी ग्राम मसीना खास विकास खण्ड—मिठवल तथा गांधी ग्राम लोहरसन विकास खण्ड सांधा जनपद सिद्धार्थनगर को गांधी ग्राम घोषित होने के बाद से 31 मार्च, सन् 97 तक कितना-कितना धन किन-किन विकास कार्यों हेतु अवमुक्त किया गया और उसमें से कितना-कितना धन अब तक उपयोग किया जा चुका है और कितना धन अवशेष है ?

श्री सुख देव राजभर—

गांधी ग्राम बेलहर कला, विकास खण्ड रुधौली, जनपद बस्ती :—

	विकास कार्य का नाम	अवमुक्त धनराशि	अवशेष धनराशि
	1	2	3
1.	इन्दिरा आवास–56	7,59,000.00	—
2.	स्वच्छ शौचालय–91	1,41,264.00	24,464.00
3.	महिला काम्पलेक्स	39,477.00	—
4.	पंचायत भवन	80,000.00	—
5.	प्राइमरी पाठशाला	90,000.00	—
6.	खड़ंजा/नाली	48,000.00	—
7.	किसान पेंशन योजना	17 लाभार्थी किसान पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।	
8.	इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प	59 इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प लगाये जा चुके हैं	

गांधी ग्राम मसीन खास विकास खण्ड मिठवल जनपद सिद्धार्थनगर

	1	2	3
1.	आई० आर० डी० 16 लाभार्थी	80,000.00	—
2.	ट्राइसेम–15 लाभार्थी	1,20,000.00	—
3.	स्वच्छ शौचालय–10	5,000.00	13,250.00
4.	पंचायत भवन	80,000.00	—
5.	महिला काम्पलेक्स	40,000.00	—
6.	खड़ंजा	60,000.00	—
7.	इन्दिरा/निर्बल वर्ग आवास–20	2,19,000.00	—
8.	हैण्ड पम्प	34,000.00	—
9.	जवाहर रोजगार योजना	78,051.00	32,801.00

गांधी ग्राम लोहरसन विकास खण्ड सांधा जनपद सिद्धार्थनगर

1	2	3
1. आई० आर० डी० लाभार्थी–9	45,000.00	—
2. ट्राइसेम लाभार्थी–19	1,33,800.00	—
3. स्वच्छ शौचालय–19	43,000.00	—
4. पंचायत भवन–1	80,000.00	—
5. इन्दिरा/निर्बल वर्ग आवास–44	6,86,500.00	—
6. हैण्ड पम्प–3	51,000.00	—
7. जवाहर रोजगार योजना	58,710.00	—

देवरिया के पथरदेवा विकास खण्ड के तरकुलवा को नये विकास खण्ड के सृजन की मांग

43–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा जनपद देवरिया के पथरदेवा विकास खण्ड को विभाजित कर तरकुलवा में एक नये विकास खण्ड के सृजन के सम्बन्ध में सचिव, ग्राम्य विकास को पत्र सं० वि० को० /एम–1/17-82 देवरिया, 97 दिनांक 28-1-97 को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–
जी हां।

प्रदेश के वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा विचारोपरान्त लिये गये नीतिगत निर्णय के अनुसार तरकुलवा में नये विकास खण्ड का सृजन किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद देवरिया तथा पडरौना मिलों के गन्ना बकाये के भुगतान हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र तथा की गई कार्यवाही की जानकारी

44–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया तथा पडरौना के गन्ना मूल्य बकाया भुगतान विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सचिव, चीनी उद्योग को वि/को०/एम–1/13-81 देवरिया 97, दिनांक 20-1-97 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस सन्दर्भ में भुगतान के लिये क्या कार्यवाही की गयी ? सरकार समस्त गन्ना मूल्यों का भुगतान कब तक करा देगी ?

श्री ओमप्रकाश सिंह–
जी हां।

शासन द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरुप देवरिया एवं कुशीनगर (पडरौना) जनपद की मिलों पर दिनांक 20-1-97 को पेराई सत्र 95-96 के गन्ना मूल्य मद में अवशेष 27.31 करोड़ रु० की धनराशि में से 27.06 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जा चुका है। उक्त के साथ ही पेराई सत्र 96-97 के गन्ना मूल्य मद में देय 185.13 करोड़ की धनराशि में से 118.06 करोड़ रुपये का भुगतान कराया जा चुका है।

अवशेष भुगतान यथा शीघ्र कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

45—श्री अजय भट्ट—

(न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

कानपुर देहात जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड रसूलाबाद में चयनित अम्बेडकर ग्रामों के विकास हेतु सरकार की योजना की जानकारी

46—श्री मुरलीधर—

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर देहात जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड रसूलाबाद में कितने अम्बेडकर ग्राम घोषित किये गये हैं ? क्या उक्त ग्रामों के विकास किये जाने की कोई कार्य योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

कानपुर देहात के विकास खण्ड रसूलाबाद में वर्ष 1995-96 में अम्बेडकर ग्राम असालतगंज, माल का पुरवा, केसीपुर, आलमखेड़ा चयनित थे। वर्ष 1996-97 में 3 अम्बेडकर ग्राम अजनपुर इदौली, भैंसाया तथा गहलू चयनित थे। वर्ष 1997-98 में 3 ग्राम भवनपुर, समायूँ तथा सिठऊमताना का चयन किया गया। वर्ष 1996-97 तक चयनित उक्त ग्रामों को प्रमुख 11 कार्यक्रमों से संतृप्त किया जा रहा है। जनपद कानपुर देहात की वर्ष 1997-98 में चयनित अम्बेडकर ग्रामों की कार्य योजना शासन को प्राप्त हो गयी है। जो शासन के विचाराधीन है।

यू० एच० एम० चिकित्सालय कानपुर की विभिन्न इकाईयों में उपलब्ध सब-डेडस्टाक बुक के विरुद्ध कार्यवाही

47—श्री मुरलीधर—

विधान सभा के 1995 के प्रथम सत्र दिनांक 8-2-95 के पहले बुधवार को उत्तरित अ० प्र० सं० 112 के क्रम में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० एच० यम० चिकित्सालय कानपुर की विभिन्न इकाइयों में उपलब्ध सब-डेडस्टाक बुक व दी गयी चार्ज लिस्ट तथा सम्बन्धित स्टोर कीपर की अवधि में क्रय किये गये डेडस्टाक एवं कन्ज्यूमेटिव स्टाक का मिलान कर केवल कन्ज्यूमेटिव स्टाक में कमी पाये जाने का प्रमाण-पत्र किस अधिकारी/कर्मचारी ने दिया है ? कम सामानों की वसूली किस आदेश से कितने रुपयों की कितनी किश्तों में कब की गई है ?

श्री रमापति शास्त्री—

यू० एच० एम० चिकित्सालय, कानपुर की विभिन्न इकाइयों में उपलब्ध सब-डेडस्टाक बुक व दी गयी चार्ज लिस्ट तथा सम्बन्धित स्टाक का मिलान कर केवल कन्ज्यूमेबुल स्टाक में कमी पाये जाने की सूचना तत्कालीन चिकित्साधिकारी प्रभारी डा० पी० एस० मिश्र द्वारा दी गयी थी।

प्रधानाचार्य, जी० एस० वी० एम० मेडिकल कालेज, कानपुर के आदेश सं०—1863, दिनांक 16 जून, 1997 द्वारा रुपये 1155.50 (रुपये एक हजार एक सौ पचपन पैसा पचास मात्र) की वसूली दो किश्तों में दिनांक 27-8-1992 तथा दिनांक 15-2-1994 को की गयी है।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया और वजीरगंज के प्रत्येक ग्राम सभाओं में सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगाये जाने की मांग

48—श्री राम विशुन आजाद—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के वि० खण्ड छपिया और वजीरगंज के प्रत्येक ग्राम सभाओं में सिंचाई के लिये राजकीय नलकूप उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो कब तक सभी ग्राम सभाओं में राजकीय नलकूप का निर्माण करा दिया जायेगा ? क्या वर्ष 1993 से 1996 में किसी नये राजकीय नलकूप का निर्माण वि० खं० छपिया और वजीरगंज में हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

जी नहीं।

नये राजकीय नलकूपों का निर्माण जिला योजनान्तर्गत सिंचाई सलाहकार समिति की संस्तुति पर स्थल चयन समिति द्वारा स्थल चयन के पश्चात् किया जाता है।

प्रश्नगत अवधि में विकास खण्ड छपिया में एक नये राजकीय नलकूप का निर्माण हुआ है।

स्वास्थ्य विभाग में एलोपैथिक फार्मेसिस्ट के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने की मांग

49—श्री अक्षयवर लाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 10-4-97 तक स्वास्थ्य विभाग में एलोपैथिक फार्मेसिस्ट के कुल कितने पद रिक्त हैं ? उन रिक्त पदों पर कब तक नियुक्तियां की जायेंगी ?

श्री रमापति शास्त्री—

दिनांक 10-4-97 तक स्वास्थ्य विभाग में एलोपैथिक फार्मेसिस्ट के कुल 942 पद रिक्त थे।

नियुक्तियों का प्रकरण मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय से अनुमति प्राप्त होते ही रिक्त पदों पर नियमानुसार नियुक्तियां की जायेंगी।

राजकीय अभिलेखागार में सिंचाई विभाग के समस्त प्राचीन अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने की मांग

50—श्री नारायण राम दास—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय अभिलेखागार के गठन होने के उपरान्त वर्ष 1978 से 1982 के मध्य उक्त अभिलेखागार द्वारा एवं शासन द्वारा आशय के पत्र प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग को प्रेषित करते हुए अनुरोध किया गया था कि विभाग द्वारा वे समस्त प्राचीन अभिलेख उक्त अभिलेखागार को उपलब्ध करा दिये जायें जिनसे विभाग के इतिहास एवं उसके महत्वपूर्ण कार्यों के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) तथा मुख्य अभियन्ता (उत्तर) के संगठनों में वर्तमान खण्डीय कार्यालयों में वर्क अबस्ट्रेक्ट रजिस्टर (फार्म--63) मेन्टेन न किये जाने की शिकायत

51—श्री नारायण राम दास—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) तथा मुख्य अभियन्ता (उत्तर) के संगठनान्तर्गत वर्तमान खण्डीय कार्यालयों में से किन-किन कार्यालयों में "वर्क अबस्ट्रेक्ट रजिस्टर" (फार्म--63) कब से परिचालित (मेन्टेन) नहीं किये जा रहे हैं ? क्या उक्त प्रकरण के सन्दर्भ में लखनऊ खण्ड शारदा नहर लखनऊ से संबंधित अभिलेखों/वित्तीय अनियमितताओं की जांच विभागीय वित्त-नियंत्रक के माध्यम से टेस्ट इन्क्वायरी के रूप में कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

52—श्री नारायण राम दास—

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड नवाबगंज, वजीरगंज में अम्बेडकर ग्राम के अन्तर्गत तथा इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत चयनित व्यक्तियों की संख्या की जानकारी

53—श्री राम विशुन आजाद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के वि० ख० नवाबगंज वजीरगंज, में वर्ष 1995-96 और 1996-97 में अम्बेडकर ग्राम के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों का चयन "इन्दिरा आवास योजना" में किया गया है ? क्या यह सत्य है कि पात्र व्यक्तियों को चयनित न करके अपात्र व्यक्तियों का चयन किया गया है ? यदि हां, तो चयन करने का मानक क्या है ? क्या इसकी जांच करवा कर दोषी लोगों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर—

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड नवाबगंज में वर्ष 1995-96 में अम्बेडकर ग्राम के अन्तर्गत 43 व्यक्तियों तथा वर्ष 1996-97 में 85 व्यक्तियों का चयन इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत किया गया।

विकास खण्ड वजीरगंज में वर्ष 95-96 में कोई अम्बेडकर ग्राम चयनित नहीं था। वर्ष 96-97 में उक्त विकास खण्ड में कुल 89 व्यक्तियों को इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत चयनित किया गया। योजना के अंतर्गत केवल पात्र व्यक्तियों का चयन किया गया है।

इन्दिरा आवास अनु० जातियों/जन जातियों के व्यक्ति तथा मुक्त कराये गये बंधुवा मजदूर एवं गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गैर अनु० जाति/जनजाति के परिवारों को आवंटित किया जाता है। पात्रता का चयन ग्राम पंचायत की खुली बैठक में किया जाता है।

पात्र व्यक्तियों को ही इन्दिरा आवास का आवंटन किया गया है अतएव किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

दि किसान सहकारी चीनी मिल धुरियापार, गोरखपुर में कर्मचारियों की नियुक्ति का मामला

54—श्रीमती गौरी देवी—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में स्थित दि किसान सहकारी चीनी मिल धुरियापार, के प्रबन्धक निदेशक को कितने अनुसूचित जाति के एन० एस० आई० कानपुर से "एस० बी० सी० सी०" प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के प्रार्थना-पत्र मिल में कार्य करने हेतु प्राप्त हुये हैं ? उक्त प्रार्थना-पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

दि किसान सहकारी चीनी मिल, धुरियापार में नियमित नियुक्ति के लिए आवेदन-पत्र मांगे ही नहीं गए हैं।

खराब स्टेट ट्यूबवेल नम्बर 112 ग्राम गोपालपुर ब्लाक चिलकहर तहसील रसड़ा जिला बलिया को ठीक कराये जाने की मांग

55—श्री शिवाकान्त—

क्या सरकार को जानकारी है कि स्टेट ट्यूबवेल नम्बर 112 ग्राम गोपालपुर ब्लाक चिलकहर तहसील रसड़ा, जिला बलिया के फेल होने के उपरान्त उससे कुछ दूरी पर उसी नम्बर के ट्यूबवेल की बोरिंग विगत 4 वर्ष पूर्व करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त ट्यूबवेल चालू किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त ट्यूबवेल आगामी खरीफ की फसल तक चालू करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इस नलकूप का पुनः निर्माण व विकसन केन्द्रीय भूगर्भ जल संगठन, भारत सरकार द्वारा किया गया है जो सिंचाई विभाग को 1/96 में हस्तगत कराया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत नलकूप उर्जीकरण के अभाव में चालू नहीं हो पाया है।

प्रश्नगत नलकूप का चलित होना उसके विद्युतीकरण पर निर्भर है।

जनपद गोण्डा के विकास-खण्ड छपिया, बजीरगंज व नवाबगंज में वर्ष 1995 से मई 1997 तक अम्बेडकर ग्रामों के अतिरिक्त अन्य ग्रामों में इंदिरा आवास योजना में चयनित होने की मांग

56—श्री राम विशुन आबाद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया, बजीरगंज व नवाबगंज में वर्ष 1995 से मई 1997 तक अम्बेडकर ग्राम के अतिरिक्त कितने ग्रामों में इंदिरा आवास योजना में लाभार्थियों का चयन किया गया है ? चयन करने का मानक क्या है ? क्या पात्र व्यक्तियों को चयन न करके अपात्र व्यक्तियों को चयनित करके सीधा लाभ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे गम्भीरता से लेते हुए जांच करवाकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या सरकार अपात्र व्यक्तियों से जो फर्जी तरीके से चयन करवा करके शासकीय धन का दुरुपयोग किये हैं, से वसूली की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सुखदेव राजभर—

जनपद सोण्डा के विकास खंड छपिया, वजीरगंज व नवाबगंज में वर्ष 1995 से मई 1997 तक अम्बेडकर ग्रामों के अतिरिक्त अन्य ग्रामों में निम्न प्रकार इन्दिरा आवास योजना में लाभार्थियों का चयन किया गया :—

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	लाभान्वित ग्रामों की संख्या
1	छपिया	17
2	नवाबगंज	09
3	वजीरगंज	43

लाभार्थियों का चयन ग्राम पंचायत की खुली बैठक में समय-समय पर जारी शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार कराया गया।

योजना के अन्तर्गत केवल पात्र व्यक्तियों को ही चयनित कर सीधा लाभ दिया गया है किसी अपात्र व्यक्ति को नहीं।

चूंकि किसी अपात्र व्यक्तियों को योजना से लाभान्वित नहीं कराया गया है और केवल पात्र व्यक्तियों को ही सीधा लाभ दिया गया है। अतः किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

57—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

(चौथे सोमवार में अता० प्र० सं० 14 के अंतर्गत स्थानान्तरित)

दि किसान सहकारी चीनी मिल, रसड़ा, जनपद बलिया पर 1995-96 तथा 1996-97 से अब तक किसानों को बकाये का भुगतान कराये जाने की मांग

58—श्री पारसनाथ यादव—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि किसान सहकारी चीनी मिल, रसड़ा, जनपद बलिया पर वर्ष 1995-96, 1996-97 व वर्तमान समय तक कितना पैसा किसानों का बकाया है ? इसका वर्षवार विवरण क्या है ? कितना भुगतान अब तक कर दिया गया है? शेष भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

दि किसान सहकारी चीनी मिल, रसड़ा, जनपद बलिया पर पेराई सत्र 1995-96 से सम्बन्धित कोई गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अवशेष नहीं है। पेराई सत्र 1996-97 से सम्बन्धित रुपये 307.09 लाख का गन्ना मूल्य उक्त चीनी मिल पर भुगतान हेतु अवशेष है।

पेराई सत्र 1995-96 की सम्पूर्ण देय धनराशि रुपये 977.77 लाख का भुगतान कर दिया गया है। दिनांक 21-7-97 की स्थिति के अनुसार पेराई सत्र 1996-97 से सम्बन्धित रुपये 586.51 लाख के गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है।

अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान यथाशीघ्र कराने का प्रयास किया जा रहा है।

कार्य प्रबन्धक सिंचाई कार्यशाला खण्ड, मेरठ के उत्तराधिकारियों के प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त देयों के भुगतान किये जाने की मांग

59—श्री तेज भान सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि कार्य प्रबन्धक, सिंचाई कार्यशाला खण्ड, मेरठ के पत्रांक —1531/पी०एल०/विजूराम, दिनांक 28 जुलाई, 1992 के परिप्रेक्ष्य में श्रीमती शिवकला, जयकला व बलराम द्वारा दाखिल उत्तराधिकारी व अन्य प्रमाण-पत्र स्वयं जमा करने के बाद भी भुगतान की कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? क्या सरकार तत्संबंधी भुगतान शीघ्र कराने तथा अब तक भुगतान में हुए विलम्ब में दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

60—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

(तीसरे गुरुवार में अता० प्र० सं० 116 के अंतर्गत स्थानान्तरित)

जनपद मैनपुरी में ब्लाकवार चयनित अम्बेडकर गांवों की संख्या तथा शासन की चयन नीति

61—श्री राम औतार शाक्य—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद मैनपुरी में अब तक ब्लाकवार कितने-कितने अम्बेडकर गांव चयनित किये जा चुके हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद मैनपुरी में वित्तीय वर्ष 97-98 में ब्लाकवाइज कितने-कितने अम्बेडकर ग्राम चयनित किये जाने हैं ? चयन प्रक्रिया को सरकार कब तक पूर्ण कर लेगी ? वर्ष 97-98 में अम्बेडकर ग्रामों को चयनित करने की नीति एवं आधार क्या है?

सुश्री मायावती-

जनपद मैनपुरी में विकास खण्डवार वर्ष 1990-91 से वर्ष 1996-97 तक निम्न प्रकार अम्बेडकर ग्राम चयनित किये गये हैं :—

विकास खण्ड का नाम	चयनित ग्रामों की संख्या
मैनपुरी	6
घिरोर	8
करावली	11
सुल्तानगंज	9
बेवर	9
किसनी	20
जागीर	5
करहल	8
बरनाहल	11
योग	87

जनपद मैनपुरी में विकास खण्डवार वित्तीय वर्ष 1997-98 में निम्न प्रकार अम्बेडकर ग्राम चयनित किये गये हैं :—

विकास खण्ड का नाम	चयनित ग्रामों की संख्या
मैनपुरी	4
घिरोर	4
करावली	8
सुल्तानगंज	3
बेवर	7
किशनी	5
जागीर	5
करहल	2
बरनाहल	6
योग	44

जनपद मैनपुरी में चयन प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है।

शासनादेश संख्या 1062/66-97-52/95, दिनांक 16-5-1997 के अनुसार विधान सभावार 10 राजस्व ग्रामों का वर्ष 1997-98 हेतु चयन किया गया है। जिन राजस्व ग्रामों में अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी कुल जनसंख्या के 30 प्रतिशत या उससे अधिक हो, के आधार पर उन्हें अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी के अवरोही क्रम में सूचीबद्ध कर चयनित किया गया है। जिन जनपदों में आंशिक विधान सभा क्षेत्र हैं वहां उसकी जनसंख्या के अनुपात में अम्बेडकर ग्राम चयनित किये गये हैं।

अम्बेडकर गाँव मेलान खुर्द विकास खण्ड रुधौली जनपद बस्ती में इन्दिरा आवास के लाभार्थियों को दिये गये चेकों आदि की जानकारी

62—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि अम्बेडकर गांव मेलान खुर्द विकास खण्ड रुधौली जनपद बस्ती में इन्दिरा आवास के 23 लाभार्थियों को प्रथम किश्त प्रत्येक 4,500 रुपये का चेक अगस्त, 96 में दिया गया था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन चेकों के भुगतान हेतु लाभार्थियों का खाता किस बैंक में कब खोला गया और इन चेकों का भुगतान कब हुआ ? इन लाभार्थियों को द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ किश्तों के चेक कितने-कितने धनराशि के कब-कब दिये गये और उनका भुगतान किस बैंक द्वारा और कब हुआ ? क्या मंत्री जी लाभार्थियों की सम्पूर्ण सूची मय चेक नम्बर दिनांक धनराशि तथा बैंक खाता खोलने की तिथि सहित सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री सुखदेव राजभर—

जी हाँ।

लाभार्थियों का खाता बस्ती ग्रामीण बैंक में खोला गया। लाभार्थियों को दिये गये चेक तथा बैंक में खोले गये खातों की सूची संलग्न है।

63—श्री नारायण रामदास—

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग/सिंचाई भवन एनेक्सी/परिकल्प भवन आलमबाग स्थित कार्यालयों में कार्य की प्रकृति के अनुरूप कर्मचारियों की एवं अधिकारियों की पदस्थापना

64—श्री नारायण राम दास—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश के आदेश सं०—2528/43-1-43(3)/1996, दिनांक 29-10-96 में की गयी अपेक्षाओं के अनुरूप प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग/सिंचाई भवन एनेक्सी/परिकल्प भवन आलमबाग स्थित सिंचाई विभाग के कार्यालयों में "वाचस्टडी" प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से कराकर अवगत कराने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रतिष्ठानों में कार्य के अनुपात में एवं कार्य की प्रकृति के अनुरूप कर्मचारियों की एवं अधिकारियों की पदस्थापना औचित्यपूर्ण संख्या में की गयी है ? कितने तकनीकी कर्मचारी गैर तकनीकी कार्यों हेतु पदस्थापित हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हाँ।

शासनादेश संख्या सब—998/96—27—सि०—8-72 अ/90, दिनांक 7-11-96 द्वारा सेलेक्शन ग्रेड/समयमान वेतनमान दिये जाने की मांग

65—श्री नारायण रामदास—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या सब—998/96—27—सि०—8-72 अ/90 दिनांक 7-11-96 द्वारा सेलेक्शन ग्रेड/समयमान वेतनमान के संबंध में जो स्पष्टीकरण किया गया है तथा जो निर्देश दिये गये हैं, उनका अनुपालन करते हुए विभाग द्वारा अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वसूली संबंधित लोकसेवकों से कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो शासनादेश का उल्लंघन करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सन्दर्भित शासनादेश के अनुसार वसूली की कार्यवाही केवल ऐसे लोक सेवकों से की जानी है जिन्हें पूर्व में प्रोन्नत वेतनमान अनुमन्य कराया जा चुका है और प्रोन्नति के आदेश होने पर उन्होंने प्रोन्नति अस्वीकार कर दी है। शासनादेश के कुछ बिन्दुओं पर शासन में निर्णय लिये जाने की प्रत्याशा में वसूली की कार्यवाही स्थगित है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ खण्ड शारदा नहर के चतुर्थ उपखण्ड में कार्यरत ठेकेदारों के भुगतान का मामला

66—श्री नारायण रामदास—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ खण्ड शारदा नहर, लखनऊ के चतुर्थ उपखण्ड में कार्यरत कितने ठेकेदारों का भुगतान विगत 1-1-90 से नहीं किया गया है ? प्रत्येक ठेकेदार

के अभिमुख (अगेन्स्ट) दिनांक 1-1-97 को कितनी धनराशि का भुगतान अवशेष था तथा कौन-कौन से कार्यों का भुगतान अवशेष था ? उक्त चतुर्थ उपखंड के सहायक अभियन्ता श्री माधवेन्द्र सिंह के कार्यकाल में श्री सिंह के विरुद्ध कुल कितने शिकायती पत्र मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक)/ मण्डलीय कार्यालय/खण्डीय कार्यालय तथा शासन को प्राप्त हुए तथा उन पर अब तक अन्तिम कार्यवाही सम्पन्न न किये जाने के लिये दोषी अधिकारियों/सहायकों के नाम व पद क्या हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

मुख्य अभियन्ता (बेतवा) झाँसी के संगठनात्मक मण्डलों/खण्डों में कार्यरत अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की माँग

67—श्री नारायण रामदास—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता (बेतवा) झाँसी के संगठनात्मक मण्डलों/खण्डों में ऐसे कितने अवर अभियन्ता हैं जिनके विरुद्ध अनुशासनिक जाँच के चलते वर्ष 1993 से 1-6-97 तक रुपये 1640—2900 तथा रुपया 2200—4000 का वेतनमान स्वीकृत किया गया है ? क्या उक्त स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व सक्षम स्तर के प्राधिकारी से अनुमति/जानकारी प्राप्त की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्रकरण में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल के क्षेत्रफल में वर्ष 1970 में सरकारी वनों व निजी वनों की स्थिति की जानकारी

68—श्री अजय भट्ट—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डलों के कुल क्षेत्रफल में से कितने क्षेत्रफल में वर्ष 1970 में सरकारी वन थे तथा कितने क्षेत्रफल में गैर सरकारी वृक्षादि थे ? वर्ष 1996 के अन्त तक कितने क्षेत्रफल भूभाग में सरकारी व गैर-सरकारी वन/वृक्ष लगे हुए थे ?

सुश्री मायावती—

कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल के कुल क्षेत्रफल में से वर्ष 1970 में सरकारी वनों एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निजी वनों की स्थिति निम्नवत थी :—

मण्डल	सरकारी वन (वर्ग कि० मी०)	निजी वन (वर्ग कि० मी०)
कुमाऊँ	11,160.97	24.06
गढ़वाल	22,645.22	165.75
योग ..	33,806.19	189.81

वर्ष 1996 के अन्त तक सरकारी वनों एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निजी वनों की स्थिति निम्नवत है :–

मण्डल	सरकारी वन (वर्ग कि० मी०)	निजी वन (वर्ग कि० मी०)
कुमाऊँ	11,193.93	18.11
गढ़वाल	22,950.14	175.25
योग	34,144.07	193.36

सरकारी भूमि पर स्थित वृक्षादि का उल्लेख प्रत्येक भू-स्वामी से सम्बन्धित खसरा खतौनी में होता है, जिसका रख-रखाव राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। इसकी सूचना वन विभाग द्वारा संकलित नहीं की जाती है।

69—श्री अजय भट्ट–

(कई विभागों से संबद्ध होने के कारण निरस्त)

70—श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

(न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

वर्तमान जनपद अम्बेडकर नगर की नगर परिषद् सीमा में आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने की माँग

71—श्री शेर बहादुर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान जनपद अम्बेडकरनगर की नगर परिषद् सीमा में एक आयुर्वेदिक अस्पताल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व० चन्दूलाल मेहरोत्रा के नाम से शासन द्वारा पूर्व में स्वीकृत हुआ है और उसके लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने भूमि भी दान की है ? यदि हां, तो क्या भवन का निर्माण हो रहा है ? यदि नहीं तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, अकबरपुर, शाहजादपुर के चिकित्सालय के लिए भवन जीर्ण-शीर्ण हालत में 1972 में दान स्वरूप दिया गया था। वर्तमान में यह चिकित्सालय एक किराये के भवन में संचालित किया जा रहा है।

जी नहीं।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के मानक निर्धारित न होने के कारण उक्त चिकित्सालय के निर्माण हेतु मार्च, 1996 में 8 लाख रुपये की स्वीकृत धनराशि पी० एल० ए० में जमा की गयी थी। अब शासनादेश दिनांक 21 जुलाई, 1997 द्वारा वित्त विभाग की सहमति से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भवनों के मानक निर्धारित कर दिये गये हैं। अतएव अब भवन निर्माण में कठिनाई नहीं होगी।

जनपद आगरा के फतेहाबाद विकास खण्ड के अन्तर्गत वन गायों द्वारा फसलों को बर्बाद करने का कथित मामला

72—श्री विजयपाल सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि आगरा जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड फतेहाबाद में वन गाय किसानों की हजारों एकड़ खड़ी फसलों को बर्बाद कर देती हैं ? यदि हां, तो इनसे किसानों को निजात दिलाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

आगरा जनपद के फतेहाबाद विकास खण्ड के अन्तर्गत वनगायों द्वारा फसलों को बर्बाद करने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद आगरा के विकास खण्ड फतेहाबाद व समशाबाद में वर्ष 1997-98 में स्वीकृत सुनिश्चित रोजगार योजना

73—श्री विजयपाल सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद आगरा के विकास खण्ड फतेहाबाद व समशाबाद में वर्ष 1997-98 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कोई योजना कार्यान्वित की गयी है ? यदि हां, तो वे कौन-कौन सी योजनायें हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर—

जनपद आगरा के विकास खण्ड फतेहाबाद व समशाबाद में वर्ष 1997-98 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, आगरा द्वारा विकास खण्ड-समशाबाद में 14 प्राइमरी पाठशाला भवन व 2 उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों का तथा विकास खण्ड फतेहाबाद में 15 प्राइमरी पाठशाला तथा एक उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाना स्वीकृत हुआ है जिसका क्रियान्वयन शिक्षा विभाग द्वारा कराया जा रहा है।

जनपद आगरा के विकास खण्ड समशाबाद के अम्बेडकर ग्राम को उपग्राम मढ़ी से जोड़ने की माँग

74—श्री विजय पाल सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चयनित अम्बेडकर ग्राम पंचायत डोकी, विकास खण्ड समशाबाद, जनपद आगरा के अन्तर्गत उपग्राम मढ़ी को पक्के मार्ग से जोड़े जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी नहीं।

अम्बेडकर ग्राम डोकी पक्के मार्ग से जुड़ा है। उक्त अम्बेडकर ग्राम डोकी का एक मजरा मढ़ी, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी शून्य है, को पक्के मार्ग से जोड़ा जाना विचाराधीन नहीं है। क्योंकि अम्बेडकर ग्रामों के मजरों को पक्के मार्ग से जोड़ने की कोई योजना नहीं है।

जिला टिहरी गढ़वाल में बन्द छाम सिंचाई नहर को चालू करने की माँग

75—श्री लाखीराम जोशी—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जिला टिहरी गढ़वाल में छाम सिंचाई नहर पिछले तीन वर्षों से बन्द पड़ी होने के कारण गरीब किसान अपने खेतों की सिंचाई न कर पाने के कारण भुखमरी के कगार पर हैं ? क्या विभाग किसानों को फसल क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? सिंचाई नहर पर पानी की आपूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निर्माणाधीन ''चम्बा-धरासूं मोटर मार्ग'' के कारण छाम नहर अक्टूबर, 1995 से बन्द है।

जी नहीं।

उत्तरी भारत कैनाल एवं ड्रेनेज ऐक्ट, 1873 में इस प्रकार के प्रतिकर दिये जाने का कोई प्राविधान नही हैं । चम्बा-धरासूं मोटर मार्ग के निर्माण के पश्चात् ही नहर को चलाया जाना सम्भव हो सकेगा।

बस्ती पम्प कैनाल तथा बखिरा पम्प कैनाल प्रथम व द्वितीय नहरों पर मरम्मत एवं आधुनिकीकरण पर व्यय का विवरण

76—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती पम्प कैनाल तथा बखिरा पम्प कैनाल जो अधिशासी अभियन्ता, लघु डाल नहर खण्ड, जौनपुर के अन्तर्गत है, पर वर्ष 1995-96, 1996-97 में उक्त कैनालों के मरम्मत एवं विस्तारीकरण पर कितनी-कितनी धनराशि प्रत्येक वर्षों में किन-किन मदों पर खर्च की गयी ? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

अधिशासी अभियन्ता, लघु डाल नहर खण्ड, जौनपुर के अधीन बखिरा पम्प कैनाल, नाम की दो नहरें हैं, जो क्रमशः बखिरा पम्प कैनाल प्रथम तथा बखिरा पम्प कैनाल, द्वितीय के नाम से जानी जाती है। बस्ती पम्प कैनाल तथा बखिरा पम्प कैनाल प्रथम व द्वितीय नहरों पर उनकी मरम्मत एवं आधुनिकीकरण पर व्यय का विवरण निम्नवत है :—

वर्ष 1995-96

पम्प कैनाल का नाम	मरम्मत पर व्यय (रु० लाख में)	आधुनिकीकरण पर व्यय (रु० लाख में)
बस्ती पम्प नहर	1.57	1.85
बखिरा पम्प नहर प्रथम	2.31	2.90
बखिरा पम्प नहर, द्वितीय	3.28	0.35

वर्ष 1996-97

पम्प कैनाल का नाम	मरम्मत पर व्यय (रु० लाख में)	आधुनिकीकरण पर व्यय (रु० लाख में)
बस्ती पम्प नहर	2.69	15.10
बखिरा पम्प नहर प्रथम	3.22	9.98
बखिरा पम्प नहर, द्वितीय	3.79	7.67

जनपद बस्ती में नवसृजित सिंचाई निर्माण मण्डल में प्रस्तावित खुलने वाले खण्डों की जानकारी

77—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जनपद में नवसृजित सिंचाई निर्माण मण्डल बस्ती के अन्तर्गत कितने खण्ड खोले जाने प्रस्तावित हैं और कितने कार्यरत हैं ? उन्हें अब तक न खोले जाने का क्या कारण है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

बस्ती जनपद में नवसृजित सिंचाई निर्माण मण्डल, बस्ती में चार खण्ड खोले जाने थे, और वर्तमान में चारों खण्ड कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

78—श्री अजय भट्ट—

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

विज्ञापन सं०—5-पी—100, 07 सितम्बर, 1996 द्वारा मेडिकल असिस्टेन्टों के पदों को भरे जाने की माँग

79—श्री तेजभान सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विज्ञापन सं०—5-पी-100, 07 सितम्बर, 1996 द्वारा मेडिकल असिस्टेन्ट के पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति में प्रार्थना-पत्र का प्रारूप भी प्रकाशित था ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकाशित प्रार्थना-पत्र को ही प्रार्थना-पत्र के रूप में स्वीकार किया गया है ? यदि नहीं, तो विज्ञापन के साथ प्रार्थना-पत्र का प्रारूप प्रकाशित करने का क्या औचित्य था ? क्या उपरोक्त विज्ञापन में यह प्रकाशित किया था कि यह प्रार्थना-पत्र कार्यालय महानिदेशक से ही प्राप्त होंगे ? यदि हां, तो क्यों ? उपरोक्त विज्ञापन के परिपेक्ष्य में प्रारूप के अनुसार कितने अभ्यर्थियों के पोस्टल आ— सहित प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ?

श्री रमापति शास्त्री—

जी हां। नान-मेडिकल असिस्टेन्ट के पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति में प्रार्थना-पत्र का प्रारूप भी प्रकाशित किया गया था।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

25194 अभ्यर्थियों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम अफोइया, ब्लाक शाहगढ़, तहसील गौरीगंज के चयनित अम्बेडकर गाँव में विद्युतीकरण का कार्य

80—श्रीमती गुलाब देवी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के ग्राम अफोइया, ब्लाक शाहगढ़, तहसील गौरीगंज को वर्ष 1995-96 में अम्बेडकर गांव घोषित किया गया था ? यदि हां, तो उक्त गांव में वर्ष 1985 में विद्युतीकरण की लाइन बन जाने के बावजूद अब तक विद्युत आपूर्ति न किये जाने का क्या कारण है ? इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ? क्या दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या तथा विद्युत लाइन कब तक चालू कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी नहीं। प्रश्नगत गांव 1995-96 में नहीं वरन् 1996-97 में अम्बेडकर गांव के रूप में चयनित हुआ।

प्रश्नगत गांव में वर्ष 1985 में एल०टी० मेन्स लाइन बिछाकर विद्युतीकरण किया गया परन्तु गांव में किसी ने कनेक्शन नहीं लिया बल्कि अवैध कनेक्शन लेने से वहां का ट्रान्सफारमर भी जल गया तथा 12 खम्भों के तार चोरी हो गये थे।

कोई नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1996-97 में यह गांव अम्बेडकर योजना में चयनित हुआ है। इसलिये पुनः 12 खम्बों में तार लगाकर लाइन अगस्त, 1997 तक चालू करने का लक्ष्य है।

जनपद गोरखपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी से सम्बद्ध उप-मुख्य चिकित्साधिकारी (चतुर्थ) के कार्यालय में कथित गबन की शिकायत

81—श्री चन्द्र किशोर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी से सम्बद्ध उप-मुख्य चिकित्साधिकारी चतुर्थ के कार्यालय में माह जनवरी 1997 से माह जून, 1997 के बीच लगभग दो लाख रुपये का गबन हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गोण्डा जनपद के खण्ड विकास अधिकारी रूपईडीह के विरुद्ध शिकायतों की जाँच आख्या की जानकारी

82—श्रीं विनय कुमार पाण्डेय 'विन्नू'—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोण्डा जनपद के रूपईडीह के खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध 1 जनवरी, 1997 से 20 जून, 1997 तक कितने शिकायती पत्र और किन-किन लोगों द्वारा जिला प्रशासन गोण्डा व शासन को दिये गये हैं ? क्या इन शिकायतों में श्री श्रीधर पाण्डेय, ज्येष्ठ उपप्रमुख, रूपईडीह की शिकायत भी शामिल है ? यदि हां, तो शिकायत क्या है ? उसकी [illegible] कससे करायी गयी तथा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर—

गोण्डा जनपद के खण्ड विकास अधिकारी रूपईडीह के विरुद्ध जनवरी 97 से 20 जून, 97 तक कुल सात शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें छ : शिकायतें जिला प्रशासन, गोण्डा व एक शिकायत शासन में प्राप्त हुई। शिकायती पत्रों का विवरण संलग्न-1 में दृष्टव्य है।

जी हाँ।

1—निःशुल्क बोरिंग में अनियमितता और सरकारी धन का अपहरण।

2—खण्ड विकास अधिकारी, रूपईडीह द्वारा इन्दिरा आवास/निर्बल वर्ग आवास में अनियमितता बरत कर बगैर आवास बनाये सरकारी धन का अपहरण।

3—विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार व अनियमितता।

उपरोक्त शिकायतों की जांच जिलाधिकारी, गोण्डा द्वारा अधिशासी अभियन्ता (लघु सिंचाई), गोण्डा से कराई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर खण्ड विकास अधिकारी दोषी नहीं पाये गये। अत : कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 227 पर)

83—श्री समर पाल सिंह—

(तीसरे सोम में अतारांकित प्रश्न सं० 86 के अंतर्गत स्थानान्तरित)

जनपद अम्बेडकर नगर के मुख्यालय से प्रकाशित होने वाले तमसा संकेत की मान्यता का मामला

84—श्री समरपाल सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद अम्बेदकर नगर के मुख्यालय अकबरपुर से प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार तमसा संकेत को दैनिक प्रकाशन की मान्यता प्राप्त है ? यदि हां, तो कब से ? उक्त दैनिक समाचार पत्र की कुल कितनी प्रतियां प्रतिदिन छपती हैं तथा वर्ष 1995-96 व 96-97 में किस-किस विभाग द्वारा कितनी-कितनी धनराशि का विज्ञापन प्राप्त हुआ है।

सुश्री मायावती—

जी नहीं।

(अम्बेडकर नगर के मुख्यालय से सांध्य हिन्दी दैनिक "तमसा संकेत" प्रकाशित होता है, न कि "तमसा साकेत")

उपरोक्त दैनिक "तमसा संकेत" विज्ञापन मान्यता प्राप्त नहीं है।

उपरोक्त दैनिक "तमसा संकेत" की 3200 प्रतियां प्रतिदिन छपती हैं तथा दैनिक "तमसा संकेत" को सूचना विभाग द्वारा वर्ष 1996-97 में रु० 1640/= (रुपये एक हजार छ : सौ चालीस)का विज्ञापन दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस समाचार पत्र को किसी भी विभाग का विज्ञापन सूचना विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है।

जनपद भदोही में वर्ष 1997-98 में चयनित अम्बेडकर गांवों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या की जानकारी

85—श्री पूर्णमासी पंकज—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भदोही जनपद में वर्ष 1997-98 में कुल कितने ग्राम अम्बेडकर ग्राम चयनित किये गये हैं और उन ग्रामों में अनु० जाति की संख्या क्या है ? विकास खण्ड सुरियावां में वर्ष 1997-98 में कितने अम्बेडकर ग्राम चयनित किये गये हैं और उन ग्रामों में अनु० जाति की संख्या कितनी है ? क्या सुरियावां के ग्राम पंचायत मनापुर में अनु० जाति की आबादी 46 प्रतिशत के लगभग है और उक्त ग्राम का चयन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

वर्ष 1997-98 में कुल 27 अम्बेडकर ग्राम चयनित किये गये हैं। अनुसूचित जाति की जनसंख्या का विवरण संलग्न है।

विकास खण्ड सुरियावां में 5 ग्राम चयनित किये गये। आबादी का विवरण संलग्न सूची में है।

प्रश्नगत ग्राम की अनुसूचित जाति की आबादी 1991 की जनगणना के आधार पर 432 है। जो कुल आबादी का 40.45 प्रतिशत है। प्रत्येक विधान सभा में 10 अम्बेडकर ग्रामों का चयन किया जाता है। जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति की कुल आबादी का कम से कम 30 प्रतिशत हों तथा अनुसूचित जाति की आबादी के अवरोही क्रम में चयन किया जाता है। विधान सभा क्षेत्र भदोही में 10 ग्रामों का उपरोक्तानुसार चयन किया गया है। जिसमें अन्तिम 10वां ग्राम ढुढबांधपुर है। जिसकी अनुसूचित जाति की आबादी 475 है जबकि मनापुर ग्राम की अनुसूचित जाति की आबादी मात्र 432 ही है। इसी कारण उक्त ग्राम मनापुर का चयन नहीं हो सका।

(देखिये नत्थी "ड" आगे पृ० सं० 228 पर)

जनपद भदोही में स्वास्थ्य सप्ताह में लगे कर्मचारियों को कथित रूप में पारिश्रमिक देने का मामला

86—श्री पूर्णमासी पंकज—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मार्च, 1997 में छोटे-छोटे बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु स्वास्थ्य सप्ताह मानाया गया था तथा उस कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं शिक्षा कर्मचारियों को भी नियुक्त किया गया था ? क्या उक्त कार्य में लगे कर्मचारियों को पारिश्रमिक देने की व्यवस्था शासन स्तर से की गयी थी? यदि हां, तो क्या जनपद भदोही में स्वास्थ्य सप्ताह में लगे कर्मचारियों का पारिश्रमिक जिले के अधिकारियों द्वारा वितरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में तिलौली को नया विकास खण्ड बनाने की मांग

87—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड मिठवल से पांच न्याय पंचायत तथा विकास खण्ड खेसरहा से तीन न्याय पंचायत निकाल कर आठ न्याय पंचायतों का एक नया विकास खण्ड तिलौली बनाया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो विकास खण्ड तिलौली कब तक घोषित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर—

जी नहीं।

प्रदेश के वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा विचारोपरान्त लिये गये नीतिगत निर्णय के अनुसार नये विकास खण्ड तिलौली का सृजन किया जाना सम्भव नहीं है।

सेवानिवृत्त हेड मुंशी नलकूप खण्ड, लखनऊ के अनुमन्य देयकों के भुगतान

88—श्री यशपाल सिंह चौहान—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेवानिवृत्त हेड मुंशी नलकूप खण्ड, लखनऊ को अनुमन्य देयकों का भुगतान विषयक श्री दुर्गा प्रसाद सिंह, निवासी 6/533 विकास नगर, लखनऊ का पत्र दिनांक 7-12-93 दि० 3-3-94, दि० 22-3-94, दि० 28-6-95 एवं दि०17-2-97 प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या देयकों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी नहीं।

श्री दुर्गा प्रसाद सिंह निवासी 6/533, विकास नगर, लखनऊ के पत्र, जो प्रश्न में अंकित हैं, प्राप्त नहीं हुए हैं। किन्तु उनके कुछ अन्य पत्र प्राप्त हुए थे।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1996-97 में भरथौल एवं पथरौड़ी क्षेत्र में कथित दीवाल निर्माण पर व्यय

89—श्री विवेक कुमार सिंह—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि बांदा जनपद में वन विभाग के दोशवा सेक्शन में इस वित्तीय वर्ष 96-97 में भरथौल और पथरौड़ी क्षेत्र में लगभग 10 लाख रुपये व्यय करके दीवाल का निर्माण किया गया है ? क्या यह भी सत्य है कि वास्तव में यह दीवाल वर्ष 1981-82 में बनायी गयी थी और इस वर्ष 50 हजार रुपये में पुरानी दीवाल की मरम्मत करके उसी को नया निर्माण दिखलाकर लगभग 9 लाख 50 हजार रुपया अधिकारियों द्वारा हड़प लिया गया है? क्या मंत्री जी इस सम्पूर्ण तथ्यों की जांच कराकर जांच आख्या सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों

सुश्री मायावती—

वर्ष 1996-97 में भरथौल एवं पथरौड़ी क्षेत्र में दीवाल निर्माण पर कोई व्यय नहीं किया गया है।

वर्ष 1981-82 में घेरबाड़ हेतु पत्थर की दीवाल का निर्माण कार्य केवल भरथौल क्षेत्र में किया गया था। वर्ष 1996-97 में दुगवां सेक्शन के प्रश्नगत क्षेत्र में कोई दीवाल निर्माण/मरम्मत कार्य नहीं किया गया है।

अतः अधिकारियों द्वारा रुपये 9 लाख 50 हजार हड़प लेने का प्रश्न नहीं उठता।

चूंकि प्रश्नगत क्षेत्र में कोई निर्माण/मरम्मत कार्य नहीं हुआ है इसलिये जांच की आवश्यकता नहीं है।

बांदा जनपद के वन विभाग के मानिकपुर सेक्शन में रेंज अधिकारी द्वारा की गई कथित अनियमितता

90—श्री विवेक कुमार सिंह—

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि बांदा जनपद में वन विभाग के मानिकपुर सेक्शन में रेंज अधिकारी द्वारा वर्ष 1996-97 में मु० रू० 4 लाख लगभग सड़क निर्माण पर व्यय दर्शाया गया है जब कि वास्तव में किसी सड़क का निर्माण ही नहीं हुआ है? क्या मंत्री जी पूरी जांच कराकर जांच आख्या सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

सुश्री मायावती—

जनपद बांदा के मानिकपुर रेंज के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में 5 कि०मी० सड़क का विशेष मरम्मत कार्य हुआ है, जिस पर रु० 3.90 लाख व्यय किया गया है। उक्त कार्य का सत्यापन उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा करा लिया गया हैं तथा कार्य सही पाया गया है। यदि सत्यापन के बारे में विशिष्ट विवरण सहित कोई शिकायत प्रकाश में आती है, तो उस पर यथा समय गुण-दोष के आधार पर विचार किया जायेगा।

जनपद बांदा में वन विभाग द्वारा आदिवासियों के कल्याणार्थ कथित खर्चे

91—श्री विवेक कुमार सिंह—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में वन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 1996-97 में पाठा क्षेत्र के विभिन्न सेक्शनों में आदिवासियों के कल्याण पर कितना-कितना धन किन-किन कार्यों पर किस-किस सेक्शन में व्यय किया गया ? क्या मंत्री जी सम्पूर्ण सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

सुश्री मायावती—

बांदा वन प्रभाग में आदिवासियों के कल्याणार्थ वर्ष 1996-97 में कोई योजना स्वीकृत नहीं थी, अतः कोई धनराशि व्यय नहीं की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भाटपाररानी, जिला देवरिया में हुई नसबन्दी का विवरण

92—श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया तथा श्री बाबूराम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भाटपाररानी, जिला देवरिया में 1-1-95 से 17-4-95 तक कुल कितनी नसबन्दी हुई ? क्या यह सत्य है कि 95 प्रतिशत नसबन्दी

फर्जी हुई ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच राज्य सतर्कता विभाग से कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि दिनांक 17-4-95 को कुल कितनी नसबन्दी हुई ? इस नसबन्दी पर प्रति व्यक्ति कितना व्यय आता है ? फर्जी नसबन्दी को रोकने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री रमापति शास्त्री–

कुल 217 नसबन्दी हुई।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

शून्य।

उक्त समय में नसबन्दी पर प्रति पुरुष रु० 230.00 तथा प्रति महिला नसबन्दी पर रु० 250.00 व्यय आता था।

फर्जी नसबन्दी की शिकायत होने पर उसकी जांच एवं भौतिक सत्यापन की व्यवस्था है। जांचोपरान्त दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

जनपद महराजगंज की नहर चैनपुर रजबाहा में अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे की मांग

93–श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज की नहर चैनपुर रजबाहा में ग्राम खेसरारी की भूमि संख्या 382 ग रकबा 202 एयर चैनेज 5200 से 5302 के बीच में अधिग्रहीत की गयी है ? क्या 1979 के अधिग्रहण के आज 18 वर्ष बाद भी भू-स्वामियों को मुआवजा नहीं दिया गया है ? क्या यह मुआवजा किसी निश्चित अवधि तक प्राप्त करा देंगे ? यदि हां, तो वह तिथि क्या है ? लापरवाही के लिये दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओमप्रकाश सिंह–

जी नहीं। 1.50 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही की जानी शेष है।

भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त भू-प्रतिकर के भुगतान की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता है।

बलिया जिलान्तर्गत सोहाव ब्लाक के टुंटुआरी गांव को सड़क से जोड़ने का व्यय विवरण

94–श्री राम जग–

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिलान्तर्गत सोहाव ब्लाक के टुटुआरी गांव को सड़क से जोड़ने के लिये सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु क्या जिला योजना से ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को धनराशि उपलब्ध करायी गयी है ? यदि हां, तो कितनी ? उक्त सम्पर्क मार्ग के निर्माण में अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है ?

श्री गंगा प्रसाद पुष्कर—

बलिया जिलान्तर्गत सोहाब ब्लाक के टुटुआरी गांव को सड़क से जोड़ने के लिये सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु जिला योजना से धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है बल्कि पिछड़े जनपद योजना से रु० 5.00 (पांच लाख) धनराशि तथा सुनिश्चित रोजगार योजना से 2.30 लाख (दो लाख तीस हजार) इस प्रकार कुल मु० 7.30 (सात लाख तीस हजार) ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा बलिया को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया। उक्त सम्पर्क मार्ग के निर्माण में अब तक 5,11,617/—(पांच लाख ग्यारह हजार छः सौ सत्रह) की धनराशि व्यय की गयी है।

सिंचाई निर्माण मण्डल महोबा के नियन्त्रणाधीन खण्डों के यात्रा भत्ता के बाउचरों के भुगतान का प्रकरण

95—श्री नारायण रामदास—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई निर्माण मण्डल महोबा के नियंत्रणाधीन खण्डों में वर्ष 1994-95 से वर्ष 1996-97 तक कितने बाउचर तथा यात्रा भत्ता बीजकों का भुगतान विभागीय कर्मचारियों को किया गया ? बाउचरों के माध्यम से क्रय की गयी सामग्री का स्टाफ रजिस्टर में अंकन है ? यदि नहीं, तो इसके लिये दोषी सरकारी सेवकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यात्रा भत्ता बीजक किस कार्य के लिये बनाये गये ? क्या उक्त वित्तीय/प्रशासनिक अनियमितता की जांच प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के वित्त नियंत्रक के माध्यम से कराकर स्थिति से अवगत कराने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सिंचाई विभाग में शासन स्तर पर पदों के सृजन/नियुक्तियों का मामला

96—श्री नारायण रामदास—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन स्तर पर "पदों के सृजन/नियुक्तियां" किये जाने के मापदण्डों का निर्धारण किये जाने हेतु जो समिति गठित की गयी थी उसके लिये शासन के पत्रांक बेआ—1-1275 दिनांक 12-5-88 तथा पत्रांक—3477/सिं०—7, दिनांक 11-8-88 द्वारा मांगी गयी सूचना निर्धारित प्रपत्र पर प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग स्तर पर संकलित करके शासन को उपलब्ध करा दी गयी है ? क्या पूर्व में विभागाध्यक्ष कार्यलय स्तर पर सूचना संकलित कर शासन को उपलब्ध कराने के बजाये विभाग द्वारा मुख्य अभियन्ता (स्तर—2) के माध्यम से प्राप्त क्षेत्रीय सूचनायें शासन के वित्त विभाग को प्रेषित कर दी गयीं ? क्या फुटकर रूप से उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं को विभागाध्यक्ष स्तर पर संकलित करवाकर प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी नहीं।

जी नहीं।

जी हां।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग द्वारा सान्तत्य प्रस्तावों के सम्बन्ध में शासन से पत्राचार

97—श्री नारायण रामदास—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग द्वारा सान्तत्य प्रस्तावों में धोखाधड़ी गलत सूचना दिये जाने विषयक कोई शिकायती पत्र प्राप्त होने पर शासन के पत्रांक अ—242/96-97/सिं०—8, दिनांक 23-4-1996 द्वारा तुरन्त आख्या/स्पष्टीकरण विभागाध्यक्ष कार्यलय से मांगा गया था ? शासन स्तर से कितने अनुस्मारक तद्विषयक प्रकरण पर निर्गत किये जा चुके हैं ? सूचना समय पर उपलब्ध न कराने हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

जी हाँ।

प्रश्नगत प्रकरण में शासन स्तर से 5 अनुस्मारक पत्र निर्गत किये गए हैं।

प्रकरण में शासन को उत्तर प्राप्त हो चुका है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

98—श्री विनोद मणि—

(दि० 23-9-97 को अता० प्र० सं० 104 द्वारा उत्तरित)

ग्राम सभा भटपुर, जनपद हरदोई के प्रधान द्वारा दलितों को आवंटित होने वाले इन्दिरा आवास के अवैध आवंटन को निरस्तकर सही आवंटन की मांग

99—श्री राम पाल वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा भटपुर, जनपद हरदोई के प्रधान ने दलितों को आवंटित होने वाले इन्दिरा आवास के मकानों का आवंटन पिछले वर्ष अवैध रूप से पैसे लेकर सवर्णो के नाम करा दिया है और पात्र दलित व्यक्तियों को मकानों का आवंटन नहीं किया गया है जबकि उपरोक्त ग्राम अम्बेडकर ग्राम घोषित है ? क्या सरकार उच्च स्तरीय जांच कराकर प्रधान को निलम्बित कराने एवं दलितों को उनका वाजिब हक यथाशीघ्र दिलाने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुखदेव राजभर—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद लखीमपुर खीरी में पतरासी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण में हुई कथित अनियमितता

100—श्री मस्तराम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखीमपुर खीरी में पतरासी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य जल निगम की निर्माण एजेन्सी सी० एण्ड डी० एस० द्वारा कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सही हैं कि निर्माणाधीन भवन में बिना डी० पी० सी० डलवाये डी० पी० सी० का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री—

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत विभागीय आवश्यकता के अनुसार जनपदों में वैयक्तिक खाता खोले जाने के सम्बन्ध में सरकार की नीति

101—श्री जय प्रकाश निषाद—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण विभाग के जनपदीय विभागीय वैयक्तिक खाता एक जनपद में आहरण वितरण हेतु खोलने का शासनादेश है ? यदि हां, तो प्रदेश के जनपदों में एक से अधिक खाते खोलने का औचित्य क्या है ? क्या इस सम्पूर्ण मामले की जांच कराकर कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम पाल—

समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत विभागीय आवश्यकता के अनुसार जनपदों में वैयक्तिक खाता खोले जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं अपर जिला विकास अधिकारी (स० क०) दोनों के पदनाम से अलग-अलग खाते हैं जो अलग-अलग योजनायें संचालित करते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया, पथरदेवा विकास खण्ड के विभाजन एवं तरकुलवा नये विकास खण्ड के सृजन की मांग

102—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शासन को सम्बन्धित जनपद देवरिया पथरदेवा विकास खण्ड को विभाजित कर तरकुलवा में एक नये विकास खण्ड के सृजन सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुआ जिसे सचिव, ग्राम्य विकास को वि० को०—एम—1/17-82 देवरिया 97, दि० 28-1-97 को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा था ? यदि हां, तो उसमें क्या प्रगति हुई है ? क्या सरकार क्षेत्रीय जनता की असुविधा और मांग को देखते हुए तरकुलवा में नये विकास खण्ड के सृजन की घोषणा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर—

जी हां।

प्रदेश के वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा विचारोपरान्त लिये गये नीतिगत निर्णय के अनुसार तरकुलवा में नये विकास खण्ड का सृजन किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद देवरिया तथा पडरौना के असिंचित क्षेत्र में नलकूप लगाये जाने की शासन की योजना की जानकारी

103—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के असिंचित क्षेत्र में राजकीय नलकूपों के लगाये जाने की कोई योजना है ? क्या इस संदर्भ में प्रश्नकर्ता द्वारा शासन को जनवरी, 97 में दिया गया पत्र प्राप्त हुआ ? उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

राजकीय नलकूपों का निर्माण जनपद योजना के अन्तर्गत स्थानीय आवश्यकता के अनुसार कराया जाता है।

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में जनपद देवरिया तथा पडरौना में राज्य सेक्टर से नये राजकीय नलकूप बनाये जाने का अनुरोध किया गया था। वर्तमान समय में नये राजकीय नलकूपों का निर्माण जिला योजना के अन्तर्गत कराया जाता हैं, तद्नुसार कार्यवाही करने के निर्देश जिला अधिकारी देवरिया तथा पडरौना को दे दिये गये हैं।

जनपद चमोली की तिलवाड़ा लिफ्ट योजना का प्रस्तावित लक्ष्य

104—श्री रामजग—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तिलवाड़ा लिफ्ट योजना, जनपद चमोली के अन्तर्गत किस वर्ष में शुरू हुई ? इस योजना के तहत कितने एकड़ जमीन की सिंचाई का लक्ष्य था और अब तक कुल कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ ? क्या वर्ष 1986 के बाद में जनपद चमोली के तिलवाड़ा में सिंचाई विभाग की लिफ्ट को नकुसान हुआ था ? यदि हां, तो इसके बाद सिंचई विभाग ने इसके मरम्मत एवं रख-रखाव के लिये कोई नीति बनायी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अब तिलवाड़ा लिफ्ट योजना को किसी अन्य विभाग को सौंपा गया है ? यदि हां, तो किसको और क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जनपद चमोली की तिलवाड़ा लिफ्ट योजना वर्ष 1977-78 में प्रारम्भ हुई थी।

इस योजना के तहत खरीफ फसल में 30 एकड़ तथा रबी फसल में 62.50 एकड़ भूमि की सींच का लक्ष्य प्रस्तावित था। विगत 5 वर्षो में अधिकतम सींच खरीफ फसल में 27.50 एकड़ तथा रबी फसल में 27.50 एकड़ हुई है।

जी हां।

इस योजना को आंशिक रूप से एक पम्पसेट लगाकर चलाया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

मेंहदावल बस्ती के कछार इलाके में राप्ती नदी की बाढ़ से हो रहे मकान की क्षति को रोकने की योजना

105—श्री अब्दुल कलाम—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि बस्ती के कछार इलाके में राप्ती की बाढ़ से प्रतिवर्ष हजारों मकान ध्वस्त हो जाते हैं तथा जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है ? क्या सरकार बरसात से पहले बाढ़ नियंत्रण हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

जी नहीं।

केवल वर्ष 1993 में राप्ती नदी की बाढ़ से 2361 मकान क्षतिग्रस्त हुये थे।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा लाखों रुपये की हेरा-फेरी किये जाने की जांच

106—श्री विवेक कुमार सिंह—

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि बांदा जनपद में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा लाखों रुपये के हेरा-फेरी किये जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 19-6-96 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच आख्या सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

सुश्री मायावती—

जी हां।

शिकायती पत्र में वर्णित आरोपों की जांच करायी गई। जांच आख्या कृपया संलग्न है। †

ग्राम—भखौली पूरे कुंजल विकास खण्ड—खण्डासा (अमानीगंज) तह० मिल्कीपुर, जिला फैजाबाद में उत्पन्न पेयजल समस्या

107—श्री मोती लाल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम—भखौली पूरे कुंजल विकास खण्ड—खण्डासा (अमानीगंज) तह० मिल्कीपुर, जिला फैजाबाद में उत्पन्न भयंकर पेयजल संकट को दूर करने हेतु इण्डिया मार्क—2 हैण्ड पम्प लगाने के सम्बन्ध में श्री पुत्तेलाल पुत्र स्व० बैजनाथ व सुन्दर लाल अनुसूचित जाति आदि द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र दिनांक 10 जून, 1977 को ग्राम्य विकास मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर—

जी हाँ।

उक्त मजरा संतृप्त होने के कारण हैण्डपम्प अधिष्ठापित नहीं कराया गया।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में सुनिश्चित रोजगार योजना में परसा उदयकर ग्राम से शिवपरसा ग्राम तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी आदि के कार्य में कथित धांधली

108—श्री राम विशुन आजाद—

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में सुनिश्चित रोजगार योजना में परसा उदयकर ग्राम से शिवपरसा ग्राम तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी एवं पुलिया का कार्य शासन द्वारा स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या यह सही है कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा गोण्डा द्वारा बिना स्वीकृत हुए उक्त मार्ग पर अवर अभियन्ता द्वारा मिट्टी का कार्य क्षेत्रीय मजदूरों से न करवा कर शासकीय धन का दुरुपयोग किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार टी० ए० सी० से जांच करवा कर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

नोट :—†छापी नहीं गयी।

श्री गंगा प्रसाद पुष्कर–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्माण में घटिया किस्म के ईटों के प्रयोग की जाँच टी० ए० सी० से कराये जाने की माँग

109—श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा सदकरपुर महराजगंज मार्ग से भगवानपुर बौहान बिछिया डांड मार्ग पर अवर अभियन्ता ने ठेकेदारों से मिलकर घटिया किस्म के ईटों का प्रयोग किया है, और मानक के अनुसार कार्य नहीं करवाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार टी० ए० सी० से जांच करवाकर अवर अभियन्ता के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या यह सही है कि स्थानीय मजदूरों से कार्य न करवाकर फर्जी मस्टररोल बनवाकर शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री गंगा प्रसाद पुष्कर–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं। कार्य नियमानुसार स्थानीय मजदूरों से करवाया गया है और शासकीय धन का दुरूपयोग नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

110—श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में सुनिश्चित रोजगार योजना में वर्ष 1995 से 1997 मई तक ग्रामीण अभियंत्रण गोण्डा द्वारा कितने-कितने सम्पर्क मार्गों पर मिट्टी एवं पुलिया कार्य करवाया गया और शासन द्वारा कितना-कितना धन किस-किस मार्ग पर स्वीकृत किया गया ? कितना-कितना धन व्यय किया गया है ? क्या यह सही है कि सम्बन्धित अभियन्ताओं ने साइड क्लीयरेन्स न करवाकर शासकीय धन का दुरूपयोग किया है ? यदि हां, तो क्या टी० ए० सी० से जांच करवा कर दोषी लोगों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा प्रसाद पुष्कर–

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में सुनिश्चित रोजगार योजना में वर्ष 1995 से वर्ष 1997 मई तक ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा 15 सम्पर्क मार्गों पर मिट्टी एवं पुलिया का कार्य कराया गया, जिसके विरूद्ध जिला ग्राम्य विकास अभिकरण गोण्डा द्वारा 15 सम्पर्क मार्गों पर कुल रु० 61.25 लाख स्वीकृत किया गया।

15 सम्पर्क मार्गों के निर्माण कार्यों पर रु० 55.586 लाख व्यय कि गया है

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह, आंशुलिपिक, शारदा सहायक खण्ड-6 रायबरेली के निलम्बन के कारणों तथा सेवा में लिये जाने की जानकारी

111—श्री ब्रेजभान सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह, आशुलिपिक, शारदा सहायक खण्ड-6 रायबरेली को किसी शिकायत पर निलम्बित किया गया है ? यदि हां, तो संदर्भित वाद-विवाद की घटना का गवाह कौन है ? क्या यह सत्य है कि उक्त श्री सिंह के विरूद्ध प्राप्त शिकायत पर अन्तिम निर्णय 1993 में ही हो गया था जिस पर पुन : 13 सितम्बर, 1996 को दण्डित किया गया है ? यदि हां, तो एक मामले में दो बार सजा देना क्या न्याय संगत होगा ? यदि नहीं, तो क्या श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह को सरकार बहाल करने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह, आशुलिपिक को किसी शिकायत पर नहीं वरन् दिनांक 13-9-96 को प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के एक अनुभाग के कर्मचारियों के साथ अमर्यादित व्यवहार करने, सरकारी कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने, सरकारी सम्पत्ति तथा अभिलेखों को क्षति पहुँचाने एवं अधिकारियों को आतंकित करके अनुचित लाभ लेने का प्रयास करने के आरोपों में निलम्बित किया गया था।

आरोप-पत्र में दिये गये साक्ष्य के अनुसार घटना के गवाह निम्नलिखित कर्मचारी हैं :—

1—साबिर अली, प्रशासनिक अधिकारी।
2—कमलेश बहादुर सिंह चौहान, वरिष्ठ लिपिक।
3—विनोद कुमार, वरिष्ठ सहायक।
4—रमेश कुमार दीक्षित, वरिष्ठ सहायक।
5—राम बुझावन, वरिष्ठ सहायक।
6—राकेश दीक्षित, वरिष्ठ लिपिक।
7—कौशल किशोर वर्मा, वरिष्ठ सहायक।
8—राम बहादुर (चपरासी)।
9—छबीले प्रसाद, कनिष्ठ लिपिक।

जी नहीं।

आरोप पत्र पर जांच आख्या के आधार पर दण्ड देने का निर्णय दिनांक 5-5-97 को लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह, आशुलिपिक को जाँच के उपरान्त निलम्बन से मुक्त करके सिंचाई खण्ड-2, प्रतापगढ़ में पदस्थापित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोकुल बैराज आगरा एवं मथुरा की पेयजल समस्या के निराकरण का मामला

112—श्री सरदार सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यमुना नदी पर निर्मित हो रहे जनपद मथुरा में गोकुल बैराज में से सिंचाई की समस्या के समाधान हेतु "लिफ्ट सिंचाई कैनाल परियोजना" स्वीकृत होना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो योजना का प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन शीघ्र लिफ्ट कैनाल योजना प्रस्तावित कर स्वीकृत करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री.ओम प्रकाश सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

गोकुल बैराज आगरा एवं मथुरा की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु ही है।

113—श्री सरदार सिंह—

(चौथे मंगल में अता : प्र० सं० 192 के अंतर्गत स्थानान्तरित)

जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां के अन्तर्गत ग्राम चकझाऊ से पिलखना ड्रेन की कथित खुदाई में फर्जी भुगतान

114—श्री चेतराम—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र पुवांया जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत ग्राम चकझाऊ से पिलखना ड्रेन की खुदाई वर्ष 1994 में की गई जबकि मौके पर ड्रेन की खुदाई नहीं की गई और इसका फर्जी भुगतान कर दिया गया ? क्या मंत्री जी सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराकर जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जनपद शाहजहाँपुर में विधान सभा क्षेत्र पुवायां के अन्तर्गत ग्राम चकझाऊ में पिलखाना ड्रेन पर वर्ष 1994 में कोई कार्य नहीं कराया गया। इसलिये शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

केशवपुरम् मनेरी, जिला-उत्तरकाशी का भागीरथी गंगा नदी द्वारा कथित कटान

115—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि केशवपुरम् मनेरी, जिला-उत्तरकाशी में भागीरथी गंगा के किनारे नई बस्ती को नदी के कटान से भारी खतरा हो गया है ? क्या इसे रोकने के लिये शासन द्वारा तटबन्ध बनाने की योजना स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो कब तक तटबन्ध बनकर तैयार हो जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में भागीरथी नदी से इस स्थान पर कोई खतरा नहीं है और न ही कोई कटान हो रहा है।

धान की नर्सरी लगाने तथा हरा चारा व हरी खाद्य की फसलों की सिंचाई के लिये निःशुल्क सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु शासनादेश

116—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि 1 मई, 1997 से 30 जून, 1997 तक धान का बेड़ लगाने के लिये राजकीय नहरों से निःशुल्क पानी दिये जाने हेतु शासन द्वारा आदेश पारित किया गया था ? क्या यह आदेश राजकीय नलकूपों पर भी प्रभावी था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी शासन द्वारा पारित आदेश की प्रतिलिपि तथा विकास खण्ड रुधौली, जनपद बस्ती में राजकीय नलकूपों द्वारा धान की बेड़ लगाने हेतु दिये गये पानी के घण्टों तथा लगाई गई बेड़ का क्षेत्रफल (नलकूप वार) की सम्पूर्ण सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

शासन ने 15 मई, 1997 से 30 जून, 1997 तक धान की नर्सरी लगाने तथा हरा चारा व हरी खाद्य की फसलों की सिंचाई के लिये निःशुल्क पानी दिये जाने के आदेश शासनादेश संख्या 1074/97—27—सिं—4, दिनांक 13-5-1997 द्वारा पारित किये थे।

जी हां।

प्रश्नगत शासनादेश की प्रतिलिपि तथा जनपद बस्ती के विकास खण्ड, रुधौली में राजकीय नलकूपों से धान की लगायी गयी नर्सरी का क्षेत्रफल व इस निमित्त चलित घण्टों का नलकूपवार विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी "च" आगे पृष्ठ 229 पर)

ग्राम सभा मुकीमपुर उर्फ पहाड़पुर, तहसील बीकापुर, जिला फैजाबाद को वर्ष 1989 से 1994 तक जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अवमुक्त की गई धनराशि का कथित दुरुपयोग

117—श्री सीताराम निषाद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत मुकीमपुर उर्फ पहाड़पुर, तहसील बीकापुर, जनपद फैजाबाद को वर्ष 1989 से 1994 तक जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी है ? क्या सरकार उक्त धनराशि के उपयोग की उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर—

ग्राम सभा मुकीमपुर उर्फ पहाड़पुर, तहसील बीकापुर, जनपद फैजाबाद को वित्तीय वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक कुल 4.68 लाख धनराशि अवमुक्त की गई है।

प्रश्नगत मामले में प्रश्नकर्ता से पूर्व में प्राप्त शिकायती-पत्र के सन्दर्भ में जिला अधिकारी, फैजाबाद द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी तथा अन्वेषक (तकनीकी) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फैजाबाद से संयुक्त रूप से जांच कराई जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

केवट, मल्लाह, बिन्द, धीवर (कश्यप), बाथम, राजकवार आदि जातियों को निषाद जाति की भाँति अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने हेतु जाँच

118—श्री सीताराम निषाद—

क्या मुख्यमंत्री को दिनांक 23 सितम्बर, 1995 को बांदा में बहुजन समाज पार्टी द्वारा आयोजित निषाद समाज महारैली में निषाद समाज की उपजातियां/पर्यायवाची जातियां केवट, मल्लाह, बिन्द,

धीवर (कश्यप), वाथम्, रायकवार आदि को उ० प्र० की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की मांग सम्बन्धी ज्ञापन प्राप्त हुआ था और मुख्यमंत्री ने ज्ञापन की मांग स्वीकार करके निषाद समाज महारैली में निषाद समाज की उपरोक्त उपजातियों/पर्यायवाची जातियों को अनुसूचित जाति घोषित करने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो क्या मुख्यमंत्री जी अपनी पूर्व घोषणा का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराकर निषाद समाज की उपजातियों/पर्यायवाची जातियों को अनुसूचित जाति की सुविधायें शीघ्र दिलवायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीराम पाल–

निषाद समाज की उपजातियों/पर्यायवाची जातियों को अनुसूचित जाति घोषित किये जाने के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान से अध्ययन कराया गया। इस अध्ययन में उक्त जातियां अनुसूचित जाति हेतु घोषित निर्धारित मानक अस्पृश्यता, घृणित रूढ़िवादिता आदि की श्रेणी में नहीं पायी गई। इस कारण निषाद समाज की उपजातियों/पर्यायवाची जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद मऊ में नये व पुराने स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति की जानकारी

119–श्री सुधाकर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ में कितने प्रा० स्वा० केन्द्र/नये स्वा० केन्द्र किन-किन स्थानों पर स्थित हैं ? कितने केन्द्रों पर चिकित्सक एवं कर्मचारी तैनात है एवं कितने केन्द्रों पर तैनात नहीं है ? कितने चिकित्सालय किन-किन स्थानों पर सरकारी भवनों में चल रहे है एवं कितने चिकित्सालय किराये के भवन में चल रहे है ?

श्री रमापति शास्त्री–

जनपद मऊ में 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 33 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार हैं :–

प्राथ० स्वा० केन्द्र–

रतनपुरा, परदहा, कोपागंज, मुहम्मदाबाद, रानीपुर, दोहरीघाट, घोसी, बड़रांव, फतेहपुर-मण्डांव।

नये प्राथ० स्वा० केन्द्र–

हलधरपुर, चकरा, अईलख, मखना, गहनी, उमापुर, रैनी, बगलीपिजडा, कुर्थीजाफरपुर, कसारा,चोरपाकला, अदरी, करहाँ, भदोड़, टेकई, भात-कोल, खुरहट, सेचुई, काझा, चिरैयाकोट, रसूलपुर, मुग्गी चौरी, बेला कसौला, मझवारा, सिपाह, इब्राहिमाबाद, कल्याणपुर, नदवा सराय, अमिला, माटी सिपाह, मधुबन, दुवारी, नेमडाड़, तिघरा।

सभी 42 केन्द्रों पर कर्मचारी तैनात हैं। 10 केन्द्रों को छोड़कर शेष सभी 32 केन्द्रों पर चिकित्सक भी तैनात हैं।

निम्न 25 चिकित्सालय सरकारी भवनों में संचालित हैं :–

रतनपुरा, परदहा, रानीपुर, मोहम्मदाबाद, कोपागंज, घोसी, बड़रांव, दोहरीघाट, फतेहपुर मण्डांव, चकरा, उमापुर, कसारा, अदरी, बगलीपिजड़ा, भदोड़, भात कोल, खुरहट, काझा, रसूलपुर, बेला कसौला, मझवारा, नदवा सराय, अमिला, मधुवन, नेमडाड़।

शेष 17 चिकित्सालय किराये के भवनों में संचालित हैं।

अध्यक्ष, मिनिस्टीरियल इस्टेब्लिशमेंट एसोसियेशन कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग का मा० मंत्री जी को पत्र

120—श्री नारायण राम-दास—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि अध्यक्ष, मिनिस्टीरियल इस्टेब्लिशमेंट एसोसियेशन कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग का पत्रांक 45/मि० इ० एशो०/96, दिनांक 28-2-96 मा० मंत्री जी को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कार्यालय, अनुभागों के लिपिकों के स्थानान्तरण की नीति

121—श्री नारायण राम दास—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग के कार्यालय, अनुभागों के लिपिकों के स्थानान्तरण हेतु वर्ग—1 व वर्ग—2 में विभाजित किया गया है ? यदि हां, तो कितने लिपिक ऐसे हैं जिनका वरिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ सहायक के पद का सेवाकाल वर्ग—1 के अनुभागों में ही बीता है ? क्या ऐसे लिपिकों को वर्ग—2 के अनुभागों में पदस्थापित करने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

जी हां।

कोई नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष, मिनिस्टीरियल इस्टेब्लिशमेंट एसोसियेशन कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग का कथित पत्र

122—श्री नारायण राम दास—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष, मिनिस्टीरियल इस्टेब्लिशमेंट एसोसियेशन कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक 35/मि० इ० एशो०/96, दिनांक 18-1-97 विभाग/शासन में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड रुधौली में स्थित राजकीय नलकूप संख्या—142 से सिंचाई न होने की शिकायत की जाँच

123—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के विकास खण्ड, रुधौली से राजकीय नलकूप संख्या—142 पचारी कला का जब से निर्माण हुआ है, तब से आज तक इसके भूमिगत पाइप से

कुल कितनी सिंचाई की गयी है ? इस नलकूप से कुल कितनी भूमिगत पाइप लगाई गई है ? क्या पूरी सिंचाई भूमिगत पाइप द्वारा की जा रही है ? क्या मंत्री जी इस नलकूप के निर्माण की पूरी जांच प्रदेश स्तर के किसी वरिष्ठ अधिकारी से करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जनपद बस्ती के विकास खण्ड, रुधौली में स्थित राजकीय नलकूप संख्या—142 से भूमिगत बिछी पाइप लाइन से कोई सिंचाई नहीं हुई है।

इस नलकूप पर 2.1 कि० मी० भूमिगत पाइप लाइन बिछायी गयी है।

जी नहीं।

प्राविधिक सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, सिंचाई विभाग को जाँच कराये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं।

सिंचाई विभाग, शारदा सहायक संगठन के कतिपय खण्डों में स्टाक रजिस्टरों के सत्यापन का मामला

124—श्री बाबू राम तथा श्री अजय भट्ट—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के सभी अनुरक्षण/निर्माण खण्डों में स्टाक रजिस्टर का अर्द्धवार्षिक सत्यापन प्रत्येक अर्द्धवर्ष की समाप्ति के पश्चात् चार माह के अन्दर करना तथा उसमें दर्ज वस्तुओं का प्रचलित बाजार भाव से मूल्यांकन करना अनिवार्य है ? यदि हां, तो सिंचाई विभाग के शारदा सहायक संगठन में कितने ऐसे खण्ड हैं जिसमें स्टाक रजिस्टरों का सत्यापन विगत 5 वर्षों या उससे अधिक अवधि से नहीं किया गया है ? इसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों के नाम व पद क्या हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला बलिया में उजियार भरौली से टुटुआरी मार्ग के अवशेष कार्य को पूर्ण करने की मांग

125—श्री राम जग—

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम व पोस्ट टुटुआरी, जिला बलिया में एक किलोमीटर सड़क निर्माण के लिये ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को धनराशि मिली है ? यदि हां, तो कितनी ? उसमें से अभी तक कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

श्री गंगा प्रसाद पुष्कर—

ग्राम व पोस्ट टुटुआरी, जिला बलिया में उजियार भरौली से टुटुआरी मार्ग के अवशेष कार्य के निर्माण हेतु एक किलोमीटर (पिच स्तर तक के लिये) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बलिया द्वारा पिछड़े जनपद योजना के अन्तर्गत 5.00 लाख (पांच लाख) तथा सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत 2.30 लाख (दो लाख तीस हजार) इस प्रकार कुल 7.30 लाख (सात लाख तीस हजार) ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बलिया को उपलब्ध कराया गया है, जिसमें से अब तक कुल 5,11,617 (पांच लाख ग्यारह हजार छः सौ सत्रह) की धनराशि व्यय की गई है।

जनपद पडरौना के विकास खण्ड सुकरौली के खड़ंजा आदि के कार्य को पूर्ण करने की मांग

126—श्री विश्वनाथ सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पडरौना के विकास खण्ड सुकरौली में जन समस्याओं को देखते हुये मण्डलायुक्त गोरखपुर एवं जिलाधिकारी पडरौना ने ग्राम मोहनपुर कोटवा, बेलवा बुंलआ में पुलिया व भगवानपुर से भटगांव व मुहवा, मझना नाला पुल से सिरसिया नं० 2 इण्टर कालेज तक खड़ंजा के लिये क्रमशः दिनांक 23-1-96, 29-2-96, 19-8-96, 27-9-96, 9-11-96 व 7-12-96 को आदेश दिया था कि उक्त कार्य को सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत पूरा करा दिया जाय ? क्या यह भी सत्य है कि अनुसूचित जाति की बस्तियों में उक्त योजना के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिये भी क्रमशः दिनांक 19-8-96, 8-11-96, 7-12-96 को आदेश दिया था ? यदि हां, तो इन आदेशों का पालन क्यों नहीं हुआ ? क्या सरकार उपरोक्त आदेशों का शीघ्र पालन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर—

जनपद पडरौना के विकास खण्ड सुकरौली में मण्डलायुक्त गोरखपुर एवं जिलाधिकारी पडरौना द्वारा नियमानुसार निर्माण कार्य कराने हेतु निर्देश दिये गये तथा प्रस्तावानुसार प्राक्कलन भी तैयार करा लिया गया था।

जी हां।

पुलिया एवं खड़ंजा के लिये प्राक्कलन बनवाये गये थे परन्तु पूर्व में स्वीकृत अन्य परियोजनाओं के लिये धन अवमुक्त किये जाने के कारण धनाभाव के कारण यह कार्य नहीं कराये जा सके।

जहां तक अनुसूचित जाति की बस्तियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रश्न है, राजीव गांधी पेयजल मिशन के सर्वेक्षण के अनुसार इंगित सभी ग्रामों में हैण्ड पम्प लगाये गये हैं।

वर्ष 1997-98 में वरीयता के आधार पर प्रश्नगत कार्य कराये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी के समाज कल्याण विभाग में घोटाले, धोखा धड़ी को रोकने हेतु नवीन लेखा प्रक्रिया

127—श्री श्याम देव राय चौधरी—

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी के समाज कल्याण विभाग में लाखों रुपये के घोटाले का प्रकरण इस वर्ष प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो इस प्रकारण की धोखा धड़ी द्वारा धन हड़पने की घटनाओं पर रोक लगाने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री श्रीराम पाल—

जी हां।

विभिन्न विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत धोखाधड़ी रोकने तथा वास्तविक भुगतान सुनिश्चित करने हेतु नवीन लेखा प्रक्रिया लागू की गई है तथा पटल सहायकों के स्थान पर लेखाकार के माध्यम से ही चेकों का निर्गमन किये जाने की व्यवस्था की गई है।

128—श्री मित्र सेन यादव—

(तीसरे गुरूवार में अता० प्र० सं० 68 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

सिंचाई खण्ड एटा, अधिशासी अभियन्ता की अनियमितता, भ्रष्टाचार, पद व धन के दुरुपयोग की शिकायत पर जांच

129—श्री नेतराम सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सिंचाई खण्ड एटा के अधिशासी अभियन्ता की अनियमितताओं, भ्रष्टाचार तथा सरकारी धन का दुरुपयोग के गम्भीर आरोपों के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र माह मई, 1997 को मिला है ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या हैं ? जांचोपरान्त क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां।

मुख्य अभियन्ता (रामगंगा) को जांच कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायगी।

प्रदेश में वर्ष 1996-97 पेराई सत्र के गन्ना मूल्यों के भुगतान का मामला

130—श्री जगदम्बिका पाल—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1996-97 पेराई सत्र के गन्ना मूल्यों का भुगतान 31 मई, 1997 तक चीनी मिलों से कराने की घोषणा सरकार ने की थी ? यदि हां, तो क्या प्रदेश का कुल गन्ना मूल्य का भुगतान हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

चीनी मिलों की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो सका है।

प्रदेश में निःशुल्क बोरिंग के लिये वित्तीय वर्ष हेतु किसी धनराशि का प्राविधान

131—श्री जगदम्बिका पाल—

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मार्च, अप्रैल, मई एवं जून, 1997 में निःशुल्क बोरिंग के लिये क्या लगभग पचास करोड़ का वित्तीय प्राविधान था ? यदि हां, तो इस धन से उक्त माहों में कितने निःशुल्क बोरिंग प्रदेश में हुये ? यदि लक्ष्यपूर्ण नहीं हुआ तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

जी नहीं, वित्तीय प्राविधान पूरे वित्तीय वर्ष के लिये किया जाता है। माह मार्च, अप्रैल, मई तथा जून 1997 के लिये निःशुल्क बोरिंग हेतु लगभग 50 करोड़ का कोई प्राविधान नहीं था।

चूंकि 50 करोड़ का कोई प्राविधान माह मार्च, अप्रैल, मई तथा जून, 1997 के लिये नहीं था। अतः उस धन से उक्त माहों में निःशुल्क बोरिंग का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम मुबारिकपुर, ब्लाक गंगोह, जनपद सहारनपुर में इन्दिरा आवास बनाये जाने का कथित प्रस्ताव

132—श्री राम औतार शाक्य—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि ग्राम मुबारिकपुर, ब्लाक गंगोह, जनपद सहारनपुर में इन्दिरा आवास योजना में 11 (ग्यारह) इन्दिरा आवास बनाये जाने की स्वीकृति हो गई थी और गांव सभा से इस हेतु प्रस्ताव भी पारित हो गया था ? क्या इन आवासों के निर्माण हेतु ग्राम्य विकास अनुभाग के पत्रांक सं० 2605/38-9-97 के अनुसार जिलाधिकारी, सहारनपुर को पत्र भेजा गया ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या सरकार उक्त आवासों का निर्माण करवाना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर—

ग्राम्य मुबारिकपुर, ब्लाक गंगोह, जनपद सहारनपुर में वर्ष 1995-96 में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण हेतु कोई स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान नहीं की गयी थी। विकास खण्ड कार्यालय गंगोह में ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जी नहीं।

ब्लाक गंगोह के ग्राम मुबारिकपुर की शिकायत प्राप्त होने पर पत्र संख्या 2569/38—5—97—300(51)/96, दिनांक 13-6-97 द्वारा जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया था। जांच पूर्ण की जा चुकी है।

ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित होने के पश्चात आवासों का निर्माण कराया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बलिया के अन्तर्गत कुरेजी चिलकहर लो० नि० वि० मार्ग से डाढ़ेपुर सम्पर्क मार्ग होते हुए रसड़ा सड़क तक निर्माण कार्य

133—श्री छोटे लाल राजभर—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में विकास खण्ड चिलकहर के अन्तर्गत "कुरेजी चिलकहर" लो० नि० वि० मार्ग से डाढ़ेपुर सम्पर्क मार्ग होते हुए नगरा, रसड़ा सड़क तक मिट्टी मरम्मत का कार्य वर्ष 1994 में आई० जे० आर० वाई० योजना के तहत दिखाकर जिला परिषद् द्वारा रुपया 2,38,600 की धनराशि का भुगतान बिना कार्य कराये ही किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर—

जी, नहीं। बल्कि जिला पंचायत द्वारा 2.1 किमी० मिट्टी कार्य करके मात्र 1,06,720.00 (एक लाख छः हजार सात सौ बीस रुपये मात्र) का भुगतान किया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

बाबा राघव दास मेडिकल कालेज, गोरखपुर में सी० टी० स्केन की व्यवस्था

134—श्री शिव प्रताप शुक्ल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबा राघव दास मेडिकल कालेज, गोरखपुर को सी० टी० स्केन के लिये राज्य सरकार ने धन स्वीकृत किया था ? यदि हां, तो क्या वह धन मेडिकल कालेज को प्राप्त हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

135–श्री वकार अहमद शाह–

[चौथे बुधवार के लिये स्थगित]

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूलों के पुराने शिक्षकों का बकाया वेतन दिलाये जाने की मांग

136–श्री राम जग–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूलों के पुराने शिक्षकों का गत 30 माह का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री श्रीराम पाल–

जी, नहीं। अवशेष वेतन का आंशिक भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

अध्यापकों के वर्ष 1995-96 व उसके पूर्व के वेतन भुगतान हेतु आयोजनागत मद से रु० 951.92 लाख और आयोजनेतर मद से रु० 625.00 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। अवशेष रु० 886.84 लाख धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग से परामर्श कर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन सम्बन्धी ऐक्ट में जन प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व देने की मांग

137–श्री नवाब सिंह नागर–

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि नोयडा व ग्रेटर प्राधिकरण बोर्ड में जनता का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है ? क्या यह सही है अन्य सभी प्राधिकरणों/बोर्डों में जनता का प्रतिनिधित्व दिया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार नोयडा व ग्रेटर प्राधिकरण बोर्ड में जनता का प्रतिनिधित्व देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन सम्बन्धी एक्ट में जन प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व देने का प्राविधान नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड वजीरगंज में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में वजीरगंज से टिकरी मार्ग तक खड़ंजा कार्य

138—श्री राम विशुन आजाद—

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के वि० ख० वजीरगंज में जवाहर रोजगार योजना के अतर्गत वर्ष 1996-97 में वजीरगंज से टिकरी मार्ग से पूरे डाढ़ू ग्राम तक खड़ंजा कार्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा गोण्डा द्वारा करवाया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा ठेकेदारों से मिलकर मानक के अनुसार खड़ंजा न लगवा कर घटिया किस्म के ईटों का प्रयोग करके शासकीय धन का दुरुपयोग किया है ? क्या सरकार टी० ए० सी० से जांच करवा कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा प्रसाद पुष्कर—

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

तहसील भरथना जिला इटावा में हाजीपुर माइनर में फर्जी कुलाबे उखड़वाने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश

139—श्रीमती उर्मिला देवी यादव—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि तहसील भरथना जिला इटावा में हाजीपुर माईनर कुतुबपुर माईनर पर असलमपुर व खुशालपुर व कुतुबपुर के किसानों ने सरकार की बिना स्वीकृत अपने खेतों पर कुलाबे रख लिये हैं जिसके कारण टेल तक पानी नहीं पहुंचता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने फर्जी कुलाबों को उखड़वाने तथा दोषी व्यक्तियों पर जुर्माना करने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

जी हां।

तहसील भरथना जिला इटावा में हाजीपुर माइनर नाम की माइनर नहीं है। रजबहा कधसी की टेल 8.4 कि० मी० की दांयी पटरी से शमसपुर माइनर निकलती है, जो हाजीपुर गांव के पास से जाती है तथा शमसपुर माइनर के मील 1—2—365 बांयी पटरी से कुतुबपुर माइनर निकलती है। आलमपुर, खुशालपुर व कुतुबपुर के किसानों ने बिना स्वीकृति अपने खेतों पर कुलाबे रख लिये हैं, परन्तु माइनरों के टेल पर पानी पहुंचता है।

फर्जी कुलाबे उखड़वाने तथा दोषी व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश विभाग को दे दिये गये हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद पडरौना के सृजित होने के कारण नये विकास खण्ड तरकुलवा के सृजन की मांग

140—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद देवरिया को विभाजित कर जनपद पडरौना के सृजन के समय कसया विकास खण्ड के लगभग 45 गांव जनपद देवरिया के पथरदेवा विकास

खण्ड में जोड़ दिये गये जिससे कुशीनगर के समीप के गांव सानबरसा, पाण्डेय डीह मुडेरा रतन पट्टी, ज्ञानपुर, चकदेइया आदि गांवों के लोगों का ब्लाक मुख्यालय 40 कि० मी० से अधिक हो गया है और जनता को घोर असुविधा हो रही है क्या इस सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता का दिनांक 28-1-97 का पत्र सचिव, ग्राम्य विकास को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां।

प्रदेश के वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा विचारोपरान्त लिये गये नीतिगत निर्णय के अनुसार तरकुलवा में नये विकास खण्ड का सृजन किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद पडरौना के सरदार नगर चीनी मिल पर वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के बकाये गन्ना मूल्य के भुगतान को दिलाये जाने की मांग

141–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पडरौना के कसया तथा डाटा केन यूनियन से सम्बन्धित गन्ना किसानों का 35 करोड़ रुपये से अधिक गन्ना मूल्य सरदार नगर सुगर फैक्ट्री, गोरखपुर पर बकाया है ? क्या यह सही है कि गत पेराई सत्र के लगभग 10 करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान भी उपरोक्त चीनी मिल ने नहीं किया है ? यदि हां, तो उसके भुगतान के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है ? सम्पूर्ण भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री ओमप्रकाश सिंह–

जी नहीं।

सरदार नगर चीनी मिल पर पेराई सत्र 95-96 का रु० 2.27 करोड़ तथा पेराई सत्र 96-97 का रु० 12.57 करोड़, कुल रुपया 114.84 करोड़ गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अवशेष है।

अवशेष गन्ना मूल्य की वसूली हेतु उक्त चीनी मिल के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी करके जिलाधिकारी, गोरखपुर को भेज दिया गया है।

अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान यथाशीघ्र कराने का प्रयास किया जा रहा है।

एस० जी० पी० जी० आई०, लखनऊ द्वारा की गयी नियुक्तियों में कथित अनियमितता

142–श्री राम कुमार वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि एस० जी० पी० जी० आई०, लखनऊ द्वारा विज्ञापन सं० 141/90 अन्तर्गत दो वर्ष तक कार्यवाही रोककर 23 टाइपिस्टों की नियुक्ति शासन की आरक्षण नीति के विपरीत की गई है ? यदि नहीं, तो पिछड़ी जाति की सूची क्रमांक 1 व 2 पर अंकित श्री अनवार अहमद व श्री अजय सिंह जिन्होंने सामान्य वर्ग की सूची में प्रथम स्थान पर अंकित श्री शिव प्रसाद यादव से भी अधिक अंक (क्रमशः 67.5 प्रतिशत व 56.9 प्रतिशत) प्राप्त किये थे, को सामान्य वर्ग की सूची में पहले व दूसरे स्थान पर क्यों नहीं रखा गया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि मा० उच्च न्यायालय के आदेश दि० 22-9-95 तथा 9-12-96 के अनुपालन में (जबकि पांच पद रिक्त हैं) नियुक्ति हेतु विचार किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं।

श्री अनवार अहमद एवं श्री अजय सिंह के अपने आवेदन-पत्र में पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी का उल्लेख होने के कारण इन्हें सामान्य वर्ग में नहीं रखा गया था, चूंकि चयन से सम्बन्धित पैनेल सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हेतु अलग-अलग बनाया गया था। चूंकि संस्थान में पिछड़ी जाति का आरक्षण कोटा पूर्व से भरा था, इसलिए तत्समय इन्हें नियुक्ति दिया जाना सम्भव नहीं था।

सन्दर्भित मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22-9-95 व 9-12-96 उपरोक्त अभ्यर्थियों से सम्बन्धित नहीं है। फिर भी दोनों अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिनांक 8-2-94 को जारी कर दिया गया जिसमें से श्री अनवार अहमद ने दिनांक 24-2-94 को कार्य-भार ग्रहण कर लिया किन्तु श्री अजय सिंह ने अभी तक कार्य-भार ग्रहण नहीं किया है। श्री अनवार अहमद को चयन सूची में वरीयता में पहला स्थान दे दिया गया है।

143–श्री नारायण रामदास–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद लखनऊ स्थित सिंचाई विभाग की आवासीय कालोनियों में रहकर भी मकान किराया भत्ता कार्यालय से लेने की शिकायत की जांच

144–श्री नारायण रामदास–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद स्थित सिंचाई विभाग की सभी आवासीय कालोनियों में कितने ऐसे विभागीय लोक-सेवक आवासीय/अनावासीय भवनों में प्रवास कर रहे हैं जोकि विभाग से मकान किराया भत्ता भी आहरित कर रहे हैं ? पूर्व में कितने विभागीय लोक-सेवकों को मकान किराया भत्ता का दीर्घकालिक एरियर तैयार करके एकमुश्त वापस कर दिया गया जोकि विभागीय कालोनियों में प्रवास कर रहे थे ? क्या टेस्ट इन्कवायरी के रूप में विभाग के वित्त-नियंत्रक के माध्यम से उस एरियर की धनराशि की वापसी की जांच करवाने की कृपा करेंगे जोकि लखनऊ खण्ड शारदा नहर, लखनऊ द्वारा कुछ वर्ष पूर्व अपने कर्मचारियों को दी गयी थी ? इस हेतु दोषी अधिकारी का नाम व पद क्या है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह–

जांच कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त ग्रामीण विकास हेतु धन में, केन्द्र सरकार का दिशा निर्देश

145–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार जो धन ग्रामीण विकास के लिये देती है उसके लिये मार्ग निर्देशक लाइन भी तय करती है ? यदि हाँ, तो वे निर्देश क्या हैं ? क्या सरकार उनके अनुरुप कार्य कर रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

सम्बन्धित योजनाओं की मार्ग निर्देशिका संलग्न सूची के अनुसार जारी की गयी है।

जी हां।

[देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ..233 .पर]

उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा गन्ना की पेराई क्षमता की जानकारी

146—श्री अम्बरीष कुमार—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन का कुल कितने प्रतिशत पेरने की क्षमता चीनी मिलों में हैं? इस क्षमता को बढ़ाकर शत-प्रतिशत स्तर तक कितने वर्षों में प्राप्त करने का लक्ष्य है ? प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत क्षमता बढ़ाये जाने हेतु कोई योजना है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

प्रदेश की चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में उत्पादित कुल गन्ने का लगभग एक तिहाई गन्ना पेरने की चीनी मिलों की क्षमता है। इस पेराई क्षमता को नई चीनी मिलों की स्थापना व स्थापित चीनी मिलों की पेराई क्षमता में विस्तार द्वारा अधिकतम करने का लक्ष्य वर्किंग ग्रुप द्वारा नवीं पंचवर्षीय योजना काल में निर्धारित किया गया है। तद्नुसार प्रतिवर्ष कुल स्थापित पेराई क्षमता का लक्ष्य निम्न प्रकार रखा गया है :—

वर्ष	क्षमता का लक्ष्य (लाख टी० सी० डी०)
1997-1998	3—82
1998-1999	4—20
1999-2000	4—59
2000-2001	5—03
2001-2002	5—64

समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा आवर्तक अनुदान पर संचालित छात्रावासों में रसोइया,स्वीपर आदि को दिये जाने वाला मासिक मानदेय

148—श्री राम औतार शाक्य—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण विभाग, उ० प्र० द्वारा आवर्तक अनुदान पर संचालित छात्रावासों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में रसोइया, स्वीपर एवं कहार को विभाग द्वारा कितना-कितना मासिक मानदेय दिया जा रहा है ? क्या यह पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इनकी मानदेय में वृद्धि करवाना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम पाल—

स्वैच्छिक संगठनों द्वारा आवर्तक अनुदान पर संचालित छात्रावासों में रसोइया को 150 रु० प्रतिमाह तथा सफाई कर्मचारी को 100 रु० प्रतिमाह आवर्तक अनुदान के रूप में दिया जाता है।

जी, नहीं।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

सेवा निवृत्त श्री एल० एन० सिंह अपर जिला विकास अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, सिद्धार्थनगर के अवशेषों के भुगतान का मामला

148—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि 30 अप्रैल, 1990 को श्री एल० एन० सिंह अपर जिला विकास अधिकारी, समाज कल्याण, सिद्धार्थ नगर से सेवामुक्त हुये थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि पेंशन, ग्रेच्युटी जी० पी० एफ० एवं वेतन बकाया का अन्तर अस्थाई पेंशन की महंगाई राशि बढ़ोत्तरी का निस्तारण एवं भुगतान अब तक उन्हें नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्रीराम पाल—

जी, हां।

जी, नहीं।

श्री एल० एन० सिंह, सेवानिवृत्त, अपर जिला विकास अधिकारी (स० क०) को अनन्तिम पेंशन स्वीकृत की गयी है तथा महंगाई बढ़ोत्तरी का आदेश निर्गत कर दिया गया है। शेष मामलों में विभागीय कार्यवाही प्रचलित होने के कारण निर्णय लिया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

परिगणित बाल विद्या मन्दिर, महमूदपुर, भीषम अमहाट, तहसील मोहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर के कथित अध्यापकों का वेतन न दिये जाने की शिकायत

149—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लल्लन सिंह, सहायक अध्यापक का शिकयती-पत्र प्रमुख सचिव, समाज कल्याण का दिनांक 31-1-97 को जो परिगणित बाल विद्या मंदिर, महमूदपुर भीषम अमहाट, तहसील मोहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर में अध्यापकों का वेतन वितरण न किये जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ, यदि हां, तो इस पत्र में प्रमुख शिकायतें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम पाल—

जी हां।

इस पत्र में प्रमुख शिकायत यह थी कि जिलाधिकारी द्वारा विद्यालय की पुनः जांच कराई जाय।

प्रश्नगत पत्र जिलाधिकारी, गाजीपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था। उन्होंने अवगत कराया है कि विद्यालय की जांच पूर्व में ही उप जिलाधिकारी, मोहम्मदाबाद से करायी जा चुकी है तथा सर्वश्री लल्लन सिंह व चन्द्रमा राम विद्यालय के कार्यरत अध्यापक नहीं पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

150—श्री दीप लाल भारती—

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिसवा व निचलौल में महिला चिकित्सक की नियुक्ति की मांग

151—श्री दीप लाल भारती—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिसवा, निचलौल को भारत सरकार द्वारा संचालित सोसल सेफ्टीनेट योजना के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 में लिया

गया है ? क्या वहां पर महिला चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं की गयी है ? क्या चिकित्सकों की नियुक्ति के लिये पूर्व विधायक श्री शारदा प्रसाद जायसवाल द्वारा दिनांक 26-9-94 दिनांक 12-9-95 तथा 27 मार्च, 1996 को नियुक्ति के लिये प्रस्ताव किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार महिला चिकित्सकों की नियुक्ति तत्काल करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-सिसवा व निचलौल में महिला चिकित्सक का पद स्वीकृत नहीं है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

पद स्वीकृत नहीं हैं।

पर्वतीय उप संवर्ग में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारियों की वर्ष 1991 में बनी ज्येष्ठता सूची में कथित अनियमितता

152–श्री तेजभान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय उप संवर्ग में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारियों की वर्ष 1991 में बनी ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 9411 से 11871 के वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारियों को पदोन्नति से वंचित रखते हुए क्रमांक 11872 के दो ग्राम विकास अधिकारियों को सहायक ग्राम विकास अधिकारी (उद्योग सेवा व्यवसाय) के पद पर पदोन्नति दी जा चुकी है ? यदि हां, तो वरिष्ठता सूची के क्रमांक 9411 से 11871 के बीच के ग्राम विकास अधिकारियों को छोड़कर क्रमांक 11872 के दो ग्राम विकास अधिकारियों को पदोन्नति किये जाने में हुई अनियमितता के लिए कौन दोषी है ? उक्त अनियमितता को कब तक दूर कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी नहीं।

वर्ष 1991 में पर्वतीय उप संवर्ग में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारियों की कोई पृथक ज्येष्ठता सूची नहीं बनी। वर्ष 1991 में मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारियों की सम्मिलति ज्येष्ठता सूची बनी थी। इस ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 9411 से 11871 के मध्य के ग्राम विकास अधिकारियों को पदोन्नति से वंचित नहीं रखा गया है।इस ज्येष्ठता सूची के क्रमांक 9411 से 11871 के मध्य के पन्द्रह ग्राम विकास अधिकारियों की प्रोन्नति सहायक विकास अधिकारियों (उद्योग सेवा व्यावसाय) के पद पर क्रमांक 11872 के अन्य ग्राम विकास अधिकारियों के साथ ही आयुक्त, ग्राम्य विकास के कार्यालय आदेश संख्या–ए–1733/स्था०–2/59/उसेव्य/95—96, दिनांक 12 जुलाई, 1996 के अन्तर्गत की गई है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

153–श्री अम्बरीष कुमार–

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

ग्राम अंजरौली विकास खण्ड मिल्कीपुर, फैजाबाद के चयनित अम्बेडकर ग्रामों के अधूरे कार्य को पूर्ण किये जाने की मांग

154—श्री मित्रसेन यादव—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1996-97 ग्राम अंजरौली, विकास खण्ड मिल्कीपुर, फैजाबाद चयनित अम्बेडकर ग्राम हैं ? यदि हां, तो अब तक इसका विकास क्यों नहीं किया गया है ? कौन-कौन से विकास कार्य अधूरे हैं ?

सुश्री मायावती—

जी हाँ।

इस ग्राम में 21 लाभार्थियों को आई० आर० डी० पी० योजना के अन्तर्गत, 11 लाभार्थियों को नि: शुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत, 6 लाभार्थियों को स्वच्छ शौचालय योजनान्तर्गत, 23 व्यक्तियों को किसान पेंशन तथा 10 विधवाओं को विधवा पेंशन तथा 21 लाभार्थियों को इन्दिरा/निर्बल वर्ग आवास योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है। पेयजल योजनान्तर्गत 26 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं। प्राथमिक विद्यालय और उसका भवन भी है। 2.7 कि० मी० खड़न्जा भी निर्मित है। यह ग्राम पुराने मानकों के आधार पर विद्युतीकृत भी है।

पक्का मार्ग निर्मित नहीं है। इस वर्ष की कार्य योजना में इस ग्राम के लिये पक्का मार्ग निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

होम्योपैथिक सचिवालय डिस्पेंन्सरी में कर्मचारियों हेतु दवा उपलब्ध करने हेतु व्यय एवं एल० पी० करने में हुए व्यय का विवरण

155—श्री पारसनाथ यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हेम्योपैथिक सचिवालय डिस्पेन्सरी में कर्मचारियों हेतु दवा उपलब्ध कराने एवं एल० पी० करने हेतु 1993-94, 94-95, 95-96, 96-97 में कितना धन खर्च किया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त डिस्पेंसरी में कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री—

वर्ष	औषधि पर कुल व्यय	एल० पी० द्वारा क्रय
1993-94	3,44,919.30	17,504.65
1994-95	32,935.75	855.50
1995-96	1,24,046.00	शून्य
1996-97	46,900.00	शून्य

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक (शिक्षा), स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को अनुसचिव, न्याय--2 के कथित पत्र पर कार्यवाही की मांग

156--श्री तेजभान सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशक (शिक्षा), स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को अनुसचिव, न्याय अनुभाग--2 का पत्र सं०--1095/सात--न्याय--2-113--बी/92, दिनांक 2-3-93 प्राप्त हुआ है ? क्या संदर्भित विषय में कार्यवाही निदेशालय स्तर पर अब भी लम्बित है ? यदि हां, तो उसका दोषी कौन है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रमापति शास्त्री--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राज्य चीनी निगम द्वारा संचालित इकाई हरदोई में व्याप्त भ्रष्टाचार सम्बन्धित पत्र एवं कृत कार्यवाही

157--श्री राम नरेश रावत तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया--

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य चीनी निगम द्वारा संचालित इकाई हरदोई में व्याप्त भ्रष्टाचार सामान्य प्रबन्धक द्वारा स्थानान्तरण में किये गये अवैधानिक अनुचित आदेशों सम्बन्धी एवं अभिलेखों में किये गये हेरा-फेरी विषयक शुगर मिल मजदूर संघ, हरदोई का पत्र जो दिनांक 9-7-96 व 31-3-97 को गन्ना विकास मंत्री, उ० प्र० शासन एवं प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० राज्य चीनी निगम लिमिटेड को सम्बोधित था भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी बिन्दुवार स्थिति क्या है ? जांच को विलम्बित करने के लिये कौन अधिकारी दोषी है ? इसकी जांच कब करा ली जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जी हाँ।

सम्बन्धित पत्रों में उल्लिखित शिकायतों की प्रारम्भिक जांच सम्पन्न की गयी है जिसके क्रम में एक कर्मकार को इकाई से स्थानान्तरित कर दिया गया है।

शेष कार्यवाही की जा रही है।

अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड प्रथम, बस्ती के विरुद्ध शिकायत तथा जाँच रिपोर्ट सदन पर रखे जाने की माँग

158--श्री विश्वनाथ सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड प्रथम, बस्ती के भ्रष्टाचार के विरुद्ध श्री रमेश चन्द्र चौधरी, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत, बस्ती ने दिनांक 20-9-96 को शासन को शिकायत की थी ? यदि हां, तो क्या प्रमुख सचिव, सिंचाई ने फैक्स दिनांक 3-6-97 को भेजकर पूरी जांच आख्या शासन को भेजने का निर्देश दिया था ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

जी हाँ।

प्रकरण की जाँच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

बी० आर० डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर को इस वित्तीय वर्ष में गम्भीर बीमारी से पीड़ित लोगों को दवा उपलब्ध कराये जाने का विवरण

159—श्री राधेश्याम सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बी० आर० डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर के लिए इस वित्तीय वर्ष में कितने रुपये का बजट का प्राविधान किया गया है और वहां गम्भीर बीमारी से पीड़ित कितने रोगियों का पंजीकरण किया गया है ? क्या रोगियों के लिये उपचार की समुचित व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती—

बी० आर० डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर और सम्बद्ध चिकित्सालय, गोरखपुर के लिए इस वर्ष क्रमशः रु० 2,79,88,000 तथा रु० 3,06,50,000 का बजट प्राविधान उपलब्ध है तथा 7491 गम्भीर रोगियों का पंजीकरण किया गया है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय होम्योपैथिक डिस्पेंसरी में वर्तमान समय में कार्यरत डाक्टरों/फार्मासिस्ट/वार्ड ब्वाय की संख्या तथा उनके स्थानान्तरण न होने के औचित्य

160—श्री पारसनाथ यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिवालय होम्योपैथिक डिस्पेंसरी में वर्तमान समय में कितने चिकित्साधिकारी, फार्मासिस्ट, वार्ड ब्वाय कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि सचिवालय डिस्पेंसरी में कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो काफी समय से एक ही डिस्पसेंसरी में तैनात हैं ? यदि हां, तो उनके स्थानान्तरण न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री रमापति शास्त्री—

सचिवालय होम्योपैथिक डिस्पेंसरी में तीन होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, दो फार्मासिस्ट एवं एक वार्ड ब्वाय कार्यरत हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

161—श्री जगदम्बिका पाल—

[तीसरे मंगलवार में अता० प्र० सं० 180 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विन्ध्याचल जनपद मिर्जापुर स्थित चिकित्सालय के निरीक्षण में पायी गयी अनियमितताओं के विरुद्ध कार्यवाही

162—डा० सरजीत सिंह डंग—

क्या स्वास्थ्य-मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या 11 जून, 1997 को विंध्याचल जनपद मिर्जापुर स्थित चिकित्सालय का उन्होंने निरीक्षण किया था ? यदि हां, तो क्या अनियमिततायें प्रकाश में आयीं और किन कर्मचारियों एवं चिकित्सकों को अनुपस्थित पाया गया ? उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री—

जी हाँ।

चिकित्सालय में समुचित सफाई नहीं थी, वार्ड बन्द पाये गये, मरीजों को पूर्ण रूप से दवाई उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी।

निरीक्षण के समय निम्नलिखित 8 कर्मचारियों एवं चिकित्सकों को अनुपस्थित पाया गया :—

1—श्री त्रियुगी नाथ श्रीवास्तव, वार्ड ब्वाय
2—श्री राकेश कुमार सिंह, डार्क रुम असिसटेन्ट
3—श्री अवधेश कुमार, मेल स्टाफ नर्स
4—श्रीमती पुष्पा देवी, स्टाफ नर्स
5—श्री जगदीश प्रसाद एक्सरे टेक्नीशियन
6—श्री लाल चन्द, स्वीपर कम चौकीदार
7—डा० आर० के० शर्मा, चिकित्साधिकारी
8—डा० लियाकत अली, रेडियोलाजिस्ट।

जी हां, अनुपस्थित पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों का दिनांक 11-6-97 (एक दिन) का वेतन रोक दिया गया है तथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करने हेतु चेतावनी दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत गन्ना ग्राम सेवक के पदों को भरे जाने का मामला

163—श्री योगेन्द्र सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पदोन्नतियों के परिणामस्वरुप तथा सामान्य कारणों से गन्ना ग्राम सेवकों के कुल कितने पद प्रदेश में वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं ? उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

वर्तमान में गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत गन्ना ग्राम सेवक का पद अस्तित्व में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा मनकापुर—मछलीगांव—फिरोजपुर से महेवानानकार मार्ग पर हुए कार्य में अनियमितता की जाँच की मांग

164—श्री राम विशुन आजाद—

क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड मनकापुर में जवाहर रोजगार योजना में वर्ष 1996-97 में मनकापुर—मछलीगांव—फिरोजपुर से महेवानानकार मार्ग पर

यू० पी० प्रोजेक्ट ट्यूबवेल कारपोरेशन गोण्डा द्वारा मजदूरों से कार्य न करवा कर सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा ठेकेदारों से मिलकर टैक्टर से मिट्टी कार्य करवाया है और अवर अभियन्ता ने फर्जी मस्टर रोल बनवाकर फर्जी ढंग से शासकीय धन का दुरुपयोग किया है ? यदि हां, तो क्या टी० ए० सी० से जांच करवाकर कब तक कार्यवाही की जायेगी ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इस सम्पर्क मार्ग पर इससे पूर्व भी मिट्टी कार्य करवाया गया था ? यदि हां, तो इसका विवरण क्या है ?

श्री सुखदेव राजभर–

जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1996-97 में स्वीकृत मनकापुर–मछलीगांव रोड से फिरोजपुर महेवानानकार होते हुए वीरपुर सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी/पुलिया निर्माण कार्य हेतु यू० पी० प्रोजेक्ट एण्ड ट्यूबेल्स कार्पो० लि० (ल० सि०) यूनिट, गोण्डा द्वारा मार्ग निर्माण मस्टर रोल पर स्थानीय मजदूरों द्वारा कराया गया है तथा मजदूरों की मजदूरी का भुगतान सम्बन्धित ग्राम प्रधान की उपस्थिति में किया गया है, जिसकों ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

उक्त मार्ग पर एन० आर० ई० पी० योजनान्तर्गत वर्ष 88-89 में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा 2 किलोमीटर मिट्टी कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि 0.772 लाख रुपये का कार्य कराया गया था।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, गोण्डा द्वारा सम्पर्क मार्ग पूर्ण कराने की मांग

165–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में सुनिश्चित रोजगार योजना में वर्ष 1995 से 1997 मई तक ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, गोण्डा द्वारा कितने-कितने सम्पर्क मार्गों पर पुलिया का निर्माण कराया गया है ? क्या निर्माण मानक के अनुसार कराया गया है ? क्या यह सही है कि चारू से संगवा मार्ग पर नव निर्मित पुलिया ध्वस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री गंगा प्रसाद पुष्कर–

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, गोण्डा द्वारा 13 सम्पर्क मार्गों पर पुलिया निर्माण कार्य वर्ष 1995 से 1997 मई तक कराया गया है ?

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० वन निगम द्वारा वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में वन विभाग को भुगतान की गयी रायल्टी की जानकारी

166–श्री बिन्दु लाल–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० वन निगम द्वारा सन् 1995-96 व 1996-97 में कितनी रायल्टी वन विभाग को दी गयी और उक्त वर्षों में उ० प्र० वन निगम ने कितने की बिक्री की ? उस बिक्री पर कितना व्यापार कर जमा किया गया ? क्या 3 "ख" फार्म जमा करके व्यापार कर में छूट दी गयी है ? यदि हां, तो वह धनराशि कितनी है ?

सुश्री मायावती–

उ० प्र० वन निगम द्वारा वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में वन विभाग को निम्नवत रायल्टी भुगतान की गयी :–

वर्ष	धनराशि (लाख में)
1995-96	7,636.08
1996-97	6,083.78

वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में उ० प्र० वन निगम ने निम्नानुसार बिक्री की :–

वर्ष	धनराशि (लाख में)
1995-96	17,931.26
1996-97	17,835.49

उ० प्र० वन निगम का सम्परीक्षा कार्य प्रगति पर होने के कारण वर्ष 96-97 के उक्त रायल्टी/बिक्री के आँकड़े अनन्तिम हैं।

उक्त बिक्री पर वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में उ० प्र० वन निगम द्वारा निम्नानुसार व्यापार कर जमा किया गया है :–

वर्ष	धनराशि (लाख में)
1995-96	1,714.776
1996-97	1,578.190

वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में दी गयी छूट की धनराशि निम्नानुसार है :–

वर्ष	धनराशि (लाख में)
1995-96	863.946
1996-97	818.793

जनपद हरिद्वार के मुख्यालय पर प्रस्तावित 200 शैय्याओं वाले चिकित्सालय के निर्माण कार्य को कराये जाने की मांग

167–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरिद्वार के मुख्यालय पर प्रस्तावित 200 शैय्याओं वाले चिकित्सालय के निर्माण का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

जनपद हरिद्वार में जिला संयुक्त चिकित्सालय के निर्माण हेतु लगभग 16 एकड़ भूमि उपलब्ध है, किन्तु सीमित वित्तीय संसाधन के कारण निर्माण कार्य हेतु आवश्यक परिव्यय का प्राविधान नहीं किया जा सका है। अतएव चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 में निर्माण कार्य प्रारम्भ होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विकास खण्ड हरिंग्टनगंज, जिला फैजाबाद में वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 में आई० आर० डी० योजना में हुई अनियमितता की शिकायत पर जाँच

168—श्री मित्रसेन यादव—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड हरिंग्टनगंज, जिला फैजाबाद में वर्ष 1994-95 और 1995-96 में निःशुल्क बोरिंग, इन्दिरा आवास, स्वच्छ शौचालय आदि योजनाओं के क्रियान्वयन में गम्भीर अनियमितता की गयी है ? क्या यह सही है कि पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ न देकर कुपात्रों को लाभान्वित कर कल्याणकारी योजनाओं का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया है ? क्या इस गम्भीर अनियमितता के विरुद्ध मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद एवं उपायुक्त, ग्राम्य विकास, फैजाबाद के स्तर पर जांच प्रचलित है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी किस-किस प्रकार अनियमितता प्रकाश में आयी है ? जांच कार्यवाही की प्रगति क्या है ?

श्री सुखदेव राजभर—

विकास खण्ड, हरिंग्टनगंज में सन् 1994-95 तथा 1995-96 में निःशुल्क बोरिंग तथा आई० आर० डी० योजनाओं में लाभार्थियों के चयन में गम्भीर अनियमितता की शिकायत श्रीमती इन्दुसेन, प्रमुख क्षेत्र पंचायत, हरिंग्टनगंज ने दिनांक 5-2-97 को की थी। इन्दिरा आवास व स्वच्छ शौचालय के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

उक्त शिकायत की जांच खण्ड विकास अधिकारी, हरिंग्टनगंज से कराई गई। जांच में कोई गम्भीर अनियमितता नहीं पाई गई।

जांच में कोई गम्भीर अनियमितता नहीं पाई गई।

जांच पूर्ण हो चुकी है।

169—श्री राम औतार शाक्य—

(तीसरे गुरु में अता० प्र० सं० 69 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

170—श्री राम औतार शाक्य—

(तीसरे शुक्रवार में अता० प्र० सं० 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

पेराई सत्र 1995-96 में बभनान चीनी मिल, जनपद गोण्डा के क्रय केन्द्रों पर घटतौली के मामले की शिकायत

171—श्री विश्वनाथ—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बभनान गन्ना मिल बभनान, जनपद गोण्डा के परिक्षेत्र में पेराई सीजन (1995-96) में कितने सेन्टरों पर घटतौली की चोरी के मामले पकड़े गये थे ? क्या शासन इस विषय पर कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

पेराई सत्र 1995-96 में बभनान, चीनी मिल जनपद गोण्डा के क्रय केन्द्रों पर घटतौली का कोई मामला नहीं पाया गया किन्तु अशुद्ध कांटे के चार मामले पकड़े गये। उक्त अनियमितता के लिये पांच मिल लिपिकों के लाइसेंस निलम्बित किये गये तथा तीन समिति लिपिकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी। उक्त मामलों में से दो अध्यासियों व लिपिकों की जमानतें जब्त की गयीं तथा दो अध्यासियों व लिपिकों के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया। दोनों वाद मा० न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम दखिन गाँव ब्लाक शाहगढ़ के प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना में की गयी गम्भीर अनियमितता की शिकायत

172—श्री तेजभान सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम दखिन गांव ब्लाक शाहगढ़, जनपद सुल्तानपुर के प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना में की गयी गम्भीर अनियमितताओं की शिकायत के सम्बन्ध में ग्राम दखिनगांव निवासी नरायन दुबे, बद्री प्रसाद, गया प्रसाद आदि के पत्र पर बी० डी० ओ० शाहगढ़ ने दिनांक 15 जनवरी, 97 को अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा प्रधान तथा ग्रामवासियों के समक्ष जांच कराई थी ? यदि हां, तो इस जांच के बिन्दु क्या थे तथा जांच में क्या-क्या अनियमिततायें पायी गयीं ? उस पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर—

शिकायती-पत्र श्री नरायन दुबे, बद्री प्रसाद के नाम से नहीं अपितु श्री त्रियुगी नारायण दुबे एवं गया प्रसाद आदि के नाम से प्राप्त हुआ। शिकायत की जांच अवर अभियन्ता (लघु सिंचाई) से प्रधान तथा ग्रामवासियों के समक्ष बी० डी० ओ०, शाहगढ़ द्वारा करायी गयी।

जाँच के निम्न बिन्दु थे :—

(1) नियमित रूप से ग्राम पंचायत की बैठक का न होना,

(2) धन आहरण के पश्चात कार्य न कराया जाना।

ग्राम पंचायत की बैठक में कृत कार्यवाही एवं प्रस्तावों के सापेक्ष कराये गये कार्य का मूल्यांकन होने पर मु० 24503 रुपये सरकारी धन का दुरुपयोग पाया गया।

प्रधान के विरुद्ध पंचायतराज अधिनियम के अन्तर्गत हटाने व धन वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहाँपुर भावल खेड़ा ब्लाक के रौजा रजबाहा में तथा शहाबाद रजबाहा में टेल तक पानी पहुँचाने की मांग

173—श्री सुरेश कुमार खन्ना—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर भावल खेड़ा ब्लाक के रौजा रजबाहा तथा शहाबाद रजबाहा में तथा इससे सम्बन्धित माइनरों में छोर तक पानी नहीं पहुंचा है ? क्या पिछले 5 वर्ष में एक बार भी पानी छोर तक नहीं पहुंचा है ? यहि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है तथा मंत्री जी उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में निर्मित उच्च स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्र उतरौला के भवन निर्माण एवं सम्बन्धित कर्मचारियों की नियुक्ति की जानकारी

174—श्री उवैदुर्रहमान—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में निर्मित उच्च स्तरीय स्वास्थ्य केन्द्र, उतरौला का निर्माण किस वर्ष कराया गया है ? क्या उसे स्वास्थ्य विभाग ने अधिग्रहीत कर लिया है ? अब वहां सभी कर्मचारियों की नियुक्ति न करने का कारण क्या है ?

श्री रमापति शास्त्री—

जी हां, उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र), उतरौला के भवन निर्माण की स्वीकृति वर्ष 1992-93 में प्रदान की गई। भवन निर्माणाधीन है।

जी नहीं।

उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उतरौला हेतु अभी पद स्वीकृत नहीं किये गये हैं।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र उतरौला में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 व 1996-97 में स्वीकृत धन तथा व्यय

175—श्री उवैदुर्रहमान—

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र उतरौला, जनपद गोण्डा में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड श्रीदत्त गंज, गड़ास बुजुर्ग, उतरौला में वर्ष 1995-96 व 1996-97 में किन-किन मार्गों पर कितना धन स्वीकृत हुआ था कितना धन व्यय हुआ ? क्या निर्माण कार्य पूरा हो गया ? क्या सरकार कार्य स्थल का निरीक्षण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा प्रसाद पुष्कर—

विधान सभा क्षेत्र, उतरौला के विकास खण्ड श्री दत्त गंज, गड़ास बुजुर्ग, उतरौला में वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत 13 सम्पर्क मार्गों पर कुल 74.52 लाख रु० स्वीकृत हुआ एवं 40.692 लाख रु० व्यय हुआ। विवरण संलग्न है।

5 निर्माण कार्य पूर्ण हैं। शेष 8 निर्माण कार्य प्रगति में चल रहे हैं।

समय-समय पर विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा कार्यस्थल का निरीक्षण किया जाता रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ . . 234. . . . पर)

जनपद बस्ती में प्रा० स्वा० केन्द्रों के लिये स्वीकृत वाहनों की आपूर्ति की जानकारी

176—श्री वेद प्रकाश—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में विभाग द्वारा प्रा० स्वा० केन्द्रों के लिये कितनी मारुति (एम्बुलेन्स) गाड़ियां आपूर्ति की गयी हैं ? इन गाड़ियों को वास्तविक आवंटित केन्द्रों पर कितने दिनों बाद भेजा गया ? जनपद मुख्यालय पर गाड़ियों को किस उद्देश्य से कितने दिनों तक रोका गया और किसके निर्देशन में कहा-कहां चलाई गयी ? विलम्ब से आवंटन का क्या कारण है ? अवैधानिक रूप से गाड़ियों का उपयोग करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

बारह।

इन गाड़ियों को वास्तविक आवंटित केन्द्रों पर वाहन प्राप्त होने की तिथि से न्यूनतम दो माह तथा अधिकतम एक वर्ष 3 माह के पश्चात् भेजा गया। दो वाहन वाहन चालकों के पद स्वीकृत न होने के कारण अभी भी जनपद मुख्यालय पर हैं।

जनपद मुख्यालय पर गाड़ियों को वाहन चालकों का अभाव, गाड़ियों का पंजीयन तथा कार्यक्रम संचालन में आवश्यकतानुसार उक्त अवधि में रोका गया तथा यह गाड़ियां मुख्य चिकित्साधिकारी के निर्देशन में विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों के उपयोग में लायी गयीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

177—श्री अजय भट्ट–

(2 रे शुक्र में अता० प्र० सं० 38 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद मैनपुरी में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 1996-97 में विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत धन से विकास के कार्यों को पूर्ण कराये जाने का मामला

178—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मैनपुरी में वित्तीय वर्ष 1996-97 में विभिन्न योजनाओं में कितने इंडिया मार्क-II हैण्ड पम्प लगवाये गये ? क्या यह सच है कि विधान सभा क्षेत्र भोगांव के विकास खण्ड सुल्तानगंज, बेवर, जागीर एवं किशनी में पीने के पानी का तल बहुत नीचे चला गया है और पानी की भारी परेशानी पैदा हो गयी है ? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1997-98 के प्रथम तीन माह में कितने हैण्ड पम्प लगाये जाने प्रस्तावित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जनपद मैनपुरी के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 1996-97 में विभिन्न योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्र में 886 हैण्ड पम्प एवं नगरीय क्षेत्र के 144 हैण्ड पम्प अर्थात् कुल 1030 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किये गये हैं।

विकास खण्ड सुल्तानगंज, बेवर, जागीर एवं किशनी के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का तल विगत वर्षों की अपेक्षा कुछ नीचे चला गया है, परन्तु पेयजल की समस्या नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र की जनता को इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प द्वारा पेयजल सुलभ कराया जा रहा है। अनन्तिम रूप से वर्ष 1997-98 के प्रथम तीन माह में विकास खण्ड सुल्तानगंज में 9, बेवर में 6, जागीर में 8 व किशनी में 10 इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लगाये जाने का लक्ष्य था।

राजकीय मुद्रणालय, रामपुर का निजीकरण

179—श्री अफरोज अली खां–

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार राजकीय रामपुर मुद्रणालय का निजीकरण करने जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार जनहित में इसे रोकने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

संसाधन जुटाने की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुये व्यय बचत आयोग की संस्तुतियों के आधार पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है।

जी नहीं।

व्यय बचत आयोग की उक्त संस्तुतियों के आधार पुनः विचार की आवश्यकता नहीं है।

नवसृजित जनपद महोबा में खनिज सम्पदा का वैध पट्टा

180—श्री अरिमर्दन सिंह–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवसृजित जनपद महोबा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक द्वारा वर्ष 1995-96 में खनिज सम्पदा का अवैध रूप से अपनी पत्नी और लड़के के नाम पहाड़ का पट्टा कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर पट्टा निरस्त करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खादी एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

जिला कार्यालय के अभिलेखों से यह विदित होता है कि श्रीमती रामरती पत्नी श्री रामसेवक, निवासी ग्राम सुजानपुरा, जनपद कानपुर देहात को ग्राम डहर्रा के भूखण्ड संख्या 339 में 4.00 एकड़ का खनन पट्टा दिनांक 31-12-95 स्वीकृत किया गया है । इसी प्रकार श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री राम सेवक, निवासी उपरोक्त को ग्राम डहर्रा के खसरा नं० 735 में 2.50 एकड़ एवं ग्राम डहर्रा के खसरा नं० 339 में 4.00 एकड़ का खनन पट्टा तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 30-12-95 को प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुये 10 वर्ष के लिये निर्गत किये गये हैं। उपरोक्त दोनों पट्टा धारकों द्वारा खनिज परिवहन हेतु प्रपत्र एम०एम०-II प्राप्त किये गये हैं जिसके अनुसार खनन प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी मानी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के टुण्डला विधान सभा क्षेत्र में पूर्व में स्वीकृत मार्गों के अधूरे कार्य को पूर्ण किये जाने की मांग

181—श्री शिव सिंह चक–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फिरोजाबाद के टुण्डला विधान सभा क्षेत्र में पूर्व में स्वीकृत मार्गों के कुछ कार्य अधूरे ही रह गये हैं ? यदि हां, तो ऐसे मार्ग कौन-कौन हैं ? क्या उक्त मार्गों को पूरा कराये जाने हेतु शासन कोई व्यवस्था करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां।

1—फिरोजाबाद जलेसर मार्ग से गोदई सम्पर्क मार्ग

2—चुलावली से देवी मन्दिर सम्पर्क मार्ग

3—नहरगडी से भूपाल सम्पर्क मार्ग

4—नगला डूमर से अफोगडी सम्पर्क मार्ग

5—मदनपुर से कुवेरगढ़ी सम्पर्क मार्ग
6—हिरनगांव धीरपुरा सम्पर्क मार्ग
7—चमन नगरिया चमोली बहोरनपुर सम्पर्क मार्ग

जी हां।

फिरोजाबाद से जलेसर मार्ग से गोदई सम्पर्क मार्ग में 1 कि०मी० लम्बाई में कार्य शेष है जिसे शीघ्र पूरा लिया जायेगा।

चुलावली से देवी मन्दिर सम्पर्क मार्ग के संबंध में मा० न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है। स्थगन आदेश समाप्त होने के उपरान्त अधूरा कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

नहरगडी से भूपाल सम्पर्क मार्ग, नगला डूमर से अफोगडी सम्पर्क मार्ग, मदनपुर से कुबेरगढ़ी सम्पर्क मार्ग को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फिरोजाबाद की दिनांक 12-7-97 को शासी निकाय की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप वित्तीय वर्ष 1997-98 में निर्मित कराये जायेंगे। हिरनगांव धीरपुरा सम्पर्क मार्ग को पूर्ण कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। आज की कार्य सूची में तारांकित प्रश्न संख्या-9 लगा है, पहले अधिवेशन में भी मैंने यह प्रश्न किया था, तब भी यह प्रश्न टाल दिया गया था और आज भी इसे तीसरे बुधवार को टाल दिया गया है। मैंने प्रश्न पूछा था—"क्या नियोजन मंत्री को जानकारी है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रदेश बजट का 40 प्रतिशत बजट कृषि को प्रदान किया गया है और यह प्रतिशत छठीं योजना में घटकर 30 प्रतिशत पर पहुंचा तथा सातवीं और आठवीं योजना में यह बजट घटते-घटते 21 प्रतिशत रह गया ? यदि हां, तो कृषि पर पूंजी निवेश को निरन्तर कम करने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि इसका परिणाम यह हुआ है कि प्रदेश की 72 प्रतिशत जनता गरीबी की ओर उन्मुख हुई ? इस विषय में सरकार कया उपाय कर रही है ? मान्यवर, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और पिछले सत्र में भी यह कहकर टाल दिया गया था कि फलां तारीख को उत्तर दे दिया जायेगा। इसलिये आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसे आप सोमवार या बुधवार को ले लें तो कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष—

माननीय वर्मा जी यह प्रश्न कल आ रहा है। तीसरे गुरूवार की कार्यसूची में यह है।

डा० सरजीत सिंह डंग—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कल सदन में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट आयी है। यह रिपोर्ट इस प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था, भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता और उदासीनता का आयना है अगर इसमें विधान सभा में विचार नहीं होगा तो कौन करेगा ? अतः मैं मांग करता हूं कि इसमें चर्चा के लिये कोई तिथि निर्धारित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आपकी सूचना कल आ गयी थी। मैं उस पर चर्चा के लिये कोई तिथि निर्धारित कर दूंगा।

श्री अमरमणि–

मान्यवर, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा एक प्रश्न है और मैंने इस प्रश्न को बार-बार उठाया है वह प्रदेश में तस्करी रोकने से संबंधित है लेकिन इसे गोपनीयता के आधार पर निरस्त कर दिया गया है। मैंने इसमें सवाल पूछा था . . .

श्री अध्यक्ष–

माननीय त्रिपाठी जी, आप इस संबंध में जो उत्तर आया है उसे लेकर मेरे कक्ष में मिल लीजियेगा।

श्री यशपाल सिंह चौहान–

मान्यवर, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा एक प्रश्न है तारांकित प्रश्न संख्या-2, जो कि धार्मिक भावना से जुड़ा है और मैं इस पर चर्चा की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अंध्यक्ष–

अब मैं नियम 301 की सूचनाएं ले रहा हूं।

आज दिनांक 30 जुलाई, 1997 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 41 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुये निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकर की गई :–

(श्री बाबू लाल का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे।)

जनपद फतेहपुर की ग्राम सभा खखरेरू में पेयजल समस्या निवान विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचंना

*श्री मुरलीधर–

(मा० अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 301 के अन्तर्गत आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र 282 किशुनपुर जनपद फतेहपुर के ग्राम खखरेरू जो एक बड़ी आबादी की ग्राम सभा है। जिसमें अधिकतर निवास करने वाले लोग अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक (मुस्लिम) हैं। खखरेरू ग्राम में एक सप्ताह में 2 दिन बाजार रहती है। एक इण्डर कालेज, कन्या पाठशाला, पोस्ट आफिस, पुलिस थाना इत्यादि सरकारी कार्यालय हैं। डामर रोड पर स्थित है लेकिन पेयजल की कोई उचित व्यवस्था नहीं है जिससे गर्मी के दिनों में पेयजल संकट गम्भीर हो जाता है। बाजार का गांव होने से बस स्टाप में भारी संख्या में लोग जरूरत का सामान क्रय करने आते हैं।

अस्तु मैं सरकार से बहुत नम्र शब्दों में मांग करता हूं कि कस्बा खखरेरू की जनता को पेयजल संकट से बचाने हेतु जनहित में जल निगम द्वारा एक पानी टंकी का निर्माण कराना सुनिश्चित किया जाय जिससे पेयजल सुविधा के साथ-साथ क्षेत्र का विकास सम्भव हो सके।)

जिला टिहरी गढ़वाल के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रामक रोग की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने विषयक 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लाखीराम जोशी–

(महोदय, जिला टिहरी गढ़वाल के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में उल्टी दस्त की बीमारी से अब तक 10 से अधिक बीमार मृत्यु का ग्रास बन चुके हैं ग्राम कैच्छू (कमान्द) में श्रीमती भूर्ता देवी पत्नी श्री चतर सिंह

पप

नोट–(   ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उम्र 30 वर्ष एवं श्रीमती पाति देवी पत्नी श्री कामानन्द उम्र 58 वर्ष को इस बीमारी से मृत्यु हो चुकी है स्वास्थ्य विभाग अथवा जिला प्रशासन की ओर से प्रभावित गांवों में हजारों बीमार ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी है यहां तब कि प्रभावित गांवों में टीकाकरण भी नहीं कराया जा रहा है। सैकड़ों बीमार व्यक्ति विभिन्न निजी चिकित्सालयों में इलाज करवा रहे हैं और मौत से जूझ रहे हैं, यदि इस संक्रामक रोग को रोकने हेतु सरकार द्वारा प्रभावी कार्यवाही न की गयी तो सैकड़ों बीमार व्यक्तियों को मौत का ग्रास बनने से नहीं रोका जा सकता है। अब तक हुई मौत के जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग को सहायता प्रदान करने के निर्देश करने का कष्ट करें। लापरवाह अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिये।

अतः इस गम्भीर जन महत्व के औचित्य के प्रश्न को स्वीकार कर प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य सेवायें तत्काल उपलब्ध कराने हेतु शासन को निर्देश करने का कष्ट करें तथा मृत व्यक्तियों के आश्रितों को एक-एक लाख रुपये तथा बीमार व्यक्तियों को पचास-पचास हजार रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश करने का कष्ट करें।)

सीतापुर के बेहटा क्षेत्र में बाढ़ एवं नदियों के कटान की समस्या का निदान करने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र कुमार–

(मान्यवर, आपका ध्यान जनपद सीतापुर के अपने निर्वाचन क्षेत्र बेहटा की निम्न समस्याओं की ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा–

(1) यह क्षेत्र शारदा, घाघरा के वासी चौका आदि नदियों से घिरा होने के कारण गांजरी क्षेत्र कहा जाता है यह जनपद ही नहीं वरन् प्रदेश में विकास की दृष्टिकोण से सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र की सीमान्त जनपद लखीमपुर व बहराइच से मिलती है। प्रति वर्ष बाढ़ व नदियों के कटान से हजारों एकड़ भूमि नदी में बह जाती हैं। हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। शासन का ध्यान अभी तक इस तरफ नहीं गया है जिससे वहां पर बांध बनाकर शैलाब को रोक सकें। चहलारी घाट पर पुल के लिये कई बार शिलान्यास किये गये परन्तु पुल की योजना अभी तक कार्यरूप में नहीं परिणित हो पाई है जिसके कारण 30 कि०मी० की दूरी 300 कि०मी० में तय करनी पड़ती है।

अस्तु जनहित को ध्यान में रखते हुये लोक महत्व के सुनिश्चित प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये कार्यवाही की अपेक्षा में यह सूचना सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं।)

फैजाबाद के मोहल्ला सिविल लाइन में अतिक्रमण हटाओ अभियान से प्रभावित लोगों की क्षतिपूर्ति की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मित्रसेन यादव–

(महोदय, दिनांक 31 मई, प्रातः 5.00 बजे ही जनपद फैजाबाद मोहल्ला सिविल लाइन, स्टेशन रोड, शहीद अशफाक उल्ला चौराहे से लेकर रेलवे स्टेशन तक सड़क के दोनों तरफ विगत दसियों वर्षों से उद्यमियों, कारीगरों, कारोबारी दुकानदारों की सैकड़ों दुकानों को बगैर किसी नोटिस, पूर्व सूचना एवं प्रसारण के ही जिला प्रशासन एवं पुलिस बल की मौजूदगी में दुकानों को तोड़ा गया, लूटा गया एवं आग लगाकर फूंक दिया गया तथा बचे हुए सामान को क्षतिग्रस्त कर बेकार कर दिया गया किन्हीं-किन्हीं दुकानों में आग भी लगायी गयी इस प्रकार नौकरशाही की और तानाशाही की दूसरी मिसाल क्या हो सकती है। ? दुकानदारों को सुबह अपनी दुकानों की इस प्रकार तोड़फोड़ और लूटपाट को देखकर

नोट :–( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कोहराम मच गया दुकानदारों में ज्यादातर अल्पसंख्यक, गरीब, पिछड़े एवं कमजोर वर्ग के लोग रहे हैं जे बेसहारा हो गये हैं तथा बच्चे एवं परिवार के लोग दाने-दाने को मोहताज हो गये हैं। इस प्रकार अतिक्रमण हटाओं और सौन्दर्यीकरण अभियान से प्रभावित जनता में गहरा असन्तोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

हमारी सदन के माध्यम से आपसे मांग है कि बर्बाद दुकानदारों की दुकान एवं कारोबार के लिये जगह दिया जाये और क्षतिग्रस्त लोगों की क्षतिपूर्ति की जाये। इस प्रकार की घटना करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध समयबद्ध जांच सुनिश्चित कराई जाये।)

आंग्ल भारतीय अल्प संख्यक समुदाय द्वारा संचालित कतिपय स्कूलों में सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पीटर फैन्थम–

(मैं आप के संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय ला रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि इसे कृपया सदन के संज्ञान में लाये जाने हेतु अनुमति प्रदान करें। जीजस एण्ड मेरी स्कूल बलरामपुर तथा मेरी लूकस स्कूल इलाहाबाद आंग्ल भारतीय अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाया जा रहा है। आई० सी० एस० ई० तथा आई० एस० सी० कोर्सों के अन्तर्गत यह संस्थाएं अपनी मातृ-भाषा के माध्यम से स्कूल चला रही हैं।

यह संस्थाएं मान्यता हेतु सरकार के पास अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए काफी दिनों से प्रयासरत हैं परन्तु सरकार द्वारा अभी तक अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया जिससे हजारों विद्यार्थियों का भविष्य अन्धेरे में और हजारों अभिभावकों के लिये यह गम्भीर चिन्ता का विषय बन गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 (1), 30 (1) में अन्तर्निहित प्राविधानों के विपरीत शासन कार्यवाही कर रहा है।

अतः आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में इस महत्वपूर्ण विषय को लाना चाहता हूँ जो जीजस एण्ड मेरी स्कूल, बलरामपुर तथा मेरी लूकस स्कूल, इलाहाबाद को मात्र प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में है। कृपया अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।)

समाज कल्याण विभाग व जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में एल० टी० ग्रेड अध्यापकों को समता समिति द्वारा अनुमन्य सलेक्शन ग्रेड एवं प्रोन्नति वेतनमान देने की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुन्ना चौहान–

(महोदय, उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग व जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में एल० टी० ग्रेड को अध्यापकों को वेतन आयोग के समता समिति द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों के समतुल्य सेलेक्शन ग्रेड व प्रोन्नति वेतनमान किये जाने की संस्तुति थी परन्तु अभी तक सरकार ने समान कार्य के लिये समान वेतन के मौलिक अधिकार देने की कार्यवाही शासन ने नहीं की है। सर्वविदित है कि जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित विद्यालय बेहद ठंडे पहाड़ी इलाकों में जंगलों के समीप जनजाति इलाकों के संचालित हो रहे हैं। ज्यादा प्रोत्साहन राशि अध्यापकों को देने की जरूरत है। अध्यापकों ने आन्दोलन करने की चेतावनी दी है। विषय अविलम्बनीय एवं निश्चित लोक महत्व का है। अतः चर्चा करायी जाये।)

नोट–(.) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(श्री राम लखन, सदस्य विधान सभा का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्री अध्यक्ष–

निम्नलिखित दो सूचनायें मैं प्रतीक्षा सूची से ले रहा हूं।

गोण्डा के ग्राम सभा अम्बरपुर में अपात्रों का पट्टा निरस्त कर पात्र लोगों को पट्टा दिलाये जाने की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम विशुन आजाद–

(महोदय, आपको अवगत कराना है कि जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के ग्राम सभा अम्बरपुर में 156 एकड़ सीलिंग भूमि का आवंटन राजस्व विभाग के उच्चाधिकारियों के द्वारा जानबूझकर भूमिहीन खेतिहर मजदूरों और पात्र व्यक्तियों को पट्टा न देकर अपात्र एवं बाहरी और एक ही परिवार के कई सदस्यों को पट्टा देकर घोर अनियमितता की गयी हैं। अपात्र व्यक्तियों को पट्टा देने के संबंध में संबंधित ग्राम सभा के प्रधान एवं पूर्व विधायक श्री छेदी लाल ने शिकायती-पत्र दिनांक 17-7-95 एवं 27-6-95 को जिलाधिकारी महोदय को दिया था। जिलाधिकारी महोदय ने अपने पत्रांक संख्या 2325/अ०जी०. दिनांक 17-7-95 को जांच एवं पट्टा निरस्त करने के संबंध में आदेश दिये थे, परन्तु अभी तक अधिकारियों की मिलीभगत से निष्पक्ष जांच न होने के कारण समस्या ज्यों कि त्यों बनी हुई हैं। पट्टा की जांच एवं निरस्त करने के संबंध में मेरे द्वारा भी संबंधित राजस्व अधिकारियों के मौखिक एवं लिखित अब तक कई पत्रों के माध्यम से शासन एवं प्रशासन को अवगत कराया गया। लेकिन यह भी विदित है कि मौके पर भौतिक सत्यापन न करके घर बैठे ही मात्र 14 पट्टेदार को कोई निरस्त करने की कार्यवाही की गयी हैं, जब कि बहुतया ऐसे पट्टेदार हैं जिनके एक ही परिवार के कई सदस्यों को पट्टा दिया गया है, अधिकारियों द्वारा जानबूझकर अपने निहित स्वार्थ में बचाने की साजिश की जा रही है। मैंने इस संबंध में निष्पक्ष जांच हेतु एक पत्र दिनांक 14-7-97 अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भी दिया था, जिससे वस्तुस्थिति सामने आ जाये और जो सरकार की मंशा है पात्र व्यक्तियों एवं भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को पट्टा मिल सके। जिन अधिकारियों द्वारा लापरवाही की गयी है उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जानी चाहिये।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन में रखते हुये निष्पक्ष जांच कराने, पट्टा निरस्त करके दलितों एवं भूमिहीनों को पट्टा आवंटित करने की मांग करता हूं।)

श्री अध्यक्ष–

निम्नलिखित मा० सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं। श्री पूर्णमासी पंकज, श्री नन्दराम, श्री जगदीश नारायण, श्री विनोदमणि, श्री शिशुपाल सिंह यादव, श्री राजेन्द्र सिंह, श्री यशपाल सिंह चौहान, श्री दीपलाल भारतीय, श्री हरवंश कपूर, श्री हरिनारायण, श्री हरीशचन्द्र "हरीश जी", श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री सुखपाल पाण्डेय, श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि, श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री राम कृपाल एवं श्री राम स्वरूप सिंह, श्री धर्मज्ञ मिश्र, श्रीमती कृष्णा राज, डा० गंगा बक्श सिंह, श्री अमरमणि त्रिपाठी, श्री समरपाल सिंह, श्री चेतराम, श्री रंगनाथ मिश्र, चौ० रवीन्द्र प्रताप, श्री मुन्ना लाल मौर्य, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री भारत सिंह रावत, कैलाश यादव, श्री चन्द्रनाथ सिंह, डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"।

नोट :–( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रश्नों के उत्तर तथा बजट साहित्य शासन द्वारा समय से उपलब्ध न कराये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत 4 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। उनमें पहली सूचना माननीय राम औतार शाक्य की है। आप अपनी बात एक मिनट में समाप्त करें।

*श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली और माननीय अध्यक्ष पीठ मे दिये गये निर्देश में भी प्रश्नों के उत्तर समय से देने के संबंध में स्पष्ट निर्देश है नियमावली के नियम 40(1) में यह व्यवस्था की गयी है प्रश्नों की लिखित सूचना एक दिन पूर्व उपलब्ध करा दी जाय और विधान सभा सचिवालय में 48 घंटे पूर्व उत्तर अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिये। तो मैं कहना चाहता हूं कि दिनों दिन माननीय अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देशों और जो नियमावली में व्यवस्था है उनका पालन नहीं किया जा रहा है और विधान सभा का जो मापदण्ड है, विधान सभा का जो मूल्य है वह बराबर गिरता जा रहा है। सरकार के संबंधित विभाग अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिये जानबूझकर प्रश्नों का उत्तर समय से नहीं देते हैं। बहुत से तर्कसंगत सवाल होते हैं जिनमें विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी बनती है उन सबसे बचने के लिये अनावश्यक विलम्ब करते हैं। इसलिये जानबूझकर प्रश्नों के उत्तर विधान सभा सचिवालय में समय से नहीं देते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि विधायकों का जो मूल अधिकार है जो उनके द्वारा यहां प्रश्न किये जाते हैं उनका उत्तर एक दिन पहले नहीं मिलता है। उस दिन जिस दिन के लिये सवाल नियत है उस दिन प्रातः या रात में उत्तर मिलता है तो माननीय विधायक अनुपूरक प्रश्नों के लिये तैयारी नहीं कर पाते हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं नये सदस्य जो पहली बार चुनकर आये हैं उनके पास जब तक पहले से विषय-वस्तु नहीं होगी वह तैयारी नहीं कर पाते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गयी।

श्री राम औतार शाक्य–

इस तरह की सूचना 48 घंटे पूर्व विधान सभा सचिवालय में जानी चाहिये जैसा कि अभी माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी ने कहा जानबूझकर जिम्मेदारी से बचने के लिये उत्तर नहीं आते हैं। इसलिये मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि नियमावली के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाय।

*श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, कल हीरक जयंती की गोष्ठी में भाग लेने के बाद जब मैं 10 बजे रात घर गया तो उस समय तक शिक्षा विभाग साहित्य उपलब्ध नहीं हुआ था, आज शिक्षा विभाग का बजट है अभी तक साहित्य नहीं मिला है मैंने अपने यहां संसदीय अनुभाग से जानकारी की थी वहां भी यह साहित्य उपलब्ध नहीं हुआ है। मैंने अपने पीजन होल में भी देखा उसमें भी नहीं मिला। शिक्षा विभाग का बजट अभी प्रस्तुत होने वाला है उसका साहित्य अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री रघुवर दयाल–

मान्यवर, माननीय शाक्य जी ने जो प्रश्न उपस्थित किया है वह बहुत खेदजनक है। प्रश्नों का उत्तर 48 घंटे पूर्व मिलना चाहिये ताकि हम उसके अनुपूरक प्रश्नों की तैयारी कर सकें। इसलिये आप शासन के यह आदेश निर्गत करें कि समय पर प्रश्नों के उत्तर की प्रतियां उपलब्ध करायी जायं। अभी पीजन होल्स में मैंने देखा शिक्षा विभाग के बजट की प्रतियां उपलब्ध नहीं हैं और आज बजट प्रस्तुत हो रहा है। चूंकि बजट पर बहस में भाग लेना है और शासन का ध्यान महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर इंगित करना है पर बजट साहित्य न मिलने से हमको कठिनाई हो रही है। आप निर्देश दें कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही न हो।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, माननीय राम औतार शाक्य जी ने जो कहा है, सरकार की यह पूरी कोशिश रहती है कि जो निर्देश आपकी पीठ से दिये गये हैं या नियमावली में जो व्यवस्था है उसका पालन किया जाय। प्रश्नों के उत्तर 48 घंटे पहले पहुंच जायं, अधिकांश पहुंच भी आते हैं, अगर कहीं किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच सके हैं तो मैं इसको दिखवा लूंगा और इसको सुनिश्चित करूंगा कि जो नियमावली में व्यवस्था है, उस नियम का अनुपालन हो। अगर कहीं ढील नजर आती है, लापरवाही नजर आती है तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जायगी। मान्यवर, बजट साहित्य के बारे में मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आज जो त्रुटि हुई है, माननीय सदस्य ने जो इंगित किया है उसके प्रति मुझे खेद है। आगे मैं सुनिश्चित करूंगा कि नियमानुसार समय पर बजट साहित्य मिल जाय ताकि माननीय सदस्यों को तैयारी करने का पूरा समय मिल सके।

*श्री रामतेज यादव–

मान्यवर, इस समय भी बजट साहित्य उपलब्ध नहीं है।

श्री बी० आर० वर्मा–

इसको मैं दिखवाऊंगा।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, शिक्षा का बजट प्रस्तुत हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री जी की जिम्मेदारी है कि वह देखें कि बजट साहित्य वितरित हुआ है या नहीं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि या तो साहित्य मंत्रियों के यहां से आ गया है और यहां आने के बाद रखा नहीं गया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, साहित्य यहां आया नहीं है। जिसने इसमें ढिलाई या कोताही बरती है माननीय संसदीय कार्य मंत्री उसके खिलाफ कार्यवाही करें। मान्यवर, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शाक्य जी ने, माननीय जगदम्बिका पाल जी ने जो प्रश्न उठाया है वह महत्वपूर्ण है। अभी मेरे सचिवालय की जो जानकारी है शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग प्राविधिक शिक्षा, शिक्षा विभाग प्रौढ़ शिक्षा और शिक्षा विभाग राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से सम्बन्धित बजट साहित्य प्राप्त नहीं हुआ है। यह भी देखा गया है कि जो प्रश्न आते हैं वह 9 या 10 बजे रात को प्राप्त होते हैं जबकि उनको 1 दिन पूर्व या 48 घंटे पूर्व प्राप्त होना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जो प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या 40 (1) में जो .....

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैंने पहले ही शिरोधार्य कर लिया।

(समय 12 बजकर 45 मिनट)

श्री अध्यक्ष–

कृपया इसे सुनिश्चित कर लें और इसे मेरी ओर से निर्देश मानें या जो कुछ भी समझें। सभी मंत्रियों को एक परिपत्र जारी करने का बजट करें कि नियमों का परिपालन हो। उत्तर के लिये जो निर्धारित समय है उसमें आ जाय। आज के लिये तो आपने कह दिया कि खेद है बजट साहित्य नहीं उपलब्ध हो सका। लेकिन आगे के लिये इसको सुनिश्चित करा लें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

श्रीमन्, चूंकि बजट साहित्य उपलब्ध नहीं हुआ उस पर हमें कुछ अध्ययन करने का मौका नहीं मिला है इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आज इस पर चर्चा स्थगित करा लें। आपकी पीठ से निर्देश हो गया और साहित्य उपलब्ध नहीं है इसलिये इसे दूसरे दिन तय कर लें। यह जो लापरवाही बरती गयी है उसकी सजा का एक ही विकल्प है कि आज यह प्रस्तुत नहीं होना चाहिये। यह गम्भीर मसला है इसलिये आपसे निवेदन है कि इसको स्थगित करने की कृपा करें।

*श्री जगदम्बिका पाल–

केवल उच्च शिक्षा का बजट साहित्य मिला है। आपने स्वयं मान लिया। माननीय सदस्य बजट साहित्य न उपलब्ध होने के कारण शासन की क्या उपलब्धियां हैं, कमियां हैं, खामियां हैं नहीं जान सकते और उस पर कोई अपने विचार या सुझाव या उसकी आलोचना कैसे करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

जो साहित्य उपलब्ध हो गया है उसी से शुरू कर लेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, संसदीय क्षेत्र में पहली बार यह हो रहा है जब कुछ घंटों बाद बजट प्रस्तुत होना है और बजट साहित्य उपलब्ध नहीं कराया गया। इस तरह से सरकार बजट प्रस्तुत कर रही है।

हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद तक कांवरियों के कारण व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना श्री अम्बरीष कुमार, श्री रामसिंह सैनी, श्री संजय सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री मुन्ना चौहान, श्री समरपाल सिंह और श्री रामतेज यादव एडवोकेट और की हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद तक कांवरियों के कारण व्याप्त आतंक के संबंध में है। प्रथम दृष्टया यह 300 में नहीं आता है।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, आज जो सूचना मैंने नियम 300 के अन्तर्गत आपके सामने रखी है उस पर आपके माध्यम से शासन को यह बताना चाहता हूं कि हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद तक लाखों नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। मैंने आज जो सूचना दी है उसमें लिखा है कि संविधान के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुच्छेद-19 (घ) के अनुसार भारत के किसी भी हिस्से पर स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करने का अधिकार प्राप्त है लेकिन जब से कांवरिया मेला लगा है 15 लाख कांवरिया हरिद्वार से गंगा जल लेकर जा रहे हैं जिससे हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक का मार्ग अवरुद्ध है। उन कांवरियों के वेश में 1/2 प्रतिशत 2-3 हजार असामाजिक तत्व आ गये हैं उनसे हमारी माताओं और बहनों का जो सम्मान है, खतरे में पड़ गया है। शनिवार को मैं वहां गया था संविधान के द्वारा व्यक्ति की गरिमा की वृद्धि करने का काम करेंगे ऐसा आश्वासन जो देश के लोगों को दिया है वह पूरा नहीं हो रहा है। हर की पैड़ी में जो जनाना घाट है उसमें यह असामाजिक तत्व चले गये और माताओं-बहनों का शील भंग करने का प्रयास किया गया। जब वहां की गंगा सभा को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने जनाना घाट बन्द कर दिया। हर की पैड़ी में पुलिस मूकदर्शन बनकर देखती रही। मान्यवर, वहां पर लोगों का जीवन आतंक और परेशानी में है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि संविधान के 19वें अनुच्छेद घ के अन्तर्गत जो हमारा अधिकार है स्वतंत्र घूमने का, स्वतंत्र विचरण करने का उसमें अवरोध उत्पन्न हो रहा है। इसी के साथ-साथ यह भी बताना चाहूंगा कि पुलिस की व्यवस्था भी उचित नहीं है। कांवरियों के रूप में असामाजिक तत्व आ जाते हैं उनसे लोग आतंकित और भयाक्रान्त हैं। हरिद्वार में विश्व के सारे लोग जाते हैं वहां गन्दगी का साम्राज्य है जिस तरह से गन्दगी हो रही है उससे संक्रामक रोग फैलने की पूरी सम्भावनायें बन गई हैं।

श्री अध्यक्ष–

पूरी बात आ गई है।

श्री अम्बरीष कुमार–

वहां पर सरकार के द्वारा रोडवेज की बसें चलाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यह जो कांवरिया हैं यह यात्रियों की आरक्षित सीटों पर सफर करते हैं जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामाना करना पड़ रहा है। यह मेरा औचित्य का प्रश्न है।

*श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, संविधान में नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वह भारत में निर्विरोध रूप से कहीं भी आ जा सकता है। कोई भी नागरिक अपने धर्म के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान कर सकता है। अभी अम्बरीष जी ने बताया कि 15 लाख कांवरिया हैं लेकिन मेरी सूचना है कि 18-19 लाख कांवरिया विश्वनाथ जी का पुराना और प्राचीन मंदिर है उस पर जलाभिषेक करते हैं उनके जाने-आने में कोई बाधा नहीं है। उनके आने-जाने में कोई बाधा न हो इसके देखना सरकार का काम है। मेरठ गाजियाबाद से वह पैदल जाते हैं। छाले पड़ जाते हैं तो उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है और यह भी देखा जाता है कि किसी नागरिक के आवागमन में बाधा न आये। यह सब सरकार को देखना है मान्यवर, तीन जिलों में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। हरिद्वार से वह मेरठ और मुजफ्फरनगर जायेंगे। अगर कोई जरूरत है, कोई आवश्यकता है, कोई बीमार हो सकता है तो उसे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, मवाना होकर जाना पड़ता है। नागरिकों के अधिकारों में खलल हो रही है वह हरिद्वार से आते हैं तो उनके आने-जाने की पटरियों पर व्यवस्था कर दी जाये ताकि नागरिकों को आने-जाने की पटरियों पर व्यवस्था कर दी जाये ताकि नागरिकों को आने-जाने में कोई असुविधा न हो। दूसरी बात मान्यवर, कहना चाहूंगा कि बसों की व्यवस्था वहां करा दें जो बस से जल लेकर जाना चाहें वह बस से चले जायें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें।

श्री समरपाल सिंह–

मैं औचित्य के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं। सरकार वहां पर बसों की व्यवस्था करा दे।

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना कैसे नियम 300 में आयेगी ?

श्री राम सिंह सैनी–

मैं भी विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मान्यवर, 22 तारीख से पूरा हाईवे बन्द है हजारों किसान सब्ज़ी इत्यादि की फसल को लेकर दिल्ली जाते हैं पिछले साल श्रीमन्, 10 कांवरिया मर गये रुड़की शहर में जाते हैं अशलील हरकतें करते हैं जो अल्पसंख्यकों की मजारें हैं उसके तोड़ने का प्रयास करते हैं पहले एक-दो लाख आते थे अब ज्यादा तादाद में कांवरिया आते हैं इस तरह की मान्यवर, अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई है हम लोगों को लकस्र से होकर गुजरना पड़ता है। पिछले साल इन्होंने हल्ला बोल दिया था रुड़की के दो तीन नागरिक मर गये थे। मान्यवर, इन कांवरियों ने बहुत आतंक मचा रखा है एक कांवरिया की जेब कट गई उसको दस हजार रुपया इकट्ठा करके पुलिस वालों ने दिया, इन लोगों की वजह से जनजीवन अस्तव्यस्त है। यह जनहित और अविलम्बनीय लोकमहत्व का मामला है। मेरा स्पष्ट मत है कि गंगा नहर के दोनों ओर की पटरियां पक्की कराई जायें, उनको डायवर्ज न कराया जाये आप इस प्रश्न को स्वीकार करें व इस पर चर्चा कराने की अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना पर मैंने श्री अम्बरीष कुमार, श्री राम सिंह सैनी व श्री समरपाल सिंह को सुना यह सूचना औचित्य के प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड साऊ घाट, बनकटी और बस्ती सदर को पूर्वांचल विकास खण्ड निधि से सड़कों के निर्माण हेतु स्वीकृत धन रोके जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

तीसरी सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, श्री सतीश शर्मा, श्री समर पाल सिंह, श्री अखिलेश कुमार सिंह, श्री सुबाष श्रीवास्तव, श्री वीरेन्द्र सिंह की है।

*श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से ऐसे विषय पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं जो माननीय सदस्यों के अधिकारों से संबंधित है। इस सम्मानित सदन के सदस्यों को अपने दायित्वों के निर्वहन में आपका संरक्षण मिलता है। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 3(ग) के अन्तर्गत सदन का जो तात्पर्य होता है वह विधान सभा से होता है और सदस्य का तात्पर्य सभा के सदस्य से है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 177 के प्रयोजन के हिसाब से उसमें मंत्री तथा राज्य के महाधिवक्ता होंगे। माननीय मंत्रीगण भी इस सम्मानित सदन के सदस्यगण होते हैं और माननीय विधान सभा के सदस्यों से मतदाताओं की अपेक्षायें होती हैं, कि वह अपने क्षेत्र का विकास व क्षेत्र की प्रगति के लिये अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। सदन में क्षेत्र की समस्याओं को मुखर करके उन समस्याओं के समाधान के लिये शासनादेश के माध्यम से, जी० ओ० के माध्यम से वित्तीय स्वीकृतियां प्राप्त करे।

(इस समय 1 बजे अधिष्ठाता श्री सूर्य प्रताप शाही पीठासीन हुये।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं पिछले दिनों 12 सितम्बर, 1996 को शासनादेश संख्या 2044 नियोजन सचिव के द्वारा पूर्वांचल विकास निधि से बस्ती के वनकटी साऊ घाट बस्ती को विकास निधि से धन की स्वीकृति हुई थी। वित्त विभाग ने उसमें सहमति दी थी और शासनादेश से धन बस्ती के जिलाधिकारी के खाते में चला गया था। वह धन आज भी पी०एल०ए० में पड़ा हुआ है। आज तक उस पर निर्देश नहीं दिये गये। सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन सरकारों के कार्यक्रम चलते रहते हैं। अगर किसी सदस्य के क्षेत्र के किसी स्कूल के लिये, अस्पताल के लिये, सड़कों के लिये, सम्पर्क मार्गों के लिये शासनादेश के द्वारा धन की स्वीकृति होती है तो क्या सरकार बदलने के बाद उस शासनादेश को निरस्त कर दिया जायेगा या रोक लगा दी जायेगी? यह किसी शासन की नीति नहीं है। अगर राजनीतिक कारणों से किसी सदस्य के क्षेत्र के लिये आवंटित पैसों पर रोक लगा दी जायेगी तो यह उचित नहीं होगा। आप इस पर सरंक्षण दें। जो पैसा स्वीकृत हो चुका है उससे विकास का कार्य न रोका जाये उससे विकास का कार्य किया जाये इससे ज्यादा औचित्य का प्रश्न और कोई नहीं बनता।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

क्या आप भी इस संबंध में कुछ कहना चाहते हैं?

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव—

जी हां।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)—

मान्यवर, औचित्य के प्रश्न पर एक ही सदस्य को सुना जा सकता है इस संबध में आपकी पीठ से वर्ष 1985—89 के संलकन में दिये गये निर्णय को मैं पढ़ना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव जी को बुला लिया है इसलिये उनको कह लेने दें।

(व्यवधान)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव—

माननीय, अधिष्ठाता महोदय, अभी नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न की सूचना के संबंध में श्री जगदम्बिका पाल ने बताया कि बस्ती जिले के विकास खण्ड साऊघाट, बनकटी और बस्ती सदर में पूर्वांचल विकास निधि से सड़कों के निर्माण की स्वीकृति जिलाधिकारी बस्ती को दिनांक 12 सितम्बर, 1996 को शासनादेश संख्या 2044/35—5-96-8/15/94—101 के अन्तर्गत नियोजन सचिव द्वारा बस्ती को प्रेषित किया था। उक्त शासनादेश के तहत बस्ती जिलाधिकारी के खाते में सड़कों के निर्माण के लिये 30 लाख रुपए भी निर्गत हुये थे। वित्त विभाग ने भी उस पर अपनी सहमति दे दिया। लेकिन बाद में नियोजन विभाग के विशेष सचिव ने उस निर्माण कार्य को रुकवाने का बस्ती के जिलाधिकारी को आदेश भेजा। मान्यवर, इस सदन के माननीय सदस्यों को जो अधिकार प्राप्त है उस अधिकार पर इस निर्णय ने उक्त विशेष सचिव ने आघात किया है। इसलिये यह औचित्य का प्रश्न बनता है और आप से निवेदन है कि आप सम्मानित सदस्यों के अधिकारों को सरंक्षण प्रदान करें और इस औचित्य के प्रश्न को ग्राह्य करें।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, यहां पीठ के सामने सदन की कार्यवाही चल रही है और एक माननीय सदस्य पीठ की तरफ पीठ करके खड़े हैं इस पर जब इधर से व्यवस्था उठायी गयी तो सत्ता पक्ष के एक सम्मानित सदस्य ने यह कहा कि इधर काम चल रहा है उधर अपना काम करिये। माननीय अधिष्ठाता जी, इधर कौन सा कार्य चल रहा है और इधर कौन सा काम होगा इस पर कोई निर्णय करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी, इस समय सदन व्यवस्थित है। राजस्व राज्य मंत्री जी अस्वस्थ थे इसलिये उनका हाल चाल जानने के लिये कुछ सदस्य पहुंच गये थे इसलिये यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, यह जो पीठ से दिये गये निर्णयों का 1985—89 तक का संकलन है, उसके पृष्ठ संख्या 194 के क्रम संख्या 495 की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें यह व्यवस्था दी गयी है कि "औचित्य के प्रश्न पर एक ही सदस्य को सुना जा सकता है, सबको नहीं।" यह तो एक नई परिपाटी बन रही है जिस तरह से अन्य नियमों में कई-कई माननीय सदस्य हस्ताक्षर करते हैं और कई-कई माननीय सदस्यों को सुना जाता है। यह जो आपकी पीठ से निर्देश हुये हैं उसका अनुपालन होना चाहिये और एक नोटिस पर एक ही माननीय सदस्य को सुना जाये ताकि समय बचे और माननीय सदस्यों को अन्य विषय उठाने का समुचित अवसर मिलेगा।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने कह दिया है कि यह दृष्टांत नहीं होगा और आगे जो व्यवस्था दी गयी है उसका अनुपालन होगा।

श्री बी० आर० वर्मा–

जहां तक नियम 300 का सवाल है, यह जो प्रकरण उठाया गया है, इसमें न तो संविधान के किसी अनुच्छेद या नियमावली का कौन सा नियम है, जिससे सदन की कार्यवाही विनियमित हो रही है, यह सदन की कार्यवाही से कहां संबंधित है इसलिये यह नियम 300 में नहीं आती है। जहां तक पूर्वांचल विकास निधि का सवाल है। पूर्वांचल विकास निधि के मामले में मान्यवर, उसकी जो नियमावली है, उसमें जिलाधिकारी, माननीय सांसद और विधायक की राय से बराबर-बराबर हर विधान सभा क्षेत्रवार योजनायें चयनित की जाती हैं ताकि क्षेत्रीय असंतुलन न हो। सभी माननीय सदस्यों की राय से पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत योजनाओं को लिया जाता है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

*श्री अवधेश प्रसाद–

माननीय अधिष्ठाता जी, यह सरकार गलत बयानी कर रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं वह जवाब सही नहीं है। यह पूर्वांचल विकास निधि इसलिये बनायी गयी थी कि विधायकों के पास इसके अलावा कोई निधि नहीं है। आपने कहा है कि सांसद की राय भी ली जाती है, सांसद को तो एक करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च करने के लिये मिलता है जबकि विधायकों को एक पैसा नहीं मिलता है।

(इस समय 1 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

पूर्वांचल निधि इसीलिये बनायी गयी थी कि जिससे पूर्वांचल के जो विधायक हैं अगर उनके क्षेत्र में विषमता हो तो उस पर खर्च करें। जो उत्तर माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी दे रहे हैं उसके बाद सांसद भी इसमें हिस्सा लेने लगेंगे कृपया यह बात न कहिये, स्पष्ट उत्तर दीजिये। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि माननीय सांसदों का एक करोड़ रुपये का कोटा पहले से है इसलिये उन्हें पूर्वांचल विकास निधि में कोई कोटा देने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात कि जो विधान परिषद् के सदस्य हैं, उनकी सीधे-सीधे जनता से कोई जिम्मेवारी नहीं है। विधायक को तो बहुत कम पैसा मिलता है, इसलिये पूर्वांचल विकास निधि का पैसा जहां विधायक चाहें, अपनी मर्जी से खर्च करें, इसका कोई शासनादेश नहीं होना चाहिये, जैसा पूर्व में था, उसी तरह से विधायक के पास पैसा रहना चाहिये।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आप विज्ञ हैं कि नियम 300 में कोई स्पष्टीकरण नहीं पूछा जा सकता। औचित्य के प्रश्न में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। कई बार इस प्रकार की आपकी पीठ से रूलिंग हुई है, फिर भी माननीय सदस्य जो जानना चाहते हैं, उसके सम्बन्ध में बताना चाहूंगा कि पूर्वांचल विकास निधि के सम्बन्ध में जो नियमावली बनी हुई है, कदाचित जिस समय बनी थी, उस समय रेवती रमण सिंह जी मंत्रिमंडल के सदस्य थे।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

उस समय एम० पी० कोटा नहीं था।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, उस नियमावली के अनुसार ही काम किया जा रहा है, उसमें कोई परिवर्तन इस सरकार द्वारा नहीं किया गया है, न करने का कोई इरादा है।

*श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

यह विधायक तो हैं नहीं, इसलिये विधायक की पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

जो नियमावली बनाई गई है, यह जिस समय बनी थी उस समय सांसद कोटा नहीं मिलता था, यह तो पिछले 3 सालों से मिल रहा है, 90 में नियमावली बनी है। मैं यही चाहता हूं कि पूर्वांचल के जो विधायक हैं, वह उस निधि का पैसा अपनी मर्जी से खर्च कर सकें, यह अधिकार देंगे।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने स्वीकार तो किया कि उस समय सांसद कोटा नहीं था, कम से कम इतना सत्य तो स्वीकार किया जो व्यवस्था पहले थी, उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है, न संशोधन करने का इरादा है, जो व्यवस्था पूर्व में थी, वही आज भी चल रही है। यह मामला नियम 300 में नहीं आता, इसलिये इसे अग्राह्य करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों को सुनने के बाद, चूंकि यह मामला नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता, इसलिये इसे अग्राह्य करता हूं।

(समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान हो गया)

आप लोग किसी सुसंगत नियम में उठाइयेगा, तब देख लूंगा। आप लोग तो नियमों के ज्ञाता हैं।

(श्री जगदम्बिका पाल, श्री राम तेज एडवोकेट, सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री राम जग, श्री राम विशुन आजाद, श्री राम आसरे पासवान, श्री धर्मज्ञ मिश्र, श्री गोपाल कृष्ण सहित विपक्ष के अनेक विधायक सदन के फ्लोर पर आकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(वेल से)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

मैं 1 बजकर 45 मिनट तक सदन को स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात् श्री अध्यक्ष ने 1 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही 1 बजकर 45 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी। 1 बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजे तक के लिये और बढ़ा दिया है। 2 बजे मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 15 मिनट तक के लिये पुनः बढ़ा दिया है। 2 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैंने नियम 300 के अन्तर्गत जो मामला उठाया है, वह इस आदरणीय सदन के सभी माननीय सदस्यगण से जुड़ा हुआ है। आज पूरे सदन की यह चिन्ता है कि माननीय सदस्यों के पास अपने क्षेत्र के विकास के लिये कोई ऐसी निधि नहीं है, जिससे वह विकास कर सकें। इसी विकास को दृष्टि में रखते हुए पूर्वांचल विकास निधि का गठन हुआ था परन्तु आज निधि से 70 करोड़ रुपये सरकार ने दूसरी योजनाओं में ट्रान्सफर कर दिया है और उसका आधा पैसा शासन स्तर पर रख लिया जा रहा है और घटते-घटते जितना पैसा जनपद में पहुंचता है, उसे वहां पर सांसदों व एम० एल० सी० व एम० एल० ए० में वितरित कर दिया जा रहा है और ऊँट के मुँह में जीरे की जैसी स्थिति आ जा रही है। दूसरे मदों का पैसा भी ट्रान्सफर हो जा रहा है। चाहे इधर बैठने वाले माननीय सदस्य हों या उधर बैठने वाले, सभी की दिलचस्पी अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के प्रति होती है परन्तु पैसा न होने के कारण वे विकास के कार्य नहीं करा पाते हैं। पिछले दिनों मैंने पूर्वांचल विकास निधि से अपने बस्ती जनपद में 6 सड़कों के लिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

30 लाख रुपये स्वीकृत कराये थे राज्य सेक्टर में, परन्तु सरकार ने उसे रोक दिया। इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि चाहे वह पूर्वांचल विकास निधि हो या विधायक विकास निधि हो, वह केवल एम० एल० ए० के पास ही रहनी चाहिये और वह अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर उसे विकास कार्य हेतु जहां खर्च करना चाहें कर सकें और अपने दायित्वों का वह निर्वहन सुचारु रूप से कर सकें। इसलिये आपसे अनुरोध है कि विधायकों की आप रक्षा करें।

कुँवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, दोनों तरफ के माननीय सदस्यों की भावनाओं से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। माननीय श्री मुलायम सिंह जी ने पूर्वांचल विकास निधि इसलिये बनाई थी कि पूर्वांचल में विकास की जो विसंगतियाँ हैं, वह दूर हो सके परन्तु आज उस पैसे को एम० पी० व एम० एल० सी० तथा अन्य लोगों को दे दिया जा रहा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह पैसा विधायक के पास ही रहे और वह अपने क्षेत्र में जिस तरह से चाहे उस तरह से विकास के लिये खर्च करे। इसमें एम० पी०, एम० एल० सी० व डी० एम० को शामिल नहीं किया जाना चाहिये।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप लोग कृपया बैठ जायें। इस विषय पर पहले ही काफी चर्चा हो चुकी है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को पहले सुन लें।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, पूर्वांचल विकास निधि के बारे में जो माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है, उसके सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि पूर्वांचल विकास निधि में जिस तरह से पहले व्यवस्था थी उसी तरह से आज भी व्यवस्था है। उसमें सरकार ने कोई संशोधन नहीं किया है, न कोई परिवर्तन किया है और न ही कोई परिवर्धन किया है।

*श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

मान्यवर, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री थे तो स्टेट सेक्टर का कोई प्राविधान नहीं था।

(कई सदस्यों के साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बिना मेरी अनुमति के कोई बात लिखी नहीं जायेगी। पहले आप लोग मेरी बात सुन लें। नियम 300 के अन्तर्गत इस सूचना पर कुछ माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की। यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है। मेरा माननीय सदस्यों से यह आग्रह है कि परसों किसी सुसंगत नियमों के अन्तर्गत इस विषय पर सूचना दे दीजिये और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस बीच पूर्वांचल विकास निधि में विधायकों की भूमिका के बारे में विचार कर लें। परसों जब यह सूचना आयेगी तब देख लेंगे कि कैसे इस समस्या को निपटाया जा सकता है। माननीय पाल जी ने चूंकि अपने क्षेत्र के विषय में बात उठायी है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसका परीक्षण करा लें और उसके पश्चात् अपने निष्कर्ष से माननीय पाल जी को अवगत करा दें। मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं।

*श्री सुखपाल पाण्डेय–

(x x x)।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–(x x x) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायें। इस पर मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है। अब मैं अगली सूचना जो कि श्री लाखी राम जोशी जी की है, को ले रहा हूं।

(श्री लाखी राम जोशी का नाम पुकारे जाने पर वह अनुपस्थित थे।)

चूंकि श्री लाखी राम जोशी जी अनुपस्थित हैं इसलिये इनकी सूचना को मैं निरस्त करता हूं।

प्रदेश के कतिपय चौदह विश्वविद्यालयों में कार्य करने हेतु विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

उच्च शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, निम्नांकित चौदह विश्वविद्यालयों (लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, श्री साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ वाराणसी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा) की सभा में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियम तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित तथा संशोधित हुआ है की धारा 22 की उपधारा (1) के वर्ग-7 की मद (xv) के अनुसार प्रत्येक के वास्ते विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, निम्नांकित चौदह विश्वविद्यालयों (लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, श्री साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, वाराणसी, सम्पूर्णा नन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा) की सभा में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियम तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित तथा संशोधित हुआ है, की धारा 22 की उपधारा (1) के वर्ग-7 की मद (XV) के अनुसार प्रत्येक के वास्ते विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

आज दिनांक 30-7-97 को नियम 311 में प्राप्त सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम 56 के अन्तर्गत कुल 32 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयीं। प्रथम 5 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा और 5 पर

शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। पहली सूचना नियम 311 में प्राप्त हुई थी इसको नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है। यह सूचना प्रदेश की राजधानी से निकलने वाले समाचार-पत्र स्वतंत्र भारत के संवाददाता श्री सुनील गुप्ता को कानपुर पुलिस द्वारा षडयंत्र के तहत झूठे मुकदमें में फंसाये जाने के संबंध में है। इस सूचना को श्री जगदम्बिका पाल, प्रमोद कुमार (राम नरेश यादव, सतीश शर्मा, अखिलेश कुमार सिंह, मित्रसेन यादव ने दिया है। इसी विषय पर श्री समरपाल सिंह, विजेन्द्र शर्मा और ओम प्रकाश ने भी नियम 311 में सूचना दी है। इस प्रकार 9 माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। कोई 2-3 सदस्य बोल लें।

*श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, कल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इसी सदन में काफी कहा गया। माननीय सदस्यों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की बात कही है। अगर पत्रकारों की सुरक्षा नहीं होगी तो वह स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति कैसे कर सकता है। सुनील गुप्ता को पुलिस की मिली भगत से हत्या के प्रयास में जेल भेज दिया गया है, तो यह गम्भीर बात है। इसी संबंध में मैं एच०एम० सीरवाई के विचार आपके समक्ष पढ़कर सुनाना चाहता हूं–

दि फ्रीडम आफ थाट एण्ड इक्सप्रेशन्स एन्ड दी फ्रीडम आफ प्रेस आर नाट ओनली वैलुएबुल फ्रीडम इन देमसेल्वस, बट आर बेसिक टू ए डिमोक्रेटिक फार्म आफ गवर्नमेन्ट विहचा प्रोसीड्स आन दि थिअरी दैट प्रोबुलेम्स आफ गवर्नमेन्ट कैन बी साल्वड बाई दि फ्री इक्सचेंज आफ थाट्स एण्ड बाई पब्लिक डिस्कसन्स

हिन्दी कर रहा हूं–विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की आजादी साधारण मौलिक अधिकार नहीं है। यह लोकतांत्रिक ढांचे का मूल आधार है। लोकतांत्रिक सरकारें इसी सिद्धांत पर चलती हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान विचारों के स्वतंत्र आदान-प्रदान तथा आम बहस से निकल आयेगा।

ऐसी आजादी पर किसी भी हमले या हस्तक्षेप का हर वाजिब संवैधानिक तरीके से विरोध किया जाना चाहिये। चोट एक व्यक्ति को पहुंचे या एक अखबार को, यह पूरे समाज और मीडिया पर हमला है।

इस कथन को प्रेस की आजादी और विचारों की अभिव्यक्ति पर जो बी० एम० सी० बी० आई० की टिप्पणियों को हम सूत्र वाक्य मान लें, जिसकी भारत की सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसलों में हवाला देती है तो भारतीय प्रेस की आजादी के साथ-साथ पूरे देश की अभिव्यक्ति की आजादी आज कानपुर जेल में सुनील गुप्ता को जेल की सलाखों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में बन्द हैं उनके साथ यह विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी जेल में बन्द है। जब वह जेल से छूटेंगे तो उनकी मानसिकता को कोई वापस नहीं कर सकेगा। इस मामले में कोई फैसला हुये बिना किसी अन्य विषय पर चर्चा करना बेइमानी होगी। उस पत्रकार का केवल इतना दोष था कि वह कानपुर के भूमाफियाओं, लौंग माफियाओं के खिलाफ निर्भीक होकर लिखता था जिन्होंने कानपुर के एक बहुत बड़ी भूमि पर कब्जा कर लिया था। जिसका मामला न्यायालय में चल रहा है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है वहां का जिला प्रशासन इन स्मगलरों और भूमाफियाओं से मिलकर यह कार्यवाही कर रहा है और उस मंदिर की भूमि में रहने वाले 25 परिवारों को बेदखल कर दिया जिसमें दलित वर्ग के गरीब लोग हैं, तथा दूसरी जाति के लोग हैं उनको कानपुर की किसी धर्मशाला में भेज दिया है। इन भूमाफियों और लौंग के तस्करों के कारनामों को समाचार पत्र का संपादक प्रकाशित कर रहा था। तो उसके खिलाफ यह कार्यवाही की गयी और रात में सुनील गुप्ता को पकड़ कर ले गये। इससे कानपुर की स्थिति विस्फोटक है वहां ट्रेनें रोकी गयी हैं और तमाम कर्मचारी संगठनों और श्रमिक संगठनों ने प्रदर्शन किये हैं। इसलिये कानपुर में सर्वदलीय समिति भेजी जाय। सुनील गुप्ता की हत्या का प्रयास पुलिस प्रशासन भूमाफियों और तस्करों से मिल कर करना चाहती हैं। मैं आशा करता हूं कि इस पर कार्य स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करें और सरकार को निर्देश दे कि स्वतंत्रता के 4 थे स्तम्भ को जो चोट पहुंच रही है उसकी रक्षा की जाय।

*श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जो बातें माननीय सदस्य ने कही हैं उनको मैं नहीं दोहराऊंगा। हमारे लोकतंत्र के 4 स्तम्भ हैं उसमें प्रेस प्रमुख है अगर प्रेस की आजादी बरकरार नहीं रखी जाती है तो लोकतंत्र भी संभल नहीं सकता है। लोकतंत्र जो हमारे देश में मजबूत हुआ है उसके लिये जितने बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं उसमें प्रेस की भूमिका सराहनीय है उसकी वजह से इस मजबूत लोकतंत्र में हम रह रहे हैं। सवाल इस बात का है कि कानपुर के अन्दर कानून व्यवस्था का राज्य नहीं है। बल्कि भूमाफियों का, तस्करों का राज्य है। श्री सुनील गुप्ता ने जो एक निर्भीक पत्रकार हैं ने इन भूमाफियों के खिलाफ लिखा जिसके कारण सबने मिल कर यह षडयंत्र किया है। मान्यवर, अगर किसी पत्रकार की लेखनी रोकी गयी तो फिर अनेक मामलों का पर्दाफाश कैसे होगा? पत्रकार को प्रताड़ित किया जायेगा तो भविष्य में स्कैंडल और घोटाले जो हो रहे हैं, उनको कौन छापेगा और हमारी आजादी खतरे में पड़ जायेगी। अगर प्रेस की स्वतंत्रता पर बराबर चोट होती रहेगी और हम मूकदर्शक बने रहे तो प्रदेश और देश कहां जायेगा। सुनील गुप्ता निर्भीकता के साथ लिख रहे थे उनको धमकी दी गयी। उन्होंने थाने में रिपोर्ट लिखवायी लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया और उल्टे 23 जुलाई को जेल के अन्दर उनको बन्द कर दिया गया। इसके खिलाफ तमाम पत्रकारों में रोष व्याप्त है और कानपुर में धरना व प्रदर्शन हो रहा है। इससे स्थिति विस्फोटक हो सकती है। मैं अनुरोध करूंगा कि आज की समस्त कार्यवाही रोककर इसके ऊपर चर्चा करायें।

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, आप देखें इस घटना में सुनील गुप्ता की गिरफ्तारी उसी दिन होती है जिस दिन घटना घटित होती है। कितने ऐसे बड़े-बड़े माफिया हैं जिनके ऊपर एफ० आई० आर० होती है लेकिन वह महीनों गिरफ्तार नहीं होते हैं लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार को उसी दिन गिरफ्तार किया जाता है क्यों?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसलिये कि वहां के भूमाफियाओं के खिलाफ वह समाचार पत्रों में छाप रहे थे। भूमाफिया इतने प्रभावी हैं और सरकार तथा सरकार के तंत्र पर उनका इतना प्रभाव है, इस घटना को लेकर नेशनल हेराल्ड के लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया था तो उस पर भी लाठी चार्ज हुआ है। भूमाफियाओं के खिलाफ यदि खबर छापी जाती है तो पत्रकार पर हमला कराया जाता है उसको फर्जी मुकदमें में फंसाया जाता है। वहां पर दलित उजाड़े गये और मंदिर की जमीन को भूमाफिया जबरदस्ती कब्जा कर रहे थे, यह सरकार रोज दलितों की सुरक्षा की बात यहां करती है, कानपुर के दलित उजाड़े गये और सुनील गुप्ता ने उसको समाचार पत्र में छाप दिया तो अपराध मानकर उनको 307 के मुकदमें में बन्द कर दिया गया और घटना की रात को ही बन्द करके उनके परिवार को प्रताड़ित करने का काम किया गया। इससे शर्मनाक घटना और कोई नहीं हो सकती है। यह गंभीर विषय है सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा कराने की मांग मैं करता हूँ।

*श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह कोई नयी कहानी नहीं बहुत पुरानी बात है कि जब अग्रेजों से आजादी की लड़ाई हो रही थी उस समय अगर पत्रकार देश की स्वतंत्रता की बात लिखते थे तो ऐसे ही झूठे, फर्जी मुकदमों में उनकों फंसाया जाता था। आज उसी की पुनरावृत्ति हो रही है। मैं नहीं जानता कि इस घटना की जानकारी सरकार को किस स्तर पर है और किस स्तर पर नहीं है। मेरे पास समाचार पत्र की कतरनें मौजूद हैं। उन्होंने लगातार प्रशासन के खिलाफ, भूमाफियाओं के खिलाफ, लौंग के तस्करों के खिलाफ कालाबाजारियों के खिलाफ और मंदिर की जमीन को अवैध ढंग से बेचे जाने के खिलाफ लिख रहे थे। इससे प्रशासन बौखलाया था और प्रशासन के निचले स्तर के लोगों को यह बर्दाश्त नहीं था कि ऐसी पत्रकार की हिम्मत कैसे हो गयी कि वह पुलिस, स्मगलर्स के खिलाफ लिखे। उनको धमकी मिली और उन्होंने इसकी रिपोर्ट लिखायी। इससे ज्यादा आश्चर्य क्या हो सकता है, मुझे भी फौजदारी मुकदमों का अनुभव है, एक घटना होती है उसमें सुनील गुप्ता का नाम लिखवाया जाता है और उस घटना के 3 चश्मदीद गवाह यह कहते हैं कि यह वह सुनील गुप्ता नहीं हैं लेकिन उसके बावजूद भी पत्रकार सुनील गुप्ता को जेल भेजा जाता है।

मान्यवर तीन चश्मदीद गवाह चीख चीखकर कह रहे हैं कि यह सुनील गुप्ता नहीं है। इसके बावजूद भी पत्रकार को जेल भेज दिया जाता है। इसमें पुलिस की तत्परता से की गई कार्यवाही देखिये। घटना की गम्भीरता को देखिये, इसकी सम्वेदनशीलता को देखिये। पत्रकारों को लेखनी से लिखने की कीमत जेल में चुकानी पड़ रही है। मान्यवर, यह लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है। यह आज तक किसी के आगे झुका नहीं है। सरकार द्वारा इसे झुकाने का प्रयास किया जायेगा लेकिन यह झुकेगा नहीं। वहाँ के अधिकारियों को बचाने की जरूरत नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि जो सूचना हम दे रहे हैं आप इसके आधार पर बल्कि जो आपके पास सूचना है। हमारा पक्ष भी लीजिये अपनी बात भी लें और जूडिशियल इन्क्वायरी करवा लें। अगर जूडिशियल इनक्वायरी में समय लगे तो सदन के सदस्यों की एक समिति भेज दें और अगर उससे भी सन्तुष्ट न हों तो आयुक्त स्तर के किसी भी अधिकारी से जो कानपुर का न हो इस घटना की जांच करा लें। सारे तथ्य सारी बात सामने आ जायेगी। अगर आयुक्त पर भी आपको ऐतबार न हो तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं एस०एस०पी० और डी०एम० की बात नहीं करता हूं थाने में तैनात दरोगा ने फर्जी आइडिन्टीफिकेशन किया है। दरोगा, सी०ओ० को हटाकर जांच करवा लें सरकार की

विश्वसनीयता बनी रहेगी और लगेगा कि यह सरकार पारदर्शी सरकार है। मान्यवर, आप लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ की लेखनी का गला घोटने के लिये जिम्मेदार होंगे। जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना पर पर्याप्त तथ्य आ गये हैं। ओम प्रकाश जी आपकी दूसरी सूचना है। मैं सोच रहा था आप उस पर बोलेंगे।

* श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

श्रीमान् उस पर बाजपेयी जी बोलेंगे। सुनील गुप्ता जी का प्रकरण बहुत गम्भीर है। हमारे पूर्व के सदस्यों ने इसकी गम्भीरता पर प्रकाश डाला। श्रीमान्, जो हो रहा है कानपुर में एक पत्रकार के साथ। श्रीमन्, पेपर लोकतंत्र में चौथा स्तम्भ कहते हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता की बात करते हैं और सुनील गुप्ता ने भू-माफियाओं और तस्करों और अवांछनीय तत्वों के खिलाफ आवाज उठाई। हमेशा इस तरह की हरकतें उन्हें घेरने के लिये की जाती रहीं। घर पर भी उन्हें धमकी दी गई कि अगर आप इससे बाज नहीं आयेंगे तो आपको बख्शा नहीं जायेगा। मान्यवर, पत्रकार के साथ इस तरह की घटना इस सरकार के लिये एक बदनुमा धब्बा है। जैसा प्रमोद जी ने कहा और हम भी चाहते हैं कि इस पर चर्चा करा लें। इसकी जाँच हो जानी चाहिए कि अपराधी कौन है और किसका उसमें हाथ है। सुनील गुप्ता के साथ ज्यादती हो रही है। यह लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले क्या सोचते हैं? मान्यवर, इस पर आपकी व्यवस्था और निर्देश हो जाना चाहिए जिससे सुनील गुप्ता जिस निर्भिकता, स्वछन्दता और जिस मजबूती के साथ अपना कार्य करते थे , अपनी लेखनी से वह काम करते थे जो सरकार में बैठे हुए लोगों को करना चाहिए था उस खोजी पत्रकारिता के लिये उन्हें सम्मान देना चाहिए।

(श्री चन्द्रेश पासवान के खड़े होने पर.)

श्री अध्यक्ष–

आपके तो इसमें हस्ताक्षर भी नहीं हैं। कृपया क्षमा करें।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, यह जिस प्रकरण की तरफ माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान दिलाया है उसमें मान्यवर, दो लोगों की एफ० आई० आर० है। हरिओम् गुप्ता हैं, उनके भाई अमित गुप्ता की तरफ से दो एफ० आई० आर० दर्ज की गई कि अमित गुप्ता पर होटल में खाना खाते समय आक्रमण हुआ और वह घायल हो गए। जहां तक माननीय सदस्यों ने कहा है उसको मैं संज्ञान में लेता हूँ लोगों को उजाड़ा गया है। अनाधिकृत रूप से हटाया गया है। इसमें हम कमिश्नर स्तर के अधिकारी से जांच करा देंगे।

श्री मित्रसेन यादव–

कानपुर के कमिश्नर से न कराइएंगा।

श्री बी० आर० वर्मा–

ठीक है।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना को निरस्त करते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मित्रसेन यादव–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, हीरक जयन्ती की मैं बधाई देना चाहता हूँ। यह कल ही का असर है।

* श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, महिलाओं का 33 परसेन्ट आरक्षण होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

पहले महिला सदस्यों में 33 परसेन्ट चुनकर आ जाएं।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान सहारनपुर जिले के अन्तर्गत एक बहुत ही हृदय-विदारक घटना की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ। देवीकुंड संस्कृति महाविद्यालय देवबन्द के प्रधानाचार्य श्री रामेश्वर प्रसाद शास्त्री का 27 वर्षीय पुत्र 22 जून को घर से लापता हो गया। श्री शास्त्री जी जब अपने पुत्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने देवबंध थाने गए तो एक इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति की थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई। जबकि थाने में रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए थी, उस पर कोई कार्यवाही करते, उनके पुत्र को ढूंढने का प्रयास करते उल्टा रिपोर्ट लिखाने गए लोगों को पुलिस ने धक्के मारकर भगा दिया , कहा घूमफिर कर लड़का वापस आ जाएगा लेकिन पुलिस की निष्क्रियता की वजह से यह घटना घटी। इस घटना के पीछे एक मोटी बात यह है कि थाने स्तर पर सरकार की तरफ से ऐसे निर्देश गए हैं कि कोई कितनी बड़ी घटना हो पुलिस उसको दर्ज न करें क्योंकि क्राइम होते हुए भी क्राइम को कन्ट्रोल में दिखाना है इसलिए कागजों पर कम ही आंकड़े रहे। एक निवेदन और है कि पुलिस ने अगर उसी दिन छान-बीन की होती तो उनके पुत्र की जान बच सकती थी। उनके पुत्र की लाश अगले दिन 23 तारीख को मिली जो कि हरिद्वार जिले के एक थाने के अन्तर्गत मिली। श्रीमन्, उस तारीख से लेकर आज तक श्री रामेश्वर प्रसाद जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जी अपने आपको दलितों का रहनुमा बनने वाली मायावती जी यह इसलिए दुखद पहलू है कि उस जिले की यह घटना है जिस जिले से मायावती जी चुनकर आई हैं। इसलिये भी दुखद है कि श्री शास्त्री जी स्वयं दलित वर्ग से सम्बन्धित हैं।

संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य हैं लेकिन आश्चर्य इस बात पर होता है कि उनकी यह रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई जब से शव मिला तब से उसकी सबूतों को नष्ट करने के लिए, उसे रफा-दफा करने के लिए उनके परिजनों की अनुपस्थिति में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया उनकी मौजूदगी में पोस्टमार्टम होता तो उनको मालूम चलता कि किस हालत में हत्या हुई। उस तारीख से लेकर आज तक जिला सहारनपुर की पुलिस कहती है कि चूंकि हरिद्वार जिले के अन्तर्गत लाश मिली है इसलिए हरिद्वार जिले की पुलिस तफ्तीश करेगी। हरिद्वार में जब परिजन जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि यह सहारनपुर से सम्बन्धित घटना है इसलिए इसको बाद में देखा जायेगा। यह सरकार की संवेदनहीनता है कि एक 27 वर्ष के नौजवान का कत्ल कर दिया गया और सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगती है। जिस जगह से सुश्री मायावती जी चुनकर आयी हैं वहां यह हालत है तो पूरे प्रदेश के अन्दर क्या हालत होगी यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। आज हालत यह पैदा हो गयी है कि संस्कृत महाविद्यालयं के छात्र और अध्यापक इस बात को लेकर आंदोलित हैं इस रिपोर्ट को जब दर्ज कराया गया था तो यह नामजदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी लेकिन आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। बल्कि अब उनके परिवार को उत्पीड़ित किया जा रहा है और उनको धमकाया जा रहा है कि अगर इस मामले को आगे बढ़ाओगे तो तुम्हारी भी यही हालत होगी। इस महत्पूर्ण विषय को लेकर सदन के अन्दर चर्चा करवाई जाए ताकि जो कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति है उस पर अंकुश लगाया जा सके।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि चौहान जी ने जिसका उल्लेख किया है। सहारनपुर में अब नया रेंज बना दिया गया है जिस बात का ढिंढोरा माननीया मुख्य मंत्री जी पीट रही हैं कि नए-नए प्रशासनिक जिले खड़े किए गए हैं। सहारनपुर में डी० आई० जी० बैठते हैं जिसके अन्तर्गत हरिद्वार भी आता है 22 तारीख को घटना घटित हुई उस दिन के बाद आज यहां इसे उठाया जा रहा है। डी० आई० जी० महोदय ने यह फैसला क्यों नहीं लिया कि सहारनपुर या हरिद्वार कौन सी पुलिस इस घटना को देखेगी? इसकी तफ्तीश करेगी। हरिद्वार ऐसा जनपद है जहां संस्कृत के सर्वाधिक विश्वविद्यालय देश में हैं इस घटना पर अगर कार्यवाही नहीं की गई तो हरिद्वार के छात्र आन्दोलित होंगे जिसका परिणाम प्रदेश सरकार को भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना है इस पर चर्चा करवाई जाए।

श्री बी० आर० वर्मा–

जिस घटना की बात माननीय सदस्य कह रहे हैं, उसको उन्होंने बढ़-चढ़ा कर यहाँ कहा है। सत्य यह है कि इसकी रिपोर्ट 23 तारीख को दर्ज हुई। पोस्टमार्टम के बारे में जो बात कही गई है मान्यवर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सम्बन्ध में पुलिस की एक प्रक्रिया है, तो किसी के परिवार वाले शव ले जाकर पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं बल्कि पुलिस वाले शव ले जाकर पोस्टमार्टम कराते हैं। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में है कि शव पर कोई चोट का निशान नहीं पाया गया। इसरा केमिकल एक्जामिनर के पास जांच के लिए भेजा गया है। अभी तक जो जानकारी है इसमें इस हत्या का सबूत नहीं मिल पाया है। विवेचना के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह तय नहीं हो पाया है कि हरिद्वार या सहारनपुर में किस जिले की पुलिस विवेचना करेगी ? तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें उसी दिन उप निरीक्षक, श्री के० एस० चौहान, देवबंद को लगा दिया गया है जो जांच कर रहे हैं। जैसे ही इसमें तथ्य सामने आयेंगे उसके अनुसार सरकार सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी। इसलिए यह नियम–56 में नहीं आता है, अतः मान्यवर, आप इसे आग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, देवबंद थाने में शिकायत की प्रति है लेकिन उसे 23 तारीख को दर्ज किया बताया गया है, यदि रिपोर्ट पहले दर्ज हो जाती तो उस व्यक्ति कि जान को बचाया जा सकता था। क्या वास्तव में यह परम्परा है कि पोस्टमार्टम के लिए जब लाश भेजी जाती है तो क्या उसके परिवार वाले नहीं जा सकते हैं ? पोस्टमार्टम के पहले उसके परिजनों को क्यों सूचित नहीं किया गया मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा इसलिए किया गया कि पुलिस ने सबूतों को नष्ट कर दिया था।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों और मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुचा हूँ कि यह सूचना नियम–56 में नहीं आती है, इसलिये इसे निरस्त करता हूं।

अगली सूचना स्वामी ओइम्वेश की है।

* स्वामी ओइम्वेश–

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि काफी प्रयास के बाद आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूँ कि जनपद बिजनौर में जो पेपर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिलें चालू हैं उनसे वहां का वातावरण और पानी प्रदूषित तथा विषैला हो गया है जिससे पशु मर रहे हैं। गंदे पानी से पशुओं को नुकसान हो रहा है। इसलिए निवेदन है कि इस अविलम्बनीय और लोक महत्व के प्रश्न पर आप संसदीय कार्यमंत्री जी से वक्तव्य दिलायें और सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर आप चर्चा करायें।

बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, स्वामी ओइम्वेश जी ने कुछ पेपर मिलों के बारे में आपनी व्यथा प्रकट किया है। इसमें दो तरह की पेपर मिलें हैं। एक तो बिजनौर में रिसर्च चारू पेपर मिल है जो रद्दी रसायनों का प्रयोग करके सफेद डुप्लीकेटिंग पेपर का उत्पादन करती है। मान्यवर, दूसरी पेपर मिल जैन समूह की मेसर्स मोहित लि०, बिजनौर है। यह रद्दी कागज गेहूं की भूसी और अन्य एग्रो वेस्ड का प्रयोग करके क्राफ्ट पेपर का उत्पादन करती है, यह शुद्धि संयन्त्र लगाये हुये हैं। इनका हमने 4 जून, 97 को निरीक्षण कराया था और यह निरीक्षण उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया गया था इसमें जो पहली इकाई मे० चारू पेपर मिल है उसके इन्फ्लुएण्ट का विश्लेषण किया गया तो मानक के अनुरूप नहीं पाया गया और 17 जुलाई, 97 को प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत बोर्ड द्वारा नोटिस दी गयी है और आगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

मान्यवर, दूसरे पेपर मिल का भी इन्फ्लुएण्ट का सैम्पुल लिया गया तथा परीक्षण कराया गया और परीक्षणोपरान्त मानक के अनुरूप पाया गया फिर भी हम इसका पुन: सैम्पुल लेकर विश्लेषण करा रहे हैं। अगर उसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता पायी जायेगी तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ प्रदूषण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी लेकिन उसमें सैम्पुल लेने, विश्लेषण करने और कारण बताओ नोटिस देने का प्राविधान है उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी। मैं पूरे माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस तरह की जितनी भी इण्डस्ट्रीज हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में हैं जहां पर भी इस तरह की शिकायत मिलती है, मेरे संज्ञान में लाने की कृपा करेंगे। मैं निश्चत तौर पर, नियमानुसार कार्यवाही कराऊंगा । एक बात और कह देना चाहता हूँ कि इस समय जो प्रदेश की स्थिति है उसमें नये उद्योगों के लगने की गति काफी धीमी है। आज जो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है वह है इण्डस्ट्री ग्रोथ और प्रदूषण कण्ट्रोल इन दोनों के बीच सामंजस्य रखने की है। जब तक इण्डस्ट्री ग्रोथ नहीं होगी तब तक इस प्रदेश में इम्पलायमेंट नहीं हो पायेगा, लोगों को रोजगार मिले इसलिये इन दोनों के बीच सामंजस्य रखने की आवश्यकता है। प्रदूषण के विषय में जानकारी देने के लिए माननीय सदस्यों को नोटिस लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझसे मिलकर या किसी भी माध्यम से मेरे संज्ञान में ला देंगे तो कोई भी इण्डस्ट्री हो जो प्रदूषण उत्पन्न कर रही है वह चाहे एअर, वाटर या न्वाइज पलूशन हो उसके खिलाफ नियामनुसार कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, यह जो सूचना दी गयी है इसकी न तो अविलम्बनीयता है और न ही तात्कालिकता है इसलिये यह नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आती है अत: इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

(इस समय 3 बजे अधिष्ठाता श्री रंगनाथ मिश्र पीठासीन हुए।)

श्री अधिष्ठता–

स्वामी ओइमवेश व संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् चूंकि उक्त सूचना नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये इसको निरस्त किया जाता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगली सूचना डा० कौशल किशोर, डा० अशोक बाजपेयी व श्री शिवपाल सिंह यादव की लखीमपुर नगर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर कथित रूप से नागरिकों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है।

डा० कौशल किशोर–

मान्यवर, हमारा विधान सभा क्षेत्र–70, लखीमपुर में आता है। इस नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के अन्तर्गत काफी टेरर क्रिएट किया गया। वहाँ सड़क से 16-16 फीट लगाकर मकानों को गिराने की योजना बना ली गई। माननीय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वहां के सांसद, पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के बीच एक बैठक हुई, उसमें एक समझौता भी हुआ। मैंने यह फार्मूला रखा था कि नाली और नाली के बीच जो पैकरिया है, उसे मालिक मकान स्वयं हटा लेंगे, दुकानदार अपना कोई वाहन दुकान के सामने खड़ा नहीं करेगा। नाली और नाली के बीच में जो सड़क है, उसे ठेले के द्वारा, चाय दुकान द्वारा अवरूद्ध नहीं किया जायेगा, साथ ही ऐसा अतिक्रमण जो सरकारी भूमि पर है, जिसके मालिक स्वयं न हों, उसको हटा दिया जाय। इसके अलावा जो 10 साल से नक्शे पास हुये हैं। अगर वह नक्शे के मुताबिक मकान नहीं बने हैं तो उन्हें हटा दिया जाय, इन शर्तों के साथ समझौता किया गया था, लेकिन इस समझौते को तोड़कर अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर नालियों के ऊपर 100-100 वर्ष पुराने मकान जो बने हैं, जो 4-4 मंजिल के हैं, को तोड़ा जा रहा है। यह कुछ लोगों की साजिश है जो अपनी दुकानों को खाली करवाना चाहते हैं। वह अतिक्रमण हटाओ अभियान के अन्तर्गत प्रशासन पर दबाव डाल रहे हैं। मान्यवर, जिसकी दुकान का शटर टूट जायेगा, मकान मालिक उसको दुबारा नहीं बनवायेगा और किरायेदार को बनवाने का हक नहीं है, मान्यवर, इस तरह अभियान चलाने से लोगों का बड़ा नुकसान हो रहा है जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सड़कें साफ हों, रास्ता ठीक हो, आवागमन ठीक तरह से चले और शहर भी सुन्दर लगे, लेकिन ऐसा कोई काम न किया जाय जिससे बहुत बड़ी जनहानि और धनहानि की सम्भावना है। मैं चाहता हूँ कि इस पर चर्चा करा दी जाय और बाजपेई जी को इस सूचना पर सुन लिया जाय।

* डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, डा० कौशल किशोर जी ने लखीमपुर नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर अधिकारियों द्वारा जनता के शोषण-उत्पीड़न की व्यथा बताई। हम सबका यही मानना है कि नगर साफ सुथरा रहे, नगर की सड़कें खुली रहें और इस काम में जन प्रतिनिधियों का पूरा सहयोग है, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से, जब चाहें जिसका घर गिराने की नोटिस दे दें, यह गलत है । जब समझौता पहले से तय था कि नालियों के ऊपर का हिस्सा मालिक स्वंय तोड़ लेगें और उस तरह के निर्माण को पहले ही ढहा लिया गया तो फिर इस तरह किये जाने का क्या औचित्य है। मान्यवर, वहाँ 100-100 वर्ष पुराने मकान, जिनमें तीन-तीन पीढ़ियाँ गुजर चुकी हैं, को अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत गिराने का काम किया जा रहा है। इससे पूरे नगर में अफरा-तफरी का माहौल है, लोगों में जनाक्रोश है, यदि तत्काल प्रशासन की इस मनमानी पर रोक न लगाई गई तो लखीमपुर में बड़ा आन्दोलन खड़ा हो सकता है, जनता बहुत उद्वेलित है, यदि इसी तरह प्रशासन ने लोगों को परेशान करने, उनके घरों को गिराने का काम किया तो परिणाम बड़े घातक हो सकते हैं। मैं तत्काल इस विषय पर, सुनिश्चित विषय पर सरकार से माँग करता हूँ कि प्रशासन द्वारा लखीमपुर नगर में मनमानी को तत्काल रोकने की व्यवस्था दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर इस प्रकरण पर मैं सोच रहा था कि माननीय सदस्य खासतौर से अशोक बाजपेयी जी जब बोलेंगे तो सरकार का जो यह सराहनीय काम है उसकी प्रशंसा करेंगे, सराहना करेंगे परन्तु मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बाजपेयी जी जैसा वरिष्ठ सदस्य इस बात को कह रहा है। मान्यवर, ऐसी जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा है जो सिंचाई विभाग की जमीन है, नजूल की जमीन है, लोक निर्माण विभाग की जमीन है, नगर पालिका की जमीन है। इन जमीनों पर जो भू-माफिया कब्जा किये हैं, जिस पर अवैध रूप से अध्यासन है, अतिक्रमण कर रखा है उनको हटाया जा रहा है। यह सरकार कटिबद्ध है।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इसीलिए हमने अधिनियम में संशोधन किया है इस प्रदेश की कई अरब की जमीन प्रतिदिन कब्जा की जा रही है ऐसे लोगों के खिलाफ, भू-माफियाओं के खिलाफ जो अवैध तरीके से अवैध कब्जा करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होती है, तो पता नहीं क्यों सपा के साथियों को ज्यादा तकलीफ होती है। मान्यवर, यहाँ गरीब और अमीर का सवाल नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री का उत्तर आ जाने दीजिए।

(व्यवधान)

* श्री शिवपाल सिंह यादव–

मान्यवर, यह अपना भाषण लखीमपुर जिले में छपवाकर बटवा दें नहीं तो हमसे कह दें हम बंटवा देंगे।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, गरीबों के लिए अधिनियम में व्यवस्था की गयी है किसी भी नजूल की जमीन पर, सरकारी जमीन पर गरीब रह रहा है तो उसको तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक उनको रहने के लिए जमीन और मकान बनवाकर नहीं दे देंगे। यह गरीबों के लिए समुचित व्यवस्था की गयी है और यह जो भू-माफिया लोग हैं, बड़े-बड़े लोग जिन्होंने कब्जा कर रखा है सरकारी जमीन पर, सिंचाई विभाग की जमीन पर, पी० डब्ल्यू० डी० की जमीन पर, नगर पालिका की जमीन पर कब्जा किये हैं निश्चित तौर पर सरकार उन्हें हटायेगी और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी। इसमें भेदभाव नहीं किया जायेगा। मान्यवर, इसमें न तो तात्कालिकता है और न ही नियम 56 में आता है इसलिए इसे अग्राह्य करने का कष्ट करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय कौशल किशोर जी, माननीय डा० अशोक बाजपेयी जी तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है इसलिए इसको निरस्त करता हूँ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वर्ष 1988-89 में बेसिक हेल्थ वर्कर महिलाओं को विभाग द्वारा ट्रेनिंग दिलवाई गई थी इनकी संख्या सूबे में पांच हजार की है। प्रशिक्षण समाप्ति के बाद इनसे दो हजार रुपये का बान्ड भरवाया गया था और उनपर एक शर्त लगायी गयी थी कि ये ट्रेनिंग शुदा जो महिलाएं हैं ये तीन वर्षों तक सरकार के किसी दूसरे विभाग में नौकरी नहीं करेंगी और उस शर्त के समापन के बाद जब सरकार और सम्बन्धित विभाग में उनकी ट्रेनिंग सुधि नहीं ली तो ये प्रशिक्षण प्राप्त महिलाएं माननीय उच्च न्यायालय में गयी और एक मुकदमा दाखिल किया।

मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एक आदेश पारित करके सम्बन्धित विभाग और सरकार को आदेश दिया कि चार माह के अन्दर इन्हें विभाग में नियुक्त किया जाए। माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है।

(समय 3 बजकर 15 मिनट)

माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला किया पिटिशनर्स अप्वाइंटमेंट्स शैल बी मेड विदिन फोर मंथ्स फ्राम दि डेट आफ रिसिप्ट आफ दिस आर्डर–यह आदेश 11-3-97 को हुआ कि उनकों 4 माह के अन्दर विभागों में नियुक्त किया जायेगा। तात्कालिकता इस प्रकरण में यह है कि आज जो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था जो समय निर्धारित किया था वह समय पूरा हो रहा है लेकिन उस आदेश के आलोक में कोई कार्यवाही नहीं की गई। मान्यवर, इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, 5,000 महिलाओं को बेसिल हेल्थ वर्कर के रूप में प्रशिक्षित किया गया था। यह 88-89 से मामला शुरू हुआ था अब तक तमाम सरकारें यहां बनी हैं कांग्रेस की, जनता दल की, समाजवादी पार्टी की सभी दलों की सरकारें इस बीच आ चुकी हैं आप बैठें, हमारी भी सरकार रही उनकी समस्या को हल करने का सभी सरकारों को समुचित मौका मिला है। यह जो माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है, निर्देश का सरकार सम्मान करती है उच्च न्यायालय के हर आदेश का सम्मान करती है जो व्यवस्था है उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप जो नियम कानून के तहत जो कार्यवाही करना सम्भव है उसको करेंगे। अब तक की सरकारें हीलाहवाली करती रही होगी यह सरकार कोई हीलाहवाली करना नहीं चाहती है। जो भी नियम कानून के तहत व्यवस्था सम्भव है कर देंगे, सरकार की संवेदन शीलता व्यक्त करते हुए कहना चहता हूँ कि हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं प्रतिबद्ध हैं और करने में लगे हैं और यह सूचना 56 में आती नहीं कृपया निरस्त करने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य एवं संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यह नियम 56 में नहीं आती है इसलिए अग्राह्य करता हूँ।

अगली सूचना श्री प्रमोद कुमार व संग्राम सिंह जी की है, आप ने कहा है कि कल सूचना देंगे फिर से, आज नहीं कहना चाहते है। इसी सम्बन्ध में श्री शिवपाल सिंह यादव, डा० अशोक बाजपेई, श्री अवधेश प्रसाद व अन्य कई माननीय सदस्यों की सूचना है, मैं समझता हूँ कि माननीय प्रमोद कुमार जी, माननीय संग्राम सिंह जी यदि सूचना को कल के लिए कह रहे हैं तो कल ही उसको आदेश दे दें तो बेहतर होगा।

* डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, हमारी सूचना अलग है।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जो परिपाटी है नियम में व्यवस्था है एक सूचना माननीय अध्यक्ष जी स्वयं सुनते हैं और 9 सूचनाएं शलाका के आधार पर निकाली जाती हैं। 5 पर ग्राह्यता पर सुना जाता है और 5 पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

डा० अशोक बाजपेयी–

आप निर्देश दे रहे हैं।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, निवेदन है कि 5 सूचनाओं को आप ने सुन लिया है और शेष पर सुनने की आवश्यकता नहीं है, जो परम्परा है उसके अनुरूप कार्यवाही होनी चाहिए।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, हमारी वाली सूचना पर आपने क्या निर्णय लिया है ?

श्री अधिष्ठाता–

मैंने डाक्टर बाजपेयी जी से अनुरोध किया है कि वह इस विषय पर कल फिर से सूचना दे दें। क्योंकि पाँच सूचनायें आ चुकी हैं और यह सूचना छठें नम्बर पर है। फिर भी डाक्टर बाजपेयी जी आप बता दें कि कितने लोग आप इस विषय पर बोलेंगे ?

डाक्टर अशोक बाजपेयी–

दो लोग बोलेंगे।

* श्री प्रमोद कुमार–

तब तो मान्यवर, मैं भी बोलूँगा।

श्री अधिष्ठाता–

यदि आप भी बोलना चाहते हैं तो बोल लें। क्योंकि माननीय सदस्य मान नहीं रहे हैं।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया। इस सदन की एक परिपाटी रही है और नियम भी है तथा आपकी पीठ से भी निर्देश दिये गये हैं। 10 सूचनाओं को लिया जाता है। एक सूचना माननीय अध्यक्ष जी के विवेक पर ली जाती है। 5 सूचनाओं पर ग्राह्यता पर सुना जाता है और शेष पाँच पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया और कहा कि पाँच को ग्राह्यता के लिए सुना जाता है और पाँच पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। मान्यवर, चेयर को चुनौती नहीं दी जा सकती है। 5 की जगह पर 6 सूचनाओं को भी सुना जा सकता है। आपने सुनने के लिए भी कहा है। माननीय श्री प्रमोद कुमार जी को आप कल सुन लीजियेगा और हमारी सूचना को आप आज सुन लीजिए। केवल दो माननीय सदस्य बोलेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, पीठ से एक आश्वासन मिला। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम इसे आज नहीं लेंगे तो जिस माननीय सदस्य के क्षेत्र से संबंधित यह प्रकरण है, वह चले गये।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, सूचनायें अलग-अलग हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय डा० अशोक वाजपेयी जी आप कितने लोग बोलेंगे? दूसरे माननीय सदस्य आपके बाद कौन बोलेंगे? उसे आप बता दें।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इसमें मेरी एक कठिनाई है। इसमें संग्राम सिंह जी विधायक के हस्ताक्षर हैं। मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी से इसमें अनुरोध किया था कि इसे आज न लें और इसे कल ले लें तो उन्होंने यह आश्वासन दिया था और वह सदस्य चले गये। उनके क्षेत्र का प्रकरण है और इस समय वह नहीं हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे आप कल ले लें तो कोई हर्ज नहीं होगा। अगर उनके क्षेत्र की बात न होती तो मुझे कोई दिक्कत न होती।

श्री अधिष्ठाता–

नोटिस जब माननीय सदस्य देते हैं तो उसमें तात्कालिकता का मामला होता है। यदि आप सहमति कर लें तो अच्छा होगा।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इसे कल लें, सदस्य तो हैं नहीं।

श्री अधिष्ठाता–

तो आप कल इसको दुबारा दे दें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आज भी सुनेंगे और कल भी सुनेंगे?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कल इसी सदन में कुछ आचरण सम्बन्धी बातें आयी थीं और मैं समझता हूँ कि अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं उसे बीते हुए, तो आप लोग कृपया उन बातों को ध्यान में रखें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश, दशम् संस्करण के पृष्ठ-6 पर निदेश संख्या-15 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। उसमें यह लिखा है कि "किसी उपवेशन हेतु नियम-56 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं में से अध्यक्ष अधिकतम 10 ऐसी सूचनाओं को चयनित करेंगे जो नियम-58 तथा 59 की शर्तों को पूरा करती हो और अध्यक्ष के विवेक में महत्वपूर्ण हो। तो ऐसी 10 सूचनाओं को आपने चुन लिया है। अब निदेश संख्या-16 में यह लिखा है कि एक महत्वपूर्ण सूचना को अध्यक्ष चुनेंगे और शेष चार सूचनाओं को शलाका के आधार पर निकाला जायेगा। आगे निर्देश संख्या-17 (क) की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। उसमें यह लिखा हुआ है कि पाँच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जा सकता है। तो यह आपके विवेक पर है कि आप पाँच सूचनाओं में से कितनी सूचनाएं सुनें। दो तीन या चार। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अब इसी में आगे निदेश संख्या-17 (ख) देखें। उसमें यह है कि अवशिष्ट सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। तो इस पर आप शासन का ध्यान आकृष्ट करा सकते हैं।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, इस पीठ से समय-समय पर निर्देश दिये गये हैं और यह सदन आपके निर्देशों से संचालित होता है। यह पीठ कभी भी निर्देशों के लिए बाध्य नहीं है। जब विषय की गम्भीरता होती है और सदन में उसको उठाया जाता है तो आप उसकी गम्भीरता को देखते हुये निर्णय करते हैं। आज भी जिस विषय को मैं उठा रहा हूं वह अति महत्वपूर्ण विषय है, तात्कालिक है। कल एक जगह 8 लोगों की निर्मम हत्या हुई और यह विषय की तात्कालिकता हैं इससे ज्यादा क्या इसकी तात्कालिकता हो सकती है। मान्यवर, आपको अधिकार है कि आप कितनी सूचनाओं को सुनें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अध्यक्ष पीठ के निर्णयों का बार-बार हवाला दे रहे हैं। इस संबंध में जो आपके निर्देश होंगे, वही शिरोधार्य होंगे। आपने मेरा नाम पुकारा और जब मैंने बोलना शुरू किया तो बीच में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना तात्कालिक है, इसलिये इसको मैं सुनुंगा।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, कितनी हृदय विदारक बात है।

(व्यवधान)

*डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि बाराबंकी कई माननीय सदस्य गये हैं और यह बाराबंकी का ही प्रकरण है। उनको आने दें तब यह बिन्दु उठाया जायें तो ठीक रहेगा, पूरी जानकारी मिल जायेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*डा० अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, चाहे इस पक्ष के सदस्य हों और चाहे उस पक्ष के सदस्य हों, सभी ने निरन्तर चिन्ता व्यक्त की है, जब से यह सरकार आयी है, जातीय उन्माद भड़काने का काम किया जा रहा है और उसी के तहत बाराबंकी में घटना घटी है। इस सरकार ने अपने निहित स्वार्थों के लिये सामाजिक जीवन को बिगाड़ने का काम किया है। देवकलिया जो थाना देवां के अन्तर्गत आता है। वहां पर भूमि विवाद था, यह विवाद नया नहीं था। स्थानीय पुलिस और प्रशासन को जानकारी थी अगर जिला प्रशासन और पुलिस अकर्मण्य न होती और अगर पहले से प्रयास किया जाता, तो इस घटना को टाला जा सकता था। इस लापरवाही से 8-9 लोगों की जानें गयीं। मान्यवर, पूरा प्रदेश जातीय उन्माद से झुलस रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी को इसी बात पर इस्तीफा दे देना चाहिये कि 809 लोगों की हत्या हो गयी है, निरपराध लोग मारे गये हैं और पुलिस किंकर्तव्य विमूढ़ खड़ी रहे। यह मामला पुलिस की जानकारी में था और उसने जातीय संघर्ष बढ़ाने का काम किया है। यह तो प्रतीक मात्र है। अगर 14 करोड़ की जनता के साथ इसी प्रकार से खिलवाड़ किया जाता रहेगा, तो पूरा प्रदेश जातीय उन्माद में जल जायेगा और जब तक यह सरकार रहेगी जातीय उन्माद बढ़ता रहेगा। इसलिये मैं इस घटना की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि इस पर चर्चा करा दें उससे जो वातावरण खराब हो रहा है उसको कैसे सुधारा जाय उसके लिये पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्य एक राय हैं। सरकार को यह सदन बाध्य करे कि इस कुकृत्य को रोकें।

(व्यवधान)

*श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, इसी संबंध में हमारी सूचना आपके समक्ष है इसे भी संज्ञान में लेने का कष्ट करें। बाराबंकी डिबिया के मामले में मैं कह रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता--

ठीक है आपका अभी क्रम बाद में आयेगा।

*श्री अवधेश प्रसाद--

मान्यवर, जिस हृदय विदारक, लोम विदारक और दर्दनाक घटना की चर्चा इस आदरणीय सदन में हो रही है उसकी कहीं मिशाल नहीं मिलती। श्रीमन्, जनपद बाराबंकी राजधानी से लगा हुआ है। वहां देवांशरीफ थाना के अन्तर्गत यह घटना घटित हुई जिसमें 8 लोग मारे गये और दो मासूम बच्चे आग की लपटों में जल गये। यह सरकार कानून और व्यवस्था की बात करती है और प्रशासन के चुस्त-दुरुस्त होने की बात करती है। तो वह कितना चुस्त-दुरुस्त है उसकी मिशाल यह घटना है। इस दुर्घटना को टाला जा सकता था लेकिन पुलिस के निकम्मेपन और शासन की जातिवादी नीति के कारण यह घटना घटी। यह स्थिति बाराबंकी में ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता के सामने यह चिन्ता का विषय बना हुआ है। इस घटना में 8 लोगों की जानें चली गयी, उनके घर जल गये और पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। तो जो वहां के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस कर्मचारी हैं उन्हें तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिये, जो घर जल गये हैं उनको समुचित मुआवजा दिया जाय और मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपया दिया जाय। यह सरकार हर्जाना के रूप में दे। यह मामला बहुत ही अविलम्बनीय और लोक महत्व का है, समस्त कार्यवाही रोक कर इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

(श्री राम तेज यादव एडवोकेट के खड़े होने पर) यह बात तय हो गयी कि आपकी तरफ से केवल दो लोग बोलेंगे।

*श्री राम तेज यादव एडवोकेट—

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि घाघरा नदी के एक तरफ देवां शरीफ है और दूसरी तरफ मेरा क्षेत्र जिससे देवांशरीफ लगा हुआ है पड़ता है। लोगों के यहां जो इस क्षेत्र के हैं, मेरा आना जाना है उन लोगों ने मुझे जानकारी दी है कि यह भूमि का विवाद काफी वर्षों से चल रहा था। डी०एम०, एस०पी० को लिखित रूप में दिया हुआ था कि कभी भी इस विवाद के कारण स्थिति खराब हो सकती है लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। कल जहां पर यह दुर्घटना हुई है वह थाने से चार कदम पर है जब एक आदमी मर गया तो पुलिस के संज्ञान में आ गया और उसी वक्त तत्परता से कार्यवाही हो जाती तो बाकी 7 आदमी नहीं मारे जाते।

श्री अधिष्ठाता—

आपको एक मिनट से ज्यादा हो गया।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट—

तो पुलिस ने इसे रोकने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की यह सरकार के लिये शर्मनाक है सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिये। (व्यवधान) मेरी मांग है कि जिन लोगों के घर जल गये हैं उन्हें समुचित मुआवजा दिया जाय और जो मर गये हैं उनके आश्रितों को भी समुचित मुआवजा दिया जाय। इस पर चर्चा होनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर) पाल साहब आप बराबर बोलते रहते हैं। माननीय दिवाकर विक्रम सिंह और माननीय डा० अम्मार साहब को बोलने दें।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, आप इस पूरे विषय को देखे थाने के बिलकुल नजदीक यह भूमि का विवाद है, यह आज का नहीं निश्चित रूप से काफी दिनों से विवाद चल रहा होगा और उसके बाद भी कोई कार्यवाही न किये जाने के कारण यह हृदय विदारक घटना हुयी । 7—7 लोग पकड़ कर मार दिये जायं और एक ढाई वर्ष का बच्चा जलाकर मारा जाय इससे ज्यादा श्रीमन् नृसंश हत्या और क्या हो सकती है ? ऐसे अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही स्थगित कराके चर्चा की मांग करता हूँ।

* जगदम्बिका पाल—

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर घटना है।

एक सदस्य—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है जो अभियुक्त हैं किसी विधायक ने उनकी जाति का नाम नहीं लिया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, कार्यस्थगन की ग्राह्यता के 3 बिन्दु हैं, एक तो घटना की तात्कालिता, सुनिश्चित घटना और लोकमहत्व, मैं समझता हूँ कि कार्य स्थगन के तीनों बिन्दु इस घटना में हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि जाति का नाम नहीं लिया तो हत्यारों की कोई जाति नहीं होती है। इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनके खून में और हम लोगों के खून में कोई अन्तर नहीं है। सरकार यह नारा देती है कि अब न चलेगा जंगल राज, अब होगा कानून का राज।

श्री अधिष्ठाता–

इस घटना के बारे में कोई नयी जानकारी हो तो कहें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आप यहां नहीं बैठे हैं, आप वहां बैठे हैं। सरकार द्वारा निरन्तर कानून और व्यवस्था सुधारने की बात कही जाती है लेकिन जिस तरह से कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है उससे प्रदेश त्रस्त है। राजधानी में सहायक अभियंता की हत्या हुई, मुख्य मंत्री की चेतावनी के बाद कि हत्यारे 7 दिन में गिरफ्तार किये जायं लेकिन आज भी हत्यारे पकड़ के बाहर हैं। मेफेयर मैनेजर हत्याकांड हुआ और कानपुर में घटना घटी, कुल 4 घंटे खूनी संघर्ष होता रहा और करीब स्थिति थाने के लोग और प्रशासन के लोग घटनास्थल पर नहीं गये। जब हत्यारे घटना को अंजाम दे चुके, हत्या कर चुके और छोटे-छोटे बच्चों को जो किलकारियां मार रहे थे उनको आग लगाकर मार चुके तब तक पुलिस प्रशासन उदासीन रहा। जब भूमि विवाद था तो पुलिस प्रशासन को 107/117 में लोगों का चालान करना चाहिये था। घायल लोग रात तक जीवन मृत्यु से संघर्ष करते रहे लेकिन उनको अस्पताल में दाखिल कराने की व्यवस्था नहीं थी।

उससे गम्भीर बात है मान्यवर, गांव के आधा दर्जन परिवार के लोग गांव छोड़ चुके हैं भय के कारण। इसमें सरकार की क्या जिम्मेदारी है? किसी गांव के लोग असुरक्षा की भावना से गांव छोड़कर जा रहे हैं यह सरकार के लिये, कानून व्यवस्था के लिये एक चुनौती है। मान्यवर, वहां पर इस तरह की घटना हो गई। मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि इस घटना के बाद भी मृतकों को कोई मुआवजा नहीं मिला। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इसे कार्य-स्थगन के लिये स्वीकार करें और चर्चा करायें।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

तिवारी जी सारी बातें इसमें आ चुकी हैं।

*श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं बोलने के लिये खड़ा ही हुआ कि आपने कह दिया कि सारी बातें आ गयीं। मान्यवर, आपको कैसे पता चला कि मैं क्या कहने वाला हूं। मान्यवर, आप इस पीठ से निर्देश दे दें कि एक सत्र में एक ही विषय दो दिन उठाया जायेगा तो मैं फिर कल बोलूंगा। मान्यवर, मान्यवर, यह गम्भीर प्रकरण है। यह घटना आसान और साधारण नहीं, दुःखद है। एक बीघा जमीन का मामला है। उसको लेकर काफी दिनों से संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी हुई थी। प्रशासन ने उस झगड़े को समाप्त करने के बजाय राजस्व विभाग के स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने उसको गलत इन्द्राज करके बढ़ा दिया। एक पक्ष दूसरे पक्ष के हिलाफ हो गया। इसके

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिये स्थानीय पुलिस दोषी है। यह घटना एक बार में नहीं हुई। पहले एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। जिस पक्ष की हत्या कर दी गई उन्होंने तमाम लोगों को इकट्ठा किया और बदले की भावना से दूसरे पक्ष के घरों में आग लगा दी जिससे चार लोग जल गये और 3 लोग जिन्दा दफन हो गये। पुलिस प्रशासन और भू-राजस्व कहां सो रहा था जरा सी भी सदाशयता दिखाई होती अपने स्वार्थ के ऊपर इनको रखा होता तो ऐसा न होता। सबसे बड़ा बिन्दु है मान्यवर, इसकी जाँच होनी चाहिए एक व्यक्ति मारा गया पुलिस क्यों नहीं पहुँची ? क्यों समय दिया गया कि वह दूसरा पक्ष और लोगों को इकट्ठा करके बदले की भावना से यह काम किया। मान्यवर, पाँच मिनट का समय नहीं लगा होगा लोगों को इकट्ठा करने में। इसमें घंटों लगा होगा। मैं प्रशासन से जानना चाहूँगा कि यह भयमुक्त राज्य की बात करते हैं, निष्पक्षता की बात करते हैं। पुलिस प्रशासन कहां सो रहा था कि इतने करीब यह घटना हुई और आपको पता भी नहीं लगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसकी अविलम्ब जाँच होनी चाहिए उच्च स्तरीय और जितने भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। हमारे विधायक संग्राम सिंह जी का क्षेत्र लगता है। वह घटना का दौरा करने गये हैं इसलिये मैं कह रहा हूँ कि अगर वह आ जाते तो सारे तथ्य सही-सही आ जाते। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि अगर आपमें साहस हो तो इसकी जाँच समयबद्ध करायें। डी० आई० जी०, एस० एस० पी० स्तर के लोगों की टीम बना दीजिये। सात लोगों की हत्या हो गयी अगर शर्मदार सरकार होती तो इस्तीफा दे देती। यह शर्मदार नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता—

तिवारी जी कोई नयी बात हो तो कहें।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, आप कह रहे हैं नयी बात, मैं नई बात ही कह रहा हूँ। यह शर्मदार वाली बात किसी ने नहीं कही थी अभी तक।सदन की गरिमा यहाँ से भी बढ़ती है और वहां से भी। एक तरफ से बोलकर सदन की गरिमा नहीं बढ़ेगी। मैं बोल रहा हूँ सुन तो लीजिये। मान्यवर, इसमें सख्त से सख्त कार्यवाही कराई जाय। जो लोग मारे गये हैं उनके परिवार को मुआवजा दिलवाइये। किस व्यक्ति ने खड़े होकर मौके पर वारदात कराई है ?

इससे सारी सच्चाई सामने आ जायेगी।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मुझे बोलने का समय दे दें एक विधायक की उपस्थिति में यह सब हुआ है।

श्री अधिष्ठाता—

नोटिस पर आपके हस्ताक्षर नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जिस घटना के बावत माननीय सदस्य ने इसको उठाया है सचमुच यह घटना काफी गम्भीर है जैसा प्रमोद कुमार जी ने बताया घटना की शुरूआत जमीन के विवाद से होती है। इसमें मान्यवर देवां थाना में बद्री, रामस्वरुप दो भाई थे। बद्री ने एक राधा नाम की औरत से शादी कर ली और उसको रख लिया। उसके साथ एक लड़का रामखेलावन आया। बद्री ने जिन्दा रहते अपनी प्रापर्टी को तीन हिस्सों में बांट दिया। 1/3 हिस्सा राधा, 1/3 हिस्सा रामस्वरुप और 1/3 हिस्सा रामखेलावन को दे दिया। बद्री के मरने के बाद कुछ दिन बाद राधा मर गई। राधा की 1/3 जमीन जो थी उसको रामस्वरुप ने अपने नाम करा लिया और राजाराम यादव और अवधेश सरन वर्मा को जमीन बेच दी। रामखेलावन ने इस जमीन को बंटाई पर दे दिया। मान्यवर, 29 तारिख को घटना हुई है रघुवर यादव जमीन की रोपाई करके वापस आ रहा था उसमें राजाराम यादव और अवधेश सरन वर्मा से कहा-सुनी हुई। उसमें एक व्यक्ति मुंशी यादव पुत्र नागेश्वर यादव की मृत्यु हो गई। रघुवर यादव के द्वारा उनके घर फायरिंग की गई और आग लगा दी जिससे कई लोगों की मृत्यु हो गई। जहाँ तक स्थानीय पुलिस का मामला है दोनों तरफ से एफ० आई० आर० लाज की गई यह कल की घटना है। कल ही पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ जोन, पुलिस उपमहानिरीक्षक, फैजाबाद परिक्षेत्र, पुलिस अधीक्षक के साथ सारे पुलिस अधिकारी घटना-स्थल पर गए हैं। तुरन्त तात्कालिकता बरती गई है। आई० जी० स्तर के अधिकारी घटनास्थल पर गए। सारी स्थिति पर सतर्कता से दृष्टि रखी जा रही है। पुलिस इसमें तत्परता से सारी कार्यवाही करने में लगी है। यह आपसी विवाद से घटना हुई है इस तरह की वारदात जमीन के विवाद को लेकर हुई। जैसा कि बाजपेयी जी ने कहा। जातीय हिंसा का मामला है, तो ऐसा नहीं है यह जातीय हिंसा का मामला नहीं है दोनों यादव हैं फिर जातीय हिंसा कैसे हो गई यह कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश का लॉ एण्ड आर्डर न बिगड़े। कानून व्यवस्था न बिगड़े। जो इनकी मंशा है कि 356 के तहत कार्यवाही की जा सके तो यह पूरा होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को यह सरकार बिगड़ने नहीं देगी। यह नियम 56 में नहीं आता है इसको आप अग्राह्य करें।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर मैंने श्री डा० अशोक बाजपेयी, श्री अवधेश प्रसाद, श्री राम तेज यादव एडवोकेट, श्री दिवाकर विक्रम सिंह, श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार तथा संसदीय कार्यमंत्री को सुना। यह नियम 56 में नहीं आती इसलिए यह अग्राह्य की जाती है।

अगली सूचना श्री विनोद मणि जी की है।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, हमारे पूर्वांचल में महाराज गंज, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, सिद्धार्थनगर, पडरौना, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, बनारस आदि पूर्वांचल के 30 जिलों की यह समस्या है। माननीय सदस्यों को जिला योजनाओं का जो पैसा मिलता था उसको मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा 50 प्रतिशत कटौती कर दी गई उसे अम्बेडकर ग्राम योजनाओं में लगा दिया गया है। यह सिर्फ हमारा ही सवाल नहीं है यह किसी एक विधायक का सवाल नहीं है यह हर विधायकों का सवाल है इस सवाल से सबकी भावनायें जुड़ी हुई हैं। जिला योजनाओं के माध्यम से विधायक अपने-अपने क्षेत्रों के विकास का प्रस्ताव करते हैं। 50 प्रतिशत की कटौती जिला योजनाओं में की गई है। यही नहीं पूर्वांचल विकास निधि जिसकी स्थापना पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने की थी। पूर्वांचल के 30 जिलों की 8 करोड़ आबादी में इस साल उत्तर प्रदेश की सरकार ने सिर्फ 92 करोड़ रुपये की योजना बनाई है।

श्री अधिष्ठाता–

आपने जिला योजना के सम्बन्ध में नोटिस दी है उसी तक अपने को रखें।

श्री विनोद मणि–

इस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार मायावती की सरकार जो विकास का नारा दे रही है, उत्तर प्रदेश के सभी विधायकों के अधिकारों में भारी कटौती करके विकास के रास्ते को रोका जा रहा है। यह सवाल विधायकों के अस्तित्व का सवाल बन गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि पूर्वांचल विकास निधि की जब स्थापना की गई थी इसी विधान सभा में पूर्व मुख्य मंत्री मुलायम सिंह जी के जमाने में उसमें एक बात कही गई थी कि आने वाले वर्षों में प्रति वर्ष डेढ़ गुने धन की इसमें वृद्धि की जायेगी। मैं जानना चाहता हूँ कि इस योजना को बनाए हुए कितने साल बीत गए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन को रोका जा रहा है। विकास की बात करने वाली सरकार इस बात को साबित कर दी है कि यह सरकार पूर्वांचल का विकास नहीं करना चाहती है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री विनोद मणि–

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह सवाल लोक महत्व का है, और अविलम्बनीय भी है, यह सुनिश्चित है, यह सारे विधायकों से जुड़ा हुआ सवाल है इस पर चर्चा करवाने की कृपा करें।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, हमने भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की है और इसमें विकास की सभी को जरूरत है। लेकिन सदियों से जो विकास की दौड़ में पिछड़ गये हैं उन्हें आज ज्यादा विकास की जरूरत है। मान्यवर, जो सदियों से पिछड़े थे जिनके वहां दीपक नहीं जला, ऐसे लोगों के विकास के लिए, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हमारी सरकार प्राथमिकता देकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कटिबद्ध है। मान्यवर, ऐसे क्षेत्र जो उपेक्षित रहे हैं और पिछड़े रहे हैं उनका विकास यह सरकार प्राथमिकता के आधार पर करेगी। हम चाहते हैं कि यह प्रदेश खुशहाल प्रदेश बने और इसके लिए एक-एक इन्सान जब तरक्की करेगा तभी प्रदेश खुशहाल बन सकेगा। तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि जो नीचे रह गये हैं उनको सहारा देकर ऊपर उठाया जाय। इसलिए विकास की दौड़ में जो पीछे रह गये हैं ऐसे लोगों को विकास की अधिक जरूरत हैं। इसलिए सरकार ऐसे लोगों की तरक्की के लिए विशेष उपाय कर रही है। मान्यवर, उन्होंने तो नहीं किया लेकिन हम जब उनका विकास कर रहे हैं तो उनको पीड़ा और दर्द हो रही है। परन्तु यह सरकार ऐसे लोगों की जो सदियों से पिछड़े रहे हैं उनका विकास करने के लिए कटिबद्ध है। इसलिए नियम-56 में यह नहीं आता है, अतः इसे अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, और संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुचा हूं कि यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है इसलिए इसे अग्राह्य करता हूँ।

अगली सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री राजधारी, श्री गौरी शंकर एडवोकेट की है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा का समय दिया। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 30 हजार बच्चे पोलियो के शिकार हो रहे हैं जिससे वे विकलांग हो जाते हैं। विकलांग होने का मूल कारण है पोलियो और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पोलियो बढ़ रहा है उससे विकलांगों की संख्या बढ़ रही है। मान्यवर, अभी कृत्रिम/अवयव अध्ययन शोध संस्थान के अध्यक्ष ने इस संबंध में बड़ी तत्परता से शोध किया है और उसमें पाया है कि जब बच्चों को तेज बुखार आता है तो उनकी मांसपेशियों में दर्द होता है और उसमें जो दवा दी जानी चाहिए उसका अभाव है तथा जो दवाई मिलती भी है तो घटिया होने के कारण बच्चे पोलियो के शिकार हो जाते हैं जिससे जीवन भर के लिए वे अपंग हो जाते हैं। मान्यवर, घटिया और सब स्टैन्डर्ड दवाओं के कारण पूरा प्रदेश तबाह हो रहा है। देहातों और मलिन बस्तियों में जहां तेज बुखार होता है वहां सही डाक्टरों का अभाव है और झोला छाप डाक्टरों के इलाज से बच्चे पोलियो के शिकार हो जाते हैं। यह श्रीमन् बहुत गम्भीर और सनसनीखेज घटना है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से प्रतिवर्ष पोलियों के शिकार होकर 30 हजार बच्चे विकलाँग हो रहे हैं उसके लिए सर्वेक्षण किया जाये और उस सर्वेक्षण में सरकारी अस्पतालों में प्राथमिकता हो और दवा देने की व्यवस्था हेल्थ सेन्टर पर, ग्रामीण इलाके में सभी जगह पर व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग टीमें बनाकर तेजी के साथ सर्वेक्षण कराये। यह गम्भीर और संवेदनशील मसला है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें इसका जिक्र नहीं है चूँकि यह प्रतिवर्ष 30 हजार बच्चों के जीवन से जुड़ा सवाल है इसलिये मैं निवेदन करना चाहूँगा कि बजट में स्पेशल व्यवस्था की जाये। इस बीमारी की रोकथाम के लिये क्या-क्या उपाय किये जायें इसके बारे में "कृत्रिम अवयव शोध संस्थान" के डाक्टरों की राय है कि नमी के मौसम में जब बरसात हटती है उस समय इस बीमारी के कीटाणु शौच के जरिये बच्चों के मुँह में पहुँच जाते हैं और भयानक रोग लग जाता है। उनकी यह भी राय है कि अगर इस समय पोलियो की दवा पिलायी जाये तो ज्यादा कारगर होती है और विकलाँगता से बचा जा सकता है। यह जो पोलियो की दवा पिलायी गयी उसमें सबसे ज्यादा खर्च वाहनों और एडवरटाइजमेंट पर किया गया और जो गरीब लोगों के बच्चों को दवा पिलाने के लिए जगह-जगह पहुँचे उनके बच्चों को ड्राप नहीं पिलायी गयी। इसलिये यह गम्भीर मसला है। प्रतिवर्ष हमारे प्रदेश में 30 हजार बच्चे पोलियो के शिकार हो रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग अपंग बना हुआ हैं, लाखों रुपया खर्च होने के बाद भी इस पर रोकथाम नहीं हो पा रही है, यह चिन्ता का कारण है। इसलिये मान्यवर कार्य स्थगित कर इस पर चर्चा कराने की अनुज्ञा दें।

* श्री राजधारी–

श्रीमन्, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। हमारे वर्मा जी ने बड़े ही महत्वपूर्ण और एक दुखदायी घटना की तरफ जिक्र किया और जो शोध संस्थान के द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि 30 हजार बच्चे प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में पोलियो से विकलांग हो जाते हैं। मान्यवर, यह गम्भीर संकट उत्तर प्रदेश के लिये है और सीधे जन-स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सवाल है। माननीय वर्मा जी की पीड़ा से अपने को सम्बद्ध करते हुये वह अपेक्षा करता हूँ कि जन स्वास्थ्य के मामले को शासन गम्भीरता से लेते हुये आवश्यक कार्यवाही करेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री गौरी शंकर एडवोकेट के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री बी० आर० वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता जी, इस विषय पर जो सूचना है उसमें केवल दो माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं और दोनों को आपने सुन लिया है। समय कम है और आज अनुदान माँगें भी पास होनी हैं।

श्री गौरी शंकर एड़वोकेट–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूँगा और कोशिश करुँगा कि इसकी पुनरावृत्ति न हो। मान्यवर, यह अत्यन्त लोक महत्व और संवेदनशील विषय है। आने वाली पीढ़ी को आप कैसा बनाना चाह रहे हैं। आज पोलियो रोग से ग्रसित नई पीढ़ी आ रही है। मान्यवर, इस पर विचार करने की जरूरत है कि यह जो पौध तैयार हो रही हैं जो 21 वीं सदी के नागरिक होगें वह कैसे हों। आज उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 30 हजार बच्चे पोलियों के शिकार हो रहे हैं। शासन का ध्यान जिस गम्भीरता से जाना चाहिए उस गम्भीरता से नहीं जा रहा है, जिस तरह से अस्पतालों में व्यवस्था होनी चाहिए वह नहीं हो रही है, यह अत्यन्त लोक महत्व का विषय है इस पर शासन को आपका निर्देशन होना चाहिए। इस पर शासन क्या कार्यवाही करेगी ताकि आने वाली पीढ़ी स्वस्थ्य हो और एक अच्छे भारत का निर्माण कर सके। इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए, इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस लोक हत्व के विषय पर सारा कार्य रोक कर चर्चा करायी जाये।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जिस गम्भीर विषय पोलियो के बारे में माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाया है, उसके संबंध में बताना चाहूंगा कि पोलियो उन्मूलन के लिये राज्य सरकार पूर्ण रुप से सचेष्ट है और इस ीबमारी से बचने के लिये प्रतिरोधात्मक टीकाकरण कार्यक्रम नियमित रूप से विभिन्न चिकित्सालयों में चलाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिये भी सरकार पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम जिसे दिसम्बर और जनवरी माह में चलाया गया था, कर चुकी है। इस कार्यक्रम में 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की वैक्सीन दो बार पिलायी गयी। वर्ष 1996 में 7 दिसम्बर को और 1997 में 18 जनवरी को यह अभियान दो चरणों में चलाया गया। इस अभियान के अन्तर्गत 2 करोड़ 27 लाख 39 हजार 203 बच्चों को पल्स पोलियो पिलायी गयी और 5 वर्ष से अधिक के 8 लाख 83 हजार 997 बच्चों को पोलियो दवा दी गयी। द्वितीय चरण 2 करोड़ 54 लाख 107 बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलायी गयी। इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता के आधार पर लिया गया, यही सरकार की मंशा है, चाहत है। जिस बीमारी से बच्चे अपंग हो जाते हैं, उनका सुखमय भविष्य नर्क बन जाता है, इसके प्रति सचेत हो कर सरकार अभियान चला रही है कि पोलियो की बीमारी को जड़ से समाप्त किया जाय ताकि एक भी बच्चे इस बीमारी से ग्रसित न हो। उन्हें विकलांग होने से बचाया जाय जिससे वह भारत के स्वस्थ्य नागरिक बनकर देश की सेवा कर सकें। इसके लिये सरकार सचेष्ट है और विशेष अभियान चलाकर पल्स पोलियो कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह सूचना नियम 56 में नहीं आती, इस लिये इसको अग्राहय घोषित करें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय रघुवर दयाल वर्मा, श्री राजधारी, श्री गौरी शंकर एडवोकेट तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद, चूँकि यह सूचना नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आती, इस लिये इसे अग्राहय करता हूँ। अगली सूचना श्री राम औतार शाक्य तथा श्री राम विशुन आजाद की है।

[समय 4 बजकर 15 मिनट]

[श्री राम औतार शाक्य का नाम पुकारे जाने पर व्यवधान]

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है आज बजट होने के नाते समय नहीं रह गया है जो नियम 56 की सूचनायें ली जा रही हैं उनको कल के लिए स्थानान्तरित कर दें।

श्री अधिष्ठाता–

इसे देख लिया जायेगा।

श्री मित्रसेन यादव–

इसका मतलब यह है कि सरकार चाहती है कि बजट पर बहस न हो बजट ऐसे ही पारित हो जाए।

*श्री अधिष्ठाता–

आप ही दोनों बात कहते हैं। नियम 56 में सुना जाए तो दूसरी बात कहते हैं और न सुना जाए तो दूसरी बात कहते हैं।

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री स्वयं नहीं चाहते हैं कि बजट पर बहस हो।

(व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा०–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय सदस्यों की भावनायें परिलक्षित हुई हैं और मैंने स्वयं शुरू में अनुरोध किया था कि ग्राह्यता पर पाँच लोगों को सुना जायेगा लेकिन यहां एक नई परिपाटी देखने को मिली। मान्यवर, चार-चार विभाग के बजट है माननीय सदस्य उस पर बोलना चाहते हैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दीजिए। सरकार पूरी तरह से पारदर्शी है और चाहती है कि खुलकर चर्चा हो। जो उनकी शिकयत है उनको हम सुझाव के रूप में लेना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं इसलिये मैं चाहता हूँ कि बजट पर बहस हो।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया, सत्ता पक्ष और विपक्ष भी चाहता है इसलिए अब तो कम से कम आप बजट प्रस्तुत करायें।

श्री अधिष्ठता–

अब यह बात माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रख दी तब तो आप सब लोगों ने कहा कि नियम 56 हमारा सुन लिया जाए और यह नियम 311 की 56 में बदली हुई सूचना थी इसलिये उसको पांच के बजाय 10 सूचनाओं को लेने की बात थी अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष सहमत हैं तो इसे रोक दिया जा रहा है, कल ले लेते हैं।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, शासन का ध्यान आकृष्ट कर दें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राम औतार शाक्य और श्री राम विशुन आजाद की सूचना जो प्रदेश में जिला एवं पुलिस प्रशासन में प्रकीर्ण प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु क्षेत्राधिकारी का स्पष्ट कार्य विभाजन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। अगली सूचना माननीय मित्रसेन यादव जी की बाँदा एवं चित्रकूट नगर में दूषित पेयजल की आपूर्ति किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाओं को नियम 56 के अन्तर्गत चयनित नहीं किया गया है, अतः उसको अस्वीकार किया जा रहा है जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयीं उनके नाम हैं श्री धर्मज्ञ मिश्र, श्री चन्द्रनाथ सिंह, श्री गौरी शंकर एडवोकेट, श्री समरपाल सिंह, श्री पारसनाथ यादव, श्री विजयपाल सिंह, श्री रामप्यारे, श्री रामाधार सिंह, श्री ओम प्रकाश, श्री अरिमर्दन सिंह, श्री सीताराम निषाद, श्री कौकब हमीद, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री अमरमणि, श्री सुधाकर सिंह, श्री स्वामी ओइम्वेश, श्री राम सिंह सैनी, श्री सौलत अली, चौधरी रिफाकत हुसैन, श्री कैलाश यादव, श्री मूल चन्द, श्री विनोद मणि, श्री विजेन्द्र आर्य, श्री दयाशंकर वर्मा, श्री राजपाल सिंह, श्री सुरेन्द्र नाथ, श्री प्रमोद कुमार तथा श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल।

वित्तीय वर्ष 1977-98 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 47 प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

उच्च शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौड़)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 47–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 66,64,62,000 रुपये से अनाधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, प्राविधिक शिक्षा के बारे में यह मैं कहना चाहता हूँ कि 50 वर्षों के बाद तकनीकी शिक्षा में विस्तार जरूर हुआ है लेकिन उसमें गुणवत्ता की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सरकार बनने के बाद शिक्षा में क्षमता, प्रसार, गुणवत्ता तथा दक्षता सुधार के निमित्त विश्व बैंक की सहायता से लगभग 233 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न परियोजनायें हम उत्तर प्रदेश में लागू कर रहें हैं। इस समय उत्तर प्रदेश के अन्दर एक रुड़की इंजिनियरिंग विश्वविद्यालय, 11 इंजिनियरिंग कालेज तथा 85 पालिटेकनिक कार्य कर रहे हैं। गुणवत्ता सुधार की दृष्टि से प्रदेश के अन्दर अनेक कार्यक्रम को लागू किया गया है। उस दृष्टि से मान्यवर, टेक्निकल एजूकेशन को अधिक रोजगार परक तथा उद्योगों से, वहां पर उद्योगों में लोगों को अवसर मिल सके इसलिए 77 पाठ्यक्रम, 3 संस्थाओं में, 4 नये पोस्ट ग्रेजुऐट डिप्लोमा, 20 संस्थाओं में प्रारम्भ किये गये हैं। सरकार का प्रयास है कि तकनीकी शिक्षा में इंजिनियरिंग कालेज में पालिटेक्निक में एडवांस कोर्स बढ़ाएं जायें इस दृष्टि से शासन स्तर से अनुमति प्रदान की है। 1995 में उ० प्र० के अन्दर इंजिनियरिंग कालेज में प्रवेश की क्षमता मात्र 1688 थी जो लोग अपने बच्चों को इंजिनियरिंग पढ़ाना चाहते थे उन्हें दूसरे प्रदेशों में भेजना पड़ता था प्राइवेट सेक्टर में कालेज खोलने का निर्णय लिया गया, 1996-97 में 7 ऐसे कालेज तथा 4 विश्वविद्यालयों में इन्जिनियरिंग शिक्षा देने के लिए अनुमति प्रदान की। वर्तमान सरकार बनने के बाद 4 महीने के अन्दर 12 इंजिनियरिंग कालेज प्राइवेट सेक्टर में खोलने की अनुमति सरकार ने दी है। इससे प्रवेश क्षमता 1688 से बढ़कर 4000 हो जायेगी।

सभी राजनीतिक दल महिलाओं के उन्नयन की बात करते हैं मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि महिलाओं के उन्नयन के लिए उन्होंने क्या किया । 7 वीं पंचवर्षीय योजना में उ० प्र० के अन्दर तकनीकी शिक्षा में महिलाओं का प्रतिशत मात्र 10 या 8वीं योजना में यह 19 प्रतिशत हो गयी। हमारी सरकार ने संकल्प किया है कि आगामी 3 वर्षों के अन्दर प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं के लिए पालिटेक्निक खोलेंगे और यह प्रतिशत 30 ले जायेंगे तकनीकी शिक्षा उपलब्ध होगी तो रोजगार के अवसर भी मिल सकेंगे।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा था हमारे देश के अन्दर विकलांगों की संख्या करोड़ों में है और उत्तर प्रदेश के अन्दर लाखों में है। विकलांगों के लिए तकनीकी शिक्षण संस्थान नहीं था। 10 करोड़ की लागत से कानपुर में हम इस संस्थान का निर्माण करने जा रहे हैं। इसका शिलान्यास हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी ने किया था तथा माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। इस तकनीकी शिक्षण संस्थान में प्रारम्भ में हम कम्प्यूटर इन्जीनियरिंग, आर्किट्रेक्चरल असिस्टेन्सशिप तथा स्टैनोग्राफी के पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करेंगे और नवम्बर तथा दिसम्बर माह तक इस संस्थान में शिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ हो जायेगा। विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में एम० फिल व पी०एच०डी० के लोगों को जो लाभ मिलता था वह लाभ इन्जीनियरिंग कालेज में कार्यरत प्रवक्ताओं को नहीं मिलता था। इतनी पार्टियों की सरकारें आई परन्तु उनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया परन्तु हमने इस बात को सोचा कि उन्हें न्याय मिलना चाहिये इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि इन्जीनियरिंग कालेजों में जो हमारे शिक्षक हैं उन्हें हम सीनियर स्केल व सेलेक्शन ग्रेड देंगे। एम० टेक० व पी०एच०डी० प्राप्त शिक्षकों को क्रमशः 2 एवं चार वर्ष का लाभ दिया गया और बेसिक साइन्स में एफ० फिल, पी०एच०डी० प्राप्त शिक्षकों को क्रमशः एक एवम् तीन वर्ष का लाभ दिया गया है। इसे हमने एक जनवरी, 1986 से लागू किया है। इससे हमारे इन्जीनियरिंग कालेज के शिक्षकों को लाभ मिला है। हमने प्रदेश के अन्दर इन्जीनियरिंग कालेजों में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की सुविधा प्रदान की है तथा राज्य कर्मचारियों के समान चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की सुविधा भी अनुमन्य की है। कर्मचारियों के पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के संबंध में शासनादेश भी निर्गत कर दिया गया है।

आज हम देश की आजादी की 50 वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हमने अनुदानित पालीटेक्निक्स में शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की जो सेवा नियमावली नहीं बनी थी, उसे बनाकर जारी कर दिया है। प्रदेश के इन्जीनियरिंग कालेजों में स्नातकोत्तर शिक्षण के उन्नयन की दिशा में भी कार्यवाही की है। इन संस्थाओं में उच्च एवं अनुसंधानपरक तकनीकी शिक्षा को उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में विकसित किये जाने के संबंध में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। जैसा कि आई०आई०टी० लखनऊ में बायोटैक्नोलाजी तथा इन्वायरमेंटल साइन्स को प्रारम्भ कर दिया है साथ ही मोतीलाल नेहरू रूरल इन्जीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद में मास्टर आफ मैनेजमेंट साइन्स के नये पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ कर दिया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न कालेजों में कम्प्यूटर एडेड प्रोसेस एण्ड कंट्रोल, कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग, इन्फार्मेटान टैक्नोलाजी, कैड/कैम सिस्टम, इन्सट्रूमेंटेशन इन्जीनियरिंग, कास्ट इफेक्टिव कंस्ट्रेंक्शन टेन्कोलाजी, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम मैनेजमेंट इत्यादि पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ किये जाने हेतु 9वीं पंचवर्षीय योजना में लक्षित किया है।

उत्तर प्रदेश में रुड़की विश्वविद्यालय देश के उत्कृष्टतम् विश्वविद्यालयों में से एक है। इसमें सुधार की दृष्टि से अनेकों कदम उठाये हैं। हमारे यहां आई०आई०टी० को तकनीकी शिक्षा का श्रेष्ठ संस्थान माना जाता है परन्तु हमारी रुड़की विश्वविद्यालय भी उसी के समकक्ष है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने रुड़की के प्रवक्ताओं को आई०आई०टी० के समान वेतनमान प्रदान किये हैं। ऐक्ट में भी अमेन्डमेंट किया है। सीनेट व सिंडिकेट की संख्या को कम किया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूँ कि वर्ष 1996-97 में रुड़की विश्वविद्यालय के अन्दर पुस्तकायल का बजट मात्र 50 लाख रुपया था उसे इस वित्तीय वर्ष में 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़10 लाख रुपया कर दिया है जिससे एक अच्छा पुस्तकालय बन सके और वहाँ पर अच्छी-अच्छी पुस्तकें मिल सकें और विद्यार्थियों को उससे लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, उप-पुस्तकालयाध्यक्ष और पुस्तकालयाध्यक्ष के वेतनमान को शासन द्वारा पुनरीक्षित किया है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि वर्ष 1995-96 रूड़की विश्वविद्यालय की आय-व्ययक के माध्यम से आयोजनेत्तर व्यय में मात्र 50, 60 लाख रुपया अनुदान दिया जाता था। हमने उसे वर्ष 1996-97 में बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है।

मान्यवर, डिस्पेसरियों को उच्चीकृत करने के लिए काफी धन का आवंटन किया गया है। वहाँ पर शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए किसी राजकीय चिकित्सालय या उसके समकक्ष चिकित्सालयों की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। मान्यवर, मैं आपको अवगत कराना चहता हूँ कि शैक्षिक संस्थाओं में अनेक शिक्षकों के पद रिक्त थे। वर्ष 1996-97 में 166 तदर्थ नियुक्तियाँ की गयी हैं इस तरह से प्रदेश में 80 प्रतिशत पद भरे जा चुके हैं। कम्प्यूटर प्रोग्राम के 56 पदों को अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 1996-97 से अब तक 237 पदों का सृजन किया। मान्यवर, मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार का यह प्रयास है कि यथाशीघ्र तकनीकी शिक्षा में एक पद भी रिक्त न रहे। जिससे इसमें सुधार आयेगा। मान्यवर, प्रदेश के अन्दर महिलाओं को तकनीकी शिक्षा को बढ़ाने की दृष्टि से नये पोलिटेक्निक खोलने का निर्णय लिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में बादलपुर, सहारनपुर, इलाहाबाद मेजा जगहों में नये पोलिटेक्निक स्थापित किये जायेगें और इसके लिए 8 करोड़ रुपये की घोषित करा दिया है। टेक्निकल कालेजों में प्रवेश की परीक्षाऐं पूरी कराकर परीक्षाफल भी व्यवस्था का प्राविधान किया गया है। चकिया तथा अम्बेदकर नगर में नये पॉलिटेक्निक खोलने के लिए चार करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। मान्यवर, उच्च शिक्षा में प्राविधिक शिक्षा में गुणवत्ता हो इस हेतु सरकार ने कदम उठाये हैं। 21 पॉलिटेक्निक शिक्षकों को विश्व बैंक परियोजना से विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा गया है जिससे वे ट्रेंड होकर यहाँ आयें और छात्रों को अच्छी शिक्षा दें।

इसी तरह से लाइब्रेरियन के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। पॉलिटेक्निक में तदर्थ रूप से जो अध्यापक नियुक्त हुए हैं उनकी यह माँग वर्षों से चली आ रही हे कि हमें नियमित किया जाय हमारी वर्तमान सरकार का संकल्प है कि जितने भी हमारे तदर्थ रूप से अध्यापक नियुक्त हैं उसको शीघ्र विनियमित करने की कार्यवाही करने पर हमारी सरकार विचार कर रही है। हम लोग शीघ्र ही इस संबंध में निर्णय ले लेंगे ताकि उनको न्याय मिल सके। आज स्थिति यह है कि इंजीनियरिंग और पालिटेक्निक कालेजों में कहीं भी सत्र अनियमित नहीं है हमारी सरकार ने चार महीने में शासन स्तर से यह कदम उठाया है कि सत्र नियमित हो जिससे प्रदेश के अन्दर प्राविधिक शिक्षा का विस्तार हो उसमें गुणवत्ता स्थापित हो। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि कहीं कोई निर्माण कार्य हो जो टेक्निकल एजूकेशन के इंजीनियर होते हैं, जे०ई० होते हैं उनके माध्यम से यह कार्य कराया जाता है। सरकार का प्रयास है कि वहां पर जो छात्र पढ़ते हैं, उनको सही शिक्षा दी जाये और वर्क कल्चर, कार्य संस्कृति विकसित की जाये और यह शिक्षा के माध्यम से दी जा सकती है। शिक्षा में सुधार के लिये हम सबको मिल कर प्रयास करना होगा।

धन्यवाद।

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं०–47 प्राविधिक शिक्षा विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्रीमान् माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा यह बजट पेश किया गया है, हम सभी जानते हैं कि वैज्ञानिक युग है और उद्योगों का जमाना है और विषेश रूप से आज के समय में जब उदारीकरण की नीति है, वह देश के अन्दर चल रही है, यहां तक हमारे देश ने डंकल प्रपोजल्स पर हस्ताक्षर किये। जो आज हमारी उच्च शिक्षा का जो स्तर होना चाहिये वह हर क्षेत्र में अन्तराष्ट्रीय स्तर का होना चाहिये। मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ कि पंडित जवाहर लाल नेहरु ने कहा था, जिन्हें, मार्डन इण्डिया का आर्कीटेक्ट कहा जाता है, "किसी देश की महानता का सबूत उस देश के नागरिकों की संख्या नहीं, बल्कि उस देश के नागरिकों के गुण हैं"। तो मैं कहना चाहता हूँ कि क्या इस देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, उसको इस तरह से बनाने का काम करें जिससे दुनिया के स्तर पर होने वाली प्रतिस्पर्धा में हम लोग कम्पलीट कर सकें। दुनिया के अन्दर मान्यवर, जब हम बात करते हैं तो तीसरे नम्बर की सबसे बड़ी साइन्स एण्ड टेक्निकल मैन पावर कहलाने का गौरव प्राप्त होता है, लेकिन मान्यवर विकास की दर में हम बहुत पीछे हैं, इसका कारण है। उदाहरण के तौर पर मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। तो आज इस प्रदेश के अन्दर प्रति लाख इन्डस्ट्रियल वर्क फोर्स है, जो औद्योगिक जन-शक्ति है, उसके इम्पलायमेंट की दर 422 प्रति लाख है अगेन्स्ट नेशनल एवरेज आफ 7631 मान्यवर, यह अपने आप में इस बात को साबित करता है कि आज हम औद्योगिक दृष्टि से कितने पीछे हैं।

श्रीमन्, यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अन्दर प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, इंजीनियरिंग कालेज और छात्रों के प्रवेश क्षमता को बढ़ाने के बारे में जिक्र किया। मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक वैज्ञानिक एक्सलेस का सवाल है, इंजीनियरिंग एक्सलेस का सवाल है उसके बारे में पंडित नेहरू ने इंगित किया है उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है वह संख्या से नहीं गुणवत्ता से आ सकती है। हमारे जो इंजीनियरिंग कालेज हैं या जो पालिटेक्निक हैं, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हैं उनके अन्दर गुणात्मकता के सुधार के लिये इस बजट में कोई प्रस्ताव अंडर लाइन नहीं किया गया है बल्कि लीपापोती की बातें दोहराई गयी हैं।

श्रीमन्, 12 इंजीनियरिंग कालेज हमारे प्रदेश के अन्दर है। आज सवाल यह उठता है कि जो दुनिया के सामने दौड़ है औद्योगीकरण की उसे कैसे पकड़ सकते हैं। बहुत प्रसन्नता होती इस सदन के सम्मुख विचार होता कि जो यह आई० आई० टी० से, इंजीनियरिंग कालेज मे और दूसरे जो हायर इंस्टीट्यूशन हैं टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में जो दक्षता हासिल किये हुये छात्र हैं उनका मन विज्ञान से हटकर तकनीकी शिक्षा से हटकर, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से हटकर, प्रशासनिक सेवाओं की तरफ क्यों जा रहा है यह मूलभूत सवाल है जिस पर चर्चा होनी चाहिये जब देश आजाद हुआ था बहुत सारे लोग जो अंग्रेजी हुकूमत में शिक्षा लिये हुये थे वह हमारे देश के लिये उपयोगी नहीं थी आज भी जब अंग्रेज छोड़कर चले गये हैं वही शिक्षा व्यवस्था चली आ रही है अंग्रेजों ने जो हिन्दुस्तान में शिक्षा व्यवस्था चलाई थी उसमें हिन्दुस्तान के नवजवानों को किसी भी तरीके से टेक्निकल नो हाऊ से लैस कराना नहीं था वह ऐसी शिक्षा व्यवस्था चला रहे थे जिससे यहां बाबुओं की जमात खड़ी हो सके और वही आज भी चल रही है जिसमें ह्वाट कालर के लोग निकल रहे हैं।

अपने आप को इंजीनियर कहलाने वाला व्यक्ति गाड़ी में बैठकर जब दफ्तर जाता है तो थोड़ी सी भी तकनीकी खराबी गाड़ी में आ जाती है तो अपने आप उसे ठीक करने में अपनी गरिमा के खिलाफ समझता है उसमें वह अपनी तौहीन समझता है। गाड़ी के बोनट को खोलकर अपने हाथ काले नहीं करना चाहते। क्योंकि विदेशों के अन्दर जो इंडस्ट्रियल वर्कमैन बने हैं जिन्हें ब्लू कालर जाब कहा जाता है, जो अपने हाथ से काम करते हैं, अपने हाथ से काम करने में विश्वास रखते हैं ऐसी संस्कृति का विकास हम अपने देश में नहीं कर पाये। आज यह गंभीर विषय है, हमें सोचना होगा और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप बतायेंगे कि आई० आई० टी० कानपुर के अन्दर से जो आपका कम्प्यूटर इंजीनियर निकलता है या दूसरे इंजीनियर निकलते हैं उनमें से कितने प्रतिशत हिन्दुस्तान में काम करते हैं और कितने प्रतिशत का पलायन हो जाता है और वह विदेश चले जाते हैं। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह यह है कि हमारे वैज्ञानिक और तकनीकी दक्षता प्राप्त लोगों को यहां पर रिकनाइज नहीं किया जाता है उनको सुविधा देने की बात नहीं करते हैं। आज हमारे यहां लाल फीताशाही है हमारे यहां ब्यूरोक्रेट्स को रिकनाइज किया जाता है लिहाजा हमारे इंजीनियर्स, डाक्टर्स और तकनीकी शिक्षा प्राप्त लोग हमारे नौजवान अपने प्रदेश के अन्दर रोजगार नहीं पाते हैं और अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में नासा, नेशनल एजेंसी फार स्पेस जो संस्था एडमिनिस्ट्रेशन है वहां वैज्ञनिक बन जाते हैं। इसके अलावा आज ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया जरर्मनी में जाते हैं, जो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसके अन्दर आप देखेंगे कि हमारे देश के डाक्टर्स इंजीनियर्स कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। आज हम आजादी की पचासवीं वर्षगांठ, स्वर्ण जयंती मना रहे हैं क्या कारण है कि हमारे देश के हरगोविन्द खुराना अमेरिका जाकर नोबेल प्राइज पाते हैं और देश में हम ऐसा वातावरण क्यों नहीं बना पाये। इसी तरह से श्री चन्द्रशेखर अमेरिका जाते हैं और वहां जाकर चन्द्रशेखर लिमिट निर्धारित करते हैं लेकिन यहां पर हिन्दुस्तान में जो वैज्ञानिक हैं वह कोई कीर्तिमान क्यों नहीं स्थापित कर पा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस बात से कुछ होने वाला नहीं है कि 1600 की जगह आप 1900 छात्रों को प्रवेश दे दें। कोई टारगेट मानक, यार्डस्टिक आप बनायें कि हम इतना लक्ष्य प्राप्त करेंगे जिस दिन आप यह बता पायेंगे कि उत्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेजेज मे विश्वविद्यालयों से निकलने वाले इतने छात्रों को सी० एस० आई० आर० स्कालरशिप प्राप्त हुई है, इंजीनियरिंग कालेजेज से निकलने वाले इतने छात्रों को कामनवेल्थ स्कालरशिप प्राप्त हुई है और प्रेस्टीजियस इंडस्ट्रियल हाउसेज द्वारा स्थापित छात्रवृत्ति इतने लोगों को मिली है उस दिन यह समझा जायेगा कि आप शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। आज क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में विश्वास की बात चल रही है। जब ग्लोब्लाइजेशन की बात हम कर रहे हैं, आर्थिक उदारीकरण की बात हम कर रहे हैं, बाजारीकरण की बात हम कर रहे हैं तो हमें शिक्षा को रोजगार परक बनाने की जरूरत है। आज गेट एग्रीमेन्ट पर जब हमने साइन किया है तो कुछ दिनों बाद यह सवाल होगा कि हिन्दुस्तान के अन्दर बाहर की चीजें बिकें। हिन्दुस्तान के अन्दर बड़े-बड़े पब्लिक सेक्टर खोल दिये गये और क्या किया कि विदेश से कोई मशीन ले आये और उसके पुरजे खोल कर दोबारा उनको एसेंबिल कर दिया और उस पर लिख दिया मेड इन इंडिया, इससे हमारा काम चलने वाला नहीं है। जब हमने गैट एग्रीमेंट और इंटेलेक्चुअल प्रापर्टी राइट सम्बन्धी दस्तावेज साइन किया है तो हम किसी दूसरे मुल्क द्वारा विकसित उत्पाद को अपने देश में निर्माण नहीं कर सकते और अगर वैसी ही चीज बनाना चाहते हैं तो बिना रायल्टी दिये उसका अपने देश में उत्पादन नहीं कर सकते हैं। लिहाजा आज इस तरफ सोचने की जरूरत है कि देश के अन्दर वैज्ञानिक संस्थानों में काम करने वाले लोग, कालेजेज में काम करने वाले, पढ़ने वाले लोग फंडामेंटल रिसर्च की बात सोचें तभी वह कोई नई चीज बना पायेंगे और कोई नया काम होगा। तब ही वास्तव में तकनीकी शिक्षा के जगत में इस देश का नाम उज्जवल कर सकते हैं। श्रीमन् इस बजट प्राविजन्स का सवाल है। मैं कहना चाहता हूं कि यह तो सरासर नाइन्साफी है कि जो आपने

बजट प्रस्ताव रखे हैं उनमें से तकरीबन 70 करोड़ के अनुपूरक अनुदान राष्ट्रपति शासन के दौरान पार्लियामेन्ट के द्वारा पारित किया जा चुका है इसलिये श्रीमन्, आप भाषण जितने भी लम्बे दे दें प्रदेश की तकनीकी एजूकेशन को प्रमोट करने के लिये कोई कार्यक्रम नहीं हैं। श्रीमन् मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि श्रीमन्, यहां पर किसी तरह की कोई कमी नहीं है अगर आप पूरे अमेरिका के अन्दर सर्वेक्षण करें साफ्ट वेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 20 प्रतिशत योगदान हिन्दुस्तान के इन्जीनियर्स का है पूरी दुनिया के देशों का मिलाकर 80 प्रतिशत है। यहां पर मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि रामानुजम हिन्दुस्तान के अन्दर दसवीं शताब्दयों के पहले पैदा हुये थे लेकिन आज भी गणित के क्षेत्र में रामानुजम का जो इक्वेशन है उस पर आज भी पी० एच० डी० आक्सफोर्ड और कैम्बरीज के अन्दर दिया जाता है। हिन्दुस्तान में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जाता तो अच्छा होता या इस दिशा में प्रकाश डालने की कोशिश की गयी होती एक बहुत अच्छा काम आपने बजट में किया है उसके लिये मैं आपको बधाई देना चाहता हूं मल्टी प्वाइन्ट इन्ट्री एण्ड क्रेडिट सिस्टम यह बहुत अच्छी बात है। दकियानूसी छोड़कर अच्छा कार्य किया है। जो प्रतिभावान छात्र अपने 3 साल के पाठ्यक्रम को दो साल में समाप्त कर सकते हैं।. यह बहुत अच्छा संकेत है।

श्री अधिष्ठाता–

चौहान जी अब आप समाप्त करें। अभी और सदस्यों को भी बोलना है।

श्री मुन्ना चौहान–

इसलिये भी अच्छा संकेत है चूंकि मैं कहना चाहता हूं कि जब हम लोग पैदा हुये थे तो कहते थे कि यह यांत्रिकी युग है आगे चलकर सुनने को मिला कि यह कम्प्यूटर का युग है। आगे चलकर सुनने को मिला कि यह न तो यांत्रिकी युग है न कम्प्यूटर का युग है यह युग इन्फारमेशन का युग है। आज के समय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है समय। लिहाजा किसी भी क्षेत्र के समय में बचत कर सकते हैं आज प्रतिभाशाली छात्र अपने तीन वर्ष के कोर्स को दो वर्ष में समाप्त कर सकता है, यह स्वागत योग्य कदम है। श्रीमन् मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि मैं ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जो उत्तराखंड कहलाता है जो सबसे अधिक पिछड़ा है। यह पूरे प्रदेश की जनजातियों का 50 प्रतिशत एक जनजाति क्षेत्र है। श्रीमन् आपके बजट में हमारे क्षेत्र के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। मैं गुहार करते-करते थक गया कि वहां कोई भी टेक्नीकल इन्स्टीट्यूट या इंजीनियरिंग कालेज नहीं है। मान्यवर, मैं चकराता क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। इस क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये कोई बजट नहीं है। मान्यर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अम्बरीष जी आप दूसरा कटौती का प्रस्ताव रख लें। मंत्री जी बाद में अपने उत्तर भाषण में कह देंगे।

*डा० अशोक बाजपेयी–

पहले बजट प्रस्तुत होगा तब कटौती का प्रस्ताव होगा अभी उच्च शिक्षा का प्रस्तुत नहीं हुआ है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय चौहान जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उस पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं चौहान जी ने बहुत अच्छे ढंग से बड़े ही तार्किक ढंग से बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। सरकार द्वारा जो अच्छे कार्य किये गये हैं उसके लिये मुख्य मंत्री जी को बधाई भी दी है। मेरी मान्यवर, दो तीन शंकायें हैं उत्तर प्रदेश में इस शासन की मंशा यह है कि 12 इंजीनियरिंग कालेज जिसमें छात्रों के प्रवेश की संख्या 1628 है इस सम्बन्ध में यह प्राइवेट या निजी इंजीनियरिंग कालेज खोलकर लगभग चार हजार छात्रों के प्रवेश के लिये व्यवस्था करना चाहते हैं। 1628 इंजीनियर के बजाय अब चार हजार इंजीनियर प्रवेश पा सकेंगे। इससे यह मतलब निकालना चाहिये कि हजारों-हजार इंजीनियर तैयार होकर निकलेंगे।

मान्यवर, हजारों इंजीनियर चाहे उत्तर प्रदेश के हों चाहे महाराष्ट्र, कर्नाटक या मध्य प्रदेश के हों, इंजीनियरिंग करके बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं। तो इनके लिये क्या उपाय करेंगे इसके सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया। 12 निजी इंजीनियरिंग कालेज खोलने की अनुमति दे दी। जिन राज्यों में इंजीनियरिंग कालेज चल रहे हैं वहां आप देखें किस तरह से डोनेशन फीस दो हजार तीन हजार लेते हैं जब निजी इंजीनियरिंग कालेज खुल जायेंगे वहां उन परिवारों के लोग जो डोनेशन फीस देने लायक होंगे वे प्रवेश ले सकते हैं ऐसा हो जायेगा। मान्यवर, इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया कि इन इंजीनियरिंग कालेजों में व्यवस्था कैसे होगी मेरिट के आधार पर मार्क्स के आधार पर प्रवेश होगा ? यह सुनिश्चित किया है। प्लानिंग की गई है। मान्यवर, चाहे वह इनका क्षेत्र बादलपुर हो, जहां मंडल मुख्यालय खुल रहे हैं, विकेन्द्रीयकरण कर रहे हैं तीन नये मंडल खुल रहे हैं इन तीन नये मंडलों में महिला पालीटेक्निक खोल दें। गरीब लड़कियां वहां की शिक्षा प्राप्त कर लेंगी। आप अपने उत्तर भाषण में यह कहेंगे कि जहां मंडल खुले हैं मैं आठ जनपदों की बात नहीं कर रहा हूं। तीन नये मंडल में कम से कम तीन महिला पालीटेक्निक खुलवाने की कृपा करें तो क्षेत्रीय असंतुलन दूर कर सकते हैं अगर प्रदेश में महिलाओं की शिक्षा के प्रति आप चिन्तित हैं। पिछले तात्कालिक मुख्य सचिव श्री माता प्रसाद पाण्डेय ने शासनादेश किया कि डिप्लोमा इंजीनियर अगर उन्होंने एक साल का अप्रेन्टिस पी० डब्ल्यू० डी० अथवा कहीं से किया है तो इन प्रशिक्षित डिप्लोमा होल्डर को प्राथमिकता दी जायेगी। पैसा लेकर नये फ्रेशर की भर्ती नहीं की जायेगी। क्या शासन यह सुनिश्चित करेगा कि उन तमाम विभागों में जहां डिप्लोमा होल्डर्स ने अप्रेंटिस किया है वहां उनको नियुक्त किया जायेगा। उनकी आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा क्या इस कल्याणकारी शासन में यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? इस प्रदेश के जो डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं वह डिग्री प्राप्त कर बेरोजगारी का शिकार होकर बराबर रोजगार के लिये एड़ियां रगड़ रहे हैं। उनके बच्चे तक पैदा हो चुके हैं उनको नौकरी नहीं मिली है। उनकी बहनों के हाथ पीले करने हैं, मां बाप की देखभाल करनी है, बच्चों को शिक्षा देनी है उन डिप्लोमा होल्डर्स के लिये क्या करेंगें। आपने जितने रिक्त पद इंजीनियरिंग कालेजों में पड़े हैं उनको भरने का कार्य किया है यह अच्छी बात है। इससे निश्चित तौर पर जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। आपने स्केल बढ़ाया है यह अच्छा काम किया है। आपने कहा कि भविष्य में हम प्रदेश में महिलाओं के लिये पालीटेक्निक स्कूल खोलेंगे। यह सरकार दिहाड़ी की सरकार है। इसके लिये आपने वित्तीय प्राविधान नहीं किया है आप तो एक महीना 20 दिन बाद कुर्सी से हट जायेंगें उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 6 महीने कुर्सी पर रहेगी। अगर उनकी मंशा है तो पूरे प्रदेश में सम्यक् रूप से कोई विकास का प्राविधान किया जाता। इसके साथ ही मैं श्री मुन्ना चौहान के साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री नरेन्द्र सिंह का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

*डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

प्राविधिक शिक्षा मंत्री द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके पक्ष में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी हमारी माननीया सदस्या जब अपनी बात कह रही थी।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इनको कैसे अनुभव हो गया कि मैं महिला हूं या पुरुष। जरा यह अपना अनुभव बता दें। इन्होंने सूरत देखकर यह बात कही है या सीरत देखकर।

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 1600 छात्र जहां इंजीनियरिंग करते थे मंत्री जी ने इसको बढ़ाकर 4000 कर दिया। कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है जब वहां पर इंजीनियरिंग, तकनीकी शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था हो। यह सौभाग्य की बात है कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र की जो अब तक उपेक्षा हुई है उसकी प्रगति के लिये सार्थक प्रयास किया गया है। चाहे महिलाओं की बात हो चाहे युवाओं की बात हो, चाहे विकलांगों की बात हो, इस सरकार ने सबको स्पर्श किया है। मैं इसके लिये सरकार को बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, अब हमारी सरकार विकलांगों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिये पालीटेक्निक्स की स्थापना कर रही है जो स्वागत योग्य है। इसमें विशेष तकनीकी संस्थान खोले जा रहे हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है।

मान्यवर, महिलाओं को तकनीकी शिक्षा की जानकारी हेतु महिला पालीटेक्निक की स्थापना की गयी है और कुछ पालीटेक्निक की स्थापना की जायेगी। इसमें विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु 241 करोड़ रुपये की जो योजना है वह भी प्रेरणाप्रद है। यह हमारी ही सरकार है जिसने 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत तक महिलाओं की इसमें सीधे-सीधे भागीदारी सुनिश्चित की है।

मान्यवर, हमारी सरकार पर अल्पसंख्यक समुदाय की उपेक्षा का आरोप लगाया जाता है किन्तु यह हमारी ही सरकार है जिसने अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याणार्थ अल्पसंख्यक समुदाय के 2366 नवयुवक और नवयुवतियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं।

मान्यवर, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के छात्रों के लिये भी सरकार ने तमाम सुविधाएं दी हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के छात्रों को भारतवर्ष में विशेष सुविधा मिलनी चाहिये। छात्रवृत्ति का भी अलग से प्राविधान होना चाहिये। पौड़ी में गोविन्द बल्लभ इंजीनियरिंग कालेज के सर्वांगीण विकास के साथ अन्य ट्रेडों को खोला जाना चाहिये और कर्ण प्रयाग विधानसभा क्षेत्र में गैरसैंड़, वीरोखाल तथा पाबो में पालीटेक्निक खोला जाना चाहिये। मेरा यह भी सुझाव है कि शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत पालीटेक्निकों के अध्यापकों, अधिकारियों को नवीनतम तकनीकी ज्ञान हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अवगत कराया जाना चाहिये।

मान्यवर, रुड़की विश्वविद्यालय का देश में महत्वपूर्ण स्थान रहा है जिसके विकास के लिये जो प्रस्तावित की गयी हैं वे भी स्वागत योग्य हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने कहा है कि इस सरकार ने गुणात्मक सुधार की कोई योजना नहीं बनाई है। तो मैं उनको अवगत कराना चाहता हूं कि इस सरकार ने रोजगार परक पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण और औद्योगिक कार्यस्थल के समतुल्य बनाने के लिये प्रयोगशालाओं को पुनर्व्यवस्थापित करने का निर्णय लिया है और संस्थाओं में प्रयोगशाला का सह व्याख्यान कक्षाओं का निर्माण किया जा रहा है।

स्टाफ प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 1073 शिक्षकों, अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्नत तकनीकी अध्ययन हेतु 6 विदेश प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिसके लिये मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, इतना ही नहीं सतत् शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों के लिये अनेक स्थानों पर अंशकालीन डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाये जाने का निर्णय सरकार ने लिया है जो स्वागत योग्य है।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री नरेन्द्र सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, प्राविधिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में मैं कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, अभी तक प्रदेश के अन्दर लगभग 1870 विद्यार्थियों के लिये इंजीनियरिंग कालेजों में व्यवस्था थी जिसे मंत्री जी ने इसको बढ़ाकर अब 3110 छात्र प्रवेश पा सकेंगे की व्यवस्था के लिये निजी क्षेत्रों में इंजीनियरिंग कालेजों को मान्यता दिया है। यह 1997-98 की जैसी योजना प्रस्तुत की गयी है, आज 4 हजार विद्यार्थी इस प्रदेश के अन्दर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिये चुने जायेंगे इसके लिये माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। अपने प्रदेश के अन्दर तकनीकी शिक्षा के विकास के लिये जो सराहनीय कदम उठाया है उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। 4 महिला पालीटेक्निक खोलने की बात कही है उसके लिये भी बधाई देता हूं। इसके साथ-साथ यह भी जोड़ना चाहता हूं कि जो कमिश्नरियां नई खुली हैं उन सबमें भी महिला पालीटेक्निक खोली जायें। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश एवं दिल्ली आदि के क्षेत्रों में प्रति छात्र जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं उनका अनुपात अधिक है। हमारे प्रदेश के अन्दर जो धनाभाव था उसको ध्यान में रखते हुये नये इंजीनियरिंग कालेज खोलने की मान्यता दी गयी है इसके लिये माननीय मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। डा० अम्बेडकर टेक्निकल इंस्टीट्यूट आफ हैंडीकैप्ट, कानपुर की स्थापना की है और उसमें तीन पाठ्यक्रम चलाये जाने की घोषणा की है वह एक सराहनीय कदम है, कम्प्यूटर इंजीनियरिंग, आर्कीटेक्चरल और स्टेनोग्राफी और सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस ये तीन पाठ्यक्रम चलाये गये हैं। मान्यवर, महिला पालीटेक्निक की जो बात आयी है और तकनीकी शिक्षा के गुणात्मक सुधार पर जो चर्चा हुई है। माननीय मंत्री जी, यह सुनिश्चित करेंगे, हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हमारे प्रदेश के अन्दर इंजीनियरिंग और पालीटेक्निक के अन्दर जो शिक्षा का स्तर है उसमें दिनों-दिन सुधार होता जाये, उत्तरोत्तर सुधार हो। इस आशा के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा बोलने का आग्रह करने पर।)

श्री अधिष्ठाता–

आज कई अनुदान मांगें हैं आप लोग उच्च शिक्षा पर बोल लीजियेगा। अब मैं श्री मुन्ना चौहान जी को उत्तर भाषण पढ़ने के लिये बुलाता हूं।

एक सदस्य–

मान्यवर, चूंकि कई माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहते हैं इसलिये इस पर सुन लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मुझे देखकर प्रसन्नता हो रही है कि सत्तापक्ष में बैठे हुये लोग चाहे उनमें कितना अन्तर्विरोध हो, आपस में मतभेद हो परन्तु सरकार द्वारा प्रस्तुत इस बजट जो कि गलत और दोषपूर्ण है, का समर्थन करने के लिये हमारे भाई उद्धत हैं और कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बजट है। तकनीकी शिक्षा पर चर्चा करने के लिये हम खड़े हुये हैं। कल ही हम लोग हीरक जयन्ती मना रहे थे और देश के अन्दर ही नहीं दुनिया के ज्ञाता पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा कि हम 21वीं सदी में प्रवेश करने जा रहे हैं और यह विधान सभा 21वीं सदी के चुनौतियों का कैसे सामना करेगी, मुकाबला, करेगी, इस पर आज विचार करना आवश्यक है। जहां हमने मंगल ग्रह पर फाथ फाइन्डर को मील के पत्थर के रूप में स्थापित कर दिया है। आज हम इस विधान सभा की हीरक जयन्ती मना रहे हैं, आजादी से पहले यह विधान भवन मण्डप बन गया था काफी समय बीत जाने के बाद भी हम आज तकनीकी शिक्षा में बहुत पीछे हैं। उसमें जो

(समय 5 बजकर 15 मिनट)

दुनिया की चुनौतियां हैं, जहां दुनिया में हमें जाना है। दक्षिण भारत में तमाम इंजीनियरिंग कालेज, तमाम शोध संस्थान, तमाम ऐसे उच्चीकृत शोध संस्थान हैं जो आज हिन्दुस्तान में नये-नये तकनीकी ज्ञान दे रहे हैं, जिसे आज एस०टी०आर० का युग कहा जाता है "साइन्टिफिक टेक्नालाजिकल रिवाल्यूशन"। आज गांव-गांव में टेलीफोन और दूरसंचार की व्यवस्था हो गई है, घर में बैठकर दुनिया का लोग दर्शन कर रहे हैं, केबिल टी०वी० के माध्यम से, वहीं हमारे यहां इंजीनियरिंग कालेजों का अभाव है। आप उठाकर देख लें जो विवरण दिया गया है, यह पुस्तक पता नहीं कब की छपवाई हुई है, इसमें गोरखपुर मंडल बस्ती को दिखाया गया है, जबकि बस्ती मंडल अलग हो चुका है, बनारस मंडल में जौनपुर को दिखाया गया है, कुल मिलाकर इसमें तमाम त्रुटियां हैं। मैं इस बजट को नकारने के लिये खड़ा हुआ हूं, साहित्य भी इसका दोषपूर्ण है। लगता है 4 महीने पहले छपवाया गया है। जब माननीय मंत्री जी को ही सही ज्ञान नहीं होगा, सरकार को नहीं होगा, तो हमें ज्ञानवर्धन कैसे हो सकता है? मान्यवर, इस बजट में बस्ती मंडल की चर्चा नहीं की गई। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी हमारे जनपद का भी उल्लेख इसमें करें। इस बजट में महाराजगंज में किसी इंजीनियरिंग कालेज, पालीटेक्निक या तकनीकी शिक्षा का अन्य कोई संस्थान खोलने की व्यवस्था नहीं की गई है, इस सरकार द्वारा केवल जिलों की घोषणा तो की जा रही है, लेकिन उनको कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। इस तरह से जनपदों का विकास संभव नहीं है। माननीया मुख्य मंत्री जी ने जो नवसृजित जनपद घोषित किये हैं, उन जनपदों में कम से कम एक-एक तकनीकी शिक्षा का संस्थान स्थापित करने की कृपा करें। मान्यवर, मैं इस बजट पर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अमित अग्रवाल–

मान्यवर, मैकाले की शिक्षा पद्धति को समाप्त करने के लिये प्राविधिक शिक्षा को बढ़ाने का संकल्प माननीय मंत्री जी ने लिया है, वह इसके लिये बधाई के पात्र हैं। मैकाले की पद्धति तभी समाप्त होगी, जब हम तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ायेंगे। राज्य के सीमित संसाधनों को देखते हुये जितने निजी क्षेत्र के 21वीं सदी पर दस्तक दे रही इस नौवीं पंच वर्षीय योजना के काल में इंजीनियरिंग कालेज, कम्प्यूटर साइंस के इन्स्टीट्यूट को बढ़ावा दिया गया है, उन्हें मान्यता प्रदान की जा रही है, वह सब क्रान्तिकारी कदम स्वागत योग्य है। मेरठ में प्रथम डिग्री कोर्स वाले होटल मैनेजमेन्ट इन्स्टीट्यूट को मान्यता स्वागत योग्य है। ऐसे संस्थानों को नियमों में बांधने का प्रयास स्वागत योग्य है। अभी फीस निर्धारित करने की बात आई थी। मैं बताना चाहूंगा कि 35 हजार का शुल्क निर्धारित कर सशर्त व्यवस्था की गई है, इससे छात्रों और अभिभावकों का शोषण नहीं होगा। जिस तरह सी०पी०एम०टी०

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में प्रवेश होता है, उसी प्रकार संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से इंजीनियरिंग कालेजों में भी प्रवेश की नीति को जारी रखा, नियम बनाये जा रहे हैं, इससे छात्रों का शोषण रुकेगा। विकलांगों के लिये इन्स्टीट्यूट खोलना वह भी क्रान्तिकारी है। मान्यवर, मेरठ, कानपुर, गढ़वाल विश्वविद्यालयों में स्ववित्त पोषित इंजीनियरिंग कालेज खोलने का जो निर्णय लिया गया है, वह भी स्वागत योग्य है। इस बजट का समर्थन करते हुये मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा कि मेरठ मंडल में एक महिला पालीटेक्निक तथा कृषि पर आधारित किसी टेक्नीकल संस्थान तथा एक प्रिंटिंग टेक्नलाजी पर संस्थान को खोले जाने का मैं सुझाव देता हूं और साथ ही प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि 1979 में मंडल स्तर पर महिला पालिटेक्निक खोलने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया था। सुल्तानपुर और मेरठ में लेकिन यह सुल्तानपुर में न खोलकर अमेठी ले जाया गया था और मेरठ में न खोलकर शामली ले जाया गया था मेरठ में कोई महिला पालिटेक्निक की स्थापना नहीं हो पायी है क्योंकि अब शामली मुजफ्फरनगर में आ गया है इसलिये मेरठ मंडल अब महिला पालिटेक्निक विहीन हो गया है इन्होंने प्रस्ताव किया है गाजियाबाद में महिला पालिटेक्निक खोलने की बात कही है। मान्यवर, विपक्ष से भी यह बात आयी है कि जो नये मंडल बने हैं उनमें महिला पालिटेक्निक खोलने की व्यवस्था की जाये। मेरी मांग है कि मेरठ में भी महिला पालिटेक्निक खोलने पर विचार करें यही मेरा निवेदन है इसके साथ-साथ एक निवेदन और करना चाहता हूं जो महिला पालिटेक्निक खोलें उसमें सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस और स्टेनोग्राफी की अवश्य व्यवस्था हो। महिलाओं में इसे ग्रेप्स करने की क्षमता तथा रुचि ज्यादा होती है इसलिये उनके लिये यह अच्छा रहेगा इसके साथ ही एक और निवेदन करना चाहता हूं कि इनके विभाग में मृतक आश्रित की नौकरी के संबंध में महामहिम राज्यपाल जी से लेकर मंत्री तक के आदेश अभी लागू नहीं हो पा रहे हैं। मैं विशेष तौर पर कहना चाहूंगा कि मृतक आश्रित के जो मामले लम्बित हैं उनको कृपा करके विशेष ध्यान करके करायें। 1-11-96 तक के मृतक आश्रित के मामले अभी नहीं हुये हैं।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मुझे एक संस्करण याद आया उसे मैं कहना चाहता हूं, एक बार हमारे एक मित्र विदेश से लौटकर आये तो मैने उनसे पूछा कि आप यह बतायें कि पढ़ाई-लिखाई के बारे में विज्ञान के मामले में अमेरिकन्स और हमारी सोच में क्या फर्क है तो श्रीमन्, उन्होंने एक सेंटेन्स में जबाव दिया–

> अमेरिकन्स विलीभ इन डेथ आफ नालेज एण्ड वी विलीभ इन स्प्रेड आफ नालेज वी विलीभ इन वकमिंग जेक्स आफ आल एण्ड मास्टर आफ नान व्हेयरऐज वेविलीभ इन विकमिंग स्पेस्लिस्ट आफ वन एरिया। वे विलीभइन एक्सपरटाइज"

तो श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं हम ऐसे डाक्टर ऐसे नीम-हकीम बनने की बात न करें जहां पर वे पुड़ियों वाले डाक्टर सिर का दर्द हो, पैर का दर्द हो, पेट का दर्द हो, टांग का दर्द हो, कान का दर्द हो, एक ही डाक्टर दवाई देगा। आज जमाना आ गया है कि अलग-अलग के लिये उसकी स्पेशिलिटीज की जरूरत है। जहां तक टेक्निकल एजूकेशन का सवाल है बिना एक्सपरटीज के कुछ नहीं होगा इस लफ्फाजी से दूर हटकर बात करें। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो एक बात कही थी महिलाओं की तकनीकी शिक्षा की पूरे प्रदेश की बात न करें, पूरे देश की बात न करें, संक्षेप में अपनी क्षेत्र की बात करें तो मेरे देहरादून में भी आपने महिला पालिटेक्निक खोला वहां न मास्टर हैं न स्टाफ, पढ़ाने वाले नहीं हैं, पढ़ने वाले हैं। यदि इसी तरह से हम तकनीकी शिक्षा को पढ़ाना चाहते हैं तो भविष्य अच्छा नहीं है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि संख्या से ज्यादा गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है उस दिशा में यदि आप प्रयास करें तो बेहतर होगा लिहाजा मैं इस कटौती पर बल देता हूं।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर—

मान्यवर, अभी कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार यहां प्रस्तुत किये। अभी बात साइंटिफिक इंजीनियरिंग एक्सीलेट क्वालिटी की आई। हमारी सरकार को 4 महीने हुये हैं, उसके पहले कितनी सरकारें थी प्राविधिक शिक्षा में क्या किया गया इसकी तुलना करके जरूर देखें। जहां तक क्वालिटी की बात है जब तक हमारे शिक्षक ठीक ढ़ंग से प्रशिक्षित नहीं होंगे उनके अन्दर एक्सपरटाइज नहीं होगा वे छात्रों को किस ढ़ंग से शिक्षा देंगे। इसी दृष्टि से आलरेडी प्राविजन किया गया है। गुणवत्ता प्रतिष्ठापित करने के लिये 8 संस्थाओं में 450 कर्मशालाओं का प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण शैक्षिक प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है। इस तरह से क्वालिटी को बढ़ाने के लिये शासन ने कुछ प्रयास किये हैं।

हमारे कुछ छात्र इंजीनियरिंग शिक्षा प्राप्त करके विदेशों में चले जाते हैं इस पर हमें सोचना पड़ेगा। जब तक स्वदेशी भाव नहीं जागेगा तब तक हम जितने कानून बना लें शायद सफल नहीं होंगे (सत्ता पक्ष की ओर से मेंजो की थपथपाहट) हमारा विचार है, कोई भी छात्र हायर, मेडिकल, टेक्निकल एजूकेशन प्राप्त करे समाज का पैसा टेक्स के माध्यम से लेकर हम लगाते हैं, शिक्षा जो प्राप्त करे ठीक है एक्सपरटाइज प्राप्त करने के लिये विदेशों में जाये लेकिन नियम बने कि कुछ वर्षों के बाद वह अपने देश को लौटे और प्रदेश-देश की सेवा करे, तभी आप हम सफल हो सकेंगे। रुड़की यूनिवर्सिटी आई०आई०टी० से पीछे नहीं हैं जो वहां शिक्षा प्राप्त करते हैं लगभग शतप्रतिशत को रोजगार मिल जाता हैं। 4 महीनों के अन्दर हमारी सरकार ने शिक्षकों कर्मचारियों के हित में सकारात्मक निर्णय लिये हैं वे शायद पिछली सरकारों में 5—10 वर्षों में नहीं लिये गये होंगे। जो विश्व बैंक परियोजना है इस समय जो भी इंजीनियरिंग कालेज हैं, उसमें पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर रहे हैं जिससे रोजगार के अवसर मिले जो आज उद्योगों की आवश्यकता है। शासन स्तर से एडवांस कोर्स की अनुमति दी जा रही है। इसमें केमिकल इंजीनियरिंग (पेट्रोलियम), इलेक्ट्रानिक्स (माइक्रोप्रोसेसर), कम्प्यूटर एडेड शू डिजाइन, बायो टैक्नोलाजी, मांस कम्यूनीकेशन, प्रोडक्ट डिजाइन, फैशन टैक्नालाजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग (कम्प्यूटर एडेड डिजाइनर), इन्स्ट्रूमेन्टेशन कण्ट्रोल विशेष उल्लेखनीय है। इसके माध्यम से हमारे छात्र शिक्षा प्राप्त करेंगे और निश्चित रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त करेंगे। अभी पाल जी ने प्राइवेट कालेजों में प्रवेश की बात उठाई। जो आधार है प्रवेश का 100 में से 5 सीटें एन०आर०आई० के लिये होती हैं 95 प्रतिशत सीटें संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है उसके माध्यम से प्रवेश दिया जाता है। इसमें 50 प्रतिशत फ्री सीटें तथा 50 प्रतिशत पेड सीटें होती हैं। फ्री सीटों एवं पेड सीटों का उल्लेख मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा उन्नीकृष्णन बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य में प्रदत्त निर्णय के अनुसार किया गया है।

इवरी स्टेट गवर्नमेन्ट शैल फोर्थविथ कान्स्टीट्यूट ए "कमेटी टू फिक्स दि सेलिंग आन दि फीस चार्जेबुल बाई ए प्रोफेशनल कालेज आर क्लास आफ प्रोफेशनल कालेज ऐज दी केस मे बी दि कमेटी शैल कानसिस्ट आफ वाइस चान्सलर सेक्रेट्री फार एजूकेशन आर सच ज्वाइन्ट सेक्रेट्री एज ही मे नामिनेट एण्ड डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डाइरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन दि कमेटी शैल मेक सच इन्क्वायरी एज इट थिंक्स एप्रोप्रिएट"

मान्यवर, इसी के तहत एक कमेटी का गठन किया गया है। उक्त समिति की अनुशंसा पर वर्ष 1995-96 के लिये पेड सीटों हेतु रु० 35,000 प्रति छात्र प्रति वर्ष लिये जायेंगे तथा 50 प्रतिशत फ्री सीटों हेतु विभिन्न राजकीय कालेजों में निर्धारित शुल्क 3,000 ही लिया जायेगा। यह शासनादेश दिनांक 8-3-1996 को जारी कर दिया गया है। गोविन्द बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कालेज के विकास की बात कही गई तथा अन्य मंडलों में पोलीटेक्नीकी खोलने की बात कही गई, हमारे पास जैसे ही आर्थिक संसाधन उपलब्ध होंगे, क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप वहां पर प्राइवेट पालीटेक्निक खोले जायेंगे। विकलांगों के लिये जो इन्स्टीट्यूशन हमारे यहां खुलने जा रहा है यह एक अनूठा विकलांग संस्थान होगा। उसमें प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश निःशुल्क, छात्रावास निःशुल्क आदि दिये जायेंगे। कोई भी शिक्षा तब तक उपयोगी नहीं होती जब तक कि प्रवेश का समय व परीक्षा का समय सुनिश्चित न हो। आज हमारे प्रदेश की समस्त इंजीनियरिंग कालेजों में परीक्षायें हो चुकी हैं और उनके परिणाम भी आ चुके हैं। अगस्त तक सारे इंजीनियरिंग कालेजों में पठन-पाठन का काम प्रारम्भ हो जायेगा।

मान्यवर, मैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेजों के बारे में कहना चाहता हूं और सेल्फ फाइनेन्सिंग कोर्सेस के बारे में कहना चाहता हूं और कुछ माननीय सदस्यों ने चिन्ता भी व्यक्त की, शासन की स्पष्ट मंशा है कि किसी भी छात्र व किसी भी अभिभावक का शोषण न होने पाये। शासन ने जो निर्णय लिया है, यदि कोई भी इन्स्टीट्यूशन उससे ज्यादा फीस वसूलता है तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि उसे आप बतायें, हम उसकी जांच करेंगे और दोषी पाये जाने पर उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी और आवश्यकता पड़ी तो उसकी मान्यता भी समाप्त कर दी जायेगी। मान्यवर, शिक्षकों की कमी के बारे में कहा गया। मैं कहना चाहता हूं कि इसके पहले कभी भी शिक्षकों के पद सृजित नहीं किये गये। हमने काफी पदों को भरा भी है। हमने यह भी कहा है कि आगामी 3-4 महीने में हम जितने भी पालीटेक्निक व इंजीनियरिंग कालेज में टीचर्स के पद रिक्त हैं, उन सभी को भरेंगे। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस बजट को पारित करने में हमारा सहयोग करें। (धन्यवाद)

श्री अधिष्ठाता–

श्री मुन्ना चौहान जी आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं?

श्री मुन्ना चौहान–

जी नहीं, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल दे रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या47-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 47-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 66,64,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,51,35,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं उच्च शिक्षा के संबंध में प्रारम्भ में महात्मा गांधी ने जो कहा था उसे बताना चाहता हूं। सोचो शिक्षा तो वह है जिसके द्वारा अपने को आदमी को, ईश्वर को पहचान सके। मान्यवर, जैसा कि प्राविधिक शिक्षा के संबंध में मैंने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि हम आजादी की पचासवीं वर्ष गांठ मना रहे हैं। चाहे केन्द्र रहा हो या प्रदेश, जो भी सरकारें आयी हैं उन्होंने इस बारे में जो चिन्ता करनी चाहिये थी वह नहीं की है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा एक ऐसा विषय होता है जो प्रत्येक राजनीतिक दल के व्यक्ति को सोचना चाहिये। कई बार ऐसा होता है कि शिक्षा के बारे में लोग दूसरी दृष्टि से देखते हैं। हम समझते हैं कि शायद इससे शिक्षा का हित होने वाला नहीं है। 1947 में प्रदेश के अन्दर 5 विश्वविद्यालय तथा 16 महाविद्यालय थे। वर्तमान में 21 विश्वविद्यालय तथा 570 महाविद्यालय है। मान्यवर, इधर कुछ वर्षों में शिक्षा का विस्तार हुआ लेकिन जो गुणवत्ता आनी चाहिये वह नहीं आयी उसका कारण यह था कि शिक्षा के बारे में चिन्तन नहीं किया गया।

मान्यवर, हमारी गठबंधन की सरकार ने इसकी गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुये अनेकों कदम उठाये हैं। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता हो इसके लिये हमारी सरकार कृत संकल्पित है और इस हेतु हमने एक महीने के अन्दर, जब से हमारी सरकार बनी है, 21 अप्रैल को कुलपतियों को पत्र भेजा है और यह अनुरोध किया है कि वह सकारात्मक कार्यवाही करें। मान्यवर, आज जो समस्या है वह यह है कि शिक्षा का सत्र नियमित नहीं हो रहा है और हम इस पर टांप प्रियारिटी पर इसे ले रहे हैं और यह प्रयास कर रहे हैं कि इसे नियमित किया जाये। हमने इसके लिये शैक्षिक पंचांग बनाया है जिसे सभी कुलपतियों को भेज दिया है और उनसे यह कहा है कि किसी तरह से भी सत्र नियमित किया जाय। हमने इस संबंध में अनेकों शिक्षाविद् से भी विचार-विमर्श किया और इसलिये 15 जून को प्रदेश के सारे विश्वविद्यालयों

के कुलपतियों की एक बैठक आहूत की गयी थी और कुलाधिपति का मार्गदर्शन प्राप्त किया था और इससे जुड़े हुये अनेकों बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया गया और निर्णय लिया गया कि प्रदेश का सत्र नियमित करने के लिये कार्यवाही की जाय। विश्वविद्यालय का सत्र नियमित हो इसके लिये शैक्षिक पंचांग सभी विश्वविद्यालयों को भेजा गया है और यह कहा गया है कि 15 जून को कुलपतियों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया है, उसमें यह व्यवस्था की जा रही है कि विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा 30 जून तक हो जाय और प्रवेश हर हालत में 31 अगस्त तक पूरा हो जाना चाहिये।

कई बार विश्वविद्यालय के अन्दर काफी समय तक प्रवेश होता रहता है और पठन-पाठन जितना समय चलना चाहिये वह नहीं चल पाता है। यू०जी०सी० ने जो 180 टीचिंग डेज फिक्स किये हैं उस पर भी हमने बात कही है। कई बार यह भी देखा जाता है कि परीक्षायें होने को होती हैं तो दो-तीन महीने पहले तिथियों की घोषणा की जाती है और फिर छात्र आन्दोलन करते हैं। इसलिये हमने यह किया है कि परीक्षाओं की तिथि की घोषणा अगस्त तक हो जाये। जिससे छात्रों को पता चल सके कि कब परीक्षायें होगी और यह व्यवस्था करायी जा रही है कि 15 जून तक परीक्षाफल निकल आये। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का प्राविधान है कि छात्रों की न्यूनतम उपस्थित कक्षा में होनी चाहिये और तभी वह छात्र परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है, लेकिन देखने में आया है कि अगर किसी छात्र की उपस्थिति ० परसेन्ट है, तो भी वह परीक्षा में बैठ जाता है। तो मान्यवर, हम इस प्रकार की व्यवस्था नहीं चलने देंगे। 75 प्रतिशत न्यूनतम उपस्थित रखी जायेगी और 15 प्रतिशत वाइस चांसलर अपने अधिकार से कम कर सकता है। इस प्रकार से किसी भी छात्र को जिसकी उपस्थिति 60 प्रतिशत से जरा भी कम है, उसको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जायेगा।

हम चाहते हैं विश्वविद्यालयों में पठन-पाठन का माहौल बने, छात्र अपनी पढ़ाई करें, और अध्यापक अध्यापन का कार्य करें और इसी विचार से हमने माडल कलेन्डर बनाया है। मान्यवर, इण्टर की परीक्षा होती है और जब उसका परीक्षा फल निकलता है, तो हायर एजुकेशन के लिये प्रवेश के लिए दौड़ता है, लेकिन विश्वविद्यालयों की प्रवेश क्षमता कम है। अगर किसी विद्यालय के अन्दर तीन हजार छात्रों की क्षमता है, तो उसमें पांच हजार छात्र कैसे प्रवेश कर सकेंगे। इससे हमारी गुणवत्ता प्रभावित होती है। इस कारण इवनिंग क्लासेज चलाने पर हम विचार कर रहे हैं प्रदेश के अन्दर कोई भी ओपेन यूनीवर्सिटी नहीं है इस कारण इसे खोलने का विचार किया गया है। अगर कोई छात्र डिग्री प्राप्त करना चाहता है, तो उसके प्रवेश की समस्या दूर हो जायेगी। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि 4 महीने में 137 विद्यालयों की क्लियरेन्स जारी कर दी गयी है। किसी भी शासन में इतना नहीं किया गया है। मान्यवर, अगर शिक्षकों के पद खाली रहेंगे तो पढ़ाई कैसे हो सकती है, तो पठन-पाठन का माहौल बने, इस कारण हमने संकल्प लिया है कि प्रदेश के अन्दर कहीं पर भी शिक्षकों के पद खाली न रहें। अभी तक पर्वतीय अंचल में अनेकों पद खाली थे तो मैंने वहां पर शिक्षकों की नियुक्ति करायी है। 1991-92 में जब मैं उच्च शिक्षा मंत्री था तो प्रोन्नतियों के लिये डी० पी० सी० बैठायी थी, लेकिन तब से कोई डी० पी० सी० नहीं बैठायी गयी है और प्राचार्यों के पद खाली पड़े थे, इसको हमने किया है और राजकीय महाविद्यालयों में कोई भी पद प्राचार्य का खाली नहीं है। इससे उनकी गुणवत्ता होगी। कुलपतियों का सम्मेलन हुआ है । हर कुलपति से कहा है कि विश्वविद्यलयों में शिक्षकों के पद खाली न रहें, उनको भरा जाये।

मान्यवर, संभवतः आप भी चिन्ता व्यक्त कर सकते हैं। मैं भी अध्यापक होने के नाते शिक्षा मंत्री होने के नाते विश्वविद्यालयों के अन्दर जो पिक एण्ड चूज अध्यापकों की नियुक्ति में होता है उस पर चिन्तित हूँ। कुलपति जिन्हें विभागों में चाहते हैं वहाँ पदों को भर देते हैं और कुछ विभागों में अनेकों वर्षों तक चयन प्रक्रिया नहीं होती है। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि हमने विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने के लिये कमेटी बनाई है। हर वर्ष विश्वविद्यालयों के अन्दर जो पद खाली होते हैं उनको भरने की बात की है ता कि शिक्षकों के कोई पद रिक्त न रहे।

आप अवगत हैं कि जो हमारे अशासकीय महाविद्यालय हैं उनमें शिक्षकों के चयन के लिये जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग है उसमें किस तरह कार्य होता है, जो उसके लिये कमेटी है उसमें अनेकों अनियमिततायें होती है जिसकी शासन को शिकायत मिलती है। इस लिये शासन स्तर पर विचार किया गया है, इस चयन प्रक्रिया के संबंध में पहली बार हमारी सरकार ने जो पारदर्शिता में विश्वास करती है, वहां जो चयन हो रहा था उसमें अनियमिततायें हो रही हैं उसे ठीक करने का निर्णय लिया। सरकार ने चयन आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों को हटाने का निर्णय लिया है। क्योंकि एक बार जब टीचर्स का सलैक्सन हो जायेगा तो वह 30, 35 साल तक छात्रों को पढ़ायेगा, एक बार नियुक्त हो जाने के बाद उसे हटा नहीं सकते हैं।

अशासकीय महाविद्यालयों में अध्यापकों की कमी है इसके लिये शासन स्तर पर हमने कार्ययोजना तैयार करने पर विचार किया है और यथाशीघ्र अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों की कमी को दूर किया जायेगा।

विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनुशासन की बहुत कमी है खासतौर पर डाइवर्जन आफ फण्ड वहां होता है, बिना शासन की अनुमति के फण्ड्स को डायवर्ट कर दिया जाता है। विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनुशासन को कड़ाई से लागू करने हेतु स्पेशल आडिट की व्यवस्था की है। प्रदेश के सारे विश्वविद्यालयों के गत 3 वर्षों के हिसाब का आडिट करने का निर्णय लिया है और 5 विश्वविद्यालयों के स्पेशल आडिट की घोषणा कर दी है।

जैसा प्राविधिक शिक्षा के बजट पर विचार व्यक्त करते समय कहा था उसी तरह से विश्वविद्यालयों के अन्दर भी सैल्फ फाइनेंसिंग कोर्स खोलने में जो बहुत अधिक फीस ली जाती है उसमें आवेदन शुल्क परीक्षा शुल्क और देय पारिश्रमिक में अनियमितताओं की बात आई है किस तरह से यह दिया जा रहा है इससे आप सब अवगत हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा आवेदन शुल्क, परीक्षा शुल्क और देय पारिश्रमिक में अनियमितता की बात आई है। शासन ने निर्णय लिया है कि जो सैल्फफाइनेंसिंग कोर्स आविट्रेप्सी ढंग से चलाये जा रहे हैं उनकों छात्रों एव अभिभावकों एक्स प्लापटेशन, बरदास्त नहीं किया जायेगा। इसके लिये एक हाइएस्ट कमेटी बनाई है जिसमें तीन सदस्य होंगे। जो देखेंगे कि सैल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेस के लिये किस तरह से आवेदन शुल्क, परीक्षा शुल्क और पारिश्रमिक देय होगा। (बिजली की आपूर्ति बाधित होने से व्यवधान)।

प्रदेश के अन्दर आप सहमत होंगे अच्छे विश्वविद्यालय महाविद्यालय हैं उनको इन्सेंटिव देने की भी योजना सरकार ने प्रारम्भ की है और 1995-96 में 3 करोड़ रुपये का अनुदान देने की व्यवस्था है और वर्तमान बजट में भी 3 करोड़ रुपये के अनुदान की व्यवस्था की गयी है।

के०जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ के शिक्षकों के लिये टिक्कू समिति की सिफारिशों को लागू करने हेतु 11 अप्रैल 97 को शासनादेश जारी कर दिया है। माननीय सदन अवगत है जब मैं 1991 में उच्च शिक्षा मंत्री था उस समय प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों और

कर्मचारियों को पारिश्रमिक देने के मापदंडों में बृद्धि की थी पाँच वर्ष हो गये मंहगाई जिस तरह से बढ़ी थी उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि शिक्षक और कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि की जानी चाहिए। हमारी सरकार बनते ही पारिश्रमिक में डेढ़ से दो गुना वृद्धि कर दी है। और इसका शासनादेश 4 जून, 97 को निर्गत कर दिया गया है। पिछली बार मैं जब उच्च शिक्षा मंत्री था तो उस समय प्रदेश के अन्दर लगभग 2 हजार तदर्थ शिक्षक थे और उनक विनियमितीकरण का प्रश्न उठा था जब हम लोगों की सरकार बनी तो निर्णय लिया गया था और उस समय लगभग 14 सौ अध्यापक विनियमित हो गये थे। जो शेष रह गये थे उनके बारे में निर्णय लिया गया है। जो अध्यापक 5-6 वर्षों से पढ़ा रहे हैं उनकी क्वालीफिकेशन ठीक हैं, उनके अन्दर कांपीटेंसी है तो उनको न्याय मिलना चाहिये इस लिये हमारी सरकार ने तदर्थ अध्यापकों के विनियमितीकरण के लिये अध्यादेश निकाला और बिल भी सदन में प्रस्तुत किया है। इससे लगभग साढ़े 6 सौ शिक्षक लाभांवित होंगे। छात्रों के कल्याण के लिये जो छात्र कल्याण निधि है उसमें 50 लाख रुपया होता है जिससे छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। मैंने पिछले दिनों भी एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि काफी पैसा इसमें बच जाता है।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करुंगा कि आपके क्षेत्र में जो विद्यालय या महाविद्यालय हों वहां के छात्रों के आवेदन शासन को भिजवायें ताकि छात्रों को छात्र कल्याण निधि से लाभ दें सकें और वह पूरी की पूरी धनराशि 100 परसेंट व्यय हो सके। हमारी सरकार ने छात्रों के लिये एक विश्वविद्यालय, अशासकीय महाविद्यालय छात्र कल्याण बीमा योजना लागू की है जिसमें मात्र 22 रुपये प्रति छात्र लिया जायेगा और बीमा राशि 5 हजार से 1 लाख रुपये देने का प्राविधान है। प्रदेश में जहां तक शिक्षा के विस्तार की बात है तो मैं बताना चाहता हूं कि 5 नये राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया था और इनके खोले जाने पर हम विचार कर रहें हैं। हमारे माननीय सदस्यों ने बेरोजगारी की बात कही। उच्च शिक्षित छात्रों को रोजगार मिल सके इस लिये एम० बी० ए०, एम० सी० ए० और होटल मैनेजमेंट पाठ्यक्रम खोलने के बारे में शासन ने 11 संस्थाओं को एन० ओ० सी० दिया है। प्रदेश के अन्दर जो हमारे शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्य कर रहे हैं उनकी अनेक वर्षों से मांग थी कि उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है। हमारी सरकार ने जो शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी हैं उनके हितों को ध्यान में रखकर हमने विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में कर्मचारियों के लिये "मेडीक्लेम योजना" बनायी है। इसमें 22 रुपये लिये जायेगें और 1 लाख रुपये हम कर्मचारियों और शिक्षकों को देगें। इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं के लिये भी प्रसूति की दशा में चिकित्सा व्यय शामिल है। इस तरह की योजना पहली बार शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये लागू की गयी है। इसके साथ ही साथ विश्वविद्यालयों के भवनों की मरम्मत के लिये इस वित्तीय वर्ष में 3 करोड़ रुपये की हमने व्यवस्था की है। इसी तरह से 15—20 वर्षों चाहे विश्वविद्यालय हों या महाविद्यालय हों उसमें शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद नहीं सृजित किये गये हैं। हमारे विश्वविद्यालयों में डेली वेजेज कर्मचारी हैं, इनके बारे में पिछले 15—20 सालों में जो सरकारें रही हैं उन्होंने निर्णय नहीं लिया है लेकिन हमारी सरकार ने मेजर डिसीजन लिया है और 2 हजार शिक्षक और शिक्षणेत्तर पदों को सृजित करने के लिये बजट में प्राविधान किया है।

इस संबंध में अशासकीय महाविद्यालयों के लिये 2 करोड़ रुपयों की व्यवस्था कर रहे हैं। इसी तरह से विश्वविद्यालगों के विकास के लिये 1125 लाख रुपयों का पहले अनुदान दिया गया था इस वर्ष 1343 लाख रुपये अनुदान देने का प्रस्ताव किया गया है। मान्यवर, अभी तक जो हमारे अशासकीय महाविद्यालय हैं उनके शिक्षकों की अनेक वर्षों से मांग थी कि उनका म्यूचुअल ट्रांसफर हो सके। इसके बारे में शासन गंभीरता से विचार कर रहा है और हम शीघ्र ही अंतिम निर्णय लेगें। मान्यवर, अभी तक

विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिये प्राविधान नहीं था। राज्य कर्मचारियों के लिये 20 वर्ष बाद स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का प्राविधान है। शासन इसके बारे में गंभीरता से विचार कर रहा है। मान्यवर, अभी तक हमारे शिक्षक जो विदेशों में सेमिनार या सम्मेलन में भाग लेने जाते थे उनके लिये आर्थिक व्यवस्था का प्राविधान दो लाख रुपये था इसमें वृद्धि करके इसको 15 लाख रुपये कर रहे हैं ताकि शिक्षक विदेशों में सम्मेलन या सेमिनार में जा सकें। प्रदेश के अन्दर जैसा मैंने कहा कि हमारे शिक्षण कर्मचारी एक्यूट इलनैस में पड़ जाते हैं उनके सामने कठिनाई होती है कि पैसा कहाँ से लायें, कहाँ से व्यवस्था होगी। तो इस एक्यूट इलनैस में शिक्षक कर्मचारी कल्याण निधि बनाने के लिये शासन स्तर पर हम विचार कर रहे हैं ताकि इस कल्याण निधि के माध्यम से उनको लाभ मिल सके। राजकीय महाविद्यालय खोलने की बात तब ही लें जब हमारे पास धन हो।

आज ऐसे-ऐसे विद्यालय दिखाई देगें जहां अध्यापकों के पढ़ाने के लिये जगह नहीं है काम करने के लिये जगह नहीं है और छात्रों के बैठने के लिये जगह नहीं है वह बैठ नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं। शासन स्तर से इस वित्तीय वर्ष में 15 नये राजकीय महाविद्यालयों को भवन-निर्माण के लिये 7 करोड़ रुपये से अधिक का बजट अवमुक्त किया गया है जिससे भवन शीघ्र तैयार किये जा सकें। इसी तरह से प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार, उसकी गुणवत्ता के लिये कदम उठाये हैं। जैसा प्रारम्भ में कहा कि प्रदेश के अन्दर कोई भी शिक्षा हो जब तक आप जैसे प्रबुद्ध लोगों का समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा शासन स्तर से हम चाहें कितने नियम कानून बना लें उसमें सुधार नहीं हो सकता है। मेरा ठोस स्पष्ट मत है कि 100 विषय हों 99 में राजनीति कर लीजियेगा। कम से कम शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसमें राजनीति नहीं की जानी चाहिये। मैं इशारा नहीं करुंगा कोई भी सरकार हो अगर शिक्षा में सुधार लाने के लिये कदम उठाये हैं तो राजनीतिक दल की सरकार बदल जाने पर हम उसमें परिवर्तन कर दें। यह ठीक नहीं है। जैसा कि हमारी बी० जे० पी० की सरकार थी शिक्षा में सुधार के लिये कदम उठाये गये थे उससे प्रदेश के अन्दर एक सन्देश गया था। उस कार्यक्रम में पठन-पाठन का कुछ माहौल बना था। उसमें कुछ कमियां रही होगीं, संशोधन किया जाता। शिक्षा के साथ राजनीति नहीं की जानी चाहिये। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जो बजट मैंने प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करें और उसे पारित करायें। धन्यवाद।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, वित्तीय वर्ष 1997-98 के इस उच्च शिक्षा के बजट...

श्री अधिष्ठाता–

पहले कटौती का प्रस्ताव तो रख दें।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। मान्यवर, मंत्री जी तो बहुत बड़े विद्वान हैं और प्रोफेसर भी हैं उन्होंने गांधी जी के कोटेशन से शुरु किया था। मैं भी एक कोटेशन कहना चाहता हूँ।

> एजूकेशन हैज बीन काल्ड दि टेक्निक आफ ट्रान्समीटिंग सिविलाइजेशन इट हैज टू परफार्म टू मेजर फंक्शन्स इट मस्ट इन्लाइटेन दि अण्डर स्टैण्डिंग एण्ड इट मस्ट इनरिच दि कैरेक्टर।

शिक्षा के दो मतलब हैं सभ्यता को ट्रांसमीट करना ज्ञानमें और वृद्धि करना और चरित्र की वृद्धि करना माननीय मंत्री जी ने बहुत लम्बा वक्तव्य दिया। सरकार शिक्षा के लिये क्या कर रही है यह बताया माननीय मंत्री जी, यह उस पार्टी के मंत्री हैं जो प्राचीन परम्पराओं में विश्वास करते हैं धर्म की बात भी करते हैं मैं उस ओर इनका ध्यान ले जाना चाहता हूं। एक युग था जिस समय शिक्षक आते थे उस समय शासक उसके सामने अभिवादन करते थे। एक युग था जब हम किसी शिक्षा संस्था में जाते थे चाहे वह तक्षशिला विष्णुगुप्त चाणक्य की हो चाहे नालन्दा विश्वविद्यालय हो, विश्वामित्र ऋषि का आश्रम हो, चाहे वशिष्ठ ऋषि का आश्रम रहा हो, शिक्षा और शिक्षा स्थल का सम्मान होता था, यदि राजा भी वहां जाते थे तो पहले अभिवादन करके प्रवेश करते थे यह प्राचीन परम्पराएं थीं।

अब किसी यूनिवर्सिटी का कुलपति हो, उप कुलपति हो, यहां के प्राचार्य हों आज हम सत्ता में बैठे हुये लोग उनकी गरिमा को इतना गिरा चुके हैं कि प्रदेश में कुलपति ताश के पत्तों की तरह रोज बदल जाते हैं। कुलपति की हैसियत चपरासी से अधिक विश्वविद्यालय में नहीं रह गई है। उस समय के छात्रों को सम्मान दिया जाता था छात्र शब्द को सम्मान देते थे। आज छात्र शब्द का उच्चारण करते हैं तो हम सोचते हैं, जांच लें कहीं चाकू वाला, कत्ल वाला तो नहीं है। आपने बहुत चर्चा की लेकिन इस पर चर्चा नहीं की कि किसी इंजीनियर का मर्डर हो जाता है तो उसकी खोज लखनऊ विश्वविद्यालय के होस्टल में होती है इस सम्बन्ध में आप क्या कर रहे हैं यह नहीं कहा। माननीय मंत्री जी ने लम्बी-चौड़ी बातें रखीं। जिस रफ्तार से इण्टरमीडिएट कालेज बन रहे हैं छात्रों की संख्या जिस गति से बढ़ रही है उसमें कितनी संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती है नये विश्वविद्यालय खोलकर कितने छात्रों को प्रवेश देने की बात कर रहे हैं इस पर चर्चा नहीं की है। माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं हैं लेकिन माननीय मंत्री जी, मुख्य मंत्री जी यह सुनेंगी तो नाराज होंगी या नहीं मैं नहीं जानता। आप कहते हैं कि पिछड़े वर्ग को उठाना चाहते हैं, गरीबों को ऊपर उठाना चाहते हैं अनुसूचित जाति के लोगों को ऊपर उठाना चाहते हैं लेकिन माननीय मंत्री जी ने एक बात ऐसी नहीं बताई कि जो गरीब छात्र हैं, पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति के छात्र हैं इस दिशा में क्या कदम उठा रहे हैं वहां उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये सरकार क्या काम करने जा रही है।

अभी महाविद्यालय खोलने की बात माननीय मंत्री जी ने कही उनके आंकड़ों के बारे में बताना चाहता हूं 20 का लक्ष्य था 18 खुले थे। माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में सरकार शिक्षा के लिये बहुत कुछ करना चाहती है लेकिन इन्होंने यह नहीं बताया कि 10 विद्यालय कहां खोले जायेंगे किसकी राजनीतिक संस्तुति पर खोले जायेंगे, माननीय मंत्री जी ने जो घोषणा की है ला-क्लासेस के बारे में उसके क्या परिणाम हुये। रामसिंह सैनी जी रुड़की के हैं इनके क्षेत्र में पहले के कार्यकाल में मुख्य मंत्री जी ने घोषणा किया था कि ला-क्लासेस खोलेंगे दो साल हो गये हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ है। विधि कक्षाएं रुड़की में कब प्रारम्भ की जायेंगी। मुख्यमंत्री जी ने श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन के क्षेत्र में घोषणा की थी कि वहां पर एक डिग्री कालेज खोला जायेगा लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। आपकी एक क्रेडिबिलिटी है मुख्यमंत्री जी की एक क्रेडिबिलिटी है लेकिन केवल लफ्फाजी से काम नहीं चलता है। मैं वास्तविक चीजों पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपने बहुत सी चीजें कही हैं आपने यह भी कहा है कि जब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा हम नए राजकीय महाविद्यालय कैसे खोलेंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब आप कालेज खोलेंगे नहीं तो गांव में छात्रों को शिक्षा किस तरह से प्राप्त होगी उनको एडमीशन किस तरह से मिलेगा, शिक्षा का अवसर मिलेगा नहीं तो फिर छात्रों का भविष्य क्या होगा। आपके वक्तव्य से लगता है कि आपके पास

संकल्प की कमी है अगर आप छात्रों के हितैषी थे तो आपको किसी भी तरह से छात्रों को शिक्षा देने की व्यवस्था करनी चाहिये थी उसको उच्च शिक्षा में प्रवेश देने की व्यवस्था करते।

आप इस सदन में घोषणा तो बहुत करते हैं लेकिन अगर नौजवानों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करेंगे तो इस सदन में तालियों की गड़गड़ाहट से कुछ नहीं होता। आपने कहा कि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को बुलायेंगे, उनको एटोनोमी देंगे, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब तक आप में संकल्प नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कुलपतियों, प्रधानाचार्यों कालेजों का उपयोग अपनी राजनीति के लिये करने वाले लोग यहां पर उपदेश कुशल बहुतेरे की कहावत चरितार्थ कर रहे हैं। मुझे आपके पाखण्ड पर दया आती है। मंत्री जी आपने शिक्षा का बजट पेश किया एक बात यह भी नहीं बताई कि क्या जो नए जिले खोले गये हैं, कल मुख्यमंत्री जी कह रही थीं कि नए रेंज बनाये गये हैं, नये जिले खोले गये हैं जिससे वहां पर क्राइम कन्ट्रोल होगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि केवल कानून व्यवस्था की आपकी प्राथमिकता है वहां पर शिक्षा के लिये क्या व्यवस्था की जायेगी। वहां पर महाविद्यालय, महिला विद्यालय खोलने की व्यवस्था की जायेगी या नहीं इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है। केवल अपराधों पर अंकुश लगाना ही केवल क्या सरकार की प्राथमिकता रह गई है। पहले सरकार की नीति थी कि हर तहसील मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने की व्यवस्था की जायेगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश में आज भी कई ऐसे तहसील मुख्यालय हैं जहां पर राजकीय महाविद्यालय व शासकीय विद्यालय नहीं हैं।

अशासकीय विद्यालय नहीं हैं। जब हम शहरों के बारे में बात करते हैं तो केवल लखनऊ शहर की बात की जाती है। लेकिन हरिद्वार, मेरठ, सहारनपुर आदि ऐसे शहर हैं जहां पर छात्रों को प्रवेश पाने में कठिनाई होती है। जब गांव से कोई छात्र शहर में पढ़ने के लिये आता है तो उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं क्योंकि मेरा गांव के लोगों से निकट सम्पर्क है। शहरों में एक तरह से गांवों के छात्रों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। एक दबाव शहर के लोग डालते हैं तब गांव के लोग कहां जायेंगे। यह सरकार किसान और मजदूर की हितैषी सरकार बनती है। क्या इस सरकार के मंत्री ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिये कोई नई घोषणा करेंगे। यदि आपने यह किया होता तो लगता है कि आपकी सरकार गांवों, किसानों, मजदूरों, पिछड़े और अनुसूचित जातियों के प्रति चिंतित है लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिये यह आपका बजट कोरी लफ्फाजी के अलावा कुछ नहीं है। इसलिये यह बजट भाषण सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। मैंने जिन बातों पर आपका ध्यान आकर्षित किया है उस पर आप अपने विचार यहां रखने का कष्ट करेंगे।

मान्यवर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोग उत्तर प्रदेश के लोग जब अखिल भारतीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा में बैठते थे फिर वह चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा हो या दूसरी परीक्षा हो उसमें उत्तर प्रदेश का भाग क्या रहता था उसके सम्बन्ध में क्या आप बतायेंगे ? मान्यवर, मैं पूंछना चाहता हूं कि इन सर्विसेज में उत्तर प्रदेश का कितना हिस्सा है, उसका प्रतिशत बढ़ा है या पहले से घटा है ?

आप ने यह भी कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिये जो चयन में अनियमितताएं होती थीं उसको दूर किया है। लेकिन विचार के बाद जो विधेयक यहां पास हुआ है उसमें कहना चाहता हूं कि आपने बन्दर के हाथ में अदरक की गांठ दिया है। जो यहां प्रशासन का काम आई० ए० एस० अधिकारी करते हैं यदि उन्हें चयन में मौका देंगे तो आशा करेंगे ऐसे लोगों का वह चयन

करेंगे जो एकेडेमिक वातावरण को सुधार सकें, यह आपकी मृग मरीचिका साबित होगी। इसलिये इसमें आप विचार करें। शिक्षा में एकेडेमिक वातावरण अच्छा बनाने की बात आप करते हैं लेकिन वह पुलिस के डण्डे से अच्छा वातावरण नहीं हो सकता है। अच्छा एकेडेमिक वातावरण बनाने के लिये आदर्श कुलपति और प्रोफेसर बनाने होंगे जिससे छात्र उनसे कुछ सीख सकें। मान्यवर, पहले जैसे आपने नकल रोकने के लिये डण्डा चलवाया और 14-14 वर्ष के बच्चों को जेल भिजवाया तो मैं पूछना चाहता हूं कि उससे कितनी अनियमितता दूर हुई। इसलिये केवल आप डण्डे से शिक्षा में सुधार ला सकते हैं तो यह भूल साबित होगी। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री समरपाल सिंह--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे आपने प्रस्तुत बजट प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिये मौका दिया। मान्यवर, मंत्री जी विद्वान हैं, मैंने उनके बजट भाषण को सुना तो उन्होंने शिक्षा के अन्दर छात्रों के सामने जो मौलिक समस्याएं हैं उनके सम्बन्ध में प्रकाश नहीं डाला। मंत्री जी ने कहा है कि वह शैक्षिक कलेण्डर बनायेंगे और शैक्षिक दिवस बढ़ाने की बात कहा है। चयनित छात्रों की उपस्थिति के सम्बन्ध में उन्होंने कहा है कि 75 प्रतिशत से जिसकी उपस्थिति कम होगी उसको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जायेगा।

(समय 6 बजकर 15 मिनट)

बहुत अच्छी बात है लेकिन एक बात सर्वविदित है और जो विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से ताल्लुक रखते हैं वे सारे लोग इस बात को जानते हैं कि आज विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सारे काम होते हैं, गुण्डागर्दी होती है, राजनीति होती है लेकिन पढ़ाई का काम नहीं होता है, यह एक सच्चाई है। आपने छात्रों के लिये 75 प्रतिशत अटेंडेंस की बाध्यता कर दी लेकिन क्या आप अध्यापकों के ऊपर कोई बंदिश लगायेंगे। विश्वविद्यालयों के अन्दर परीक्षा होती है, उसके संचालन का काम अध्यापकों के माध्यम से किया जाता है 6 महीने में परीक्षा होती है और 6 महीने का समय उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और रिजल्ट बनाने में लग जाता है। इसके साथ ही जो अध्यापक चाहे वह प्राक्टर, डीन या वाइस चांसलर हो गये हैं वह फिर क्लास लेने का काम नहीं करते। मान्यवर, मैं बड़े-बड़े प्रोफेसर को जानता हूं जिनको कई-कई साल हो गये हैं लेकिन उन्होंने एक भी क्लास नहीं ली। क्लब के अन्दर बैठकर राजनीति करते होंगे या फिर वाइस चांसलर की चमचागीरी करते होंगे लेकिन पढ़ाने का काम नहीं करते इस पर भी माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो हमारी उच्च शिक्षा है वह मात्र अभिजात्य वर्ग के लिये सीमित होकर रह गयी है। जो आप्लाईड कोर्स और व्यवसायिक कोर्स शुरू किये गये हैं चाहे एम० बी०ए० हो या दूसरे कोर्स हों उनमें कई-कई लाख रुपये प्रतिवर्ष की फीस है, एक मध्यम वर्ग का छात्र, गरीब परिवार का छात्र, एक किसान परिवार का छात्र कई लाख रुपया फीस देकर विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ सकता है, कौन पढ़ सकता है, पूंजीपति या बहुत पैसे वाला या जिसके पास कालाधन हो उसका बच्चा ही ऐसे महंगे पाठ्यक्रमों में प्रवेश पा सकता है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय समरपाल सिंह जी संक्षेप में अपनी बात कहें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, दो-तीन बातें कहकर समाप्त कर रहा हूं। तीसरी बात जो आज सबसे बड़ी चिन्ता की बात है वह है विश्वविद्यालयों में सीटों की कमी। आज हमारे प्रदेश व देश की जनसंख्या काफी बढ़ गयी है और पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। वर्तमान में 5 लाख ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अच्छे नम्बर लेकर परीक्षा पास की है लेकिन वह शिक्षा से वंचित होंगे क्योंकि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पिछले 10 वर्षों में कोई भी सीट नहीं बढ़ाई गयी है, सीट बढ़ाने के बजाये उनमें कमी की गयी है। मैं चाहूंगा कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सीटें बढ़ायी जाये ताकि हमारे प्रदेश के छात्रों को प्रवेश मिल सके। इसके साथ ही मैं इस बजट का विरोध करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव भाई अम्बरीष जी ने रखा है उस पर बल देता हूं।

*श्री राजधारी–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय मंत्री जी ने अपना संकल्प व्यक्त करते हुये जो शिक्षा का बजट रखा है मैं उसके समर्थन में अपनी बात कहने जा रहा हूं। आज विश्वविद्यालयों और महाविद्यलयों की सबसे बड़ी समस्या सत्र के नियमित होने की है। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा सत्र को नियमित करने का अपना दृष्टिकोण उजागर किया है और मैं जानता हूं कि अगर महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा-सत्र नियमित हो जाये तो बहुत बड़ी समस्या उच्च शिक्षा की दूर हो जायेगी। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि शिक्षा सत्र को नियमित करने के लिये आपने कार्यक्रम भी पेश किया है और आपने एडमिशन के साथ-साथ परीक्षा की तिथि कब होगी इसको भी निर्धारित करने की घोषणा की है। हमारे विरोध पक्ष के साथियों ने यह बात उठायी कि जिस प्रकार छात्रों की उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य कर दी गयी है उसी तरह से अध्यापकों के ऊपर पढ़ाने के लिये भी बंदिश होनी चाहिये तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने 180 दिन का शिक्षण दिवस तय किया है यह एक स्वागत योग्य कदम है और बच्चों के अन्दर जो अनुशासनहीनता आती थी, पढ़ाई नहीं होती थी, मंत्री जी की घोषणा से इसमें सुधार होगा क्योंकि छात्रों के लिये 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य कर दी गयी है। आपने एक निर्णय लिया है कि जो महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में पद रिक्त हैं, उन पदों पर तत्काल भर्ती की जायेगी, इससे हमारी पढ़ाई की गुणवत्ता रहेगी। इसके साथ ही साथ, मैं चूंकि बलिया जनपद से चुनकर आता हूं, बलिया जनपद शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है, वहां पर लड़कियों की पढ़ाई के लिये राजकीय कन्या महाविद्यालय की आवश्यकता है। हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप महाविद्यालयों को खोलने के लिये जो विचार प्रकट किये हैं, उसमें बलिया जनपद मुख्यालय पर राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने की बात सुनिश्चित करेंगे। आपने जो महाविद्यालयों के अन्दर, विश्वविद्यालयों के अन्दर आर्थिक अनियमिततायें जो होती थीं, भ्रष्टाचार के प्रकरण होते थे, उसके दूर करने के लिये नियमति रूप से आडिट कराने का संकल्प किया है, इन तमाम अच्छाइयों को देखते हुये, चूंकि आप शिक्षा शास्त्री हैं, और शिक्षा के प्रति आपके मन में अटूट लगाव है, यह बजट स्वागत योग्य है, मैं इसका पुनः समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुखपाल पाण्डेय-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे उच्च शिक्षा के बजट पर समर्थन करने का अवसर दिया है, इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये उच्च शिक्षा आयोग के गठन को समाप्त करके, वहां का चेयरमैन जो 5-5 लाख रु० लेकर के प्रधानाचार्यों की नियुक्ति करता था, वहां का लेक्चरर की नियुक्ति में 1-1 लाख रुपया लेकर चेयरमैन भ्रष्टाचार करता था, यही नहीं, उस चेयरमैन ने मथुरा में एक कम्पार्टमेंट में अपने 4 लड़कों के लिये 4 बंगले बनवाये हैं और चूंकि मथुरा का पानी खारा था, इसलिये पानी बाहर से टैंकरों द्वारा मंगवाया गया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसकी जांच करके उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही आपको करनी चाहिये। मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि विद्यालय में जो अंशकालिक अध्यापक हैं, उनकी स्थिति पर आप विचार करें, कोई उपाय करें। आपके द्वारा जो यह बजट प्रस्तुत किया गया है, यह सराहनीय बजट है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाय, कम है। मैं इस बात के लिये भी आपकी सराहना करता हूं कि जो वित्तविहीन विद्यालय को मान्यता देने की बात आपने कही है। लेकिन एक बात और ध्यान देने की है कि जब नियुक्तियां हो जाती हैं तो उन नियुक्तियों को नियमितीकरण करना चाहिये, यह मेरा सुझाव है। मान्यवर, इस प्रदेश में 12 नवम्बर, 1991 तक के अध्यापकों को जो आपने नियमितीकरण करने का निर्णय लिया है, वह भी अत्यन्त सराहनीय कार्य है। मैं प्रस्तुत बजट का पुनः समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दिये गये सुझावों पर आप अमल करेंगे।

*डा० अशोक वाजपेयी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, आज शिक्षा का बजट है और आज ही आबकारी का बजट है तो क्या यह सरकार मयखानों में स्कूल चलाना चाहती है। मान्यवर, शिक्षा जैसे पवित्र विषय को और आबकारी को एक साथ रखा गया है।

*श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा जो बजट रखा गया है उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने शिक्षा सत्र के नियमितीकरण की बात कही है मान्यवर, जब विद्यालयों में परीक्षाएं शुरू हो जाती थीं तब तक लोग एडमीशन के लिये दौड़ते रहते थे, तो जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि जब उनकी परीक्षाएं होना शुरू होंगी तो दो-तीन महीना पहले ही उस परीक्षा की डेट निर्धारित कर दी जायेगी। यह एक स्वागत योग्य कदम है और मैं इसकी सराहना करता हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो 75 फीसदी बच्चों की उपस्थिति की बात कही है वह प्रशंसनीय है। मान्यवर, इस बजट में जो तकनीकी विद्यालयों के लिये महिला डिग्री कालेजों के लिये और भवनों के निर्माण के लिये जो धन की व्यवस्था की गयी है वह सराहनीय है। मान्यवर, जो भी विद्यालय भाड़े के कमरों में चलाये जाते थे ऐसे विद्यालयों के लिये धन की व्यवस्था एक सराहनीय काम है। मान्यवर, हमारे जनपद भदोही में एक डिग्री कालेज है जहां पर एक-एक कमरे में ढाई सौ बच्चों का सेक्शन लगता है, किस तरह से अध्यापक पढ़ाते हैं और किस तरह से बच्चे पढ़ते हैं यह आश्चर्यजनक है। मान्यवर, हमारे भदोही जनपद में न तो कोई पालिटेक्निक है और न ही कोई इंजीनियरिंग कालेज है और न महिलाओं के लिये डिग्री कालेज है।

मैं इसकी व्यवस्था कराये जाने की मांग करता हूं। मान्यवर, हमारा भदोही जनपद शिक्षा की दृष्टि से अति पिछड़ा हुआ जिला है वहां पर एक ही डिग्री कालेज है यदि हो सके तो वहां विश्वविद्यालय की व्यवस्था की जाय क्योंकि हमारे यहां के डिग्री कालेज में 10 हजार से अधिक बच्चे पढ़ते हैं।

मान्यवर, पालिटेक्निक, महिला डिग्री कालेज, इंजीनियरिंग कालेज की मांग के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री जगदम्बिका पाल—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये आपका आभार व्यक्त करते हुये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। मान्यवर, पूरे प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा हो जायेगी जब यह उच्च शिक्षा का बजट पारित हो जायेगा और इससे तमाम विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता पर पहुंचाने की स्थिति पैदा हो जायेगी। मान्यवर, उच्च शिक्षा मंत्री का जो बजट भाषण का प्रेस नोट बटा है पत्रकारों के लिये उसमें माननीय उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की आत्मनिर्भरता को समाप्त किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रसाय किया जा रहा है। यह बहुत ही गम्भीर बात है। मान्यवर, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त करने के लिये यह सरकार प्रयास करने जा रही है यह बजट भाषण का प्रेस नोट बटा है। कल बजट पारित होने के बाद यह शिक्षकों में बात जायेगी, वाइस चांसलर में बात जायेगी। विश्वविद्यालय को भी सरकारी विभाग की तरह से एक विभाग का दर्जा दे दिया जायेगा। मान्यवर, एक गुणवत्ता की बात कह रहा हूं, शैक्षिक स्कूलों की बात कर रहा हूं। आपने शिक्षकों की भर्तियों और प्रोन्नतियों की तो बात कही लेकिन पढ़ाई रोजगार परक हो इसके लिये क्या व्यवस्था होगी। विश्वविद्यालयों में रोजगार परक शिक्षा के लिये कौन सी उपाय कर रहे हैं जिससे वे पढ़ते ही कम से कम स्वावलम्बी हो सकें और जो इण्टरमीडिएट के बाद ड्राप आउट हो रहे हैं उनके लिये क्या उपाय करेंगे। मुख्य मंत्री जी ने 11 महाविद्यालयों की घोषणा कर दी है राज्यपाल जी ने भी घोषणा कर दी है यह सब घोषणा होती जा रही है लेकिन इसके लिये धन कहां से आयेगा?

*श्री शिव प्रताप शुक्ल—

मान्यवर, आज शिक्षा के साथ आबकारी का भी बजट है कहीं कोई साठ-गांठ तो नहीं चल रही है? कहीं उसका असर तो पाल साहब पर नहीं है?

श्री ओम प्रकाश—

मान्यवर, 6 बजे के बाद शुक्ला जी जो कुछ बोलते हैं उसे लिखा ही न जाय।

*श्री सुधाकर सिंह—

मान्यवर, मैं अम्बरीष कुमार जी के प्रस्तुत बजट के कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी विद्यमान हैं। उ० प्र० में जो बेरोजगारी की हालत है उसका कारण क्या है ? जब विद्यार्थी इण्टर पास करता है तो बी०ए० में प्रवेश नहीं हो सकता है जब बी०ए० करता है तो एम०ए० में प्रवेश नहीं हो पाता जब उसके पास पढ़ाई नहीं होगी तो रोजगार नहीं होगा तो निश्चित रूप से वह नौजवान अराजकता की तरफ बढ़ेगा जिससे प्रदेश में कानून व्यवस्था का मसला खराब हो सकता है। इस वर्ष इण्टर की परीक्षा में 6 लाख 89 हजार नौ सौ अस्सी परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुये जबकि प्रदेश के समस्त 24 विश्वविद्यालयों तथा 487 महाविद्यालयों में स्नातक कक्षाओं में 2 लाख से अधिक सीटें नहीं हैं। इण्टर में इस वर्ष लड़के पास हुये हैं उनका प्रवेश स्नातक में मुश्किल होगा। जितने सीटें हैं उससे गुना ज्यादा प्रवेश के इच्छुक लोग हैं हाय तोबा विद्यालयों में मची हुई क्योंकि हर एक छात्र-छात्रा की इच्छा होती है कि विद्यालयों में प्रवेश हो। इस तरह से इस वर्ष सभी को प्रवेश नहीं मिल पायेगा। वर्ष

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

1996 में लखनऊ विश्वविद्यालय में कला स्नातक की 1029 सीटों के मुकाबले 13 हजार प्रवेश भरे गये, वाणिज्य में 6 सौ सीटों के मुकाबले 11 हजार प्रवेश फार्म भरे गये, विधि में 1 हजार स्नातक सीटों के लिये 11 हजार फार्म भरे गये हैं, बी०एड० में सीटों के मुकाबले 3 हजार फार्म भरे गये। इसी तरह से स्नात्कोत्तर कक्षाओं की स्थिति रही।

श्री अधिष्ठाता—

आपने एक मिनट के लिये कहा था अब आप बैठें।

श्री सुधाकर सिंह—

मान्यवर, एक मिनट और लूँगा।

वाणिज्य की 200 सीटों के लिये 8 हजार, विज्ञान में 10हजार, एम०एड० में 40 सीटों के लिये 5 हजार फार्म भरे गये। इस तरह से मान्यवर कुल मिलाकर 33 प्रतिशत लोगों को प्रवेश मिल पाता है, उच्च शिक्षा के अभाव में सारे नौजवान बेकारी की कगार पर पहुंच चुके हैं। 97-98 के बजट में महाविद्यालयों में कहीं हास्टल की व्यवस्था का प्राविधान बजट में नहीं किया गया है, पढ़ाने की समुचित व्यवस्था नहीं की गयी है। मान्यवर मैं अपने क्षेत्र की बात कह दूँ.....

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें।

श्री सुधाकर सिंह—

मेरे क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय नहीं है 60 कि०मी० दूर छात्रों को पढ़ने जाना पड़ता है मेरे क्षेत्र में महाविद्यालय की स्थापना घोषणा तत्काल करें। जो कटौती का प्रस्ताव भाई अम्बरीष जी ने पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूँ।

श्री जयनारायण तिवारी—

मान्यवर, आपने मुझे मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो यह बजट प्रस्तुत किया है वह अपने आप में परिपूर्ण है। सुल्तानपुर जनपद में मेरे विधान सभा क्षेत्र सिसौली में एक भी डिग्री कालेज न लड़कियों के लिये हैं और न लड़कों के लिये हैं। इसलिये इस दिशा में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। यह सरकार कटिबद्ध है सत्र के नियमन के लिये, परीक्षाओं की समुचित व्यवस्था के लिये परन्तु विपक्ष की नीति है परीक्षा के बहिष्कार करने की, आपके नेता नकल करने की बात करते हैं। ऐसे लोगों को तो कटौती का प्रस्ताव लाना ही चाहिये क्योंकि इनकी मानसिकता ही यही है कि शिक्षा सत्र न हो, विश्वविद्यालय न खुलने पायें, महाविद्यालयों में पठन-पाठन का कार्य न होने पाये, ऐसे लोगों की मानसिकता के लिये हमें कुछ नहीं कहना है। (धन्यवाद)

(श्री ओम प्रकाश के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना—

मान्यवर, माननीय श्री गौर जी ने जो यह उच्च शिक्षा का बजट प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। उनका जो बजट प्रस्तावित है वह अपने आप में परिपूर्ण है। चाहे वह यू०जी०सी० के निर्देशानुसार 180 दिन का सत्र चलने की बात हो, चाहे सत्र के नियमन की बात हो और चाहे उपस्थिति की बात हो। मान्यवर, मैंने बचपन में एक श्लोक पढ़ा था—

"गुरुवो बहवः सन्ति शिष्य विपताव हारकः
दुर्लभः सः गुरुं लोके शिष्यं चित्तापयं हारकः।

जिस भावना से माननीय मंत्री जी ने बजट रखा है, ऐसा लगता है कि वह अपने अन्तर्मन से बोल रहे थे, उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। पहला, बिना अनुमति लिये जो लोग महाविद्यालय खोलकर कक्षाये प्रारम्भ कर देते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये क्योंकि उससे छात्रों का भविष्य खराब होता है। हमारे शाहजहांपुर में ऐसे दो उदाहरण हैं। शाहजहांपुर के तहसील जलालाबाद में एक विद्यालय ने अनुमति नहीं ली और कक्षायें आरम्भ कर दी। दूसरे ऐसे विद्यालय हैं, जो अनुमति तो ले लेते हैं परन्तु विद्यालय नहीं खोलते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिये। हमारे यहां शाहजहांपुर के पुवायां में एक सज्जन को अनुमति मिल गई परन्तु आज तक विद्यालय नहीं खोला।

मान्यवर, रोजगारपरक पाठ्यक्रम की अनुमति दिये जाने में उदारीकरण बरती जाय। उसकी फीस को इतना रखा जाय कि मध्यम वर्ग के छात्र भी उसमें शिक्षा ग्रहण कर सकें। चाहे वह होटल मैनेजमेन्ट हो, चाहे वह एम०बी०ए० हो या चाहे वह पी०वी०बी०ए० हो। आप उसकी एक फीस रख दीजिये और कह दीजिये कि इससे अधिक फीस नहीं होगी। विश्वविद्यालय का सत्र नियमित हो, 180 दिन पढ़ाई हो और साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पढ़ाई के दिनों में महाविद्यालयों में कोई ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम न हो, जिसका शिक्षा से कोई मतलब न हो। इस पर मंत्री जी रोक लगायें और स्वयं पर भी प्रतिबन्ध लगायें कि पढ़ाई के दौरान ऐसे विद्यालय परिसरों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को अनुमति न दें। इसी के साथ ही मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

धन्यवाद।

डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो तदर्थ रूप से नियुक्त अध्यापकों का विनियमितीकरण करने की प्रक्रिया आरम्भ की है इससे अध्यापकों को बहुत लाभ मिलेगा। इससे पता चला है कि यह सरकार शिक्षकों की भलाई के लिये कृत संकल्पित है। मैं एक विसंगति की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि उन्होंने कट आफ डेट 22 नवम्बर रखी है, तो उससे पूर्व चयन समिति द्वारा जिनका चयन हो चुका हो और वह पोस्टिंग की प्रक्रिया में हैं, ऐसे लोगों को भी उस प्रक्रिया में शामिल किया जाय। दूसरा निवेदन मेरा यह था कि माननीय मंत्री जी ने इस वर्ष 10 नये महाविद्यालय खोलने हेतु 13.70 करोड़ रुपये का प्राविधान रखा है, बजट में। यह व्यवस्था सीमित संसाधन को देखते हुये तो ठीक है लेकिन जितनी बड़ी आवश्यकता महाविद्यालयों की स्थापना की है उसको देखते हुये बहुत कम है। सांध्यकालीन कक्षाओं में फीस अधिक है ट्यूटर शासन है मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी इस संबंध में विचार कर लें कि ऐसी योजना बनायें कि जो प्राइवेट सेक्टर द्वारा महाविद्यालय खोलना बन्द हो गये हैं, पहले वह खोलते थे, पुनः इस संबंध में उनके अन्दर प्रेरणा आये और वह दोबारा प्राइवेट महाविद्यालय खोलना शुरू कर दें। इससे जो प्रवेश की समस्या है वह हल हो जायेगी और लोगों को प्रवेश के लिये मारा-मारा नहीं फिरना होगा। वर्तमान में जो महाविद्यालय खुले हैं उनमें बैठने के लिये कमरे नहीं है, कमरे फटे पड़ रहे हैं, प्रयोगशाला में उपकरण नहीं हैं। अन्त में मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं।

श्री दल बहादुर कोरी—

मान्यवर, आप हम सदस्यों को भी बोलने का मौका दें।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने इस समय डा० अशोक बाजपेयी जी का नाम पुकार लिया है।

श्री दल बहादुर कोरी–

मान्यवर, बस मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिये धन्यवाद। मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, शहरों में तो महाविद्यालय खोल रहे हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि ग्रामीण अंचलों में भी महाविद्यालय खोले जायें जिससे जो वहां के गरीब और कृषक के बच्चे हैं, उन्हें भी उच्च शिक्षा का अवसर मिले। वह भी पढ़-लिख कर आई०ए०एस० और पी०सी०एस० बन जायें। गांवों में महाविद्यालय नहीं खोले जा रहे हैं जिससे वहां के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। मेरी आपसे मांग है कि इस बजट सत्र के बाद गांव में महाविद्यालय खुलवाने का कष्ट करें। इसी के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं इस विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा अनुदान आयोग पारित किया गया था वह इस संभावना से पारित किया गया था कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा सूबा है। जो शिक्षा की चुनौतियां हैं और संभावनाएं हैं, पर गम्भीरतापूर्वक अनुदान आयोग में विचार किया जायेगा। यह आयोग उत्तर प्रदेश की विश्वविद्यालीय शिक्षा के मानकों का निर्धारण करेगा अच्छी गुणवत्ता को बनाने का काम करेगा। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रवर समिति द्वारा विचारित इस विधेयक को रिपील कर दिया गया हैं। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा की सम्भावनाओं को देखते हुये मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना पर सरकार विचार करेगी। मात्र यही एक सुझाव है मेरा।

(श्री अम्बरीष कुमार का नाम पुकारे जाने)

*श्री अमर मणि–

मान्यवर, एक सुझाव है। सुबह से कई बार इस बात का उल्लेख होता है कि साहित्य नहीं वितरित हुआ है। उच्च शिक्षा का पहले मिल गया था। आज आप जो साहित्य देते हैं उस पर वर्ष 1997-98 का विस्तृत विवरण है। आप देख लें, कई जिलों की संरचना की गयी है और बड़े-बड़े मूर्धन्य लोगों को प्रतिष्ठित किया गया है, उसका उल्लेख नहीं किया गया है। फूले बाबा नगर हो या महामायानगर हो, इनका उल्लेख नहीं किया गया है। इस पर अतुल चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन और 28-7-1997 का दिनांक है। सरकार यह नहीं जान रही है, कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं। इनको जनपदों का संज्ञान नहीं है। (व्यवधान)

श्री गोपाल कृष्ण–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उच्च शिक्षा के बजट पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र पूरनपुर की बात कहना चाहता हूं। यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। एक मात्र गन्ना कृषक महाविद्यालय किसानों के पैसे की कटौती करके

बना है, इसको स्थायी मान्यता नहीं मिली है, इसको स्थायी मान्यता दी जाये। यहां पर जो अध्यापक हैं, उनको 11-11 सौ पर रखा गया है, दैनिक वेतन पर रखा गया है। इस प्रकार से उन अध्यापकों का अपमान हो रहा है और उनका जीवन-यापन नहीं हो पा रहा है। इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि उनको नियमित किया जाये। पूरनपुर में लड़कियों की शिक्षा के लिये न तो कोई इण्टर कालेज है और न ही डिग्री कालेज है। मानवीय दृष्टि से पब्लिक इण्टर कालेज में उनको पढ़ाने की व्यवस्था की गयी है। पूरनपुर में शाहजहांपुर और लखीमपुर जिले से मिले हुये क्षेत्र से शिक्षा लेने के लिये आते हैं, जबकि वहां पर 180 सीटें हैं, तो प्रवेश की बड़ी समस्या है। यहां पर सीटें बढ़ाई जायें और विद्यालय में विषय बढ़ाये जायें और यहां पर लड़कियों का डिग्री कालेज खोला जाये। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है (व्यवधान) आगे दूसरे बजट पर बोल लें। माननीय तिवारी जी बैठ जायं। (व्यवधान) मैंने सबको जल्दी से जल्दी बोलने के लिये अवसर देने का प्रयास किया है। माध्यमिक शिक्षा के विभाग पर चर्चा होनी है (व्यवधान)। सभी लोग सभी मांगों पर नहीं बोल पायेंगे, यह संभव नहीं हो पायेगा। माननीय सभी सदस्य स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) सभी माननीय सदस्य बोलना शुरू करेंगे तो यह संभव नहीं होगा। माननीय अम्बरीष जी उत्तर भाषण दें।

श्री रामआसरे पासवान--

सभी दलों के सदस्यों को आपने समय दिया हमारे दल के सदस्यों को समय नहीं दिया।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय नेता जनता दल से मैं कहूंगा कि उन्होंने कोई नाम नहीं दिया जिसको मैं बुलवा सकूं। (व्यवधान)

श्री अम्बरीष कुमार--

मान्यवर, मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं और दो तीन बातें कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में स्कालरशिप के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। स्कालरशिप की धनराशि पिछले वर्ष जितनी थी उतनी ही इस वर्ष भी प्रस्तावित है।

डाक पत्थर, देहरादून में एक डिग्री कालेज चल रहा है यह माननीय मुन्ना चौहान जी के क्षेत्र में है वहां पर प्रिंसिपल भी वही है और अध्यापक भी वही है। कुल मिलाकर एक अध्यापक है। माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे।

जो हमारे अध्यापकों का चयन होता है उसमें प्रिंसिपल और मैनेजमेन्ट स्थानीय स्तर पर धांधली करते हैं और अध्यापकों की योगदान आख्या देने में विलम्ब करते हैं। चयन में जो जनपद के अभ्यर्थी हैं उनको प्राथमिकता दी जाय ताकि इस समस्या का निराकरण हो सके। इन शब्दों के साथ मैं पुनः अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मान्यवर, सम्मानित सदस्यों ने उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में अपने विचार यहां पर प्रस्तुत किये, मैं कुछ बिन्दुओं पर उत्तर देना चाहता हूं। मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया उन्होंने कहा कि शिक्षा और उच्च शिक्षा में सुधार लाने के लिये सरकार संकल्पबद्ध नहीं है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी निर्णय या विचार यहां मैंने रखे हैं अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे और सही सोच कर कहेंगे तो आप पायेंगे कि सरकार ने जो कदम उठाये हैं वह सरकार की संकल्पशक्ति का परिचायक है। आपने चरित्र निर्माण की बात कही, मेरा स्पष्ट मानना है कि शिक्षा एक संस्कार है, जब तक उसमें राष्ट्रीय चरित्र, नैतिक शिक्षा, राष्ट्रीयता का समावेश नहीं होगा तब तक वास्तव में, सही मानों में जो शिक्षा हम देना चाहते हैं वह नहीं दे सकते हैं। मान्यवर, कुलपति की हैसियत के बारे में, छात्रावासों के बारे में कहा गया कि छात्रावासों में हत्यायें हो रही हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि चाहे विश्वविद्यालय हों, या महाविद्यालय हों उनके अन्दर किसी तरह की अराजकता और अव्यवस्था यह शासन बर्दाश्त नहीं करेगा जहां पर आवश्यकता होगी वहां कठोर कार्यवाही करेगा। मान्यवर, विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में मेरा स्पष्ट मानना है कि यह स्वायत्तशासी संस्थायें हैं और इनकी स्वायत्तता बरकरार रहनी चाहिये। आप स्वयं जानते हैं कि विश्वविद्यालयों के अन्दर कुलपति, महामहिम कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, हम समझते हैं कि महामहिम कुलाधिपति वहां अच्छे कुलपति नियुक्त करते हैं जिनके माध्यम से विश्वविद्यालय के अन्दर एक सही व्यवस्था बनती है।

प्रवेश के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न उठाये गये मैंने बजट प्रस्तुत करते समय कहा था कि एक विकराल समस्या हायर एजूकेशन की है। इसके लिये शासन स्तर से हमने विचार किया है और संभवतः 4 महीने के अन्दर 137 अशासकीय महाविद्यालयों में नये विषयों के लिये क्लियरेंस हम देने जा रहे हैं इससे प्रवेश की समस्या का कुछ समाधान होगा। प्रदेश के अंदर जो विश्वविद्यालय हैं, अशासकीय महाविद्यालय हैं यदि आवश्यकता होगी तो हम शासन स्तर से सांध्यकालीन कक्षायें खोलने की अनुमति देंगे ताकि जो छात्र पढ़ना चाहते हैं वह पढ़ सकें। समस्या का सही समाधान तभी होगा जब इस प्रदेश में एक ओपेन यूनिवर्सिटी बनेगी। शासन स्तर से हम प्रस्ताव बना रहे हैं और इस बारे में शीघ्र ही निर्णय लेंगे। इससे प्रवेश समस्या का समाधान सम्भवतः हो सकेगा। यहां पर मान्यवर, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के छात्रों की उच्च शिक्षा में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है ऐसी बात माननीय सदस्यों ने कही। आप सभी सम्मानित सदस्य हैं और योग्य हैं आपको मालूम है कि हायर एजूकेशन के अन्दर वहां परीक्षा कैसे हो, प्रवेश कैसे हो, पाठ्यक्रम क्या हो इसके लिये विश्वविद्यालय में नियम परिनियम हैं और उनके अन्तर्गत अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के छात्रों का प्रवेश आरक्षण नीति के अन्तर्गत हो रहा है तो इसमें कहां अन्याय हो रहा है। अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाती है। छात्र कल्याण निधि के माध्यम से प्रदेश के अन्दर 50 लाख रुपये की छात्रवृत्ति हम अपने छात्रों को देते हैं। अधिक से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति हम देने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, एक बिन्दु की ओर यहां पर विशेष ध्यान आकृष्ट किया गया और मैं समझता हूं इस बात से कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो या और हमारे प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालय हों आज विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा जो आज से 20—25 साल पहले थी सम्भवतः अब नहीं है इसीलिये मैंने प्रारम्भ में ही कह दिया था कि हम, राजनीति में बैठे लोग ही कहीं न कहीं पर उसके लिये दोषी हैं। जब तक हम शिक्षा के उन्नयन का एक मापदण्ड नहीं बनायेंगे जब तक कितने बंगले, कितनी कारें, कितना बैंक बैलेंस किसके पास है, को उन्नयन का मापदण्ड मानेंगे इस दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं, अध्यापक भी रहा हूं। आज से 20—25 वर्षों पूर्व आई०ए०एस०, आई०पी०एस० और आई०एफ०एस० में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र ही आये होंगे।

उत्तर प्रदेश में प्रतिभा की कमी नहीं है केवल शिक्षा के बारे में चिन्ता करने से काम नहीं चलेगा बल्कि उसमें सुधार किया जाना आवश्यक है। मैंने प्रारम्भ में ही कहा था और इशारे में बात कही थी कि जब 1991 में बी०जे०पी० की सरकार बनी तो उसके पहले प्रदेश के अन्दर नकल का कैंसर एक रोग लगा हुआ था। मेधावी छात्र वर्ष भर पढ़ते थे और जो छात्र जो एक दिन भी पढ़े बिना नकल के माध्यम से उत्तीर्ण हो जाते थे। ऐसे में आप उन मेधावी छात्रों को न्याय देने में कितने सफल थे। हमारी सरकार ने आते ही नकल के कैंसर से जैसे रोग के लिये नकल विरोधी कानून बनाया था और उसको ईमानदारी से लागू किया था। ताकि मेधावी छात्रों को नाम मिल सके। मैंने प्रारम्भ में भी कहा था कि उसमें कुछ कमी रही होगी, कुछ कठिनाई रही होगी तो उसमें मुलायमियत कर देते उसमें कुछ संशोधन करते लेकिन उस नकल विरोधी कानून को समाप्त कर दिया गया। उस दिन प्रदेश के अन्दर जो संदेश गया वह अच्छा नहीं गया। प्रदेश के अन्दर एक ही बात थी कि इस नकल विरोधी कानून को समाप्त करके नकल करने की पूरी छूट दे दी गई है। ऐसी मानसिकता हमारे राजनैतिक दलों की रहेगी कि अगर कोई फेल भी हो जाय उसको नौकरी जरूर दी जाय। आज इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण को बदलना होगा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के बारे में कहा गया। हमारी यह जो भा०ज०पा० और ब०स०पा० के गठबंधन की सरकार है, हम भ्रष्टाचार के विरोधी हैं। कोई भी व्यक्ति हो छोटा हो या बड़ा अधिकारी हो चाहे हमारे विभाग के अन्दर हो अगर अनियमितता, भ्रष्टाचार करता है तो उसको बक्शा नहीं जायेगा। इसीलिये उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं 2 सदस्यों को पद से हटाया है। लखनऊ विश्वविद्यालय का उदाहरण देना चाहता हूं।

फाइनेंशियल इरैग्युलैरिटीज इतनी थी कि फाइनेंशियल आफिसर और कन्ट्रोलर को सस्पेंड किया है। किसी को भी बक्शा नहीं जायेगा यह सरकार का मंतव्य है। छात्रों की पढ़ाई के लिये शासन चिन्तित है। कहा गया कि शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं। मैं भी शिक्षक हूं। यह शिकायत बहुत की जाती हैं। 5—10 प्रतिशत शिक्षक ऐसे होंगे जो नहीं पढ़ाते होंगे लेकिन पूरे शिक्षक समुदाय के ऊपर अंगुली उठाना ठीक नहीं है। मैं इन चार महीनों के अन्दर जहां-जहां विश्वविद्यालय हैं वहां गया और शिक्षकों के बीच में बैठा हूं और जो भाषण दिया है उसमें कहा कि 90 प्रतिशत शिक्षक पढ़ाते हैं 5—10 प्रतिशत ऐसे होंगे जो नहीं पढ़ाते होंगे उनको भी प्रवाह में लीजिये इन लोगों के कारण आप भी बदनाम हो रहे हैं। प्रदेश के अन्दर पठन-पाठन की व्यवस्था अच्छी हो इसके लिये प्रयास हो रहे हैं। यू०जी०सी० के लिये कुलपतियों का सम्मेलन हुआ था उसमें कुलपतियों से अनुरोध किया गया था कि इस व्यवस्था को सुनिश्चित करें। इस तरह की व्यवस्था हो कि टीचर के ऊपर अंगुली न उठा सकें। हमारे देश के अन्दर परम्परा गुरूकुल की रही है। गुरू के पास शिक्षा लेने छात्र जाते थे आज छात्र यह समझते हैं कि शुल्क दे रहे हैं, गुरू यह समझते हैं कि तनख्वाह मिल रही है। तो गुरू और छात्र दोनों के लिये ही अपना-अपना कर्तव्य समझना जरूरी हैं। मान्यवर, अंशकालिक शिक्षकों के देय मानदेय के बारे में कहा गया मुझे दुःख हो रहा है प्रदेश के विश्वविद्यालय महाविद्यालय के अन्दर कुछ पार्ट टाइम अंशकालिक शिक्षक हैं, जो पी०एच०डी० हैं और काम कर रहे हैं उनको उचित मानदेय देने के बारे में विचार कर रहे हैं। (बिजली चले जाने से व्यवधान)

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई)

उत्तर प्रदेश के अन्दर यू०जी०सी० की तरह एक स्टेट काउन्सिल आफ हायर एजूकेशन बनायी जो यहां के हायर एजूकेशन के विभिन्न बिन्दुओं पर विचार करे। अपनी संस्तुतियां देगी। कभी आवश्यकता

होगी तो मैं भी बात करूंगा । 1973 में यूनिवर्सिटी ऐक्ट बनाया गया। हर यूनिवर्सिटी के अपने परिनियम होते हैं उसमें अनेकों संशोधन किये गये हैं कई विसंगतियां आ गई हैं। इसमें एक बार विचार किया जाना चाहिये और इस पर विचार करने के लिये एक कमेटी बनायी हैं आपके सामने भी अगर आपको लगता हो कि यूनिवर्सिटी ऐक्ट में कोई प्राविधान किया जाये तो उसमें यदि आप सुझाव देना चाहें तो दें। प्रदेश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में जाकर अपने शिक्षकों और प्रबुद्ध जनों से मैंने अनुरोध किया है कि वह अपने सुझाव दें। मान्यवर, रोजगार की बात आयी। प्रारम्भ में रोजगार परक पाठ्यक्रम नहीं थे। इसमें शासन ने निर्णय लिया है कि ऐसे पाठ्यक्रम जैसे एम०बी०ए० होटल मैनेजमेन्ट आदि हैं, चालू किये जायें। ऐसे पाठ्यक्रम से सभी शिक्षा प्राप्त करेंगे और उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। कई माननीय सदस्यों ने कहा, अपने क्षेत्र में महाविद्यालय खोलने की मांग की है जो जहां प्राइमरी स्कूल हैं, वहां हायर एजूकेशन का एप्रोच किया है उसकी क्वालिटी हो, इस पर हम विचार कर रहे हैं। सरकार विस्तार एवं क्वालिटी हो इसके लिये विश्व बैंक से सहायता लेकर प्रोजेक्ट बनाने पर विचार कर रहे हैं ताकि डिग्री कालेज खोले जा सकें। मान्यवर, अभी हमारे प्रदेश के अन्दर चाहे विश्वविद्यालय हों महाविद्यालय हों शिक्षकों के लिये नियुक्ति करने के लिये एक आल इण्डिया नोट परीक्षा होती है उससे छात्रों को कई बार कठिनाई आती है तो उसके समकक्ष परीक्षा सेट परीक्षा प्रारम्भ करने पर विचार हो रहा है। लम्कर में ला कालेज खोलने को कहा गया। वहां कुछ कारणों से इस पर विचार नहीं किया गया। अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती और गौतम बुद्ध नगर में महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है।लखनऊ में पहली बार दो महिला महाविद्यालय स्थापित किये गये हैं। अभी हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य श्री जगदम्बिका पाल जी ने प्रेस नोट के संबंध में ध्यान आकर्षित किया। मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि इस पर टाइप त्रुटि थी। मैंने कई बार दोहराया है कि यह सरकार विश्वविद्यालय की स्वायत्तता की पक्षधर है। सभी विद्यालयों, विश्वविद्यलयों की शासन पर निर्भरता को समाप्त करने के लिये सरकार प्रयास कर रही है। रोजगार परक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के अन्दर सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स प्रारम्भ किया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय जब पिछली बार मैं उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर था तब यहां पर वित्तीय घाटा था। आज सेल्फ फाइनेंसिंग के रूप में जो फीस ली जा रही है, उसके कारण छात्रों को कुछ अधिक शुल्क देना पड़ा रहा है। अभिभावक भी परेशान होता है इस दृष्टि से हमने एक समिति बनाई है उसके अनुरूप निर्णय लिया जायेगा कि किस तरह से शुल्क लिया जाये। मैं प्रेमचन्द्र जी की उक्ति को दोहराना चाहता हूं। सम्पूर्ण शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जो सर्वांगीण हो, जिसमें सभी को विकास का अवसर मिले। शिक्षा की वर्तमान दृष्टि यही है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जो हमने उच्च शिक्षा का बजट प्रस्तुत किया है उसको आप सर्वसम्मति से पारित करें।

श्री अधिष्ठाता–

श्री अम्बरीष कुमार जी क्या आप कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

श्री अम्बरीष कुमार–

श्रीमन्, मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,51,35,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 89-भाषा विभाग, अनुदान संख्या 72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 39-भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,03,45,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(समय 7 बजकर 15 मिनट)

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसमें हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। पूर्व में अधिनियम और नियम अंग्रेजी भाषा में होते थे लेकिन उनका हिन्दी भाषा में अनुवाद करने के लिये भाषा विभाग का गठन किया गया। मान्यवर, हिन्दी राजभाषा रूप में आज कार्यालयों में व्याप्त है, कार्यालयों का काम हिन्दी में किया जा रहा है। राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में हिन्दी में कार्य चलाने के लिये प्रयास किया जा रहा है। हिन्दी विभाग, भाषा विभाग का कार्य कुछ बढ़ा और जिसके कारण भाषा विभाग विभिन्न भाषाओं के विकास की तरफ बढ़ गया है। संविधान की आठवीं अनुसूची में 13 भाषाओं का उल्लेख है और ज्ञान खोलने के लिये आपस में अन्य वाद आवश्यक है उसी उद्देश्य से पूर्व में 3 भाषा केन्द्र इलाहाबाद, देहरादून और लखनऊ में स्थापित किये गये। इसकी उपयोगिता को देखते हुये 3 अन्य केन्द्र हमारी सरकार ने खोले हैं जो आगरा, मुरादाबाद और वाराणसी में हैं।

मान्यवर, भाषा के विकास के लिये जो प्रदेश में प्रचलित हैं उनके साहित्य में विस्तार करने के लिये साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिये कुछ संस्थान भी प्रदेश में खोले गये हैं। वह संस्थान उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी, फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल ट्रस्ट, सिंधी एकेडमी आदि हैं। उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान हिन्दी में सबसे बड़ा केन्द्र है जिसका दो वर्ष से गठन नहीं हुआ था लेकिन हमारी सरकार ने पिछले महीने इसका गठन कर दिया है और कार्य प्रारम्भ हो गया है। मान्यवर, इस संस्थान में साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिये बहुत से पुरस्कारों की धनराशि में वृद्धि किया है। जैसे–साहित्य भूषण, विज्ञान भूषण, कला भूषण, विद्या भूषण की धनराशि जो पूर्व में 25 हजार रुपये थी उसको बढ़ाकर 50 हजार कर दिया है। इसी तरह से 36 विधाओं को दिये जाने वाले पुरस्कारों की धनराशि जो 11 हजार रुपये थी उसे बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दिया है। मान्यवर, बाल साहित्य भारतीय पुरस्कार जिसकी धनराशि 15 हजार रुपये थी उसे बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया है। मान्यवर, अनुशंसा का पुरस्कार जो 5 हजार रुपये था उसे बढ़ाकर 8 हजार रुपये कर दिया है। इन पुरस्कारों को देने के लिये पूर्व में कोई नियमावली नहीं थी, लेकिन हमारी सरकार ने आज उसकी नियमावली बनवा दिया है और उसके मुताबिक मापदण्ड भी पुरस्कार देने के लिये बना दिये गये हैं। मान्यवर, हिन्दी संस्थान में साहित्यकारों के लिये निवास हेतु

कोई निवास नहीं था, साहित्य की चर्चा करने के लिये कोई केन्द्र नहीं था किन्तु हमारी सरकार प्रयास करेगी कि हिन्दी संस्थान में इनका निर्माण हो सके। साहित्यकार जो अब दुनिया में अब नहीं रहे लेकिन आज भी उनका साहित्य जिंदा है, इसलिये उनकी स्मृति के लिये कुछ स्मारकों का निर्माण करने के लिये धन उपलब्ध करा दिया गया है।

बस्ती में मगहर नामक स्थान पर सन्त कबीर शोध संस्थान का निर्माण चालू है और इसके लिये 12 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है। इसी प्रकार से सोहन लाल द्विवेदी की स्मृति में एक स्मारक पर गम्भीरता से विचार कर 12 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है। संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है और कभी-कभी तो लगता है कि संस्कृत से ही दूसरी भाषाओं का जन्म हुआ है, संस्कृत के उत्थान के लिये उसके विकास के लिये जो पीछे कुछ कमी आयी थी, छात्रों में भी कमी आयी थी और शिक्षकों में भी कमी आयी थी। इस संस्थान द्वारा संस्कृत साहित्यकारों के लिये उनके प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार दिये जाते हैं और जो पुराने ग्रन्थ जो जर्जर अवस्था में हैं उनका पुनर्प्रकाशन किया जाता है। इस वर्ष हमारी सरकार ने पुराने वर्षों की तुलना में संस्कृत को 8.7 लाख की वृद्धि की है। उर्दू अकादमी, उर्दू के विकास के लिये कार्यरत है और उर्दू साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिये अपना कार्य चला रहा है साथ ही बहुत से स्कूलों में निःशुल्क कोचिंग चला रहा है। उर्दू के विकास के लिये हमारी सरकार ने पूर्व की तुलना में 10 लाख रुपये की वृद्धि की है। ऐसे ही फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी के लिये जो प्रकाशन के लिये आर्थिक सहायता देती है साथ ही शोध कार्यकर्ताओं को भी आर्थिक सहायता देती है, उर्दू के विकास के लिये संलग्न है उसके लिये 13.22 लाख रुपये का बजट में प्राविधान किया गया है। हिन्दुस्तानी अकादमी जो विभिन्न भाषाओं के प्रचार-प्रसार हेतु कार्यरत है उसके लिये भी बजट में 4.91 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, अधिनियमों, नियमों के प्रसारण हेतु जो अधिकारियों तक प्रेषित किये जाते हैं उसके लिये 5 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। मैं इतना ही कहूंगा कि "साहित्य समाज का दर्पण है" इसका विकास आवश्यक है और मेरा सदन के सभी मा० सदस्यगण से निवेदन है कि इस बजट को स्वीकृति प्रदान करें।

*श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आपने भाषा विभाग के लेखानुदान पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने की जो अनुज्ञा दी है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 39-भाषा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं काफी देर से माननीय मंत्री जी का लम्बा-चौड़ा भाषण सुन रहा था। मुझे खेद है कि जिस वक्त माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह बजट प्रस्तुत किया था 37 पेज का बजट भाषण था। मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें एक भी शब्द का भाषा के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने उल्लेख नहीं किया है अगर मैं गलत कर रहा हूं तो माननीय सत्ता पक्ष के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अगर वह मेरा ज्ञान-वर्द्धन कर दें, एक भी लाइन बता दें कि भाषा के प्रकरण पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक भी लाइन लिखा हो। मैं कहना चाहता हूं जिस प्रदेश का मुख्य मंत्री भाषा के सवाल पर गम्भीर न हो, भाषा के सवाल पर जिसकी इच्छा शक्ति न हो, भाषा के सवाल पर संवेदनशील न हो तो वह प्रदेश कैसे चलेगा और यह देश कैसे एक रह सकता है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं इतिहास के पन्नों की तरफ जाऊं उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि यह देश 3 कारणों से गुलाम हुआ था। भाषावाद के सवाल पर, जातिवाद के सवाल पर और साम्प्रदायवाद के सवाल पर। जातिवाद के सवाल पर और सम्प्रदायवाद के सवाल पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। मैं केवल भाषा के सवाल पर बात करना चाहता हूं। मान्यवर, आपने 2 करोड़ 3 लाख कुछ रुपये भाषा के सवाल पर निर्धारित किया है। जिस भाषा से देश की अस्मिता जुड़ी हो, इसी भाषा के सवाल पर हमारा देश गुलाम हुआ, उसी भाषा के चिन्तन पर यह सरकार संवेदनशील नहीं है, बल्कि असंवेदनशील है, इस तरह आखिर हम इस प्रदेश को कहां ले जायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि यह प्रदेश हिन्दी के नाम से जाना जाता है, इस प्रदेश की भाषा हिन्दी है, हिन्दी को आप राजभाषा कहते हैं, उस भाषा के वैभव को बढ़ाने के लिये, उत्कर्ष को बढ़ाने के लिये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जब इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी, तब यह सन्देश पूरे देश में जायेगा नहीं तो इस तरीके से अंग्रेजी भाषा हरदम रानी बनी रहेगी और देश के लिये अच्छा सन्देश नहीं जायेगा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आपकी नीति क्या है, भाषा के सवाल पर ? आपने अन्य भाषाओं की उपेक्षा कर दी, आप उर्दू के नाम पर चौंक जाते हैं, मलयालम के नाम पर कोई बात नहीं, तमिल के नाम पर कोई बात नहीं, पंजाबी के नाम पर, असमिया के नाम पर कोई बात नहीं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि हिन्दी एक माला की तरह हो, वह इस तरह एक सूत्र में बंधे, जिसमें अन्य भाषायें मोती की तरह हों, तभी यह देश एक रह सकता है और हमारा प्रदेश आगे जा सकता है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि आप जो पत्राचार करें, उसमें यदि कोई तमिलनाडु आपके पास पत्र आये तो उसका जवाब हिन्दी में दें। इसी तरह उड़िया भाषा में कोई पत्र उड़ीसा से आये तो आप उसका जवाब हिन्दी में दें, यदि इस तरह की आप अपने मंत्रालय में, सरकार में व्यवस्था करेंगे तो इस देश को और प्रदेश को एक रखने का काम कर सकेंगे।

मान्यवर, एक दुर्भाग्य है कि हमारा देश भाषा के नाम पर बना है। तमिल के नाम पर तमिलनाडु, उड़िया के नाम पर उड़ीसा, गुजराती के नाम पर गुजरात। हो सकता है, कहीं यह बात विषयान्तर हो जाय, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अगर भाषाओं को अलगाववाद की दृष्टि से देखा जायेगा तो हो सकता है कि 100—200 वर्ष बाद एक-एक प्रदेश, एक-एक मुल्क की बात न करने लगे। इसलिये हिन्दी भाषा पर अधिक जोर देना चाहिये, यह शुरुआत उत्तर प्रदेश विधान सभा से करनी पड़ेगी। मान्यवर, मुलायम सिंह यादव सरकार ने यह काम शुरू भी किया था, इस तरह की व्यवस्था आपने अपने बजट में नहीं की है।

मान्यवर, आप तुलसी को भूल गये, सूर को, जयशंकर प्रसाद को, निराला को भूल गये, मैथिली शरण गुप्त को, सम्पूर्णानन्द को, सरदार पूर्ण सिंह को भूल गये, आपको केवल डा० अम्बेडकर याद रहे, उनके नाम पर आपने 1 हजार करोड़ की योजना बनाई है और भाषा के नाम पर केवल 2 करोड़ 3 लाख की योजना है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है ? उर्दू को आप जब तक सम्मान नहीं देंगे, उर्दू भाषा को भी जब तक रोजगारपरक नहीं बनायेंगे, मुलायम सिंह यादव सरकार ने उर्दू अनुवादकों की नियुक्ति की थी, उसके जानने वाले लोगों को नौकरी देने का काम किया था, उर्दू भाषा के वैभव को बढ़ाने के लिये आपने कहीं कोई व्यवस्था नहीं की है, यह भी बड़े शर्म की बात है। मान्यवर, यह भाषा का सवाल एक अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है जिसको आप संवेदनशील न मानकर बहुत हल्केपन से ले रहे हैं। एक बात और मैं कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र कुशभरा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वहां महाकवि देव पैदा हुये थे जो उनकी पाण्डुलिपियां हैं, जो हस्तलेख हैं वह ब्रिटेन और टोकियो की लाइब्रेरी में तो हैं लेकिन हिन्दुस्तान की किसी लाइब्रेरी में उनकी पाण्डुलिपि नहीं मिलेगी। उनके हस्तलेख के कोई रखरखाव की व्यवस्था हमारे यहां नहीं की गयी है जबकि फिजूलखर्ची पर तमाम अनावश्यक धन खर्च किया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्रीराम औतार शाक्य—

मान्यवर, ऐसा लगता है कि भाषा के मामले पर आप भी गम्भीर नहीं हैं, भाषा आपको अच्छी नहीं लगती है। इस सरकार की कोई रुचि नहीं है चाहे हिन्दी हो, उर्दू हो, अंग्रेजी हो। मान्यवर, जो भी बातें कही गयी हैं वह सब पुरानी बातें हैं मुलायम सिंह जी के जमाने की । (व्यवधान)

मान्यवर, मैं इन सब बातों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री मुरलीधर—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं मैं प्रस्तुत बजट के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने शिक्षा विभाग के लिये अच्छे-अच्छे प्रबन्ध और व्यवस्था की है लेकिन मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि शिक्षा की व्यवस्था है, जो उसमें प्राइवेट संस्थाएं हैं, जो मैनेजमेन्ट है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें।

माननीय राम औतार शाक्य जी, आपको और कुछ कहना है ? आपको कुछ नहीं कहना है, मैं मंत्री जी को बुला रहा हूं।

डा० नैपाल सिंह—

मान्यवर, मेरे मित्र ने भाषा के बारे में कुछ कहा है लेकिन जब विश्लेषण किया तो भाषा के बारे में कुछ था ही नहीं। मान्यवर, हिन्दी के विकास के लिये मैं इनसे कहना चाहता हूं कि प्लान में 50 लाख का प्राविधान किया गया है और साथ ही नानप्लान में 70 लाख का प्राविधान किया गया है। इसके साथ ही जो दूसरी भाषाओं के बारे में कहा गया है मैने कई भाषाओं का उल्लेख अपने बजट भाषण में किया था जिसमें सिंधी भी है, उर्दू भी है और दूसरी भी। हिन्दी एकेडमी में अवधी भाषा, ब्रज भाषा इन सभी के उत्थान के बारे में, विकास के बारे में और उन्नयन के बारे में कहा जा चुका है। अन्त में मैं अपने मित्र से निवेदन करूंगा कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राम औतार शाक्य जी कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री राम औतार शाक्य—

मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39 भाषा विभाग के अधीन सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 39 भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,03,45,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,76,09,46,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, इस समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा से जुड़ा है यह बात दूसरी है कि कोई व्यक्ति किसी के अनुभव से ज्ञान अर्जित करता है कोई व्यक्ति किताबी ज्ञान से ज्ञान अर्जित करता है। मान्यवर, शिक्षा का विस्तार लगभग प्रत्येक परिवार तक पहुंच गया है इसका गुणात्मक विस्तार कैसे हो इसके लिये शिक्षा में बहुत से कार्यक्रम लागू किये गये हैं। माध्यमिक शिक्षा में कुल 8288 विद्यालय हैं इन विद्यालयों में 6850 अशासकीय विद्यालय हैं तथा 1438 राजकीय विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या मान्यवर, लगभग 68 लाख है। वर्ष 1995-96 में माध्यमिक शिक्षा के लिये बजट में 1147 करोड़ रुपये रखा गया है वर्ष 1996-97 में पुनरीक्षित धनराशि 1275 करोड रुपये पहुंच गयी थी मान्यवर, हमारी सरकार ने इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा के बजट में 1394 करोड़ रु० रखा है जो 9.33 प्रतिशत अधिक है। प्रदेश में 423 असेवित ब्लाक हैं, 1996-97 तक 230 असेवित ब्लाकों मे कन्या हाईस्कूल खोले जा चुके हैं 1997-98 में 31 असेवित ब्लाकों में कन्या विद्यालयों के खोलने का प्राविधान किया गया है जिसके लिये 351 करोड़ रु० की व्यवस्था की गयी है। जो पिछले साल के 87 लाख के मुकाबले 523 प्रतिशत अधिक है। व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में भी 1996-97 में 810 विद्यालयों में 35 ट्रेडों में शिक्षा दी जाती थी लेकिन छात्रों का रुझान व्यावसायिक शिक्षा की तरफ होने के कारण 100 विद्यालय रखे गये और निर्मित किये गये, जुलाई 1997 में यह 100 विद्यालय खोले गये हैं। इन विद्यालयों से 44854 छात्र लाभ उठाते हैं। वर्ष 1997-98 में व्यावसायिक शिक्षा के लिये 5.61 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त पुनरीक्षित योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटर का ज्ञान बढ़ाने के लिये 222 माध्यमिक विद्यालयों में इसका प्राविधान किया गया है। इसमें छात्रों की रुचि अधिक होने के कारण वर्ष 1997-98 में 160 विद्यालयों में इस योजना को लागू किया जायेगा, जिसके लिये 1.98 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। प्रत्येक वर्ष छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुये प्रवेश की समस्या खड़ी हो जाती है, इसको समाप्त करने के लिये 1996'97 में 25 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में दो पाली सिस्टम की व्यवस्था की गई थी किन्तु सीमित वित्तीय संसाधन होने के कारण मात्र 10 माध्यमिक विद्यालयों में ही यह लागू हो पाया और 1997-98 में मात्र एक ही विद्यालय में यह लागू हो पाया है। परन्तु हमारी सरकार ने 15 माध्यमिक विद्यालयों में इस दो पाली सिस्टम को लागू करने के लिये प्राविधान किया है। हमारी सरकार ने इस वर्ष 7 बालक व 5 बालिकाओं के विद्यालय खोलने के निर्देश दिये हैं। सहारनपुर में कोटा, मुरादाबाद में कुंदरकी बउझारी, बांदा में बिलसंडा, फतेहगंज में घटेरनपुर, अम्बेडकर नगर में कुर्की बागरा, फर्रुखाबाद में छिबरामऊ, कानपुर में विधूना वभीती प्रतापपुर में नये राजकीय विद्यालय खोलने के निर्देश दिये गये हैं। नये विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु 4.06 करोड़ रुपये का प्राविधान

किया है। ऐसे विद्यालय जिनके भवन जर्जर हो गये हैं, जिनका विस्तार नहीं हो सका है, ऐसे विद्यालयों के लिये 9.96 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। साथ ही कई विद्यालय ऐसे हैं, जिनके भवन अधूरे पड़े हैं, उन्हें पूरा कराने के लिये 7.9 करोड़ की व्यवस्था की गई है। कई विद्यालय ऐसे हैं, जिनका उच्चीकरण नहीं हुआ था, उनके उच्चीकरण के लिये सरकार ने 2.59 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। मान्यवर, प्रदेश में दो तरह के विद्यालय चलते हैं एक राजकीय और दूसरे अशासकीय। कुछ अशासकीय विद्यालय ऐसे होते हैं जिन्हें सरकार से सहायता मिलती है और कुछ ऐसे हैं जिन्हें सहायता नहीं मिलती है। छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुये और प्रदेश की समस्या को देखते हुये बहुत से विद्यालयों में विभिन्न विषयों व वर्गों की मान्यता सरकार ने प्रदान की है। काफी लम्बे समय से विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं हुई थीं। माध्यमिक शिक्षा चयन सेवा आयोग से जो नियुक्तियां हो रही थीं, उसमें कई अनियमितताओं की शिकायतें पाई गईं, जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी। परन्तु अब प्रदेश में नियुक्ति की प्रक्रिया चालू हो गई है और साथ ही राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी शिक्षकों की नियुक्तियों की प्रक्रिया भी चालू हो गई है। हमारा मानना है कि जब तक विद्यालय में शिक्षक नहीं होंगे शिक्षा का वातावरण नहीं बनेगा तब तक छात्र नहीं पढ़ेंगे। इसलिये शिक्षकों की नियुक्ति हमने की है। मान्यवर, यह नियुक्ति अशासकीय विद्यालयों में मेरिट के आधार पर की जा रही है जिससे भ्रष्टाचार समाप्त हो सके। मान्यवर, बहुत से बालिका विद्यालय ऐसे हैं जहां पर बालिकाओं को आने-जाने की कोई सुविधा नहीं है। सरकार ने इन विद्यालयों में बालिकाओं के आने-जाने के लिये बसों का प्राविधान किया है और इसके लिये 31.2 लाख रुपये का प्राविधान इस बजट में किया गया है। इसके साथ ही एन०सी०सी० में माडल कैडिट्स को प्रोत्साहित करने के लिये तथा छात्रवृत्ति देने के लिये 2.99 लाख रुपये का प्राविधान इस बजट में किया गया है। मान्यवर, प्रदेश में दो मंडलों में जिसमें सहारनपुर और मिर्जापुर में माध्यमिक शिक्षा के कार्यालय नहीं थे और शिक्षा का कार्य मुश्किल से चल रहा था, देखा जाय तो चल नहीं पा रहा था इसके लिये 27 लाख रुपये बजट का प्राविधान इसमें किया गया है। जो नये जिले सृजित किये गये हैं जैसे कौशाम्बी, गौतमबुद्ध नगर, महामाया नगर, ज्योतिबा फूले नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, चन्दौली जिलों में कार्यालय स्थापित करने के लिये 61.28 लाख रुपये का प्राविधान इस बजट में किया गया है। मान्यवर, बहुत समय से लगभग 1992 से शिक्षकों को पुरस्कार नहीं दिये गये थे। हमने इन शिक्षकों के सम्मान में पुरस्कार वितरित किये हैं। ये सब थोड़ी सी भावनाएं मैंने आपके सामने रखी हैं मुझे आशा है कि आप इस बजट को पारित करके मुझे अनुग्रहीत करने का कार्य करेंगे।

श्री राम सिंह सैनी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है माध्यमिक शिक्षा का, मुझे बहुत आशा थी कि माननीय मंत्री जी एक विद्वान हैं और अनुभवी हैं तो यहां पर एक ऐसी शिक्षा नीति बनायेंगे जिससे आमूल चूल परिवर्तन होगा। परन्तु, मुझे बड़ी निराशा हुई है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर रोजाना हाउस में कहते हैं कि यह सरकार संवेदनशील है, पारदर्शी सरकार है। लेकिन मान्यवर, इस बजट में पारदर्शिता और संवेदनशीलता दिखायी नहीं दे रही है। यह कितना गम्भीर विषय है इसमें हमारे प्रदेश का 3.1 प्रतिशत बजट का शिक्षा पर व्यय हुआ है जबकि केन्द्र की सरकार 6 प्रतिशत व्यय करती है और केरल सरकार 40 प्रतिशत व्यय करती है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा और इसलिये मैंने कटौती का प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत किया है, कम से कम यदि आप यहां

पर 40% व्यय करें। एक क्रान्तिकारी माहौल शिक्षा में चाहते हैं, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि "द फ्यूचर ऑफ द स्टेट इज सिटिंग आन द बेंचस ऑफ द स्कूल टूडे"। बच्चे हमारी निधि हैं। यह जो परिवर्तन चौक पर खर्च किया जा रहा है यह हमारी निधि नहीं है। तो उन बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हुआ, तो देश और प्रदेश पिछड़ जायेगा। जो बजट माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, यह दिशाहीन है और इसका कोई उद्देश्य नहीं है। मा० मंत्री जी ने कहा कि पाली सिस्टम चलायेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि बालक और बालिकाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, माननीय मंत्री जी के जो आंकड़े हैं वह भ्रामक हैं। मान्यवर, हर अभिभावक चाहता है कि वह अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दें। बालकों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन आपने कोई प्रबन्ध नहीं किया है। नैपोलियन ने कहा था "दी फ्यूचर आफ माई कन्ट्री इज सेटिंग आन दि स्कूल टीचर, हारमोनियस डेवलपमेन्ट आफ दि परसनालिटी आफ दि चाइल्ड।" शिक्षा का उद्देश्य है। लेकिन आपने कोई इसका प्राविधान नहीं किया है, मान्यवर, आपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये क्या किया है, शारीरिक विकास के लिये क्या किया है, बौद्धिक विकास के लिये क्या किया है। आपने इस तरह का संकेत अपने बजट में नहीं किया है। मान्यवर, बालक और बालिकाओं में "सत्यम् शिवम् सुन्दरम्" की भावना आनी चाहिये। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने यह भी प्रस्ताव नहीं रखा है कि दोहरी शिक्षा व्यवस्था कैसे समाप्त करेंगे। दून कालेज में जहां पर बालकों का सर्वांगीण विकास होता है, लेकिन वहीं आपके जो विद्यालय हैं, वहां पर फर्नीचर नहीं है, विज्ञान की प्रयोगशाला नहीं है, अध्यापक नहीं है, कमरे नहीं हैं। आप 21 वीं शदी में जा रहे हैं, आप इस साल को शिक्षा वर्ष मनाने जा रहे हैं, तो इसके लिये आधार होना चाहिये, जैसे महिला वर्ष जब मनाया गया था, तो महिलाओं के कल्याण के लिये तमाम योजनाओं को चलाया गया। आपने बालकों के उत्थान के लिये कौन सी योजना चलायी है। आज इस तरह का कोई प्राविधान इस बजट में नहीं किया गया है। पहले मान्यवर, रेकरिंग और नान-रेकरिंग ग्रान्ट दी जाती थी, लेकिन इस तरह की व्यवस्था नहीं की गयी है, जहां तक शिक्षा का सवाल है मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर भी विचार करना चाहिये कि शिक्षक और बालकों में क्या अनुपात होना चाहिये। माध्यमिक विद्यालयों में दो-दो सौ बच्चे एक कक्षा में रहते हैं। फ्रांस में एक शिक्षक का अनुपात केवल 7 बच्चों से हैं। कोठारी कमीशन ने यह अनुपात 35 का बताया है और राधा कृष्ण कमीशन ने बताया है कि एक अध्यापक पर 25 बच्चे होने चाहिये। शिक्षा मंत्री जी बता दें कि किस प्रकार से 200 बच्चों को एक अध्यापक पढ़ायेगा। उनको बैठने की व्यवस्था नहीं होगी, बच्चे बाहर रहेंगे तो आप किस प्रकार से बच्चों के उन्नयन की बात करते हैं। मान्यवर, प्रदेश में 2 हजार वित्त विहीन विद्यालय हैं, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि अध्यापकों को 1100—1100 रुपये दिया जाता है। इस प्रकार की प्रणाली को समाप्त करना चाहिये। आपके शिक्षक इस प्रकार से काम करते हैं जैसे बन्धुआ मजदूर काम कर रहे हैं। वहां पर 100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक वेतन मिलता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यही आपकी सामाजिक न्याय की व्यवस्था है। जहां राष्ट्रपति के रूप में शिक्षक हुआ हो, क्या उसका सम्मान आप 100 रुपया देकर करेंगे। आपने एक फंक्सन कर दिया जिसमें 100 रुपया, 200 रुपया या 300 रुपया देकर उसे-पुरस्कृत किया, क्या यह उसका आदर कर रहे हैं ? आप एक बंधुवा मजदूर शिक्षक को बना रहे हैं। जब शिक्षा मंत्री शिब्ते रजी थे उन्होंने कहा था, वित्त विहीन व्यवस्था दो साल तक रहेगी। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ कि 12 साल हो गये उस व्यवस्था को क्यों नहीं समाप्त कर रहे हैं ?

आप एक के बाद एक जिलों का सृजन कर रहे हैं जिसमें कितना खर्च आ रहा है। तो उसे न करके 2 हजार इन वित्तविहीन विद्यालयों को अनुपात लिस्ट पर क्यों नहीं ले आते हैं जिससे उनका उद्धार हो सकता है।

अब मैं संलग्न प्राइमरी प्लान के विद्यालयों के बारे में कहना चाहता हूँ। उन संलग्न प्राइमरी स्कूल के विद्यालयों के गणित और विज्ञान के पदों के अध्यापकों को 8—8 महीनों से वेतन नहीं मिला है। यह कितनी लज्जा की बात है कि आप उन अध्यापकों को 8—8 महीनों से वेतन नहीं दे रहे हैं, उनकी पेंशन देने की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके परिवार वालों को पेंशन देने की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके पदोन्नति के कोई दरवाजे खुले नहीं हैं। तो क्या यही आपकी शिक्षा नीति है ?

श्री अधिष्ठाता—

आप संक्षेप करें, और भी माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्री राम सिंह सैनी—

मान्यवर, जहां तक भ्रष्टाचार की बात है भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना जो आपने इस बार 20 मई को वायदा किया था कि 8 जुलाई तक हर विद्यालय में पाठ्य-पुस्तक चली जायेगी और हर विद्यालय में पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध करा देंगे। लेकिन आज तक वह नहीं पहुंच पाई है। इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। कागज का जिस तरह से आपस में एग्रीमेंट हुआ वह बहुत अधिक है 23 हजार रुपया टन पर तय हुआ है, जबकि बाजार भाव 17 हजार और 20 हजार से ज्यादा नहीं है। इसमें 8 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया है और इन्फीरियर कागज लगाया गया है। रतन प्रकाशन आगरा और इलेक्ट्रानिक प्रेस सहारनपुर के साथ अनुबंध किया गया है जिससे उनको रातों-रात करोड़पति बना दिया है। जब स्कूलों में पाठ्य-पुस्तक नहीं होगी, शिक्षक नहीं होंगे तो किस तरह बच्चों की शिक्षा में सुधार आयेगा। 2 महीने गुजर गये हैं पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध नहीं है।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि आप प्रजातंत्र की बात करते हैं चुनावों की दुहाई देते हैं तो माध्यमिक शिक्षा परिषद् में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है वहां 100 रु० तथा 500 रुपया देकर एक्जामिनर्स नियुक्त होते हैं। मान्यवर, परीक्षक ऐसे रखे जा रहे हैं जिनको उस विषय का ज्ञान नहीं है। मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि एक हिस्ट्री के अध्यापक को मैथ की कांपियां जांचने के लिये आ रही हैं और वह अध्यापक कांपियों पर मार्किंग करके वैसे ही भेज रहे हैं जांच नहीं रहे हैं क्योंकि उनको उस विषय का ज्ञान है ही नहीं। इसी तरह से रेजल्ट रोके जाते हैं, बनारस का क्षेत्रीय कार्यालय जो है उसमें 22 हजार लड़कों के रेजल्ट रोके गये और लड़कों से 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक लिये गये हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि बजट काट कर एक रुपया कर दिया जाय। एक रुपये में इतनी देर तक बोलना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सैनी जी आप संक्षेप करें।

श्री राम सिंह सैनी—

मैं कहना चाहता हूँ कि विद्यालयों में भ्रष्टाचार व्याप्त है इन्होंने भ्रष्टाचार दूर करने के लिये कोई प्राविधान नहीं किया है। पुस्तकें छपाने के लिये जो इनका अनुबंध हुआ है तो इन्होंने 60 सी० जी० एम० का पेपर जो मिलें नहीं बनाती हैं उन मिलों से अनुबन्ध कर रखा है। यह मिलें केन्द्र सरकार को सेल्सटैक्स भी अदा नहीं करती हैं। मेरे पास लिस्ट है। इस प्रकार के जो घपले हुये हैं उसमें 8 करोड़ रुपये का घपला पाठ्य-पुस्तकों में इस सरकार ने किया है। इस प्रकार के घपलों को दूर करने के लिये बजट में कोई प्राविधान नहीं रखा गया है। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहां लगभग 20 हजार

अध्यापकों की कमी है। आप बतायें कि जब अध्यापक नहीं होंगे तो पढ़ायेगा कौन ? हर साल 1 लाख-2 लाख बच्चे बढ़ जाते हैं और 20 हजार अध्यापकों के पद रिक्त हैं। 1991 में 1 लाख 14 हजार अध्यापक थे, 1996 में केवल 94 हजार अध्यापक रह गये हैं। शिक्षा मंत्री जी ने अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के लिये बजट में कोई प्राविधान नहीं किया है। इसी तरह से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी बहुत कमी है। 3 डाइरेक्टर, 4 एडीशनल डाइरेक्टर, 13 ज्वाइंट डाइरेक्टर, 15 आई० ओ० एस० और 50 डी० आई० ओ० एस० के पद रिक्त हैं। ऐसी स्थिति में कैसे शासन चलेगा और कैसे शिक्षा में कन्ट्रोल होगा। प्रशासनिक अधिकारियों की जो कमी है इसको पूरा करने के लिये बजट में कोई प्राविधान नहीं रखा गया है। माननीय मुलायम सिंह के बारे में कहा गया कि मुलायम सिंह जी बच्चों को नकल कराने के पक्षधर थे। मैं यह बताना चाहता हूँ कि माननीय मुलायम सिंह नकल कराने के पक्षधर नहीं थे लेकिन जो हमारे बच्चें हैं, 14, 15 व 16 साल की बालिकायें हैं उनको जेल भेजे जाने और उनको हथकड़ी लगाने के पक्षधर वह नहीं थे। अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो साम्प्रदायिकता का माहौल पैदा कर रहे हैं, लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। मैं इस पर एक शेर कहना चाहता हूँ :—

"जिस गुलशन को सजाया है लहू देकर शहीदों ने'
उसे नफरत की आंधी से बचाने की जरूरत है,
बजाय रोशनी के जो घर को फूंक देते हैं
जिगर ऐसे चरागों को बुझाने की जरूरत है।"

तो मान्यवर, ऐसे जो विद्यालय हैं उनको बन्द होना चाहिये।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

दल बहादुर कोरी जी आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने सुबाष जी को बुला लिया है।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव—

माननीय अधिष्ठाता जी मैं इस बजट पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूँ। माननीय अधिष्ठाता जी मैं निवेदन के साथ यह कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने इस सम्मानित सदन में माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित जो बजट प्रस्तुत किया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि विगत दिनों 6 मार्च, 97 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने राम जी तिवारी के मामले में एक फैसला दिया और राज्य सरकार को इस बात के लिये आदेश दिये कि प्रदेश में 14 वर्ष की आयु के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा देने का इन्तजाम राज्य सरकार करे।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सुबाष जी माध्यमिक शिक्षा की बात पर कहें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव—

मान्यवर, आज इस वर्तमान सरकार ने (व्यवधान) गरीबों के उत्थान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता अनेक बार दोहराई है मुझे ज्ञान है इस बात का कि मैं क्या कह रहा हूँ कि राज्य सरकार अभी पिछले दिनों इस सम्मानित सदन में यह संकल्प बार-बार दोहरा रही थी कि उसकी प्रतिबद्धता 43 फीसदी गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों के उत्थान के प्रति है। आज 43 प्रतिशत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की जो संख्या हैं उसके मुताबिक 5 करोड़ 58 लाख लोगों के बच्चों की

पढ़ाई लिखाई की इन्तजाम इस वर्तमान बजट में नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में दोहरी व्यवस्था चल रही है और जो निजी हाथों में चलने वाले विद्यालय हैं उनकी शिक्षा इतनी महंगी है कि 43 प्रतिशत लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करते हैं वह इस दोहरी शिक्षा के अस्तित्व में बने रहने के कारण अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दिला सकते हैं ? जो संकल्प वर्तमान सरकार दोहराती है उसकी पोल वर्तमान बजट खोल रहा है। माननीय अधिष्ठाता जी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश के बाजारों में पाठ्य-पुस्तकों का अभाव है। आज की तारीख तक माध्यमिक कक्षा के लिये पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। मेरी जानकारी यह है कि माध्यमिक कक्षा की पुस्तकों के लिये कागज का जो मानक 54 जी० एस० एम० का है जिस मानक के कागज पर छपाई होनी चाहिए उस पर नहीं हो रही है क्योंकि राज्य सरकार ने ऐसी मिलों से अनुबन्ध किया है जिन मिलों में इस स्टैन्डर्ड के कागज बनते ही नहीं हैं।

(इस समय 8 बजकर 10 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सूर्य प्रताप शाही पीठासीन हुये)

मेरा स्पष्ट आरोप है इस राज्य सरकार पर। इस प्रदेश में कागज माफियाओं को लाभान्वित करने के लिए जबरदस्ती पाठ्यक्रम परिवर्तन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। विद्यार्थियों को पुस्तकें नहीं मिल रही हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ शिक्षा मंत्री जी ने इस बात को कहा है प्रदेश में तमाम विद्यालयों में 1986 से नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि उन नियुक्तियों पर लगी पाबन्दियों को खत्म करें। पिछले तीन वर्षों से माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं उन रिक्त पदों पर भर्ती के लिए राज्य सरकार तत्काल प्रबन्ध करने का कष्ट करें। मैं अपने देवरिया जनपद के बारे में आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ हमारे यहां स्वाधीनता के बाद से केवल एक कन्या इण्टर कालेज शहर के अन्दर है। जो कस्तूरबा इण्टर कालेज है। पिछले कई साल से उस राजकीय इण्टर कालेज में पूर्णकालिक प्रधानाचार्या नहीं हैं। विज्ञान की अध्यापिकायें नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने जो गले मिल कर सरकार बनाने का काम किया है, इस सरकार के मंत्री बार-बार कहते हैं क्षेत्रीय विषमता दूर करने की योजना कर जो मिथ्या सिंहनाद करते हैं उसके बारे में कहना चाहूंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो जनपद हैं वहां विगत पचास वर्षों में जनसंख्या बेतहाशा बढ़ी है। किन्तु उस अनुपात में शिक्षण संस्थाओं में कोई वृद्धि नहीं हुई। इस विकट समस्या के समाधान हेतु वर्तमान बजट में सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया है।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

उत्तर प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता 25.3 प्रतिशत है इसलिए मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि सत्तारूढ़ होने के बाद जो आप से संकल्प लिया था उसको वर्तमान बजट में लाएं। मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ और इस बजट का विरोध करता हूँ।

श्री दल बहादुर कोरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस शिक्षा बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। इसके लिये धन्यवाद। माननीय मंत्री जी द्वारा जो माध्यमिक शिक्षा का बजट लाया गया है उससे काफी गरीब तथा किसान के बच्चों को लाभ मिलेगा अभी विरोध पक्ष के लोग बहुत चिल्ला रहे थे। 1991 में भारतीय जनता पार्टी के तात्कालिक शिक्षा मंत्री ने एक नकल अध्यादेश कानून लागू किया था, उस कानून की प्रतियां आस्ट्रेलिया, इण्डोनेशिया की सरकारों ने मंगा कर अपने देश में वह कानून शिक्षा में लागू किया। दुख इस बात का है कि इस कानून को श्रीमन् मुलायम सिंह यादव की सरकार ने खत्म कर दिया।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्ति बनाए रखें।

श्री दलबहादुर कोरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए शासकीय और अर्द्धशासकीय विद्यालय हैं उनको मान्यता देने की कृपा करें।

[समय 8 बजकर 15 मिनट]

.....कहावत है। जिस घर को, जिस परिवार को, जिस समाज को बरबाद करना हो उसकी सबसे पहले शिक्षा नष्ट कर दी जाए। उस तरफ वाले लोग शिक्षा को नष्ट करने का काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में छतोह गाँव है जहाँ पर एक भी माध्यमिक विद्यालय नहीं है। वहाँ पर विद्यालय खोलने की कृपा करें। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर अभी ले जाना चाहता हूँ सलोन विकास खण्ड लक्षेश्वर विद्या मंदिर है वह प्राइवेट संस्था द्वारा चलाई जा रही है उसको मान्यता प्रदान करने की कृपा करें ताकि काफी बच्चों को उच्च शिक्षा का लाभ मिल सके। हो सके तथा कल्याण हो।

श्री मित्रसेन यादव–

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो आंकड़ों के साथ जो बजट रखा है मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूँ न ही इसके लिए समय है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए कोई लक्ष्य है कि नहीं इसको बताने की कृपा करें। आपके भी बच्चे पढ़ते हैं और हमारे भी बच्चे पढ़ने जाते हैं। पिछली सरकार ने एक अच्छा काम किया था कि प्रत्येक असेवित विकास खण्डों में महिलाओं के लिए एक कालेज खोलने का महान काम किया था। आज तक कोई भी दूसरी सरकार ने लड़कियों की पढ़ाई के बारे में मुलायम सिंह जी की तरह क्रांतिकारी कदम नहीं उठाया है। माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में जो शिक्षा का प्रतिशत है उस प्रतिशत में बढ़ोत्तरी के लिए उनके पास कोई नीति है कि नहीं। उत्तर प्रदेश में 41 प्रतिशत की शिक्षा है इस में बढ़ोत्तरी करने की कोई नीति है, महिलाओं की शिक्षा में बढ़ोत्तरी की कोई नीति है कि नहीं जो यह बजट आया है इस बजट में जो धनराशि बढ़ाई गई है उस धनराशि का शिक्षा के उन्नयन में कितने प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो रही है। पूरे बजट का कितने प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। दो प्रतिशत है, तीन प्रतिशत है इसको बताने की कृपा करें। अगर निजी संस्थाएं न हों तो हम छात्रों को शिक्षा दे ही नहीं सकते हैं। निजी संस्थाएं ऐसी हैं जो सहायता प्राप्त भी हैं और असहायता प्राप्त भी हैं। न तो शिक्षकों की संख्या बढ़ाई गई है। बढ़ते हुए छात्रों की संख्या के बारे में आपको कोई ज्ञान नहीं है। कोई लक्ष्य नहीं है कि अगले 10 वर्षों में जब छात्रों की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी उस समय अध्यापकों को स्कूलों को बढ़ाने के बारे में क्या व्यवस्था करेंगे। प्राइवेट विद्यालयों को आप पैसा नहीं देते हैं, जमीन नहीं देते, भवन नहीं देते, अनुदान नहीं देते उसमें 200-200, 400-400 में अध्यापक पढ़ाते हैं। लेकिन उनको मान्यता देने में बाधा खड़ी करते हैं। निजी संस्थाएं अपने बल पर भवन खड़ा करती हैं, जमीन खरीदती हैं, पैसा खर्च करती हैं, प्रतिभू जमा करती हैं, जब वह विद्यालय खड़ा हो जाता है तब कानून का डंडा लेकर आप उनको सालों दौड़ाते है।

मान्यवर, मैं जानना चहता हूँ कि प्रदेश में कितने स्कूल मान्यता प्राप्त करने के लिए विचाराधीन हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो गया। श्री दद्दू प्रसाद।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, मंत्री जी यह भी बता दें कि वित्त विहिन कितने विद्यालयों को आप सहायता प्रदान करके उनको मान्यता देने का काम करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जाएं। मैंने श्री दद्दू प्रसाद जी को बुला लिया है।

(व्यवधान)

* श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे माध्यमिक शिक्षा के बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया। मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा के बजट में जो प्राविधान किया गया है वास्तव में हमारे प्रदेश में इससे कहीं अधिक इसमें धन की आवश्यकता है। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा का जो स्तर है उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि प्रदेश में इण्टर कालेजों की अधिक आवश्यकता है। प्राइवेट संस्थाएं जो माध्यमिक कालेज चला रही हैं उनमें आरक्षण व्यवस्था पूर्णरूपेण लागू नहीं की जा रही है। प्रबंधक मंडल आरक्षण के प्राविधानों को लागू नहीं करते हैं। इसलिए वहां आरक्षण व्यवस्था पूर्णरूपेण लागू की जाए।

मान्यवर, मानिकपुर विधान सभा क्षेत्र, जहाँ से मैं चुनकर आया हूँ, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जहाँ इण्टर कालेज के स्थापना की मैं मांग करता हूँ। इसके साथ ही मारकुण्डी और भंवरी में कन्या इण्टर कालेज की स्थापना की मैं मांग करता हूं। इसके साथ ही मारकुण्डी में इण्टर कालेज तथा भंवरी में कन्या इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने की मैं मांग करता हूँ।

मान्यवर, अब मैं प्राविधिक शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां बरगढ़ में कान्टीनेंटल फ्लोट ग्लास फैक्टरी निर्माणाधीन है इसलिए मैं चाहता हूँ कि वहाँ आई० टी० आई० कालेज खोला जाए ताकि वहाँ से पढ़े बच्चों को उस फैक्टरी में रोजगार उपलब्ध हो सके। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

* श्री राम हर्ष सिंह–

मान्यवर, हमारी तरफ आपकी निगाह पड़ी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, बसपा और भाजपा की सरकार जो अपने को महिलाओं के विकास की हितैषी बताती है। मान्यवर, यह सामाजिक न्याय की भी गुहार लगाती है लेकिन इस बजट में दोहरी व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, पिछली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि 423 इस प्रदेश में असेवित ब्लाक थे और इन ब्लाकों में पिछली सरकार द्वारा एक नीति बनायी गयी जिसमें हर असेवित ब्लाक के लिये एक कन्या हाईस्कूल की व्यवस्था की गयी और प्रत्येक के लिए 10 लाख रुपये का प्राविधान रखा गया। मैं मानता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूँ कि उस सरकार की रीति-नीति के हिसाब से वर्तमान सरकार भी उस पर चल रही है लेकिन मान्यवर दोहरी नीति यह है कि बगल के विकास खण्ड में जहाँ राजकीय कन्या हाईस्कूल खोले गये हैं उनमें सारी सुख-सुविधायें उपलब्ध हैं। केवल 10 लाख रुपये से एक कन्या हाईस्कूल नहीं चल सकता । बिल्डिंग के लिये कुछ सहायता सरकार द्वारा मिली। मान्यता दी गयी तो वह वित्त विहीन मान्यता दी गयी। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि एक तरफ जहाँ बगल के विकास खण्ड में राजकीय सुख-सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में लड़कियाँ शिक्षा ग्रहण करती हैं वहीं पर बगल के विद्यालय में आंशिक रूप से बिल्डिंग के लिये कुछ सहायता दी गयी है कोई सुख-सुविधा नहीं है। इस सरकार के माननीय मंत्री जी ने अपने बजट में यह प्रस्ताव भी नहीं रखा है कि उस विद्यालय को वित्त विहीन मान्यता के अलावा जो असेवित विद्यालय मान्यता प्राप्त हैं उनके लिये सहायता देने के लिए कोई बजट में प्रस्ताव नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा कि इस बजट में पूर्व असेवित ब्लाकों के लिए वित्त सहित मान्यता प्रदान करने का कष्ट करें। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्रीमती सीमा द्विवेदी–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अभी हमारी लोकप्रिय सरकार द्वारा जो बजट पेश किया है उसमें निश्चित ही विद्वान अधिकारियों तथा माननीय मंत्री जी ने स्वतः सूझबूझ का परिचय दिया है और मैं इस बजट का हृदय से स्वागत करती हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी के इस बजट का हृदय से स्वागत करने का सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है अभी तक चाहे जो दल सत्ता में रहे हों, महिलाओं के लिए, उनके उत्थान और विकास के लिए सारी बातें केवल मुँह से बोली गयी थी और हमारी सरकार ने महिलाओं के बारे में कुछ ठोस निर्णय लेकर इस माननीय सदन को दिखाया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जब इण्टरमीडिएट की छात्रा थी तो अरस्तू का मुझे यह वाक्य याद है कि "अगर कोई व्यक्ति मुझे 100 शिक्षित मातायें दे दे तो मैं उसे सुशिक्षित राष्ट्र दे दूँगा।" हमारी सरकार ने इस बात को ध्यान में रखकर इस बजट को पेश किया है। एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि और इसमें किसी को रंचमात्र भी संशय नहीं करना चाहिए, शिक्षा की आवश हूँ और महिला जन-प्रतिनिधि होने के नाते मेरे क्षेत्र की जो महिला वर्ग हैं निश्चय ही उनके अन्दर मुझसे कुछ आशा और अपेक्षा है मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र जौनपुर जनपद के अन्तर्गत कटवारा विधान सभा के अन्तर्गत एक महिला बालिका विद्यालय की नितान्त आवश्यकता है, इसी के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूँ।

श्री गोपाल कृष्ण–

मान्यवर, यह जो बजट माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, यह नितान्त भ्रामक है। महिलाओं की शिक्षा के संबंध में आपको बता दूँ, मेरे निर्वाचन क्षेत्र पूरनपुर में महिलाओं की शिक्षा के लिये कोई उचित व्यवस्था नहीं है, मेरा विधान सभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, जहाँ पर शाहजहाँपुर और लखीमपुर खीरी के ग्रामीण अंचल के छात्र पढ़ने आते हैं। बहुत दुख के साथ यह बताना पड़ रहा है कि मंत्री महोदय ने कोई भी लड़कियों का विद्यालय वहाँ प्रस्तावित नहीं किया है, न कोई खर्च की व्यवस्था की गई है। पीलीभीत में मात्र एक इन्टर कालेज है, जहाँ शाहजहाँपुर और लखीमपुर के छात्र पढ़ने आते हैं, पूरनपुर में एक कन्या इन्टर कालेज की स्थापना की मैं माँग करता हूँ। मान्यवर, आज वहाँ छात्रों के लिये प्रवेश की समस्या है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में योगराजपुर में नत्थू लाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ के लिये इन्टर की मान्यता अभी तक नहीं दी गई है, मान्यवर, मैं मान्यता दिये जाने की माँग करता हूँ।

मान्यवर, पूर्व सरकार में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने शिक्षा की ओर, विशेषकर महिलाओं की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया था। शारदा दारु पार लाल बहादुर शास्त्री इन्टर कालेज को प्रमाणित विद्यालय करके भवन हेतु अनुदान की माँग करता हूँ।

प्रमाणित विद्यालय–(सत्ता पक्ष के सदस्यों, द्वारा टोकाटाकी किये जाने पर व्यवधान)

असहायता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची में रखे तथा अध्यापकों को राहत दिलवाए, मान्यवर, मेरा निवेदन है कि सत्ता पक्ष के सदस्यों को शिक्षा दें, अगर कोई बोलता है तो उसे ध्यान से सुनें। यह लोकतंत्र का गला घोंटने वाली नापाक गठबन्धन की सरकार कुछ सुनना नहीं चाहती। मान्यवर, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि पूरनपुर के इन्टर कालेज में 15 अध्यापकों की जगह खाली है, प्रबन्ध समिति द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति किया जाना है, उसे यथाशीघ्र भरवाने की व्यवस्था की जाय।

मान्यवर, हमारे यहाँ लड़कियों हेतु इन्टर कालेज खोला जाय, पुनः अनुरोध कर रहा हूँ कि योगराजपुर में इन्टर की मान्यता दी जाय। हमारे यहाँ कालेजों/विद्यालयों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण बहुत से छात्र-छात्राओं को शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है, लड़कियों, लड़कों को इन्टर कालेज में विज्ञान में शिक्षा की मान्यता हैं। विज्ञान में हाईस्कूल से आगे शिक्षा नहीं मिल पाती, इसलिये लड़कियों के लिये अलग से इन्टर कालेज खोला जाय, इसी के साथ मैं प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूँ।

श्री अमित अग्रवाल–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ तथा साथ ही माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने जिस अच्छे मन से इण्टरमीडिएट शिक्षा के अन्दर गेस पेपर को खत्म करने का विचार अपने मन में बनाया है वह सराहनीय है। छात्रों में ज्ञान बढ़े, अंधकार दूर हो, टेस्ट बुक पढ़कर पास हो इसी नीयत से मेरठ में अपने दौरे के दौरान प्रकाशकों को बुलाकर उनके ऊपर यह बात छोड़ दी कि स्वतः घोषणा करें और पूरे प्रकाशक वर्ग ने इस गेस पेपर्रस को बन्द करने के निर्णय को सहर्ष स्वीकार किया इसलिए मैं इन्हें बधाई देता हूँ और बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय सैनी जी ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। मैं एक बात पर असहमत हूँ अपने माननीय सैनी जी से इसलिए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ और आपके माध्यम से मानुनीय संसदीय कार्य मंत्री जी को दो लाइन समर्पित करना चाहता हूँ।

"फिर न कीजिए मेरी गुस्ताख निगाहों का गिला,
देखिये आपने फिर प्यार से देखा मुझको।"

मान्यवर, इन्होंने कहा कि यह पारदर्शी सरकार है और इस पारदर्शी सरकार के किसी कार्यकलाप से इनको बड़ी पीड़ा हो रही थी। मैं सैनी जी से अपनी ओर से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सरकार पारदर्शी नहीं है इसने लबादा पारदर्शी का ओढ़ रखा है इसको खरीदने का एक किस्सा है। एक सरकार जब बाजार में अपने लिये लबादा खरीदने गयी, अंग्रेजी में जिसको गाउन कहते हैं तो उसने एक गाउन खरीदा तो दूसरे ने कहा कि यह गाउन तो बड़ा गड़बड़ है इसमें तो आर-पार दीखता है तो इस सरकार ने कहा कि यह बिल्कुल ठीक है इसमें आर-पार कैसे दिखेगा, जब मैं बीच में रहूँगी। तो मान्यवर, इस पारदर्शी गाउन में चारों तरफ सरकार सांगोपांग दिख रही है। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार और इसके पारदर्शी गाउन का यही असली किस्सा है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुखपाल पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने माध्यमिक शिक्षा के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ इन्होंने माध्यमिक शिक्षा आयोग को समाप्त करके भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास किया है। लाखों-लाखों रुपया जो उस चयन आयोग में अध्यापकों से वसूला जाता था। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि आपने चयन करने की एक प्रक्रिया अपनाई है संयुक्त निदेशक, उप निदेशक तथा सहायक निदेशक इसमें मेरा सुझाव यह है कि संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और जिला विद्यालय निरीक्षक और एक विशेषज्ञ तथा प्रबन्ध तंत्र को उसमें रखा जाय क्योंकि प्रबन्ध तंत्र नियुक्ति-पत्र देता है तो यह 5 आदमियों की कमेटी बनाई जाय और इन 5 आदमियों के माध्यम से अध्यापकों का चयन कराया जाय। आपने छात्रों की फीस माफ कर दिया था तो प्रबन्ध तंत्र को 20 प्रतिशत अभी नहीं प्राप्त हुआ है जिसके कारण विद्यालय के विकास रुक गये थे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रबन्धतंत्र को 20 प्रतिशत आप दिलायें वापिस और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, प्रदेश में नये माध्यमिक विद्यालयों को खोलने के लिये 5 करोड़ रु० का परिव्यय निर्धारित किया है, इसमें तो 5 विद्यालय ही खुल सकते हैं। जहां भी आज विद्यालय खुल रहे हैं निजी प्रयास से वह खुल रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में असहायता प्राप्त विद्यालय हैं कि उनके अध्यापक 15—10 वर्षों से 50 रु० में पठन-पाठन का कार्य कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कटौती का प्रस्ताव वापस लेने के लिये निवेदन कर सकता हूँ यदि आज मंत्री जी असहायता प्राप्त कितनी संख्या में माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में ले रहे हैं, इसकी घोषणा कर दें।

* श्री बेचन राम–

श्रीमन्, बालक-बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिये यह बजट प्रस्तुत किया गया है, उस पर बल देते हुए कहना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष असेवित विकास खण्डों में 230 विद्यालय बालिका के खोले गये और इस वर्ष 31 का प्रस्ताव है उस संख्या को बढ़ाया जाय। 1991 में मेरे क्षेत्र में विकास खण्ड ब्रह्मपुर में राजकीय इण्टर कालेज स्वीकृत हुआ था, बसपा सरकार ने उस पर धन नहीं उपलब्ध कराया। उस विद्यालय को खोलने के लिये धन का प्राविधान करें।

श्री राम आसरे पासवान–

मान्यवर, प्रदेश में 950 ब्लाक हैं, जो असेवित ब्लाकों में जो विद्यालय खोलने की घोषणा की गयी है यह बहुत बड़ी विषमता है, किसी ब्लाक में गरीब 43 प्रतिशत है, किसी में 44 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त वित्त विहीन विद्यालयों को अनुदान सूची में लाने का कोई प्राविधान नहीं किया है वहां उपवास करके अध्यापक सुबह-शाम पढ़ाते हैं जबकि जो वित्तपुष्ट मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, वहां अध्यापक पढ़ाते नहीं हैं, वहां की जांच पड़ताल के लिये कोई कमेटी का प्राविधान नहीं किया है। प्रत्येक ब्लाक में विषमता को दूर करने के लिये बालक-बालिकाओं के लिये अलग-अलग राजकीय इण्टर कालेज खोलने पर विचार करें तभी शिक्षा का समग्र विकास हो सकेगा। 960 ब्लाक हैं, 400 का नाम लिया गया है, इससे शिक्षा का क्या भला होगा। चाहें जिस भी जाति का छात्र हो, क्योंकि अनुसूचित जाति, जनजाति व अल्पसंख्यक जाति के विद्यार्थियों के लिए आपने छात्रवृत्ति का प्राविधान किया है, सवर्ण जाति के गरीब बच्चों ने आपका क्या गला काटा है, उनके लिए भी छात्रवृत्ति का प्राविधान होना चाहियें। धन्यवाद।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ। कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। मंत्री जी ने द्विपाली सिस्टम का जिक्र किया। प्रायः दूसरी पाली में यह देखने में आ रहा है कि इसमें छात्रों से अधिक फीस ली जाती है। जिन गरीब छात्रों का एडमीशन पहली पारी में नहीं होता है उन्हें द्वितीय पाली में प्रवेश लेना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें ट्यूशन फीस ज्यादा देनी पड़ती है। इसलिए शिक्षा वर्ष में इस पर आप विचार करें। पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण हजूरी और मजूरी की शिक्षा पद्धति का प्रचलन हुआ और प्राईवेट इन्टर स्कूल्स की तरफ लोगों की अरुचि पैदा हो गई और सी० बी० एस० सी० व आई० सी० एस० सी० की तरफ ज्यादा रुझान हो गया, इसलिए माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें ताकि प्राइवेट स्कूलों की तरफ लोगों का रुझान बढ़े और गरीबों को भी शिक्षा मिल सके। यह एक बहुत ही लोक कल्याणकारी कदम होगा। मेरठ में एक राजकीय कन्या इण्टर कालेज की बहुत आवश्यकता है। 2 करोड़ रुपये का आपने 20 कन्या विद्यालयों के लिए प्राविधान किया है। भूमि हम देंगे, मात्र 8 लाख रुपये की बात है। 13 विद्यालयों की तो माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा घोषणायें हो चुकी हैं, वह तो आपको खोलने ही हैं, शेष 7 विद्यालय बचे, मेरा आपसे अनुरोध है कि इन विद्यालयों को आप मण्डल मुख्यालय पर खोल दें और इसमें से एक मेरठ में खोल दें तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि 262 जो अशासकीय विद्यालय हैं, उन्हें आप अनुदान सूची में शामिल कर दें।

* डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, एक सुझाव है। माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की महत्वपूर्ण आशाओं महत्वाकांक्षाओं को लेकर यहां आते हैं। परन्तु उन्हें बजट पर बोलने के लिए एक-एक मिनट का समय मिलता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि आप इसके दिन बढ़ा दीजिए।

* श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, एक प्रस्ताव आया है। इस पर आप सदन की सहमति ले लें।

श्री अध्यक्षता–

उनका सुझाव है, प्रस्ताव नहीं है। मैंने प्रस्ताव के लिए अनुमति भी नहीं दी थी। अभी 6 विभागों का बजट शेष है। इसलिये समय का ध्यान रखें। अब 9.00 बजने को हैं। मैं माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बेसिक शिक्षा पर बजट रखा जायेगा उस पर चर्चा होगी उसको सुनने के पश्चात् जायेंगे। उसमें आपको अवसर मिल जायेगा अपनी बात को रखने का।

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि दो हजार वित्त विहीन विद्यालय हैं और 291 अशासकीय विद्यालय ऐसे थे जो अनुदान सूची में नहीं थे। जब माननीय राज्यपाल श्री मोतीलाल बोरा जी थे तो उन्होंने 125 विद्यालय अनुदान सूची में लिये थे, शेष 166 विद्यालय रह गये थे। तो ये जो 186 विद्यालय और दो हजार वो विद्यालय जो अनुदान सूची में नहीं हैं उसके लिए इसमें कोई प्राविधान करेंगे। दूसरा आपने यह कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति पिछड़े वर्ग

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और अल्पसंख्यक वर्गों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दो गुनी कर दी है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि जो प्रतिभावान छात्र हैं, उनकी छात्रवृत्ति भी दो गुनी करेंगे जिससे उनका मनोबल बढ़े। मान्यवर, 1984 से पद सृजन पर रोक लगी है और एक तरह से शिक्षण कार्य ठप्प हो रहा है तो क्या पद सृजन की कार्यवाही का कोई प्राविधान इसमें करेंगे ? जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति के लिए कोई प्राविधान इसमें करेंगे। अध्यापकों के ट्रांसफर एलाऊ हैं उसी तरह से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के भी एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानान्तरण करेंगे। माननीय मुलायम सिंह जी जब मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने वेतन के वितरण का दायित्व ट्रेजरी को दिया था। महामहिम राज्यपाल, श्री मोतीलाल बोरा जी ने अध्यापकों की सेलरी का पेमेन्ट बैंक के थ्रू करा दिया था लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया तो क्या कोई प्राविधान करेंगे। अंत में मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

डा० नैपाल सिंह—

मान्यवर, कुछ सुझाव इस हेतु माननीय सदस्यों ने दिये हैं और बजट के बारे में भी कहा गया है। जो माध्यमिक शिक्षा का बजट दिया गया है यह बजट पूर्व की सब सरकारों से अधिक का बजट है। इसलिए यह कह देना कि तुलना करेंगे कि अमुक राज्य में इतना प्रतिशत है, दूसरे राज्य में इतना प्रतिशत है, यह ठीक नहीं है। जो वित्त की सीमायें हैं तथा दूसरे जो प्रमुख बिन्दु हैं वित्त विहीन मान्यता के बारे में यह वित्त विहीन मान्यता 14-10-86 से प्रारम्भ हुई थी। जिन विद्यालयों को मान्यता दी जाती है, उनके वेतन और कर्मचारियों का प्रबन्ध प्रबन्धतंत्र अपने स्रोतों से करता है। जब यह देखा गया कि प्रबन्ध तंत्र अपने स्रोतों को नहीं जुटा पा रहा है और विद्यालयों की स्थिति जर्जर होती जा रही है, तो मान्यवर हमारी सरकार ने इन विद्यालयों के लिये शिक्षा शुल्क की अनुमति प्रदान कर दी है। इन विद्यालयों की व्यवस्था ठीक हो, इसलिये ऐसा किया गया है। जिन विद्यालयों का उच्चीकरण किया गया है, उससे रोजगार मिलेगा। 14-10-86 से पूर्व असहायता प्राप्त विद्यालयों की संख्या 125 थी जो अनुदान सूची पर थे और शेष 144 विद्यालय रह गये हैं। मान्यवर, एक विद्यालय पर 10 लाख का खर्च आता है और अगर 144 को लिया गया तो 200 करोड़ के करीब खर्च आयेगा। सुझाव बहुत खूबसूरत है, लेकिन बजट इतना खूबसूरत नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मान्यवर, परीक्षकों की सूची के बारे में कहा गया कि तमाम ऐसे परीक्षक मूल्यांकन करने के लिये आ जाते हैं जो शिक्षक नहीं हैं। यह व्यवस्था तब कर दी जाती है, जब शिक्षक उपस्थित नहीं होते हैं और मूल्यांकन केन्द्र का अध्यक्ष इमरजेंसी में कुछ परीक्षकों को रख लेता है, लेकिन वह अध्यापक ही होते हैं। मान्यवर, जो त्रुटियां पूर्व में हुई हैं, वह भविष्य में नहीं होगी। यह कहा गया है कि पद खाली हैं, तो पदोन्नति से काफी पदों को भर दिया गया है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि आरक्षण की प्रक्रिया विद्यालयों में प्रारम्भ हो गयी है। असेवित ब्लाकों में जहां पर कन्या विद्यालय नहीं हैं, वहां पर दिये गये हैं। इनकी व्यवस्था वहीं पर है, जहां पर कन्या विद्यालय नहीं हैं। 10 लाख रुपया देकर विद्यालयों का निर्माण कराया जायेगा। मान्यवर, द्विपाली विद्यालयों के बारे बताना चाहता हूं कि इस वर्ष 15 विद्यालयों में द्विपाली सिस्टम लागू करने के लिये बजट में प्राविधान है।

कुछ विद्यालय जो आर्थिक रूप से टूट गये थे, जिनका मैंटीनेंस थम गया था ऐसे विद्यालयों में विकास शुल्क का प्रावधान करके शत-प्रतिशत उनको दे दिया गया है। इस योजना से इनका विकास होगा और मैंटीनेंस होगी तो और छात्रों को भी सुविधा मिलेगी। जब शिक्षा की बात हम करते हैं तो दो चीजें सामने आती हैं।

श्री मुन्ना चौहान–

अधिष्ठाता महोदय, मैं एक समस्या के बारे में माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी अपनी बात समाप्त कर लें उसके बाद एक-आध स्पष्टीकरण ले लें।

डा० नैपाल सिंह–

जब शिक्षा का प्रकरण सामने आता है तो दो चीजें उसमें जुड़ी हुई हैं सुविधा और व्यवस्था। सुविधा के क्षेत्र में 2 माह पूर्व एक व्यवस्था की गयी थी कि परीक्षकों को जो पत्र सैटर हैं और जो नान-टीचिंग स्टाफ है उनके लिये कंवेंस चार्ज में वृद्धि की जाय जो पूर्व में 4 रु० थी उसे बढ़ा कर 10 रुपया कर दिया है और डी० ए० 10 रु० से बढ़ा कर 20 रु० कर दिया है इसी तरह से पेपर सैटिंग के लिये जो 100 रुपये थे उसे बढ़ा कर 200 रु० कर दिया गया है। इसके पीछे एक ही भावना है कि परीक्षक मूल्यांकन केन्द्रों पर आयें। नान-टीचिंग स्टाफ को 3 रुपया रोज मिलता था उसको भी अब 3 रुपया प्रति पाली कर दिया गया है। तो इन सब बातों से शिक्षा का वातावरण बनेगा। इसके अलावा माध्यमिक विद्यालयों में मंथली टेस्ट होंगे इससे विद्यार्थियों मे पढ़ने की रुचि पैदा होगी और वह पढ़ाई में ध्यान देंगे।

इसके साथ-साथ गेस पेपर्स का भी बहुत प्रचलन हो गया है। इसको पढ़ने से छात्रों का ज्ञान वर्धन नहीं होता है और उनका मानसिक स्तर गिरता है इसलिये सरकार ने गेस पेपर्स पर रोक लगवाने का निर्णय लिया है, ताकि बच्चे रुचि से किताब पढ़ेंगे और उनका ज्ञान वर्धन भी होगा।

इसके अलावा पाठ्य-पुस्तकें की भी बात यहां आई तो 550 अनुबन्ध माध्यमिक शिक्षा में कर दिये गये हैं। काफी किताबें मार्केट में आ गयी हैं, 10 दिन के भीतर लगभग सभी किताब बाजार में आ जायेंगी, इससे बच्चों को पढ़ने में असुविधा नहीं होगी। इन शब्दों के साथ मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि सरकार की नीति पर सहानुभूति रखते हुए अपने कटौती प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री राम सिंह सैनी–

मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–72, शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,76,09,46,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या-71 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), अनुदान संख्या-74 शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा), अनुदान संख्या-75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री रवीन्द्र शुक्ल)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-71 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9, 44, 58, 93, 000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, अगर अनुमति हो तो मैं तीनों बजट एक साथ प्रस्तुत कर दूँ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, एक साथ तीनों बजट रख दीजिये।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 74 शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,51,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, यह भारत वर्ष शिक्षा में अपनी विजय पताका फहरा चुका है। भारतीय शिक्षा के प्रसार के बारे में सारे विश्व में यह कहा जाता है, सारे विश्व के लोगों में उनके चरित्र का चिंतन शिक्षा है। तक्षशिला विश्वविद्यालय इस बात का गवाह है कि लोग विदेशों से इस धरती पर आकर अपने चरित्र और चिंतन की शिक्षा लिया करते थे। मान्यवर, इस भारतीय शिक्षण पद्धति ने ही गुरु के रूप में जब संदीपन बने तो उन्होंने कृष्ण को जन्म दिया, वशिष्ठ और विश्वामित्र बने तो राम को जन्म दिया, द्रोणाचार्य बनकर धनुर्धारी पार्थ को जन्म दिया और कौटिल्य बनकर भारत कुल भूषण विक्रमादित्य को जन्म दिया और समर्थ गुरु राम दास बनकर वीर शिवाजी को जन्म दिया।

मान्यवर, दुर्भाग्य है कि शिक्षा की घोर उपेक्षा के कारण आज हम अपने मूल स्वरूप को खो बैठे हैं। शिक्षा तो उपेक्षित हुई है, प्राथमिक शिक्षा की घोर उपेक्षा हुई और जिसके कारण हम अपने मूल उद्देश्य को भूल गये और अपने अभीष्ट को भूल गये। मान्यवर, शिक्षा समाज की रीढ़ होती है जैसी शिक्षा वैसा समाज। दुर्भाग्यवश पिछले दिनों शिक्षा को साक्षरता बना दिया गया। शिक्षा और साक्षरता समानार्थी बनाने के फलस्वरूप शिक्षा की आत्मा, शिक्षा के प्राण, संस्कार, संवेदनायें, नैतिकता हमसे दूर चली गयी। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा और साक्षरता समानार्थी नहीं हो सकते हैं शिक्षा और साक्षरता दोनों अलग-अलग चीजें हैं। दुर्भाग्य की बात है कि पिछली सरकारों ने शिक्षा का मूल स्वरूप साक्षरता बना दिया। मैं सदन के माननीय सदस्यों के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इस देश में कबीर दास पैदा हुये थे, जन्मांध सूरदास पैदा हुये, कबीर दास जी ने कहा है "मसि कागद छुयो नहीं कलम गहे नहीं हाथ" जन्मान्ध सूरदास भी इसी तरह के थे। विश्व के अन्दर कितने लोग इनकी कृतियों पर अनुसन्धान कर रहे हैं, शोध लिख रहे हैं। विश्व में कोई माई का लाल ऐसा नहीं होगा जो इनको यह कह सके कि यह शिक्षित नहीं थे। निरक्षर कहा जा सकता है। मान्यवर, मैं कह देना चाहता हूँ कि साक्षरता शिक्षा की अनुपूरक हो सकती है। आज शिक्षा और साक्षरता के नैतिक मूल्यों का ह्रास

होता दिखाई दे रहा है। जीवन आदर्श ध्वस्त होते दिखाई दे रहे हैं। यदि प्राथमिक शिक्षा को मूल स्वरूप में रहने दिया होता अगर उसकी अपेक्षा न हुई होती तो बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ता आज उनके संस्कार अच्छे होते। आज समाज में नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। आज अगर समाज में कर्तव्यों का, नैतिकता का पालन करेंगे तो जितनी भी सामाजिक विकृतियाँ हैं भ्रष्टाचार की समस्या हो, चारित्रिक मूल्यों की बात हो, आदर्श की बात हो समाज के अन्दर विकृतियां ही दिखाई दे रही हैं। निश्चित रूप से इस पर ध्यान नहीं दिया गया इसी का परिणाम हैं कि हम आज आत्म केन्द्रित हो गये हैं। मैं को हम में होना चाहिए था लेकिन हम मैं में विलीन हो गया है और हम आज आत्म केन्द्रित होते चले गये और भ्रष्टाचार में गिरते चले गये। यह समाज जो कहा करता था तेन व्यक्तेन भुंजीथा मागृथः कश्यचित भागमवेद अगर हमारा व्यक्तिगत हित और परिवार का हित आपस में टकराने लगे तो परिवार के हित को, अगर परिवार और गांव का हित आपस में टकराने लगे तो गांव के हित को, गांव और जिले का हित टकराने लगे तो जिले और अगर सारे समाज का प्रश्न खड़ा हो जाय तो सबको तिलांजलि देकर आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। यही हमने ईसावाद, गणमंत्रों यह सब नारे दिये लेकिन आज वह कहां चले गये। हमारे बहुत से मित्र बात करते हैं। मैं प्रश्न करना चहता हूं प्रतिपक्ष के लोगों से कि अपनी आत्मा में कहीं खोजें। इन प्रश्नों का उत्तर उनकी आत्मा में छिपा हुआ है, उनको मिल जायेगा। लेकिन इनका आत्मा से दूर का भी वास्ता नहीं रह गया है, आत्मा से इनका कोई लेना देना नहीं है। अपनी आत्मा को एक तरफ करके जिस तरह से यह चर्चा करते हैं। अगर इनका आत्मा से कोई लेना-देना होता तो भ्रष्टाचार न होता। यह नकल विरोधी कानून का विरोध न करते। इन्होंने नकल विरोधी कानून का विरोध किया क्योंकि इनकी आत्मा मर गई है। इनका आत्मा से संबंध दूर-दूर तक नहीं रह गया है। इसी कारण से इनके एक नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। आरोप भी लगाते हैं। अभी भी बड़ी-बड़ी बात करेंगे मैं जवाब देने के लिये तैयार हूं। धिक्कार है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। इनका नेतृत्व करने वाले नेता विद्यालय में जायेंगे और छात्रों की सभा में कहेंगे हमको वोट दो हम तुम्हें नकल का अधिकार दे देंगे। कितने दुर्भाग्य की बात है ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व करने का अधिकार मिला है।

सः विद्या या विमुक्तयः।

इसी तरह के दावे के साथ चलें।

अयं निजः परावेत्ति गणना लघुचेतसामे उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुम्बकम् मान्यवर, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये हमने उत्तर प्रदेश में जो भा०ज०पा०-ब०स०पा० के गठबंधन की सरकार है पहली बार इस उद्देश्य पर विचार करते हुए निर्णय लिया है कि शिक्षा को उसका मूल स्वरूप वापस करेंगे। शिक्षा को संवेदनशील करेंगे, संस्कारवान बनायेंगे। हमने इन्जीनियर बहुत बनाये, डाक्टर बहुत बनाये लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि डाक्टर इन्जीनियर बनाया लेकिन बनाने के बाद यह जो भ्रष्टाचार चारों ओर दिखाई दे रहा है यह क्यों हो रहा है ? यह इसलिये हो रहा है कि हमने इनकी आत्मा नहीं जगाई। कोई संस्कार नहीं जायेगा। जब कोई भ्रष्टाचारी किसी जगह रहता था तो लोग उस पर उंगलियां उठाते थे। यह भ्रष्टाचारी हैं। इनको बड़ा बुरा लग रहा है जब मर्म पर चोट होती है तो ऐसा ही होता है सत्य बात कड़ुवा होता है।

(समय 9 बजकर 15 मिनट)

श्री राम औतार शाक्य–

क्या सत्य नारायण की कथा हो रही है ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

यह इनको रास नहीं आयेगा। यह सत्य नारायण की कथा लग रही है इसीलिये शिक्षा की दुर्व्यवस्था हुई है, यह इनको सुनना अच्छा नहीं लग रहा है। हमने शिक्षा की आत्मा को जगाने के लिये, हमने त्रिस्तरीय कार्यक्रम बनाये हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आपको कितना समय लगेगा ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

जितना समय औरों को दिया है तीनों बजट के लिये मुझे उतना दे दें।

श्री अधिष्ठाता–

15 मिनट में खत्म कर दें।

श्री अम्बिका चौधरी–

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

भाषण तो हुआ नहीं है। अभी तेल देखा है तेल की धार देखें।

श्री अम्बिका चौधरी–

अपने विभाग से सम्बन्धित अनुदान मांग को यह रखते अपनी सरकार की नीतियों कार्यक्रमों के बारे में बताते जो इन्होंने प्राविधान किये हैं। यह तो ऐसे कथा वाचन कर रहे हैं लग रहा है अब लालित्य नाट्य विद्यालयों की आवश्यकता ही नहीं रह जायेगी।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, गलती इनकी नहीं है "भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए"।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

यह स्थिति है यह चिन्तन का समय है। प्राथमिक शिक्षा समाज की रीढ़ है। इसी पर से समाज खड़ा होता है। मैं जिस जगह से चुनकर आया हूं "हम कौन थे क्या हो गये और क्या होंगे अभी।"

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

बहुत धैर्य से हमने इनको सुना। सत्य कड़वा होता है मैं एक-एक प्रश्न का जबाब दूंगा। मान्यवर, हमने उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा के इस मूल स्वरूप को ठीक करने के लिये त्रिस्तरीय कार्यक्रम बनाया है भौतिक वातावरण में सुधार, शैक्षिक वातावरण में सुधार, भ्रष्टाचार मुक्त संवेदनयुक्त, पारदर्शी तंत्र का निर्माण। मान्यवर, भौतिक वातावरण के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है।

हम अपने विद्यालय के वातावरण को इतना आकर्षक बनायेंगे कि वह विद्या का मंदिर लगेगा। विद्यालयों में बाउण्ड्री वाल बनाने की व्यवस्था की जायेगी जहां पर बाउण्ड्री वाल के लिये पैसे नहीं हैं वहां तार की बाढ़ या मेंहदी लगाई जायेगी। हमने पेड़ों से आच्छादित करने के आदेश जारी किये हैं। यह निर्णय लिया है कि बरसात के बाद हमारे विद्यालयों की रंगाई की व्यवस्था की जायेगी। दीवारों पर बोधि वाक्यों का लेखन किया जायेगा तथा महत्वपूर्ण महापुरुषों के चित्र दीवारों पर बनाये जायेंगे।

(श्री राम औतार शाक्य के द्वारा यह कहने पर कि प्रवचन मत दो)

मैं जानता हूं कि भोगांव से आप आते हैं श्री शिवपाल जी बैठे हुये हैं वह जानते हैं। हमने यह कोशिश की है कि विद्यालयों में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बने इसके लिये निर्णय लिया है कि ब्लाक स्तर पर एक चल बैजन्ती निर्णायक मण्डल बनेगा। यह मण्डल यह देखेगा कि किस विद्यालय में भौतिक वातावरण सबसे अच्छा है। इस मण्डल के निर्णय के आधार पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार दिये जायेंगे। जो स्कूल प्रथम आयेगा उसे चल बजन्ती प्रदान की जायेगी जो द्वितीय व तृतीय स्थान पर आयेंगे उन्हें स्मृति चिन्ह भेज दिये जायेंगे तथा वहां के सभी अध्यापकों की चरित्र पंजिका में अनुकूल प्रविष्टि की जायेगी। साथ ही साथ वहां के प्रधानाचार्य को एक वेतन वृद्धि देने पर विचार कर रहे हैं। इसके बाद जिला स्तर पर इसी तरह की प्रतिस्पर्धा करेंगे। जिले में चल बजन्ती का प्राविधान किया है जिले में प्रथम आने वाले स्कूल के प्रधानाध्यापक को एस० डी० आई० प्रमोशन देने पर विचार करेंगे। इसी के साथ-साथ शैक्षणिक वातावरण को सुधारने के लिये हमने अनेक कार्यक्रम बनाये हैं एक सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी यही रही है कि आज तक उत्तर प्रदेश के अन्दर कभी भी शिक्षक वर्ष घोषित नहीं किया गया। यह पहली भाजपा-बसपा सरकार है जिसने इस वर्ष को शिक्षा वर्ष घोषित किया है। इसके लिये आपको बधाई देना चाहिये लेकिन बधाई आप देंगे नहीं। यह मुझे मालूम है आप इसमें कोई कमी निकालेंगे। हमारी प्राथमिक शिक्षा में जितने भी शिक्षक काम करते हैं उनकी सक्रिय भागीदारी हमारे साथ होनी चाहिये। इसके लिये इस प्रदेश के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में वह सभी शिक्षक संघ हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। शिक्षक संघों की हमने लगभग 90 प्रतिशत मांगों पर शासनादेश जारी हो चुके हैं। इसलिये प्राथमिक शिक्षक संघ ने हमारे साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर हमारे साथ चलने का वायदा किया है। मैं कहना चाहता हूं यह शिक्षा का महायुग प्रारम्भ हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं शिक्षक संघ को विशेष रूप से इसके अध्यक्ष व महामंत्री को उन्होंने इस अभियान में अपनी पूरी भागीदारी देते हुये शपथ ग्रहण समारोह जगह-जगह आयोजित किये हैं। जो माध्यमिक शिक्षक संघ हैं उन्होंने लखनऊ के अन्दर 2500 शिक्षकों को शपथ दिलाई है। इसी तरह से 25 हजार शिक्षक महिलाओं को लेकर शपथ दिलाई गई है कि मनसा वाचा कर्मणा शिक्षा जगत की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जायेगा। एस० डी० आई० ने इसी तरह के सम्मेलन बुलाया इलाहाबाद में उन्होंने शपथ ली। मैं बधाई देना चाहता हूं प्राथमिक शिक्षक संघ के नेताओं को कि उन्होंने ब्लाक स्तर पर इसी तरह के संकल्प दिलाये हैं। इसी तरह से हमने स्वैच्छिक संगठनों को भी आमंत्रित किया है मुझे हर्ष हुआ है कि कई स्वैच्छिक संगठनों ने हमारा सहयोग दिया है तथा हमें कन्धे से कन्धा मिला कर सहयोग देने का वायदा किया है। मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह वर्ष शिक्षा के इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में जाना जायेगा। कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हुआ है क्योंकि उनकी अब तक जो दुकानदारी चल रही थी उनकी दुकानदारी पर अन्तर आया है। अभी तक यह लोग गुमराह करके नेतृत्व कर रहे थे अब उनके पेट में मरोड़ इसलिये शुरू हुआ है क्योंकि अभी तक वह अपने काम दबाव में करवाते रहे तथा अपने गलत काम करवाते रहे उनके पेट में इसलिये दर्द शुरू हुआ है कि यह शिक्षा मंत्री दबाव में आने वाला नहीं है। यह बसपा-भाजपा की सरकार है। लेकिन जिसने शिक्षा को ऐसा बना दिया है और नकल का प्राविधान किया है किन्तु हम इसे ऐसा नहीं रहने

देंगे। मान्यवर वर्ष 1984 में जस्टिस करौली कमीशन बना था जिसकी रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है उसमें साफ-साफ लिखा है और नेताओं के नाम लेकर कहा है, उनके नाम मैं यहां नहीं लेना चाहता हूं, केवल नकल करवाने के लिये माध्यमिक शिक्षक संघ पर दबाव डाला गया जिससे उनको हटा दिया गया। यह कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है। यदि आप लोग चाहेंगे तो मैं नाम बता सकता हूं। इसलिये इस तरह की जो दुकानें चलती थीं कि यदि तुम्हारी कक्षा में ड्यूटी लगवा देंगे तो इतना पैसा लेंगे और नकल की छूट देंगे। दूसरे छात्रों को बिठाकर परीक्षा देंगे तो इतना पैसा लेंगे, कापी घर पर ले जाओगे तो इतना पैसा लेंगे और यदि फेल हो जाओगे तो इलाहाबाद से पास करवा देंगे तो इतना पैसा देना पड़ेगा। इसलिये उनके पेट में दर्द हो रहा है।

मान्यवर, अब वह यह कहेंगे कि अध्यापक पढ़ाना नहीं चाहते हैं, स्कूल में जाना नहीं चाहते हैं, स्कूल छत और भवन विहीन हैं। तो मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जब मैंने शपथ लिया था तो उसके बाद मैंने उपस्थिति पखवारा चलाया, उसके बाद मैजिस्ट्रेटों की उपस्थिति में छापे मारे गये और बड़ी संख्या में अध्यापक निलम्बित किये गये, वार्निंग इश्यू हुई और वेतन काटा गया। स्टार टी० वी० वालों ने मेरा इंटरव्यू लिया तो तथाकथित नेताओं के पेट में मरोड़ शुरू हो गयी थी और उन्होंने कहा कि यह नहीं होना चाहिये था, शिक्षा मंत्री को बात करना चाहिये था। तो अभी तक यही होता था। अभी तक वह लोग राजनीति करते रहे और विद्यालयों में पढ़ाने नहीं गये। मान्यवर, एक नेता की सर्विस बुक देखा तो उसको पढ़ कर दंग रह गये। वर्ष 1956 में उनकी नियुक्ति हुई। उस समय वह बी० एड० नहीं थे, एल० टी० ग्रेड में नियुक्ति हो गयी थी, एल० टी० ग्रेड की नियुक्ति के लिये बी० एड० होने की जरूरत थी 1969 में उन्होंने बी० एड० किया था लेकिन उनकी नियुक्ति 1956 में हुई थी। दो वर्ष बाद लेक्चरर ग्रेड में प्रमोशन भी हो गया। .....

श्री मुन्ना चौहान—

मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा में एल० टी० ग्रेड कहां से आ गया ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

मैं प्राथमिक शिक्षा पर ही बोल रहा हूँ। राष्ट्रीय कृत पुस्तकों की बात आयी, राष्ट्रीय कृत पुस्तकों की 5 वर्षों से पेपर की रायल्टी जमा नहीं हुई, 3 वर्ष से कोई अनुबन्ध ही नहीं हुआ। 5 वर्षों से लगातार इसके बारे में कुछ भी नहीं हो रहा हैं तब उनके पेट में मरोड़ नहीं हुई। पुस्तकों के लिए न्यूजप्रिंट पेपर से भी रद्दी पेपर आ गया। अभिभावक एक वर्ष में 4—4 बार पुस्तकें खरीदने लगे कभी इनके पेट में दर्द नहीं हुआ। अभी तक यह पढ़ा जा रहा था कि हमारे देश की वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं, हमने उसको बदला है, चार पुस्तकें रि—राइट की हैं, हमने अपने अनुसार नहीं लिखा है, एन० सी० ई० आर० टी० ने लिखा है, 1992 से अब तक 70 प्रतिशत महंगाई बढ़ी है, सरकारी प्रेस पर 40 प्रतिशत रेट बढ़े हैं अगर हमने 25 प्रतिशत रेट बढ़ाया है और हमने 54 जी० एस० एम० का पेपर एलाऊ किया था हमने 60 जी० एस० एम० का रखा है और वाटर मार्क पेपर रखा है जबकि कवर पृष्ठ 150 से 175 जी० एस० एम० कर दिया और चार कलर कर दिया है लेकिन इन्हें वह अच्छा लगता था जिसको फाड़कर लोग चाट खाने से भी मना कर देते थे।

श्री राम आसरे पासवान—

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं जानना चाहता हूँ कि आपने पाठ्य-पुस्तकें बदली हैं क्या वह पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

प्राथमिक शिक्षा की पाठ्य-पुस्तकें आज से नहीं 20 दिन पहले से उपलब्ध हैं। लखनऊ के किसी भी दुकान में चले जायें और वहां से जाकर पुस्तकें ले लें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय शिक्षा मंत्री जी 30 मिनट का समय लग भग हो चुका है अभी आप कितनी देर में अपनी बात समाप्त करेंगे ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू है। यह किसी चीज को समझ नहीं पा रहे हैं इसलिये समझाना जरुरी है।

श्री अधिष्ठाता–

समझदार लोगों के लिए इशारा ही काफी है। संक्षेप में अपनी बात कहिये।

श्री अम्बिका चौधरी–

आपके इशारे को समझने के लिये समझदार होना जरुरी है, ऐसी समझदारी आसान नहीं है, सबको नहीं हो सकती, कभी-कभी होती है।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

ऐसा लगता है कि पीठ का संरक्षण मुझे इसलिये नहीं प्राप्त हो रहा है कि अभी तक एक साथ दो बजट लाया गया है उच्च शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा और भाषा, 4 बजट था उसके अनुपात में तीन हमारा है, इसलिये आप तीन का समय दे दीजिये उससे ज्यादा नहीं चाहिए। एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करुंगा।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, लगता है काफी दिनों से इनको कथावाचन के लिये नहीं बुलाया गया है।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

अभी आरोप लगाया कि 8 करोड़ रुपये ले लिया, मैंने जाली पुस्तकें नहीं चलने दी। हमसे कई प्रकार की बातें कही गयीं हमसे चैम्बर्स आफ कामर्स ने लिख कर दिये हैं कि हम आधे दामों पर पुस्तकें बेचने के लिये तैयार हैं हमसे व्यापार मण्डल ने मिलकर बातचीत की, यह भी कहा कि हम 10 करोड़ रुपया जमा करा देते हैं आप यह पुस्तकें चला लेने दें जब नहीं चलीं तो और तरीकों से बात की गयी, इस पर भी नहीं चलीं तो हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गयी और स्थगनादेश प्राप्त करने की कोशिश की गयी वह भी नहीं हुआ तो फिर सोचा कि क्या करें फिर इनसे सम्पर्क किया और जो कुछ हमें नहीं दे पाये वह इनको दे दिया और यह कहा कि आप ही ले लें, वही मुद्रक और प्रकाशक इनका अभिनन्दन और वकालत कर रहे हैं। तब नैतिकता कहां चली गई थी, जब एक नये पैसे की रायल्टी जमा नहीं हुई, घटिया किताबें चलती रहीं, तब पेट में दर्द नहीं हुआ। सरकार की रायल्टी खाई गई, पहले मामला उठाया गया होता तो मैं मानता कि आप उत्तर प्रदेश की जनता के बड़े हितैषी हैं। किया तब जब आपका मुद्रकों और प्रकाशकों ने अभिनन्दन किया। अभिनन्दन तो मैं भी करा सकता था, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, उत्तर प्रदेश की यह सरकार गद्दारी नहीं करेगी। हमने इनकी गालियां बर्दाश्त

कीं, आज वही पैसा आपके बीच घूम रहा है। तरह-तरह के आरोप लगा रहे हैं, जिनकी 100 करोड़ की पुस्तकें बेकार हो गई, यह बात डायरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज के यहां रिकार्ड है, मेरी चुनौती है कि अगर यह सदन के अन्दर डी० जी० एस० एन० डी० के रेट और अन्तर्राष्ट्रीय रेट या पूरे देश के अन्दर जितने भी प्रदेश हैं, उनके यहां से खरीदे गये 60 जी० एस० एम० का पेपर है, सरकार को इस रेट पर लाकर दिखा देंगे तो मैं सदन के अन्दर घोषणा करना चाहता हूँ कि तुरन्त त्याग-पत्र देकर सदन से बाहर चला जाऊंगा। अगर इनके अन्दर जरा भी नैतिक बल है तो किसी भी प्रदेश से अन्तर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित पेपर लाकर दिखा दें। मान्यवर, इनको यह बात पचेगी नहीं।

मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है, शिक्षा विभाग से जानना चाहती है कि .....

(विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा टोकाटाकी किये जाने पर व्यवधान)

मान्यवर, इनको 4 ठगों की कहानी सुना दूँ। चार ठग थे, एक बकरी का बच्चा लेकर कुछ लोग जा रहे थे, ठगों ने सोचा बड़ा प्यारा बच्चा है, इसको कैसे हड़पा जाय। योजना बनाई और थोड़ी-थोड़ी दूरी पर खड़े हो गये। एक ठग ने कहा कि यह कुत्ते का बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है, इसको कहां से ले आये। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि कुत्ते का बच्चा नहीं है। यह तो बकरी का बच्चा है। आगे दूसरा ठग खड़ा था, उसने भी वही बात कही, उस व्यक्ति ने वही जवाब दिया। उसके आगे तीसरा ठग खड़ा था, उसने भी वही कहा, उसके बाद चौथे ने भी वही कहा, तब वह व्यक्ति झुंझला गया और उसने गुस्से में आकर उस बकरी के बच्चे को छोड़ दिया और झट से वे ठग उसको उठाकर ले गये।

लेकिन मान्यवर,

(विपक्ष द्वारा टोका-टाकी किये जाने पर व्यवधान)

मान्यवर, एक शेर इनके लिये अर्ज करना चाहता हूँ।

"हमसफये हस्ती से मिटाये न गये,
मानिन्द के बचाये न गये,
अरे जालिम तुमने तो निगलना चाहा था,
लोहे के चने थे, चबाये न गये।"

मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि अगर प्रतिपक्ष में बैठे लोगों की हिम्मत है तो कल इस विधान सभा में स्थगन प्रस्ताव ले आयें, मैं एक-एक चुनौती का जवाब देने को तैयार हूँ, अगर इनमें जरा भी नैतिकता है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, बजट पर चर्चा करिये।

श्री ओम प्रकाश–

हाथी का बच्चा था या बकरी का।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

यह तो आप ही जानें।

मान्यवर, एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

मान्यवर, ऐसा लगता है कि इनसे ज्यादा कष्ट आपको हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता को हक है कि वह जाने कि जो चर्चा सदन में हो रही है उसकी सच्चाई क्या है। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब हमारे शिक्षकों को शिक्षण कार्य से हटाकर कान पकड़कर पशु गणना में लगाया जाता था तो कभी विरोध नहीं किया और इसके बाद जब हमारे शिक्षकों को पकड़कर उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था, उनसे कहा जाता था कि जाइये मकानों पर नम्बर प्लेट टांगिये। लेकिन यह हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है और हमने आदेश कर दिया कि उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षकों को कि पल्सपोलियो, मतदान और जनगणना इन तीन कार्यों को छोड़कर अब शिक्षकों को कहीं नहीं लगाया जायेगा।

मान्यवर, मृतक आश्रित में बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो प्रकरण 5 वर्ष के ऊपर के थे उन सारे प्रकरणों को उत्तर प्रदेश की सरकार ने निपटा दिया है अब उत्तर प्रदेश की सरकार के पास एक भी मृतक आश्रित नहीं है यह मेरी चुनौती है और मैं यह सदन में कह रहा हूँ। मैंने यह भी निर्णय लिया है कि अब अगर कोई मृतक होगा तो उस मृतक आश्रित को अप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा विभाग खुद उसके घर पर जायेगा खुद कागज लेगा और उस कागज को भरेगा और तेरहीं के दिन जाकर के उसको नौकरी दे आयेगा। यही नहीं हमने शासनादेश जारी किया है। ज्यादा से ज्यादा, हम यह निर्णय ले चुके है, कि 30 दिन से ज्यादा अगर किसी भी मृतक आश्रित के मामले में अपरिहार्य कारण से कोई देरी की जाती है तो संबंधित अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार होगा, जो बी०एस०ए० होगा वह जिम्मेदार होगा यह आदेश हमने कर दिया है। एक बात और कहना चाहता हूँ कि 7 वर्ष से तमाम सरकारें रही है, 7 वर्ष से उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का सम्मान नहीं हुआ था तो पेट में दर्द नहीं हुआ, कभी यहाँ माँग नहीं की, कभी माँग कर लिया होता कि शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए। मान्यवर, हमनें शिक्षकों का सम्मान समारोह किया। 27 मार्च को हमारी सरकार ने शपथ लिया और 27 जून को हमने उत्तर प्रदेश के 7 वर्ष में जो शिक्षक लाइन में लगे हुए थे हमने उनका सम्मान समारोह यहाँ पर किया, आप लोगों के पेट में दर्द हो गया और कहा कि राज्यपाल से क्यों नहीं कराया? अगर राज्यपाल से करवाना था तो अभी तक कहाँ चले गये थे 7 साल से करा लिया होता तब से अभी तक सोते रहे आपको परवाह नहीं रही।

1974 से बी०टी०सी० ट्रेंड जिलों-जिलों में पड़े हुए हैं बहुत 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, बहुत कर रहे हैं, हमने निर्णय लिया और उसमें प्रक्रिया को चेंज कर दिया। जिलों-जिलों में बी०टी०सी० के लिये विज्ञापन होंगे वर्षानुसार सूची बनेगी।

(व्यवधान)

जो जिले में रिक्तियां होंगी, मण्डल में सीधे उस जिले को आवंटित किया जायेगा, जो बाकी बचेगी, वह रिक्तियां सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् को भेज दी जायेंगी, फिर प्रदेश में बची रिक्तियों में सीधे नियुक्ति कर दी जायेगी। अब 60 दिन की समयावधि में एक भी बी०टी०सी० ट्रेंड नहीं बचेगा।

(सत्तापक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

(व्यवधान)

मान्यवर, विगत वर्षों में शिक्षा की स्थिति यह हो गयी, मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा के प्रति गंभीरता इनके मन में कितनी है ऐसे हँस रहे हैं बेशर्मों की तरह .....

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, बेशर्म शब्द कार्यवाही से निकलवा दें। या इनके आगे सर्वश्रेष्ठ बेशर्म लिखने की कृपा करें। जैसे किताबों में इन्होंने किया है जैसा कागज का वर्क इन्होंने रखा हैं उससे ज्यादा बेशर्मी और क्या हो सकती है, वह बेशर्मी 4 रंगों के बजाय 9 रंगों में ए५ जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, इनके ज्ञान को देखना चाहिये रंग केवल 7 होते हैं। उ० प्र० के अंदर शिक्षा की यह स्थिति हो गयी थी कि कक्षा 8 में 99.9 प्रतिशत रिजल्ट रहता था।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के गुणवत्ता की यह स्थिति थी कि कक्षा-9 तक तो 99.9 परसेन्ट रिजल्ट, परन्तु हाईस्कूल में मात्र 35-40 प्रतिशत रिजल्ट। ये 99.9 परसेन्ट वाले महारथी हाईस्कूल में कहाँ चले जाते थे। इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं गड़बड़ी होती थी। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि कक्षा-5 व कक्षा-8 की परीक्षायें बोर्ड से करायी जायेंगी। हमने अंग्रेजी व संस्कृत भाषा को भी लागू किया है। मान्यवर, हम अपनी मातृभाषा हिन्दी को सशक्त कर सकते थे व समृद्ध कर सकते थे, परन्तु ऐसा नहीं हो पाया परन्तु वर्तमान में देश की मौजूदा दौड़ में हमारे बच्चे पिछड़ न जायें, हमने देववाणी संस्कृत व अंग्रेजी को कक्षा-3 से लागू किया है। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए हमने 7 दिन का कलैण्डर लागू किया है, वन्दे मातरम् को अनिवार्य किया है, बाल-सभायें, सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल को अनिवार्यता प्रदान की है। हमने स्टेट लेवल तक खेल को बढ़ाने का काम किया है। अध्यापकों का चार्ट बनाया गया है। अध्यापकों के लिए आचरण संहिता भी लागू करने जा रही हैं। ब्लाक स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया है। भ्रष्टाचार पर चोट की है, चारों तरफ छापे डाले गये हैं। हमारे बहुत सारे बन्धु यहाँ पर बैठे हैं, यह होता था कि केन्द्र यहाँ पर बनाओ यहाँ पर बूथ कैपचरिंग हो सके। सारे मानकों को ताक पर रख दिया जाता था परन्तु हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि 1991 की जनगणना के आधार पर ब्लाक को इकाई मानते हुए, मंजरे को आधार बनाकर अवरोही क्रम में असेवित क्षेत्रों को हम सेवित करते जायेंगे। मान्यवर, स्थल चयन में विधायकों की भूमिका ही समाप्त कर दी गई थी परन्तु हमने यह निर्णय लिया है कि विधायक की संस्तुति के अनुसार ही अवरोही क्रम में विद्यालय बनाये जायेंगे। हमने बी०टी०सी० की प्रवेश परीक्षा को कम्प्यूटरीकृत कर दिया है और साक्षात्कार को समाप्त कर दिया है। हमने महिलाओं को विशेषरूप से छूट दी है। बहिन श्रीमती द्विवेदी जी से हम कहना चाहते हैं कि वह हमें बधाई दें। बी०टी०सी० में सामान्यतः 27 साल थी परन्तु अब हमने महिलाओं के लिए 32 साल कर दी है और विधवाओं के लिए 37 वर्ष कर दी है। ताकि महिलाओं का उत्थान हो सके। जो हमारे दुर्गम क्षेत्र हैं और कोई वहाँ पर जाकर सेवा करना चाहता है तो हमने वहीं के युवक व युवती जो जिम्मेदारी से अपना काम निभाना चाहती है, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं। .....

(इस समय रात 9 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मान्यवर, एक बहुत ही जबरदस्त कार्य इस सरकार ने किया है। हमने 7 जुलाई को 30 जून को जो सेवा निवृत्त होने वाले सारे अध्यापक हैं, करीब 80 प्रतिशत शिक्षकों को समारोह करके सारे देयों का भुगतान कराने का काम किया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय, शुक्ल जी, कृपया जो मुख्य-मुख्य बिन्दु हैं उसी पर बोल दें बाकी अपने उत्तर भाषण में कह दीजियेगा। समय बहुत कम हैं।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, यह जो 97-98 का जो बजट है वह पिछले वर्ष की तुलना में 13.11 प्रतिशत अधिक है। मान्यवर, इस मद में आयोजनागत पक्ष में 377.75 तथा आयोजनेत्तर व्यय में 2129.94 करोड़ रुपये कुल मिलाकर 2507.69 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। हमने प्रौढ़ शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए, प्रौढ़ शिक्षा सकारात्मक बनाने के लिए प्राविधान किया है। हमने एक सम्पूर्ण साक्षरता मिशन का गठन किया है जिसमें शिक्षा विदों की भागीदारी होगी और पूरे प्रदेश के अन्दर एक सम्पूर्ण साक्षरता का कार्यक्रम चलाया जायेगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान में गुणवत्ता लाने के लिए विशेष बजट का प्राविधान किया है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की यह सरकार संवेदनशील सरकार है और एक संस्कारवान सरकार है इसलिए आपसे निवेदन करुंगा, आप हमारे मित्र हैं और आप लोग सर्व सम्मति से इस बजट को पारित करेंगे। जो प्राथमिक शिक्षा के साथ प्रतिबद्धता है वह पूरी हो सके।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अनुदान संख्या-71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक) के मद में प्रस्ताव करता हूँ कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दिया जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। श्रीमन् जो बातें कही गयी उसको सुनकर बड़ा कष्ट हुआ। इस गरिमामय सदन में बैठकर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने प्राथमिक शिक्षा जैसे बुनियादी सवाल पर जो आज इस देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है, उस बुनियादी सवाल पर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन के विषय छोड़कर प्राइमरी एजूकेशन के इम्प्रूवमेंट की बात को छोड़कर, जिस तरीके से वह हास्यास्पद स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है, मुझे तो लगता है कि माननीय मंत्री जी नेशनल स्कूल आफ ड्रामा से आये हैं और यहाँ पर मंचन कर रहे हैं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ हम देश की आजादी की स्वर्ण जयन्ती मना रहे हैं और कल ही इस विधान सभा में, विधान सभा की हीरक जयन्ती मनायी गयी है। शुक्ला जी की विद्वता में कोई कमी नहीं है और कोई शक नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने शुरुआत में ही कहा था कि वह द्रोणाचार्य की संस्कृति लाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि द्रोणाचार्य ने पाखण्ड का सहारा लेकर अर्जुन के साथ कम्पीट करने वाले एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था। हम द्रोणाचार्य के ज्ञान का सम्मान करते हैं पाखण्ड का नहीं आप उस संस्कृति को लाना चाहते हैं ? आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से बात करें, आप बसपा से बात करें कि वह कौन सी संस्कृति चाहते हैं। क्या वो भी एकलव्यों का अंगूठा काटने वाली संस्कृति चाहते हैं

श्रीमन् मैं कहता हूँ, हमारा सोचना है कि समाज की तरक्की का मानक आज के आधुनिक तौर तरीकों को समझा जाता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जिस समाज में, जिस देश में बर्थ रेट ज्यादा होगी, माबेलिटी रेट ज्यादा होगी, तो वह देश या स्थान सबसे पीछे होने का इन्डीकेटर है। मैं समझ रहा था कि माननीय मंत्री जी (× × ×) समाज शास्त्र का यह सिद्धान्त है कि "मैन इज दि सोशल एनीमल"। इसका मतलब है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैं कहना चाहता हूँ कि मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी की शिक्षा ही बनाती है। बिना शिक्षा के कोई व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता है। मैं समझता हूं कि शिक्षा का उद्देश्य ही समाज को बनाना है। श्रीमन् मैं आपसे कहना चाहता हं यह बहुत अच्छी बात होती यदि माननीय मंत्री जी ने इन सारी बातों पर ध्यान दिया होता। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो इनहेरेन्ट इनर्जी है इसको उपयोग करने की माननीय मंत्री जी ने कोई बात नहीं किया हैं। पिछली बार जब श्री राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री थे तो उनके द्वारा नकल विरोधी विधेयक पेश किया गया था मैं बताना चाहता हूँ मुझ जैसा कम तजुर्बे वाला आदमी शिक्षा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता। इससे पहले प्राविधिक शिक्षा के बजट पर बहस हुई थी। प्राविधिक शिक्षा के कुछ मुद्दों का हमने समर्थन किया था। 1991 में जब इस सदन के अन्दर हम इसी विपक्ष में बैठते थे तब भी हमारा दल मुख्य विपक्षी दल के रूप में था उस समय एक बिल पेश हुआ था। बिल की भावना से हम सहमत थे और हम चाहते भी हैं कि हर कीमत पर नकल रोकी जाय। लेकिन शिक्षा के मन्दिरों में किसी भी कीमत पर हम थाना नहीं बनने देंगे यह हमने उस वक्त कहा था पुलिस की वर्दी धारियों को उनमें नहीं घुसने देंगे। हम चाहते हैं कि स्वयं इसका प्रबन्ध हो कि कोई नकल न कर सकें। मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन यहां मा० मुलायम सिंह जी पर आक्षेप लगाये गये इसलिए मजबूर होकर कहना पड़ रहा है एक बार नहीं सैकड़ों बार मा० मुलायम सिंह जी ने कहा कि हम हर कीमत पर स्कूलों से नकल खत्म करना चाहते हैं लेकिन पुलिस बल पर नहीं। हम शिक्षकों के बल पर बच्चों को नकल नहीं करने देंगे। एक स्वच्छ वातावरण पर परीक्षा करायेंगे। मैं चुनौती देना चाहता हूँ आपके पास सारी सुविधायें हैं लेकिन आप मेरे क्षेत्र में चलकर देखें कोई पुलिस की या किसी मजिस्ट्रेट की ताकत नहीं है कि वह स्कूल में घुस सके। आप देखें हमारे यहां कि कहीं पर नकल नहीं होती। हमने गैर सरकारी तौर पर जनता से जुड़े हुए लोगों के माध्यम से यह नकल की बीमारी को समूल नष्ट कर दिया।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री मुन्ना चौहान–

यदि कटौती प्रस्ताव पर मैं जवाब न दे पाऊं तो उचित नहीं होगा।

(व्यवधान)

राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बारे में हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमारा संवैधानिक कर्तव्य है चाहे वह जनगणना का कार्यक्रम हो या शासन द्वारा संचालित कोई और कार्यक्रम हो उसको पूरा करें। माननीय मंत्री जी अपनी जिम्मेदारी के परे हटकर सदन के अन्दर कहते हैं कि पहले हमारे शिक्षकों को पकड़कर जनगणना करवाई जाती थी। उत्तर प्रदेश के अन्दर शिक्षक इतने बेसहारा नहीं हैं इनको पकड़कर कोई काम करवाया जा सके। मा० मंत्री जी ने कहा हमने छात्र सप्ताह चलाया उपस्थिति पखवाड़ा चलाया आप मेरे क्षेत्र में कलसी और चकराता क्षेत्र में 245 प्राथमिक विद्यालय हैं इन 245 में से 105 प्राथमिक विद्यालयों में ताले पड़े हैं। यदि आप इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं तो इसकी प्रामाणिकता आप सिद्ध करें मैं सदन के फ्लोर पर चुनौती देना चाहता हूँ। (व्यवधान)

नोट :–( ) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

माननीय मुलायम सिंह की सरकार प्राइमरी स्कूलों के विद्यालयों के भवन बनाने का काम किया, हर विकास खण्ड में जहां बालिका विद्यालय नहीं थे किया वहां पर प्राइवेट मैनेजमेंट या अन्य नान गवर्नमेंट एजेन्सीज को स्कूल खोलने के लिए ग्राम समाज की भूमि उपलब्ध कराकर 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की बात की थी और बालिकाओं की शिक्षा पर चार चाँद लगाने का काम इस तरह से किया था। (व्यवधान)

* श्री शिव प्रताप शुक्ल–

एक बात यहां पर कही गयी बालिका विद्यालय बनाने के लिए मा० मुलायम सिंह ने जमीन दी और 19 लाख रुपये दिये। (व्यवधान)

(समय 10 बजकर 15 मिनट)

यह बात समाचार पत्रों में आयी। कुछ पैसा उन लोगों तक पहुंचा और शेष पैसा मुलायम सिंह जी की पाकेट में पहुंचा। मैं कहना चाहता हूँ कि भवन बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरु किया था। (शोर)

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, मुझे एक जरुरी बैठक में जाना था, हम पूरे धैर्य के साथ इसलिये बैठे रहे कि शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन होगा प्राइमरी शिक्षा जो प्राइमरी क्वेश्चन है, हम समझ रहे थे कि विद्वान शिक्षा मंत्री जी की तरफ से जवाब आयेगा, मैं समझ रहा था कि देश के अन्दर जो परिस्थितियां पैदा हो गयी हैं जिसके चलते शिक्षा व्यवस्था चरमरा गयी है उसको ठीक करने के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने की घोषणा की जायेगी। मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे इधर के माननीय सदस्य हों या उधर के माननीय सदस्य हों, तमाम राजनीतिक जो लोग हैं राजनीतिक दलों के नेता हैं उनके बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं। कहा जाता है कि हमारे देश के अन्दर दोहरी शिक्षा नहीं बल्कि तिहरी, चौहरी शिक्षा नीति शुरू हो गयी है। इस विषय पर आज कौन सोचेगा ? मैं समझ रहा था कि शिक्षा मंत्री कुछ बताने की कोशिश करेंगे कि प्राइमरी एजुकेशन के नाम पर जो वर्ग विभेदीकरण हो रहा है, जो सोसायटी का स्ट्रेटीफिकेशन हो रहा है, क्लास फारमेशन हो रहा है उसके बारे में मंत्री जी कोई नीति लायेंगे। लेकिन मंत्री जी ने कोई स्पष्ट और कारगर नीति हमारे सामने नहीं रखी। मैं पर्वतीय क्षेत्र का हवाला देना चाहता हूँ पहाड़ी जनजातियों का क्षेत्र विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला क्षेत्र है जहां पर बर्फ गिरती है। वहां पर मास्टर नियुक्ति के समय, और महीने में एक दिन हाजिरी लगाने के लिये जाते हैं एक बार हाजिरी लगाने के बाद विद्यालय में हमेशा इतवार होता है, विद्यालय में ताला पड़ जाता है और घर बैठे अध्यापक तनख्वाह लेते हैं 105 विद्यालयों का जिक्र मैंने सदन में किया है। मैं समझ रहा था कि कितनी ज्वलन्त समस्याएं हैं। इन समस्याओं के ऊपर सकारात्मक बहस सदन के अन्दर होगी लेकिन जिस तरीके से एक नुक्कड़ जैसा माहौल यहां पर बनाने का काम किया है श्रीमन् उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरी अन्तरात्मा को इस बात से ठेस जरूर पहुँची कि वास्तव में नाटक करने के लिये सदन नहीं होना चाहिए। श्रीमन् मैं यह कह देना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने नाम लेकर कहा है कि पुस्तकों की छपाई में हम लोगों ने, इधर के लोगों ने पैसा लिया है।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्रीमन् मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि किताबों की छपाई में इधर के सदस्यों ने पैसा लिया। मान्यवर, मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी को आज ही यहाँ लाबी में जाकर कहा कि मान्यवर, यह तो वही वाला किस्सा हो गया कि नई बोतल पुरानी शराब। मान्यवर, मैंने आज ही माननीय मंत्री जी से कहा था।

श्री अध्यक्ष–

चौहान जी अब समाप्त करें।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, हालत यह है कि किताब छपी। मान्यवर, मैंने इतना अशिष्ट उदाहरण क्यों दिया क्योंकि जिल्दबंदी नयी है किताब नई छपी है अन्दर लिखा है कि देश का प्रधानमंत्री कौन है ? इन्दिरा गाँधी। ऐसी टेक्नोलाजी से हमारी प्राइमरी शिक्षा को बनाना चाहते हैं जिसके अन्दर इस तरह से लिखा है। मंत्री जी से जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि ऐसी त्रुटियां होती रहती हैं। श्रीमन् मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम तो यह सुनना चाह रहे थे कि इस सदन के अन्दर इस प्रदेश के जन प्रतिनिधियों की, किसी भी दल की सरकार हो। सरकार तो प्रदेश की हुआ करती है। हम इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अन्दर कोई सरकार बनेगी। आप आदरणीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर के माननीय, मुख्य मंत्री जी की कुर्सी पर बैठकर सरकार का मुखिया ऐलान करेगा कि केरल की तरह हमारे यहां भी शत-प्रतिशत लोग साक्षर हो गये हैं लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ....

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण विषय है मैं एक मिनट में कह रहा हूँ। इसके अन्दर एक विषय है श्रीमन् मैं उस मद पर नहीं जा रहा हूँ लेकिन उसका जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया था मेरे कटौती के प्रस्ताव के सम्बन्ध में। एस० सी० ई० आर० टी० ट्रेनिंग सेन्टर बना है।

जो एन० सी० ई० आर० टी० के पैटर्न पर बना है मैं समझ रहा था कि एन० सी० आर० टी० पर मंत्री जी कुछ कहेंगे। अबोध बच्चों में गांव में पढ़ने वाले बच्चों के टैलेन्ट के लिए प्रतिभा की खोज के लिए कोई तरीका बतायेंगे। ताकि गांव से पढ़कर निकलने वाले बच्चों को इस बात का गौरव हासिल हो कि वह इस उत्तर प्रदेश में जाने गए। लेकिन मान्यवर, मंत्री जी ने (× × ×) पेश किया इससे साफ है

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री मुन्ना चौहान–

इन्होंने द्रोणाचार्य के आधार पर सर्वोच्च धनुर्धारी घोषित करने के साथ यह दिखा दिया है जिस संस्कृति को वह लाना चाहते हैं उसके घोर विरोधी हैं यह मनुवादी संस्कृति को लाना चाहते हैं यह चाहते हैं कि गरीब आदमी पढ़कर आगे न आए।

श्री जयनारायण तिवारी–

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने और माननीय चौहान जी ने बराबर का समय लिया है इस सन्दर्भ में यह कहना चाहूँगा कि–

"हर चीज नहीं इक मरकज पर, कुछ रोज इधर कुछ रोज उधर
दुश्मन को न देखो नफरत से, शायद वे मोहब्बत कर बैठे।

(श्री अम्बिका प्रसाद चौधरी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री अम्बिका चौधरी–

कटौती का प्रस्ताव मुन्ना चौहान ने रख दिया है।

श्री अध्यक्ष–

क्या आप अनुदान संख्या 74 में कटौती का प्रस्ताव नहीं रखेंगे ? आप कटौती का प्रस्ताव रख दें। कार्य-सूची का पेज–46 देखें। अगर नहीं प्रस्तुत करना चाहते हैं तो बता दें।

श्री अम्बिका चौधरी--

मैं अनुदान संख्या 71 पर अपनी बात कहूँगा।

श्री अध्यक्ष–

पहले मंत्री जी ने तीनों विभाग की अनुदान संख्या 71—74—75 पर एक संयुक्त अनुदान के बारे में बात कही। इसलिए तीन कटौती के प्रस्ताव आ जाएं। अनुदान सख्या 74 में आपका नाम है उसको प्रस्तुत कर दें फिर अपनी बात कहें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 74 (शिक्षा विभाग) (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि को घटाकर एक रुपया कर दिया जाय।

मान्यवर, मुझे विस्तार से कुछ नहीं कहना है माननीय मंत्री जी ने बजट अनुदान मांगों को रखते समय तीन मांगों को एक साथ रखा। पूरी तौर पर इन अनुदान मांगों से सम्बन्धित उन्होंने कोई विशेष बात नहीं कही। अधिकांशतः उन्होंने इसके बाहर की बातें कहीं। कटौती प्रस्ताव में आम तौर पर जो सरकार की नीति है उसी पर बातें कही जाती हैं। श्रीमन् मंत्री जी ने विषय से परे जाकर अधिक बातें कही हैं। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं हैं। माननीय सदस्यगण मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैं भी उन्हीं की भंगिमाओं में अपनी बातें रखूँ। लेकिन कार्यवाही में शब्द लिखे जाते हैं भंगिमाओं का वर्णन नहीं किया जाता है। हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी सिर्फ विद्वान ही नही हैं बल्कि बड़े भारी कलाकार भी हैं। वक्तव्य कला तो होनी चाहिये लेकिन तर्क से रखी गयी बातें ज्यादा सटीक होती हैं। विषय से बाहर जाकर उन्होंने लम्बी-चौड़ी उछाल ली एक प्रकार से उन्होंने कथा वाचक की तरह अपनी बातें रखीं। मैं बहुत पुराना सदस्य नहीं हूँ, लेकिन अगर आप पुराने इतिहास पर नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि इस तरह का भाषण किसी मंत्री ने नहीं दिया होगा। लेकिन इतने बड़े अभिनय के बाद भी असली तस्वीर छुपी नहीं रह सकती है। महान गुरुओं की परम्परा का जिक्र करने वाले राज्य आश्रम में चलने वाले श्री

द्रोणाचार्य का जिक्र किया लेकिन कृष्ण और सुदामा को एक साथ शिक्षा देने वाले संदीपन का नाम नहीं लिया। श्री द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट लिया था उसका जिक्र नहीं किया। महान शिक्षा प्रचारकों के बीच इन्होंने ज्योतिबा फुले का नाम नहीं लिया। जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के सम्बन्ध में क्रांतिकारी कदम उठाया था हो सकता है कि उनको इसमें विश्वास न रहा हो। मंत्री जी को इस बात का ज्ञान नहीं है ऐसी बात नहीं है उनके मन में पीड़ा रही होगी, कहीं कुंठा रही होगी जिससे ऐसे ऐतिहासिक पुरूषों का वह नाम ले सकें जिन्होंने क्रान्तिकारी कदम उठाये थे। मंत्री जी जानबूझकर उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि मान्यवर आप कदाचित पीठ पर नहीं थे और उन्होंने जिस तरह से और जिस स्टाइल से कहने का प्रयास किया उससे न तो सरकार का और न सदस्य के नाते ही इस सदन की मर्यादा बढ़ती है। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

अनुदान संख्या–75 पर कटौती का प्रस्ताव रखें।

* श्री दिलीप कुमार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या–75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मंत्री जी ने अभी जो बेसिक शिक्षा का बजट पेश किया है, उसमें हम लोगों को उम्मीद थी कि बेसिक शिक्षा में जो मूलभूत कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो मंत्री जी ने कहा है, उससे नहीं लगता है कि जो इसमें कमियाँ हैं वह दूर होंगी। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ। धन्यवाद।

श्री बृजेन्द्र आर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो बोलने का समय दिया उसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, आज इस सदन में पहली बार बड़े प्रयास के बाद आपने मुझे प्राथमिक शिक्षा के ऊपर अपने विचार रखने का समय दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

मान्यवर, बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जो अनुदान मांगे यहां रखीं उनके सम्बन्ध में मैं यहां विस्तार से नहीं कहूंगा बल्कि दो-तीन बातें जो मानक स्वरूप हैं उनको रखना चाहता हूँ। मान्यवर, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो मूलमंत्र दिया था–शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। उसका सबसे पहले हिस्सा शिक्षा के लिये उन्होंने कहा था, शिक्षा पर बल दिया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की बात कहने वाली यह सरकार, उनके सपनों को साकार करने वाले ये लोग तथा उसी सरकार के मंत्री जब प्राथमिक शिक्षा के बजट की अनुदान मांगों पर जब चर्चा करते हैं तो प्राथमिक शिक्षाओं में मूलभूत खामियां हैं उनकी चर्चा नहीं करते तो इससे मन उद्वेलित होना स्वाभाविक है। मान्यवर, प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों की स्थिति बहुत दयनीय है वहीं दलितों में भी दलित महादलित जो सफाई कर्मी हैं उनके वेतन के बारे में मैंने व्यक्तिगत रूप से भी अनुरोध किया था। आपके कक्ष में भी अनुरोध किया था और पहले भी कई बार पत्र लिख चुका हूँ तथा आजादी के 50 वर्षों में इस सफाई कर्मचारी का वेतन एक रुपया प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ा है और आज प्रतिमाह सफाई कर्मी को जो विद्यालय में हैं उनको 50 रुपया प्रतिमाह मिलता है, यह बड़े दुःख की बात है और गम्भीर प्रश्न है। मैं शिक्षा मंत्री जी से जानकारी करना चाहूँगा कि 50 रुपया प्रतिमाह वेतन देने के बाद क्या उन अंधेरे घरों में उजाला किया जा सकेगा। मैं आपसे पुरजोर मांग करता हूँ कि बजट में कहीं कोई प्राविधान कर सकें, आपका सहयोग हो सकें तो मैं आपसे मांग करता हूँ कि माननीय मंत्री जी कम से

---

*वक्ता ने भाषण का पनुर्वीक्षण नहीं किया।

कम 500 रुपये प्रतिमाह का प्राविधान सफाई कर्मी के लिये किया जाये जिससे उनकी समस्या का समाधान हो सके। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो अन एडेड विद्यालय हैं, जूनियर विद्यालय है, उनमें जो प्रशिक्षित अध्यापक हैं उनका वेतन 200 से 300 रुपये प्रतिमाह मिलता है, जो उनके प्रति असम्मानजनक भी है तो उसके लिये भी चाहूँगा कि सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करें जो प्रशिक्षित अध्यापक है चाहे एस० टी० ग्रेड या सी० टी० ग्रेड के हैं उनका मूल वेतन जितना बैठता है उसके हिसाब से व्यवस्था करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री सुखपाल पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बेसिक शिक्षा के बजट के सम्बन्ध में समर्थन करने का अवसर दिया इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जूनियर हाईस्कूलों को कम से कम इस वर्ष 300 स्कूल अनुदान सूची में अवश्य लें। हमारे जिले में बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जो बंद पड़े हुये हैं, अध्यापकों का अभाव है और अब तक वहां पर कोई विद्यालय खुल नहीं सके हैं, कई दर्जन विद्यालय ऐसे हैं जिनमें अध्यापक नहीं हैं जिस कारण विद्यालय बन्द पड़े हैं। पाठशालाओं में दाईयां हैं उनका वेतन शून्य के बराबर है, उनके वेतन पर विचार करना चाहिए। एक बात की तरफ आपका ध्यान और दिलाना चाहता हूँ कि सिद्धार्थ नगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी अध्यापकों की नियुक्ति में 80–80 हजार रुपया लेकर नियुक्ति किया है और शासनादेश के विपरीत नियुक्तियां की हैं मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि इसकी जाँच करवायें और जाँच कराकर दंडित करें। ऐसे अधिकारी जिन्होंने शराब बेचने के लिए चिट्ठी लिखी थी उस चिट्ठी को मैंने सचिव, बेसिक शिक्षा को दिया था उन्होंने स्थानान्तरण के आदेश दिये थे लेकिन आज तक वह नहीं गया मैं चाहूँगा कि इस प्रकरण की जाँच करायें और ऐसे अधिकारी को दण्डित करने की कृपा करें

• श्री बिहारी लाल आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने प्राथमिक शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। मान्यवर, माननीय मंत्री जी हमारे बड़े भाई हैं उन्होंने बड़ी बुद्धिमता और चतुराई से अपने लम्बे भाषण में जो प्राथमिक शिक्षा का बजट पेश किया है, उसमें बालिकाओं के विकास के लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया है और यह सरकार कहती है कि हम महिलाओं की हितैषी है। उनके उत्थान के लिये संकलित है। महिलाओं के उत्थान के लिये प्रयासरत है। मान्यवर, मानव जीवन में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। माननीय प्राथमिक शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी बुद्धिमता एवं चतुराई से अपने लम्बे भाषण में जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें बालिकाओं के विकास हेतु कोई हितैषी है उनके उत्थान के लिये संकल्पित है। शिक्षा की ठोस व्यवस्था नहीं की गई है और यह सरकार कहती है कि हम महिलाओं की इस बजट में बालिकाओं की शिक्षा के लिये, उनके विकास हेतु कोई व्यवस्था का होना बहुत जरूरी था। यदि किसी परिवार में एक महिला शिक्षित होती है तो उसका सारा परिवार शिक्षित होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी यदि माध्यमिक शिक्षा की बुनियाद है। यदि आप वास्तव में सम्पूर्ण समाज को शिक्षित करना चाहते है तो उत्तर प्रदेश के हर ग्राम में कन्या प्राथमिक विद्यालय और कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना अवश्य करायें। जो प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवन जीर्णशीर्ण अवस्था में है, उनके भवनों का पुनर्निर्माण कराने की व्यवस्था करायें तथा प्रदेश के विद्यालयों में मानक के अनुरूप में अध्यापकों को तैनात करने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसी के साथ मैं चौहान जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

• वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती गुलाब देवी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ी हुई हूं। अभी हमारे भाई चौहान जी ने अपने विचारों को व्यक्त किया और उन्होंने यह बताया कि यह सदन रामायण की पंक्ति सुनने के लिये नहीं है। मुझे बड़ा दुख है, इस चीज का कि जो रामायण हमारे धर्म का प्रतीक है, जिसकी पूजा इस प्रदेश में नहीं, इस देश में ही नहीं, वरन् विदेशों में भी की 861 उसे यह सुनने को तैयार नहीं, तो यह शिक्षा की कमी नहीं तो और क्या है। जो धार्मिक ग्रन्थ हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है, हमारे देश की एकता और अखंडता कायम रखता है, हमारी मर्यादा को कायम करता है हमारे धर्म का काम करता है, ऐसे पुराण के बारे में हमारी धार्मिक पुस्तक के बारे में इस तरह की बात की जाय, यह निन्दा योग्य है। मैं इस बजट का समर्थन इसलिये करती हूं कि आज इस देश को आजाद हुये 50 वर्ष हो गये, लेकिन चूंकि मैं जन प्रतिनिधि हूं और ऐसे क्षेत्र की विधायक हूं, जहां पर अगर स्कूल की दीवारें हैं, तो छत नहीं, बच्चे आज भी पेड़ के नीचे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि अगर इन बच्चों से यह कहा जाय कि अपने शिक्षक की पहचान कर लो, तो बच्चे शिक्षक को पहचान नहीं सकते कि हमारा शिक्षक कौन है लेकिन यह पुरानी देन है, आप लोगों की यह देन है मान्यवर, ऐसी स्थिति है कि वह अपने शिक्षक को भी नहीं पहचान सकते हैं चन्दौसी नगर में मीराबाई जूनियर स्कूल है उसमें आधे बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं और आधे में सुअर बैठते हैं। मान्यवर, मैं इस बजट का समर्थन इसलिये करती हूं कि जितने भी जूनियर स्कूल हैं या जूनियर हाई स्कूल हैं उसको निरन्तर नियमित रूप से चलायें, शिक्षक रोजाना स्कूलों में आयें, समय पर आयेंगे यह नहीं कि कालेज में हाजिरी लगा रहे हैं और अपना कोई व्यवसाय कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं। मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि बी० टी० सी० महिलाओं के प्रशिक्षण में उनकी आय में वृद्धि करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्रीमती गुलाब देवी–

मान्यवर, इस बजट में अनुसूचित जाति के छात्राओं के लिये अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिये जो भी प्राविधान किया गया है वह एक कल्याणकारी कदम है जो गांव के गरीब के बच्चे हैं उन्हें कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा मिलती रहे और और छात्रवृत्ति मिलती है तो यह एक कल्याणकारी कदम है।

श्री शिशुपाल सिंह यादव–

मान्यवर, जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसके समर्थन में आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। सुबह से मैं इस इंतजार में था कि मौलिक शिक्षा पर जब बजट आयेगा तो बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। जब माननीय मंत्री जी ने अपना बजट भाषण प्रस्तुत किया तो उन्होंने इस चर्चा के स्वरूप को ही बदल दिया। मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी मुझे पहली बार चूंकि मौका मिला है इस सदन में बोलने का और अभी तक यह बात सदन में आई है कि जिसको तकलीफ होती है, परेशानी होती है वह तो चीखता भी है, चिल्लाता भी है और ज्यादा होता है तो बेल में भी चला जाता है लेकिन माननीय मंत्री जी को क्या कष्ट था कि चीख-चीख कर बोल रहे थे, सरकार की तरफ से इनको क्या परेशानी हो गयी कि बड़े तेज-तेज से भाषण दे रहे थे। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक माननीय सदस्य से कहा था कि आप भोगांव के रहने वाले हैं तो वह तो भोगांव के रहने वाले हैं ही जिनकी रिश्तेदारी

भोगांव में होती है वह भी ऐसे ही होते हैं। मान्यवर, ये शिक्षा पर कुछ न कहकर पता नहीं कहां-कहां की बातें सुनाते रहे हैं मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा समाज की रीढ़ होती है लेकिन इससे सम्बन्धित उन्होंने कुछ नहीं बताया कि हमारी प्राथमिक शिक्षा क्या है, इसकी नीति क्या है, इसको कैसे लागू करेंगे इसके बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं बताया ? माननीय मंत्री जी ने गुप्त जी की एक कविता पढ़ी थी—

"हम कौन थे क्या हो गये और क्या होंगे अभी।"

आप कौन थे और क्या हो गये और क्या होंगे इतना तो मुझको नहीं पता लेकिन आपकी भाषा से लगता है कि आप हाथी हो गये। मान्यवर, इस समय जो प्रदेश में बेसिक शिक्षा की स्थिति है उसमें हालत यह है कि कहीं 40 बच्चे हैं चार अध्यापक हैं तो कहीं 200 बच्चे हैं तो केवल 1 अध्यापक है। अध्यापक जाते भी हैं और नहीं भी जाते, जो पहुंचते भी हैं तो कुर्सी पर बैठकर, अगर मक्का का सीजन है तो मक्का भुनवाने के लिये बच्चों को भेजते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिये कुछ नहीं है। एस० डी० आई० हैं, प्रधानाचार्य हैं, आपने कहा कि उनको प्रमोशन देंगे तो वे किस बात का प्रमोशन लेंगे बच्चों को न पढ़ाने का। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर पुनः बल देता है।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

एक व्यवस्था का प्रश्न है जो अगली कार्यवाही है उसे कृपया स्थगित कर दीजिये 11.00 बज रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री बिन्दू लाल—

मान्यवर, बजट का समर्थन करते हुये कहना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षा जो है उसका स्तर गिर गया है मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि उसमें सुधार करने का प्रयास होगा। कोई भी अध्यापक स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता, मेरे क्षेत्र में कुछ ऐसे विद्यालय हैं जिनमें 5 साल से ताला नहीं खुला है अध्यापक नियुक्त हैं ऐसा ही एक विद्यालय भोजपुर बेरहा में है। जबकि बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जहां अध्यापक नहीं है वहीं बहुत से ऐसे हैं जहां अध्यापक पढ़ाना नहीं चाहते। ऐसी व्यवस्था हो कि जो वहां पर अध्यापक हैं वह ठीक ढंग से पढ़ायें। इसमें मेरा सुझाव है, क्षेत्रीय अध्यापक होने के नाते वे घर का काम करते हैं, कोई ठेकेदारी, खेती-बाड़ी या कोई लकड़ी का काम करते हैं, अपना अपना काम करते हैं ऐसे अध्यापकों का ट्रांसफर जिले से बाहर किया जाय। जब तक इनका मण्डल के अन्दर स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा तब तक भला होने वाला नहीं है। बेसिक शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि उसमें सुधार लाना बहुत कठिन है। जहां तक अनौपचारिक शिक्षा का सवाल है इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। मेरे ही जिले में करोड़ों रुपये का घोटाला है। और यही हाल पूरे प्रदेश में है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी को यह सुझाव दूंगा कि जो पैसा इसमें रखा गया है उसे वह वापस कर दें क्योंकि इससे भला होने वाला नहीं है।

*डा० कौशल किशोर—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। अनुदान संख्या 75—शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण पर माननीय मंत्री जी की तरफ से कोई चर्चा ही नहीं हुई बल्कि वह खाली आदरणीय सदन में नाटक करते रहे। जीवों में दो किस्म की वृद्धि होती है। एक नेक बुद्धि और दूसरी सहज बुद्धि। मनुष्य नेक बुद्धि का प्राणी होता है और उसके विवेक को जगाने के लिये शिक्षा की आवश्यकता होती है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम खोई हुई प्रतिष्ठा को मान्यता दिलाने का काम

करेंगे तो क्या माननीय मंत्री जी स्त्री शूद्रों न धीयताम् के सिद्धान्त को जिसे संविधान ने दफना दिया है, क्या उसे पुर्नजीवित करेंगे ? पूजिय विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गन ज्ञान प्रवीणना। सापत ताड़त पुरुष महन्ता विप्र पूज्य अस गावहिं सन्ता। क्या इस चौपाई को पुर्नजीवित करने का काम करेंगे ?" शूद्र करहिं जब तक ब्रत नाना, बैठ पारासन पढ़हिं पुराना, बरनि न जाइ अनीति अपारा।" क्या इसी सिद्धान्त को वह पुन: प्रतिपादित करने का काम करेंगे ? मान्यवर, चूंकि समय कम है इसलिये मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, अच्छा होता यदि विपक्ष में बैठे हुये माननीय सदस्यों ने एक बार भी बजट को पलट कर पढ़ लिया होता। माननीय श्री चौहान जी व कई माननीय सदस्यों ने अपनी बात यहां पर कही। मान्यवर, सच बहुत कड़वा होता है और कड़वा कभी-कभी लोगों को पचता नहीं है। आज कुछ इसी तरह का यहां पर हुआ है। यदि एक बार भी अपने आचरण पर नजर डाल लिये होते तो वह यह बात नहीं कहते। मेरे बोलने पर जिस तरह से टोका-टाकी की और चौधरी जी, जिन्हें कटौती का प्रस्ताव रखना था, उनको यही नहीं मालूम था कि उन्हें कटौती का प्रस्ताव रखना है। इसी से स्वत: उनकी गम्भीरता का पता चल जाता है। कटौती की मद क्या है और कहां पर है और उस पर उन्हें क्या कहना है, कई बार पीठ से कहने के बाद भी वह मद को ढूंढते रहे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आप मुख्य-मुख्य बिन्दुओं पर जवाब दें।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

हमारे बृजेन्द्र आर्य जी जो मुजफ्फरनगर के विधायक हैं, के द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि 50 रुपया कम मिलता है मैं उनकी सूचना के लिये बता दूं कि पहले 30 रुपये से 50 रुपया तक मिलता था अब हमारी वर्तमान सरकार ने 150 कर दिया। मान्यवर, यह अंशकालिक है कोई रेग्यूलर नहीं है। इनकी नियुक्ति नहीं की गयी है। अब यह मांग कर रहे हैं कि 500 रुपया कर दिया जाय। तो बजाय बधाई देने के यह पांच सौ रुपये की बात कर रहे है। मान्यवर, हमारी सरकार ने स्पेशल कम्पोनेन्ट में 16.66 करोड़ रुपया पहली बार रखा है और डाक्टर अम्बेदकर गांवों में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिये 30.81 करोड़ रुपया रखा है। एक बात और एक बहन ने हमारी कही थी बालिका विद्यालय के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 249 बालिका जूनियर हाईस्कूल हम बनाने जा रहे हैं। और भी बहुत सारे बिन्दु हैं आप देखें तो पता चलेगा। पहली बार 13.11 प्रतिशत बढ़ाया है। हमने विद्यालय बढ़ाये है। और यह भी निर्णय लिया है कि पांच साल में अनेवित क्षेत्र नहीं रहेंगे। इसलिये मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुन्ना चौहान जी ने जो कहा था पुस्तकों में इन्दिरा गांधी को प्रधान मंत्री पढ़ाया जा रहा है, उसका उत्तर दिलवा दें।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, मैंने यही अपने भाषण में कहा था कि हमारे मित्र जो चर्चा कर रहे थे वह पुरानी किताबों की चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने तो अब नई किताबों में अटल जी और राव जी को जोड़ दिया है।

श्री अध्यक्ष–

जिन माननीय सदस्यों ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, क्या वह माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। एक अनुरोध है। मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी विद्वान हैं, इनको अपने बारे में इन्ट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता नहीं है। मैं तो बहुत ही कम ज्ञान वाला हूं। मैंने थोड़ा इन्ट्रोस्पेक्शन करने की कोशिश की। मुझे अपने ऊपर ग्लानि हो रही है।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, मेरी इनसे कोई बात नहीं हुई है और यह (x x x) बोल रहे हैं।

श्री मुन्ना चौहान–

मैंने सदन को गुमराह करने के लिये कुछ नहीं कहा है। मैंने जो कुछ कहा है वह सत्य कहा है। मान्यवर, मैं अपने कटौती का प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71—शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 71—शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,44,58,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 74—शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 74—शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 42,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नोट :–(x x x) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75—शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 75—शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,51,68,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या–13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) अनुदान संख्या–1 आबकारी विभाग, अनुदान संख्या–40 नियोजन विभाग

*श्री अमरमणि–

आपसे अनुरोध है कि प्रश्नकाल में जब यह प्रश्न आया था, तो कहा गया था कि जब यह विषय आयेगा तो चर्चा हो जायेगी। आज सदस्य संख्या बहुत कम है और लोक महत्व का विषय है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको आप स्थगित कर दें किसी अन्य दिन लगा दें।

श्री अध्यक्ष–

मैं बार-बार कहता हूं कि नियम 300 में बहुत समय लग जाता है जो सूचनायें प्राग्दर्शन में नहीं भी आती हैं उन पर भी यहां डेढ़-डेढ़ घन्टा चर्चा में लगा देते हैं।

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 13—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,79,56,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–01–आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,07,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–40 नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,82,70,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, नियोजन विभाग पर चर्चा नहीं होनी है। ग्राम्य विकास विभाग के बारे में ज्यादा न कह कर मैं थोड़ा कहना चाहूंगा कि प्रदेश में, समाज में आर्थिक रूप से विपन्न और अति पिछड़े हुये लोगों के उत्थान के लिये यह बजट है और उन पिछड़े हुये लोगों के उत्थान की आवश्यकता भी है क्योंकि 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। उनके उत्थान के लिये 70 योजनायें हैं जिसको हमें अच्छी तरह से लागू करना है और जो गांवों का स्वरूप है उसमें परिवर्तन इस बजट के द्वारा लाने का काम हम करेंगे। इसके लिये हमारी सरकार ने तमाम कार्यक्रम चलाये हैं। उसी कड़ी में यह बजट प्रस्तुत किया है। समाज के एक वर्ग विशेष के बारे में यहां पर बहुत ज्यादा चर्चा होती है कि तमाम योजनाओं का पैसा डाइवर्ट कर उन योजनाओं में चला गया है। आज समाज के पिछड़े और अति गरीब तबके के लोग भी इस सदन से उम्मीद लगाये होंगे कि उनकी जो धान के खेतों में कड़ी धूप में धान की पौध लगाने में लगी हुई होंगी जो अपने 5 माह के बच्चे को किसी दूसरे के भरोसे छोड़कर खेत में काम कर रही होंगी उनको पता भी नहीं होगा कि उनका बच्चा घर में जब वह जायेंगी उनकी गोद में आयेगा भी कि नहीं उनके लिये यह बजट है। इसलिये में समझता हूं कि आज उनको इस सदन के माध्यम से भरोसा मिले कि उनकी आकांक्षायें पूरी होने वाली है। उनके इस बजट में आज कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं होगा। और सर्वसम्मति से सदन उनका बजट पास करेगा। धन्यवाद।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य संबद्ध विभागों से सम्बन्धित सपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 1–आबकारी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

मान्यवर, मुझे एक शेर याद आ गया–

"पहले नहीं था दर्दे मुहब्बत, अब दर्दे मुहब्बत है तो एहसास नहीं है।"

इतना गम्भीर विषय है उसकी मांगों में चर्चा होना आवश्यक है। ग्रामीण विकास विभाग अपने आपमें कितना महत्वपूर्ण है वह इस बजट में दिया हुआ है। इस बजट का मैं समझता हूं कि सदन में आये हुये प्रत्येक सदस्य से गहरा सम्बन्ध है। हमारा गांवों का प्रदेश है और 82 फीसदी जनता गांवों में रहती है और उससे यह विभाग जुड़ा हुआ है। समय का अभाव है इसलिये मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। (व्यवधान) फिर भी आपकी कृपा हो जाये जो भी आंकड़े हैं उनको देने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदन के सभी सदस्य जानते हैं कि उन आंकड़ों को देने से मैं समय नहीं लूंगा और यहां पर उनको दोहराना नहीं चाहूंगा।

(समय 11 बजकर 15 मिनट)

मैं आंकड़ों को दोहराना नहीं चाहता हूं बल्कि सिद्धांत रूप मे कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि स्वत: माननीय नेता सदन ने जो बजट भाषण में चित्रण किया है कि प्रति व्यक्ति आय बिजली सड़क विद्यालय स्वास्थ्य सुविधायें प्रदेश में पूरे देश और अन्य प्रान्तों के मुकाबले दयनीय स्थिति में है उनको दृष्टिगत रखते हुये जो बजट में परिव्यय रखा गया है और जो बजट ग्राम्य विकास विभाग को दिया गया है उससे सरकार के दृष्टिकोण का पता चलता है कि यह सरकार वास्तव में कितनी गम्भीर है। वास्तव में इसमें सरकार की कथनी और करनी का भेद परिलक्षित होती है कि गांवों के विकास के लिये बिल्कुल गम्भीर नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 4 तरह की योजनायें ग्राम्य विकास विभाग द्वारा चलायी जाती हैं। एक योजना ऐसी है जिनमें पूरा केन्द्र सरकार का अंश रहता है।

दूसरी वह जिनमें 80 फीसदी केन्द्रीय अंश रहता है तथा 20 प्रतिशत राज्यांश रहता है और तीसरी वह जिनमें 50 फीसदी केन्द्र का और 50 फीसदी राज्य का अंश रहता है और चौथी योजनायें वह होती हैं जो राज्य सरकार अपने खर्च से चलाती हैं। राज्य की अपने खर्चे से चलने वाली योजनाओं के बारे में जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके प्रति सरकार गम्भीर नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि गांवों के विकास से जुड़ी हुई तमाम योजनाएं महान पुरुषों के नाम पर चलाये जाने का मैं स्वागत करता हूं। किसी महापुरुष के नाम को हम योजनाओं के माध्यम से याद करते हैं तो इसमें बुराई नहीं है जैसे जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, गांधी ग्राम योजना, अंबेदकर ग्राम विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय संपर्क मार्ग योजना जितनी इस तरह की योजनाएं हैं उनके बारे में कहना चाहूंगा कि गांधी जी की तस्वीर के नीचे बैठकर आप इस सदन का संचालन करते हैं और गांधी जी के नाम पर जो गांधी ग्राम योजना चल रही है उसको पूरी तरह से ठप्प कर दिया गया है। इससे सबसे बड़ा नुकसान यह है कि विकास के कार्य आधे में रोक दिये गये हैं। यदि आगे इस योजना में नये काम न लिये जा सकें तो जो काम अधूरे पड़े हैं उनको पूरा किया जाय ताकि जो पैसा इन कामों पर लगा है वह बेकार न जाय। इसी तरह से जो अम्बेदकर ग्राम विकास योजना है इसमें विसंगतियाँ हैं इससे असंतुलन की स्थिति पैदा हो गयी है। इन गांवों के समक्ष अन्य गांव विकास से जुड़ने से छूट गये हैं जिससे भयंकर जन आक्रोश पनप रहा है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिये और एक संतुलित विकास करना चाहिये। इसी के साथ मैं मंडलीय समीक्षा के बारे में कहना चाहूंगा। मंडलीय समीक्षा से जो विकास कार्यों को गति देने की बात कही गयी है तो आज मंडलीय समीक्षा का अर्थ अधिकारियों को अनुचित तरीके से आतंकित करना और उन पर भय डालकर ऐसी परिस्थिति पैदा कर देना जिससे काम अनुचित हो, नियम के अन्तर्गत न आता हो, चाहे बजट का प्राविधान हो या न हो येन-केन प्रकारेण किसी तरह वह काम करवाया जाय। जो काम दो महीने में नहीं हो सकता उसको तीन दिन में करने का आदेश दिया जाता है। सड़क पर मिट्टी डाली जाती है, गिट्टी डाली जाती है फिर पिच किया जाता है अगर यह काम अधिकारी से 3 दिन में करने के लिये कहा जाय तो फिर उस कार्य की गुणवत्ता कहां से रह जायेगी ? आज इसी तरह के आदेश देकर पैसे को लूटने का काम किया जा रहा है। अधिकारी भी पैसे को लूट रहे हैं और सरकार भी पैसे को लूटने का काम कर रही है। इसके अलावा मुझे बहुत सारी बातें कहनी थीं लेकिन समय का अभाव है। मैं एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि ग्राम्य विकास विभाग में अधिकारियों की प्रोन्नति का मामला है। सरकार से कहना चाहूंगा कि यह गम्भीर विषय है और इस पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। पी० सी० एस० के लोग जो मेरिट में कुछ नीचे रह जाते हैं बी० डी० ओ० बन जाते हैं उनकी प्रोन्नति का और ग्राम्य विकास विभाग के कर्मचारियों की प्रोन्नति का मामला बड़ा भयावह है। अगर 22 विभाग हैं तो उसमें श्रीमन् सबसे बुरी स्थिति ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों की है। उनके साथ असमानता का व्यवहार हो रहा है। मैं ध्यान आकृष्ट करते हुये निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने बजट प्राविधान में जो बाजीगरी आंकड़ों की की है। सचमुच जिस संकल्प की बात आप करते थे दलितों, पिछड़ों और गरीब लोगों के गांवों के विकास के लिये ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिये। यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूं और इसी के साथ अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। मान्यवर, आबकारी के बजट के बारे में कहना चाहता हूं कि "कहने को बचा कुछ नहीं सब बात हो गई, चर्चा करें शराब की अब रात हो गई।" श्रीमन् जितने भी तर्क दिये जाते हम उन तर्कों का जबाब देते। यही अच्छा है कि इसका अवसर उन्होंने नहीं दिया, तर्क नहीं दिया। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह समय कारक नहीं है। लजाते-लजाते भी इस विषय पर कुछ कहने के लिये नहीं है। कारण यह है कि एक कल्याणकारी राज्य में यह मंत्री हैं। आज एक विभाग का बजट रख रहे हैं और श्रीमन् इस बजट को रखने में जहां यह साबित करने का प्रयास करेंगे कि इनकी दृष्टि में ऐसा है राजस्व बढ़वाने के लिये इस आबकारी विभाग को आगे बढ़ाना था। मान्यवर, सर्वाधिक

प्रभावित इससे वह तबका है जिसकी अगुवाई करना आप अपना एकमात्र नैसर्गिक अधिकार समझते हैं। बाकी दूसरे राजनैतिक दल को इसका कोई अधिकार नहीं। जहां गरीब होते हैं, दलित होते हैं उसी के आसपास यह शराब की दुकानें खोली जाती हैं क्योंकि उसको लूटना इसी के माध्यम से आसान है। आबकारी के साथ मद्यनिषेध की बात करने वाले इसे आबकारी और शराब पिलाओ विभाग का नाम दे देते तो इसकी सार्थकता होती इस आडम्बर का खंडन होता। ऐसा न करके दूसरे कारण से जो अनुदान मांगें रखी हैं जो संभावित कारण हो सकते थे। उन प्रश्नों पर जहां कि आपकी दृष्टि साथ ही साथ जानी चाहिये थी नहीं गई। सिर्फ राजस्व बढ़ाकर अपनी उपलब्धता को साढ़े तीन सौ करोड़ रुपया बताया है। यह सिर्फ राजस्व में वृद्धि करके बाकी और लाइसेंस की फीस में बढ़ाकर नहीं हासिल किया गया है। यह देशी और विदेशी शराब की दुकानों को बढ़ाकर किया गया है। ढाई करोड़ लीटर देशी शराब को बढ़ाकर किया है। आठ नई डिस्टीलरियों को खोलने की बात करके किया जा रहा है। इस गांधी जी के देश में सबसे ज्यादा आशा इस बात की थी कि माननीय मंत्री जी इस बात का प्रस्ताव लेकर आयेंगे कि मद्य निषेध लागू करना है ऐसा कहेंगे, और सदन उस पर चर्चा करेगा, कि राजस्व की जो हानि होगी उसको कैसे पूरा किया जायेगा ? राजस्व की हानि से होने वाले घाटे को कैसे दूर करें। मैं मानता हूं कि सदन में वो सदस्य भी जिनके दबाव में यह बजट लाया गया है। कि शराब को आगे बढ़ाया जाय वह भी खुलकर इस सदन में यह साहस न करता कि मैं मद्य निषेध का विरोधी हूं आप संविधान के अनुच्छेद 4 को देखें। गांधी जी की तस्वीर के नीचे बैठकर आप ऐसी बात करते हैं। मैं बजट की आलोचना करता हूं। एक शेर कह कर अपनी बात खत्म करूंगा—

कमबख्त शराब का जिक्र कुछ इस कदर हुआ,
बाईज के मुंह से आने लगी बदबू शराब की।"

श्री सीताराम निषाद—

मान्यवर, ग्राम्य विकास बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है जो योजनाएं हैं—

श्री अध्यक्ष—

बिन्दुवार बता दें।

श्री सीताराम निषाद—

मान्यवर, डी० आर० डी० ए० में जो जिला ग्राम्य विकास अधिकरण हैं जिसमें माननीय सदस्य उसकी गवर्निंग बाडी के सदस्य होते है जहां से ग्राम्य विकास की सारी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है उसकी अध्यक्षता कलेक्टर द्वारा की जाती है। मेरा सुझाव है कि डी० आर० डी० ए० की अध्यक्षता कलेक्टर के बजाय जिला पंचायत के अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करें। माननीय सदस्यों में से भी विधान सभा के सदस्यों में से ही उसकी उपाध्यक्ष रहे, इसकी व्यवस्था होनी चहिये। दूसरा बिन्दु बताना चाहूंगा कि सुनिश्चित रोजगार योजना तथा दस लाख कूप योजना में भारत सरकार से धन आता है ग्रामों के विकास के लिये किन्तु उसमें विधायकों की कोई भागीदारी नहीं है माननीय विधायकों से कोई सुझाव नहीं लिये जाते हैं। व्यवहारिक रूप से सुनिश्चित रोजगार योजना व दस लाख कूप योजना का धन कलेक्टर आवंटन करते हैं तो जहां वास्तव में विकास का काम होना चाहिये सही जगह धन का वितरण नहीं हो पाता है। सुनिश्चित रोजगार व दस लाख कूप योजना के धन का आवंटन विधायकों की राय से होना चाहिये। ब्लाक मुख्यालय में विकास के कामों का फैसला योजना क्षेत्र पंचायत करती है उनके सदस्यों की संख्या दुगुनी हो गई है किन्तु सभा कक्ष नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सभी विकास खण्डों में सभा कक्ष का निर्माण किया जाये। इसको सरकार स्वीकार करे और समयबद्ध दो साल के अन्दर सभी विकास खण्डों में सभा कक्ष का निर्माण कराया जाये। इसके लिये माननीय मंत्री जी

आश्वासन दें। पेयजल के सम्बन्ध में सुझाव है कि उत्तर प्रदेश के 72 विकास खण्ड ऐसे हैं जहां भूतल का पानी निरन्तर घटता जा रहा है जिससे पेयजल की समस्या पैदा हो गई है। पेयजल संकट पैदा हो गया है। फैजाबाद जिले में भी बीकापुर, तारुन हरिन्टीनगंज, मिल्कीपुर, अमानीगंज हैं जहां भूतल का जल स्तर नीचे चला गया है इसी तरह से 72 विकास खण्ड ऐसे हैं जहां पानी का स्तर नीचे गिर गया है। कुएं सूख गये हैं। हैण्ड पाइप फेल हो गये हैं जो इण्डिया मार्क टू हैण्ड पम्प लगाये गये हैं वह भी काम नहीं कर रहे हैं। इन 72 विकास खण्डों में हजारों की संख्या में इंडिया मार्क टू हैण्ड पम्प लगवाये जायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री मोतीलाल–

मान्यवर, आपने मुझे पहली बार बोलने का अवसर दिया है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, जो ग्राम्य विकास के बारे में बजट पेश हो रहा है हमारे देश की 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। गरीब किसान जो जूठे पत्तल, गोबर के दाने, सूखी रोटी खाकर सो जाते हैं उनकी हालत को देखकर और मंत्री जी के बजट को देखकर यही कहा जा सकता है कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। मैंने देखा है कि लखनऊ कानपुर में शाहू मेले में 35 हजार के गुब्बारे उड़ाये जा रहे हैं, परिवर्तन चौक बनवाया जा रहा है करोड़ों रुपये का अम्बेदकर पार्क बनवाया जा रहा है अरबों रुपया इस तरह से खर्च किया जा रहा है। हमारे गांव में पीने के लिये हैण्ड पम्प नहीं लगे हैं। उनको लगवाया जाये। जो जमीन गांवों में पड़ी हुई है उसको गरीबों को आवंटित किया जाय। यह सरकार दलितों की बात करती है लेकिन उनके उत्थान के लिये प्रयत्नशील नहीं है।

श्री जय नरायन तिवारी–

मान्यवर, आबकारी का बजट पेश हुआ है। रात है इसलिये अगर माननीय सदस्यों के मुंह से दूसरी बात निकल रही है तो इसे अन्यथा न लीजियेगा। मैं उमर खय्याम की एक शेर अर्ज करना चाहता हूं।

पिलाकर प्यारी मदिरा, आज नशे में कर दो।
इतना चूर, भविष्यत के भय जाये भाग, भूत
के दारुण दुख हो दूर, प्रिये मत लेना कल का नाम
मुझे कल पर नहीं विश्वास, अरे कल दूर एक क्षण बाद
काल का मैं बन सकता ग्रास।

*श्री शिव प्रताप शुक्ल–

इस प्रदेश का नेतृत्व भी युवा है, हमारे मंत्री जी भी युवा हैं रात भी युवा की तरफ जा चुकी है। युवा शक्ति के बल पर जाम और ज्यादा चलते हैं, इतिहास उधर की ओर मुड़ता है, जिस ओर जवानी चलती है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

माननीय सदस्यगण सुबह से यहां आये हैं इस समय 11 से ज्यादा बज चुका है। मैं लम्बी चौड़ी बात नहीं करूंगा एक दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। हिला दे जो हिमालय को जवानी उसको कहते हैं माफी दे उस हिसाबी को जवानी उसको कहते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे मित्र शुक्ल जी ने जवानी के संदर्भ में एक शेर पढ़ा और आपने उनके शेर का जबाब दिये जाने की आशा की है। उसी क्रम में एक शेर अर्ज कर रहा हूं–

हिलादे जो हिमालय को जवानी उसको कहते हैं।
चटका दे जो चट्टानों को जवानी उसको कहते हैं।
लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं।
मिटा दे जुल्म की हस्ती जवानी उसको कहते हैं।

मान्यवर, मंत्री जी का ध्यान ग्राम्य विकास की ओर नहीं गया है। जिसके सम्बन्ध में मैं उनका ध्यान आकर्षित करते हुये कहना चाहता हूं कि विभिन्न योजनायें आज ग्राम्य विकास की चलाई जा रही हैं। मान्यवर, कम्युनिटी डेवलपमेन्ट में मेरी विशेष रुचि रही है पहले सी० डी० विभाग अर्थात् सामुदायिक विकास कहते थे। जिसका नाम बदलकर अब ग्राम्य विकास हो गया है। ग्राम सेवक जिसे योजनाएं थीं वे ग्रामीण अंचल के लोगों को प्रभावित करती थीं। बचपन में मुझे याद है कि पहले युवक मंगल दल होता था जिसका मैं स्वयं एक कार्यकर्ता रहा हूं। जिसकी भूमिका के सम्बन्ध में आपको पता होगा। मान्यवर, मुझे खुशी होती यदि जिस तरह से यह पुराना विभाग है उसी तरह से इसमें बजट दिया गया होता लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा दिया यह कहावत इस विभाग के बजट के सम्बन्ध में लागू होती है। मान्यवर, इसमें सेन्ट्रली स्पान्सर्ड जो योजनाएं हैं इनका जिक्र है। इसमें 80—20 प्रतिशत अंशदान और 50-50 प्रतिशत केन्द्र और प्रदेश का अंशदान है। इसके साथ ही शत प्रतिशत की योजनाएं हैं उनमें जो आपने कटौती किया है उसका जिक्र करना चाहिये।

मान्यवर, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, जनजाति पेयजल योजना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, निर्बल वर्ग कार्यक्रम, आवासीय योजना, अम्बेदकर विशेष रोजगार योजना, प्रसार प्रशिक्षण कार्यक्रम और दीनदयाल राज्य ग्राम विकास संस्थान तथा गांधी ग्राम योजना के नाम से जो योजनाएं प्रारम्भ की गयी थीं जिनका नाम अम्बेदकर विशेष रोजगार योजना कर दिया गया है। मान्यवर, दूसरी बार गांधी ग्राम योजना का जिक्र किया। जिसके नीचे देश को आजादी मिलने की कल्पना की गयी थी वह 1857 का आन्दोलन और 1947 में आजादी मिली जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का त्याग रहा है और जो गांधी योजना आयी थी उनकी संख्या क्या है ? इस पर अवलोकन करने की जरूरत है। मान्यवर, डा० अम्बेदकर को कौन नहीं मानता, लेकिन दीनदयाल से सम्बन्धी जो योजनाएं थीं, गांधी योजना जो थीं उन सभी में यदि एक बैलेंस बनाया होता तो मेरा जैसा सदस्य कहता कि बहुत अच्छा किया। लेकिन आपने उसको डिसबैलेंस किया है इसलिये इस पर ध्यान देने की आवश्यकता थी लेकिन ऐसा न होने पर भी सत्तापक्ष के साथियों की मजबूरी है। इन शब्दों के साथ कटौती का जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसका समर्थन करते हुये अन्त में मैं एक शेर कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं–

"न पूछो क्या गुजरती है, दिले खुद्दार पर अक्सर।
जब किसी ना मेहर को मेहरबां कहना ही पड़ता है।
तुम्हारे सामने जिसने बहारें अंजुमन लूटी,
उसी को अब फरोगे अंजुमन कहना ही पड़ता है।
ये दुनियां है यहां हर काम होता है करीने से,
यहां पत्थर को भी लाले गिरां कहना ही पड़ता है।
व फैजे मसलिहत कभी ऐसा भी होता है जमाने में,
कि रहजन को भी मीरे कारवां कहना ही पड़ता है।

धन्यवाद।

श्री अम्बिका चौधरी–

श्रीमन्, बलिया जनपद के आर० ई० एस० विभाग के एक इन्जीनियर के खिलाफ 6 करोड़ रुपये के गबन का मामला जिलाधिकारी द्वारा 4 डी० ओ० लेटर लिखे जाने के बाद, उसको सस्पेंड करने के बाद उसको प्रमुख सचिव महोदय के यहां से संरक्षण प्राप्त हो रहा है और उस इन्जीनियर को तरक्की देने का काम हुआ है। मान्यवर, 15 वर्षों से डी० आर० डी० ए० में 50 करोड़ रुपये की लूट हुई है। मान्यवर, क्या ग्राम्य विकास मंत्री जी एक स्पेशल टीम भेजकर जांच कराने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, समय बहुत हो चुका है ग्राम्य विकास की योजना के बारे में संक्षिप्त में बताया कि 17 योजनायें हैं। योजनायें कितनी भी सुन्दर बनें अगर उनका अनुपालन ठीक नहीं होता है तो कुछ नहीं होता है। हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है कि उनका अनुपालन, भौतिक सत्यापन और अनुश्रवण करना ही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम विगत वर्षों की अपेक्षा अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये प्रयासरत हैं और हमारे लक्ष्यों में बढ़ोत्तरी भी हुई है।

मान्यवर, आबकारी विभाग एक ऐसा विभाग है जो काफी लाभ अर्जित करता है और उस लाभ का 99 प्रतिशत रुपया गांव में खर्च करता है एक प्रतिशत रुपया केवल वह अपने ऊपर खर्च करता है और इसी के चलते आज औद्योगिक क्षेत्र में भी काम कर रहा है। माननीय सीताराम निषाद जी ने एक बात उठायी है कि अम्बेडकर और गांधी ग्रामों में शराब की दुकानें खुली हुई हैं ऐसा नहीं है हमने आदेश जारी कर दिये हैं और अब किसी अम्बेडकर गांव में शराब की दुकान नहीं खुल रही हैं जहां थी भी वह हटा दी गयी है। आज जो स्थिति है आप जिस दलित और पिछड़े समाज के खिलाफ एक वातावरण पैदा करना चाहते हैं उसे वह खूब समझ रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि उनकी योजनाओं से असंतुलन हो रहा है, मैं बताना चाहता हूं कि असंतुलन नहीं हो रहा है। हर 10 अम्बेडकर गांवों का चयन एक विकास खण्ड से किया गया है अगर आप उस दलित के खिलाफ, गरीब के खिलाफ इस तरह का वातावरण पैदा करेंगे कि समाज के अन्य लोग नफरत करने लगें तो उस गरीब का दिल टूट जायेगा, अगर गरीब का दिल टूट गया तो खेत खलिहान टूट जायेंगे। हमारी योजनाओं को तोड़ने का काम कौन कर रहा है मैं चौधरी साहब से कहूंगा कि सवाल इसका नहीं कि शीशा टूटा या बचा सवाल यह है कि पत्थर किधर से आया हमारी भावनाओं पर किधर से पत्थर चल रहा है इसलिये ग्रामीण विकास की योजना उन गरीब दलितों को आगे बढ़ाने की है, आवास, नाली बनाने, खड़ंजा या अम्बेडकर गांवों को संतृप्त करने का काम हम करेंगे मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इतनी शंका मत करें। मैं फिर दोहरा रहा हूं शीशा टूटा कि बचा, सवाल यह है कि पत्थर किस तरफ से आया ? आज दलित सब समझ रहा है। ऐसा वातावरण आपके नेता, राष्ट्रीय नेता देश में पैदा न करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष–

कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं, चौधरी जी ?

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, ग्राम्य विकास के प्रस्ताव पर बल देता हूं और आबकारी के सम्बन्ध में एक शेर अर्ज करते हुये अपनी बात समाप्त करूंगा। आज की विधान सभा भी इतनी देर तक चल रही है, यह भी एक खास बात है, शेर अर्ज है–

"कभी-कभी तेरा मयखाना याद आया बहुत,
कि एक बूंद न पी और लड़खड़ाये बहुत"।

इसी के साथ मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रु० कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,79,56,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 01–आबकारी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 01–आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि 9,07,79,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,82,70,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 36 सूचनायें प्राप्त हुई।

जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा कथित रूप से की जा रही मनमानी तथा जनप्रतिनिधियों का समादर न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना की सूचना, वक्तव्य के लिये स्वीकृत हुई।

वाराणसी में बढ़ती आपराधिक घटनाओं से व्यापारियों तथा आम नागरिकों में उत्पन्न असुरक्षा की भावना के सम्बन्ध में श्री श्याम देव राय चौधरी की सूचना, मेरठ महानगर में हापुड़ रोड स्थित बूचड़खाने को आबादी में आ जाने से नागरिकों को हो रही असुविधाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अमित अग्रवाल की सूचना।

प्रदेश के वित्त विहीन विद्यालयों को शिक्षण-शुल्क की छूट द्वारा गरीब, असहाय छात्रों/छात्राओं का आर्थिक शोषण रोकने के संबंध में डा० राम बाबू हरित की सूचना तथा

गढ़ रोड मेरठ स्थित सब्जी मण्डी को बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेई की सूचना केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित सदस्यों के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया :–

श्रीमती सीमा द्विवेदी	जनपद जौनपुर के गड़वारा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बेनी का पूरा अम्बेडकर गांव निवासी श्रीमती कलावती की दीवार को राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा गिराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में
श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में आठ सौ के० वी० पारेषण लाइन हेतु रीवर क्रासिंग के निर्माण में कथित रूप से किये गये घोटाले के संबंध में।
श्री सुरेश चन्द्र तिवारी	उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के संचालक मंडल की 89वीं बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन के संबंध में।
श्री रंगबहादुर पटेल	जनपद इलाहाबाद अन्तर्गत जोगीपुर ड्रेन पर बनाये जा रहे पुलों में अनियमितता के संबंध में
श्री धर्मज्ञ मिश्र	हरदोई जिले के मल्लावां विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत निर्मित सड़कों की मरम्मत तथा डामरीकरण कराये जाने के संबंध में।
श्रीमती गौरी देवी	गोरखपुर जिले के कौड़ीराम विधान सभा क्षेत्र राप्ती नदी की कटान से हो रही हानि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में
श्री राम कृपाल तथा श्री राम स्वरूप सिंह	इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील अन्तर्गत दलितों के साथ हो रहे अत्याचार से उत्पन्न स्थिति के में।
श्री विजयपाल सिंह	आगरा जिले में उटंगन व यमुना नदी के मिलाप क्षेत्र की फसलों को जंगली गायों द्वारा क्षति पहुंचाये जाने के संबंध में।
श्री अनिल कुमार	जनपद बलिया की रसड़ा कोतवाली के प्रभारी द्वारा स्थानान्तरणोपरान्त प्रभार न छोड़ने के संबंध में

शेष सूचनायें अग्राह्य की गई।

मेरठ जनपद में हापुड़ रोड लोहिया नगर स्थित एक मदरसे की छत गिर जाने से हुई दस बच्चों की मृत्यु विषयक नियम 51के अन्तर्गत वक्तव्य

पर्यावरण एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, दिनांक 21/22-7-97 की मध्य रात्रि समय 1.00 बजे मेरठ-हापुड़ रोड पर

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

पी०टी०एस० के निकट स्थित "मदरसा अरबिया अलजामितुल मदानिया" की छत वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो जाने से अचानक नीचे गिर गयी थी। मदरसे में पढ़ने वाले लगभग 60 बच्चे, जो मदरसे से एक बड़े हाल में सोते थे, छत के गिर जाने से मलबे के नीचे दब गये।

घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं अन्य पुलिस अधिकारीगण, मजिस्ट्रेट, फायर सर्विस स्टाफ तथा सीमावर्ती थानों के पुलिस बल सहित तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और भारी वर्षा के बीच तत्परता से एवं सावधानीपूर्वक मलबे को हटाकर उसमें फंसे बच्चों को निकालकर समीपवर्ती सिटी नर्सिंग होम एवं मेडिकल कालेज में भिजवाया गया। जिला पुलिस एवं जिला प्रशासन द्वारा की गयी फौरी कार्यवाही के कारण 22-23 बच्चे बिना चोट के निकाले गये जिन्हें तुरन्त ही सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया।

18 बच्चों को सिटी नर्सिंग होम तथा 20 बच्चों को मेडिकल कालेज में उपचार हेतु भेजा गया। प्राथमिक चिकित्सा परीक्षण के दौरान सिटी नर्सिंग होम में 4, मेडिकल कालेज में 3 बच्चों को मामूली चोटें होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। इन चिकित्सालयों में लाये गये बच्चों में से दुर्भाग्यवश सिटी नर्सिंग होम में दो व मेडिकल कालेज में 8 बच्चे मृत घोषित किये गये, शेष बच्चों को उपचारार्थ इन चिकित्सालयों में भर्ती कराया गया। कुल मिलाकर इस दुर्घटना में 10 बच्चों की मृत्यु हो गयी और 21 बच्चे घायल हो गये।

दुर्घटनास्थल के निरीक्षण से पाया गया जिस भवन में यह मदरसा चलाया जा रहा था, की छत अत्यन्त जर्जर स्थिति में थी। रात्रि में भारी वर्षा के कारण भवन की हाल की छत जिसमें बच्चे सोये हुये थे टूटकर गिर गयी और यह दुर्घटना घटित हो गयी, जिसमें निम्नांकित बच्चों की मृत्यु हो गयी :–

(1) निजामुद्दीन पुत्र नसीमुद्दीन, नि० पिपलीखेड़ा, थाना खरखौदा 10 वर्ष
(2) दिलशाद पुत्र हनीफ, नि० करीमनगर, थाना नौचन्दी 12 वर्ष
(3) असलम पुत्र मोहम्मद हनीफ, नि० लक्कीपुरा, थाना नौचन्दी 12 वर्ष
(4) हसरत पुत्र इमामुद्दीन, नि० पावल, थाना नौचन्दी 7 वर्ष
(5) आस मोहम्मद पुत्र हसीमुद्दीन, नि० लक्खीपुरा, थाना नौचन्दी 14 वर्ष
(6) इरशाद पुत्र हनीफ, नि० करीमनगर, थाना नौचन्दी 8 वर्ष
(7) नईम पुत्र अब्दुल कदीर, नि० लक्खीपुरा, थाना नौचन्दी 8 वर्ष
(8) वारिश पुत्र नियाज अली, नि० सोफीपुर, थाना कंकड़खेड़ा 14 वर्ष
(9) मेहराज पुत्र अज्ञात, नि० सोफीपुर, थाना कंकड़खेड़ा 6 वर्ष
(10) आश मोहम्मद पुत्र नजीरुद्दीन, नि० जाकिर कालोनी, थाना लिसाड़ीगेट 15 वर्ष

दुर्घटना के बाद निम्नांकित बच्चे उपचारार्थ भर्ती कराये गये थे :–

(अ) **सिटी नर्सिंग होम, मेरठ**

(1) मेहराजुद्दीन पुत्र नूर मोहम्मद, निवासी चन्दापथ जाकिर कालोनी, थाना लिसाढ़ी गेट, मेरठ उम्र 10 वर्ष

(2) मेहराजुद्दीन पुत्र अब्दुल गफ्फार, नि० निर्धना, थाना भवन, मुजफ्फरनगर 9 वर्ष।

(3) इनामुद्दीन पुत्र आस मोहम्मद, नि० खरखौदा उम्र14 वर्ष।

(4) मुजीबुल्ला पुत्र मोहम्मद अहमद, नि० श्याम नगर लिसाड़ीगेट, मेरठ 12 वर्ष।

(5) नफीस पुत्र मोहम्मद अहमद, नि० श्याम नगर लिसाड़ीगेट मेरठ 10 वर्ष।

(6) सकीर पुत्र रियासत अली, नि० श्याम नगर, मेरठ6 वर्ष।

(7) अनवार अहमद पुत्र हबीबुद्दीन, ग्राम डोला, थाना बागपत 15 वर्ष।

नोट–( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(8) महताब अहमद पुत्र रहमद, नि० तारापुरी, लिसाड़ीगेट, मेरठ 10 वर्ष।

(9) मोहम्मद अंसार पुत्र नियाज अहमद, नि० साफीपुर, थाना दौराला, मेरठ 15 वर्ष।

(10) युनुश पुत्र इमामुद्दीन, नि० पिपलीखेड़ा, थाना खरखौदा 8 वर्ष।

(11) मोहम्मद वकील पुत्र शहाबुद्दीन, नि० निलोडा, मेरठ 10 वर्ष।

(12) आसिक इलाही पुत्र हाफिज फैय्याज, नि० ढवाईनगर, मेरठ 12 वर्ष।

(ब) मेडिकल कालेज, मेरठ

1—अरशद पुत्र इमामुद्दीन, नि० पवला थाना इंचौली, 7 वर्ष।

2—मोहम्मद सरफराज पुत्र अमीरुद्दीन, नि० जाहिपुर, थाना खरखौदा, मेरठ 15 वर्ष।

3—मोहम्मद आरिफ पुत्र फहीमुद्दीन, नि० पिपलीखेड़ा, थाना खरखौदा 12 वर्ष।

4—नफीस पुत्र खालिद, नि० लक्खीपुरा, थाना नौचन्दी, मेरठ 14 वर्ष।

5—साजिद पुत्र साजुद्दीन, नि० ढवाईनगर, थाना नौचन्दी, मेरठ 14 वर्ष।

6—ताहिर पुत्र रहमत, नि० श्यामनगर, लिसाड़ीगेट मेरठ 10 वर्ष।

7—शाहजेब पुत्र जहीरुद्दीन, नि० जाकिर कालोनी, लिसाड़ीगेट 10 वर्ष।

8—सदासत अली पुत्र रज्जाक, नि० मिरसवाना, थाना चरथावल मुजफ्फरनगर 10 वर्ष।

9—इबादुल्ला पुत्र वजीउद्दीन, नि० किशनपुर, थाना रानीगंज, जनपद अहरनियां, बिहार 12 वर्ष।

उपचारार्थ हेतु उपरोक्त भर्ती किये गये बच्चों में से सिटी नर्सिंग होम से 6 बच्चे तथा मेडिकल कालेज, मेरठ में उपचार हेतु भर्ती बच्चों में से 8 बच्चे डिस्चार्ज कर दिये गये हैं। सिटी नर्सिंग होम में 6 बच्चों की उपचार जारी है तथा मेडिकल कालेज, मेरठ में 1 बच्चे का उपचार जारी है, जो खतरे से बाहर है। सभी घायल बच्चों का उपचार विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा करवाया गया है, जिसमें जिला प्रशासन के अतिरिक्त अन्य श्रम सेवी संस्थाओं द्वारा मदद की गयी है। समस्त बच्चों का इलाज मुफ्त किया गया है।

दुर्घटना में मृत बच्चों के शवों का घटना की रात्रि में ही पोस्ट मार्टम कर उन्हें उनके अभिभावकों के घरों तक भिजवाने की व्यवस्था की गयी थी। प्रत्येक मृत बच्चे के वारिसान को 25 हजार रुपये की दर से अनुग्रह सहायता प्रदान की जा चुकी है। यदि राहत कार्यों में थोड़ा सा विलम्ब हो जाता तो अधिकांश बच्चे दम घुटने के कारण जीवित नहीं रह पाते एवं यह दुःखदायी घटना और विकराल रूप धारण कर लेती।

जर्जर हाल भवन में मदरसा चलाकर लापरवाही से इतनी अधिक संख्या में बच्चों को रखने के संबंध में मदरसे के प्रबन्धक श्री शफीकुर्रहमान एवं प्रधानाचार्य मो० अब्दुल कयूम के विरुद्ध थाना खरखौदा, जनपद मेरठ पर अपराध संख्या 215/97, धारा 337/338/304-ए, भा०दं०वि० पंजीकृत कराया गया है। मदरसे के प्रधानाचार्य मो० अब्दुल कयूम को दिनांक 25-7-97 को स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है विवेचना प्रचलित है।

नोट—( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस दुर्घटना के संबंध में मजिस्ट्रीयल जांच श्री पुष्पति सक्सेना, अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर), मेरठ द्वारा की जा रही है जांचकर्ता मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की सार्वजनिक घोषणा करवा दी गयी है एवं संबंधित पक्षकारों को नोटिस भेजे जा चुके हैं।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं मान्यवर, यह जो घटना 21/22-7-97 की मध्य रात्रि को घटी थी इसमें 25 हजार रुपये सहायता देने की बात माननीय मंत्री जी ने कही है मैंने उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देकर मांग की थी कि मृतक को 50 हजार रुपया, गम्भीर घायल को 20 हजार रुपया और साधारण घायल को 5 हजार रुपया की राशि सहायता हेतु दी जाय लेकिन मान्यवर, केवल 25 हजार रुपये की बात कही गयी है जबकि अभी भी 8 लोग नर्सिंग होम में चिकित्सा करा रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी इन घायलों के लिये सहायता राशि की घोषणा करेंगे और दूसरी चीज यह है कि यह जो भवन बना है यह किसकी भूमि पर बना है, क्या अवैध बना है या किस निर्माण सामग्री का बना है यह 61 x 18 फिट का बना था इसका नक्शा पास था या नहीं यह सब बिन्दु जांच में शामिल होंगे। क्या माननीय मंत्री जी, उसमें मैजिस्ट्रेट की जांच में टेक्निकल आदमी भी होंगे ? इन सब बातों की जानकारी मैं चाहता हूं और इसके साथ ही यह भी जानना चाहता हूं कि क्या मृतकों की अनुग्रह राशि को बढ़ायेंगे और घायलों की अनुग्रह राशि की घोषणा करेंगे ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इसमें 60 बच्चे थे जिसमें 38 हास्पिटल में गये, 10 बच्चे मर गये थे उनको 25-25 हजार रुपये सरकार ने अनुग्रह राशि के रूप में दिये हैं। जो जख्मी हुये थे उनको भी ढाई हजार रुपया दिया था और मुफ्त इलाज सबका कराया गया है। थाना खरखौंदा में अपराध संख्या 215/97 धारा 337/338/304 ए भा० द० वि० में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसमें सरकार कहीं भी दोषी नहीं है। चूंकि यह संवेदनशील सरकार है। यह एक हादसा हो गया, बरसात में छत गिर गयी थी इसके लिये जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करा रहे हैं।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

इन्होंने प्रबन्धक और प्रधानाचार्य के विरुद्ध तो कार्यवाही की है लेकिन मदरसे के मालिक को उसकी जांच में नहीं रखा है तो क्या उसके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे ? पी० ए० सी० के जवानों ने जो 44 बटालियन के जवान हैं जिन्होंने उसके सामने ही कैम्प लगाया हुआ था अपनी ट्रकों को सामने खड़ा करके उसकी रोशनी में बचाव का कार्य किया है तो उनको कोई प्रशंसा पत्र देने पर शासन विचार करेगा ? दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि घायलों के बारे में जो गम्भीर रूप से घायल हैं उनको ढाई हजार रुपये दिये गये तो क्या ढाई हजार रुपये से किसी गम्भीर रूप से घायल का इलाज हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष–

क्या मदरसे के मालिक के खिलाफ कार्रवाई करना प्रस्तावित है ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इसमें रपट हुई है जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

सम्पूर्ण प्रदेश में विशेषकर मैनपुरी जनपद में पूर्ण साक्षरता योजना अन्तर्गत फर्जी आंकड़े प्रस्तुत कर लाखों रुपये का घोटाला किये जाने विषयक नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

सम्पूर्ण प्रदेश विशेषकर मैनपुरी जनपद में पूर्ण साक्षरता योजना के अन्तर्गत, फर्जी आंकड़े

प्रस्तुत कर लाखों रुपये का घोटाला किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा दिनांक 23 जुलाई, 1997 नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य को परसों तक के लिये स्थगित करता हूं।

जनपद भदोही के जंगीगंज कस्बे के कालीन व्यवसायी के साथ हुई लूटपाट की घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

पर्यावरण एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

जनपद भदोही के जंगीगंज कस्बे में कालीन व्यवसायी ओम कार्पेट का 4 लाख रुपया दिनांक 16-8-96 को ज्ञानपुर के पास लुटेरों द्वारा लूट लिये जाने पर श्री राकेश कुमार उपाध्याय निवासी ग्राम–कुड़ी खुर्द इटहरा थाना कोईराना जनपद भदोही की सूचना पर भदोही जनपद के थाना ज्ञानपुर पर दिनांक 16-8-96 को मु० अ० सं० 206/96 धारा 392 पंजीकृत हुआ।

वादी श्री राकेश कुमार निवासी उपरोक्त, जीप चालक श्री विजय शंकर पाण्डे निवासी धानीपुर थाना–गोपीगंज भदोही व श्री मनोज कुमार पाण्डेय निवासी ग्राम–सोनईया थाना–कोईरौना जनपद–भदोही जो कि उक्त फर्म के कर्मचारी हैं दिनांक 16-8-96 को पंजाब नेशनल बैंक भदोही से 4 लाख रुपया लेकर वापस जीप से ज्ञानपुर होते हुये मेसर्स ओम कार्पेट जंगीगंज जा रहे थे, ग्राम समई भटानी के पास 3 बदमाश जो हीरो होण्डा मोटर साइकिल नम्बर यू० पी० 65—2258 पर सवार थे रुपया लूट कर भाग गये। जिसकी सूचना पर पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया लेकिन अभियुक्तगण पकड़े नहीं जा सके।

उक्त घटना से सम्बन्धित अशोक कुमार गुप्ता उर्फ मंग्गू निवासी चेतगंज जनपद मिर्जापुर दिनांक 8-9-96 को लूट में प्रयुक्त मोटर साइकिल संख्या यू० पी० 65/2258 सहित थाना–ज्ञानपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अशोक कुमार गुप्ता ने दिनांक 16-8-96 को हुई लूट की घटना का जुर्म स्वीकार करते हुये घटना में बचऊ सिंह निवासी अनरथपुर थाना चील्ह जनपद मिर्जापुर गुलाब यादव निवासी ग्राम औराई भदोही को उक्त लूट मैं शरीक होना बताया। गिरफ्तार अभियुक्त अशोक कुमार गुप्ता से पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी द्वारा मेसर्स ओम कार्पेट के मालिक के सामने पूछताछ की गयी लेकिन उसने लूट के रुपये को पुलिस द्वारा बरामद किये जाने की बात नहीं बताया तत्पश्चात् अभियुक्त अशोक कुमार गुप्ता को जेल भेज दिया गया। शेष अन्य अभियुक्त गुलाब यादव एवं बचऊ सिंह ने क्रमशः दिनांक 28-11-96 एवं 9-6-97 को न्यायालय में आत्म समर्पण किया। साक्षियों द्वारा अभियुक्त अशोक कुमार गुप्ता एवं अभियुक्त बचऊ सिंह की सही शिनाख्त की गयी जिनके विरूद्ध विवेचनोपरान्त क्रमशः दिनांक 23-11-96 एवं दिनांक 25-7-97 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। अभियुक्त गुलाब यादव की शिनाख्त न होने से उसे 169 द० प्र० स० के अन्तर्गत रिहा किया गया। अभियुक्त बचऊ सिंह को रुपया बरामद करने के उद्देश्य से पुलिस अभिरक्षा में लिये जाने के सम्बन्ध में आवेदन पत्र न्यायालय में दिया गया जिसे मा० न्यायालय के द्वारा पुलिस अभिरक्षा में देने से इंकार कर दिया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि लूट में प्रयुक्त मोटर साइकिल तो पुलिस के द्वारा अभियुक्त अशोक कुमार गुप्ता से बरामद की गयी थी लेकिन रुपये बरामद नहीं हुये थे। एक अभियुक्त राजधर यादव को साक्ष्य न होने के कारण मुक्त कर दिया गया।

प्रभारी निरीक्षक, थाना–ज्ञानपुर श्री विनोद कुमार का स्थानान्तरण दिनांक 16-8-96 को घटित घटना के काफी दिनों बाद माह मार्च, 97 में पुलिस महानिरीक्षक गोरखपुर द्वारा किया गया। उनके स्थान पर श्री एच० एन० सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना–ज्ञानपुर का स्थानान्तरण माह जून, 97 में हो जाने के कारण पुनः श्री विनोद कुमार सिंह की नियुक्ति प्रभारी निरीक्षक ज्ञानपुर के पद पर हुई। जांच से मा० विधायक द्वारा लगाये गये तथ्यों की पुष्टि नहीं हुई।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल 11 बजे तक के लिए

इसके बाद सदन 11 बजकर 55 मिनट पर अगले दिन गुरुवार 31-7-1997 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

लखनऊ :
दिनांक : 30 जुलाई, 1997

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं० 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 29 .पर)

जनपदवार आवंटित धनराशि का विवरण :–

क्रम सं०	जनपद का नाम	आवंटित धनराशि (रुपये में)
1	लखनऊ	2,00,000.00
2	सीतापुर	58,400.00
3	लखीमपुर खीरी	58,400.00
4	रायबरेली	58,400.00
5	मेरठ	1,00,000.00
6	गाजियाबाद	2,70,000.00
7	सहारनपुर	58,400.00
8	बुलन्दशहर	58,400.00
9	मुजफ्फरनगर	58,400.00
10	हरिद्वार	58,400.00
11	आगरा	58,400.00
12	अलीगढ़	58,400.00
13	मथुरा	58,400.00
14	बरेली	58,400.00
15	बदायूं	58,400.00
16	शाहजहांपुर	58,400.00
17	मुरादाबाद	58,400.00
18	रामपुर	58,400.00
19	बिजनौर	58,400.00
20	देहरादून	63,400.00
21	झांसी	58,400.00
22	हमीरपुर	58,400.00
23	कानपुर नगर	58,400.00
24	इटावा	58,400.00
25	फर्रुखाबाद	58,400.00
26	बहराइच	58,400.00

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 30 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 40 ..पर)

निरीक्षण प्रतिवेदन राजकीय चिकित्सालय, बहेड़ाखाल (अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोट) जनपद पौड़ी द्वारा डा० आई० एस० पाल, स्वास्थ्य सेवा अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल, दिनांक 18-12-96

दिनांक 18-12-96 को मेरे द्वारा राजकीय चिकित्सालय, बहेड़ाखाल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। रा० चि० बहेड़ाखाल वर्तमान समय में परिवार कल्याण उपकेन्द्र में कार्यरत है। उपकेन्द्र के एक कमरे में चिकित्सालय का कार्य सम्पन्न किया जा रहा है जो कि बिजली से सम्बद्ध है। पानी से सम्बद्ध नहीं है, जबकि कमरे के अन्दर पानी की लाईन की फिटिंग की गई है। पूर्व ब्लाक प्रमुख श्री नयाल जिनके कि निरीक्षण के समय मुलाकात हुई, ने अवगत कराया कि बिजली लगभग 8-9 साल पूर्व से सम्बद्ध है, परन्तु बिजली शुल्क की अदायगी के बारे में अभी तक विद्युत् विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। एक मुश्त लम्बित बिजली शुल्क बिलों के अदायगी के बारे में भविष्य में परेशानी होगी। अतः इस बारे में विद्युत् विभाग से सम्पर्क किया गया है, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। मुख्य चिकित्साधिकारी पौड़ी तत्काल विद्युत विभाग से सम्पर्क कर नियमानुसार बिजली शुल्क अदायगी के बारे में कार्यवाही करें ताकि भविष्य में बिजली शुल्क अदायगी न किये जाने पर विद्युत् विच्छेदन से बचा जा सके। उपकेन्द्र के बगल में जिला परिषद् का एक भवन जो कि 20—30 वर्षों से विभाग के पास है। श्रीनयाल भूतपूर्व ब्लाक प्रमुख ने मौके पर अवगत कराया कि पूर्व में उक्त भवन पर जिला परिषद् का चिकित्सालय कार्यरत था तथा बाद में उसका प्रान्तीयकरण होने से विभाग को हस्तान्तरित हो गया था, जिसकी पुस्ता धंसने से भवन की निचले तरफ की दीवार गिरने के कगार पर है तथा अन्य दिवारों पर दरारें आ गई हैं जिससे चिकित्सालय की सम्पत्ति को नुकसान होने का अंदेशा है। इस कमरे में चिकित्सालय का भण्डार एवं औषधि भण्डार बनाया गया है। यदि उक्त भवन पर विभाग का स्वामित्व है, तो अविलम्ब नियमानुसार उसकी मरम्मत करवाई जाय, ताकि भवन को गिरने से बचाया जा सके।

इस चिकित्सालय में कुल 6 अधिकारी/कर्मचारी (आर्यु० चि० अ०/एलो० चि० अ० तथा 4 कर्मचारी) सम्मिलित है अपनी उपस्थिति अंकित करते हैं। श्री सुरेन्द्र कुमार स्वच्छक 16, 17 एवं 18 तीन दिन से अनुपस्थित हैं। श्रीमती सरोज स्वास्थ्य कार्यकत्री महिला के नाम के आगे 12 से 17-12-96 तक सी० एल० अंकित हैं एवं 18-12-96 को अनुपस्थित थे। श्री एस० सी० कुकरेती फार्मासिस्ट के नाम के आगे 10-12-96 से 18-12-96 तक सी० एल० अंकित हैं। डा० ललित कुमार प्र० चि० अ० के नाम के आगे 11-12-96 से 16-12-96 तक सी० एल० अंकित है तथा 17 एवं 18-12-96 को अनुपस्थित थे। इस तरह से 6 अधिकारियों/कर्मचारियों में से केवल 2 एक कर्मचारी एवं 1 अधिकारी उपस्थित पाये गये। जिन कर्मचारियों के नाम के आगे अवकाश अंकित हैं, उनके अवकाश की स्वीकृति सक्षम अधिकारी, द्वारा स्वीकृत किये जाने की पुष्टि की जाय। अवकाश की स्वीकृति की सक्षम अधिकारी द्वारा पुष्टि न होने पर अनुपस्थित मानते हुये नियमानुसार कार्यवाही की जाय। जो कर्मचारी/अधिकारी अनुपस्थित पाये गये मुख्य चिकित्साधिकारी तुरन्त उनका स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय। स्पष्टीकरण सन्तोषजनक पाये जाने की दशा में ही अनुपस्थिति का नियमितीकरण किया जाय, अन्यथा अनुपस्थित मानते हुये नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

क्षेत्रीय उप मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा 19-10-96 के बाद इस चिकित्सालय का भ्रमण नहीं किया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी, पौड़ी कृपया सम्बन्धित उप मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित करें कि कम से कम माह में एक बार इस चिकित्सालय को अवश्य देंखे तथा चिकित्सालय के कार्यकलापों से अपेक्षित सुधार लावें।

चिकित्सालय में स्वच्छक की अनुपस्थिति के कारण गन्दगी व्याप्त थी। प्रयोग किये गये गाज वैन्डेज फर्श पर बिखरे पड़े थे। स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

औषधि भण्डार का निरीक्षण किया गया। औषधि भण्डार जिला परिषद् के पुराने भवन जिसमें दरार पड़ी है, बनाया गया है। औषधियां अलमारियों में रखी गई है। औषधियों के कार्टन, फायल्सू, वायल्स, एम्पुल्स आदि पर चिकित्सालय की मुहर नहीं लगी पाई गई है। तुरन्त इन पर चिकित्सालय की मुहर लगाई जाय। अलमारियों के बाहर उसमें रखी गई औषधियों की सूची चिपकाई जाय, ताकि यह ज्ञान हो सके कि उन अलमारी में कितने प्रकार की औषधियां रखी गई है।

चिकित्सालय में एक आक्सीजन सिलिंडर उपलब्ध है, जो कि आक्सीजन से भरा है, जिसमें ट्यूविंग का अभाव है। आक्सीजन सिलिंडर को ट्यूविंग से तुरन्त सम्बद्ध किया जाय। प्रतिस्थापना के लिये एक और आक्सीजन सिलिंडर की आवश्यकता है जिसकी तुरन्त आपूर्ति किये जाने की आवश्यकता है। स्ट्रेचर 2 उपलब्ध है। वैकल्पिक रोशनी के लिये एक मिट्टी तेल का पैट्रोमैक्स उपलब्ध है। एक लालटेन एवं एक टार्च की आपूर्ति किये जाने की आवश्यकता है।

औषधि भण्डार में रोजमर्रा के प्रयोग में आने वाली औषधियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। वैसे प्रेसर उपलब्ध नहीं था। इसकी कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी दशा में तुरन्त इसकी आपूर्ति की जाय। वर्तमान समय में ड्रेसिंग का सामान उपलब्ध है।

प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं फार्मासिस्ट के अभाव में विभिन्न कार्यक्रमों तथा अन्य की समीक्षा नहीं की जा सकी। दोनों को एक साथ अवकाश पर प्रस्थान करना औचित्यपूर्ण नहीं लगता है। भविष्य में दोनों को एक साथ अवकाश पर न भेजा जाय ताकि चिकित्सालय के कार्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

इस अन्तराल क्षेत्र में चिकित्सा मुहैया कराने के लिये सम्बन्धित उपमुख्य चिकित्साधिकारी को भ्रमण/पर्यवेक्षण अधिक तेजी से किये जाने हेतु अपने स्तर से मुख्य चिकित्साधिकारी, पौड़ी निर्देशित करें।

हस्ताक्षर

डा० आई० एस० पाल,

अपर निदेशक।

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 62 का उत्तर पृष्ठ..... पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के दूसरे बुद्धवार हेतु निर्धारित श्री दिवाकर विक्रम सिंह द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–62 का संलग्नक (1)

अम्बेडकर ग्राम मैलानखुर्द बुजुर्ग इन्दिरा आवास वर्ष 1996-97 विकास खण्ड रुधौली-बस्ती

क्र० सं०	नाम लाभार्थी	पिता/पति का नाम	प्रथम किश्त			द्वितीय किश्त			तृतीय किश्त			चतुर्थ किश्त			
			चेक सं०	दिनांक	धनराशि	चेक सं०	दिनांक	धनराशि	चेक सं०	दिनांक	धनराशि	चेक सं०	दिनांक	धनराशि	बैंक का नाम
1	श्रीमती सिताबी	श्री राम अचल	413385	7-8-96	45[illegible]=00	452748	21-1-97	4500=00	189183	18-2-97	1500=00	458499	19-3-97	9500=00	जराना
2	श्रीमती गुजराती	श्री विशम्भर	413386	"	4500=00	452749	"	4500=00	189184	"	1500=00	458469	"	9500=00	ग्रामीण
3	श्रीमती फूलमती	श्री बुद्धिराम	413387	"	4500=00	452928	1-2-97	6000=00	458561	24-4-97	6500=00				बैंक
4	श्रीमती मधुरा	श्री हरीराम	413388	"	4500=00	157467	14-11-96	4500=00	189125	18-2-97	1500=00	458554	24-4-97	6500=00	
5	श्रीमती इएलावती	श्री लुभाग	413389	"	4500=00	452790	21-1-97	4500=00	189126	10-2-97	1500=00	458960	24-8-97	6500=00	
6	श्रीमती रजिया बानो	श्री इलामत अली	413390	"	4500=00	452801	"	4500=00	189127	"	1500=00	458470	19-3-97	9500=00	
7	श्रीमती धर्मराजी	श्री रामप्यारे	413391	"	4500=00	452802	"	4500=00	189128	"	1500=00	458473	"	9500=00	
8	श्रीमती शहीदुन्निशा	श्री सैयद	413392	"	4500=00	452803	"	4500=00	189129	"	1500=00	458486	"	9500=00	
9	श्रीमती सोनमती	श्री राम अवध	413393	"	4500=00	452804	"	4500=00	189130	"	1500=00	458555	24-4-97	6500=00	
10	श्रीमती मालती	श्री गब्बुलाल	413394	"	4500=00	452805	"	4500=00	189131	"	1500=00	458494	19-3-97	9500=00	
11	कुमारी	श्री श्याम लाल	413395	"	4500=00	452806	"	4500=00	189132	"	1500=00	458495	"	9500=00	
12	श्रीमती कैलाशी	श्री राम लगन	413396	"	4500=00	452807	"	4500=00	189133	"	1500=00	458497	"	9500=00	
13	श्रीमती गुटुरी	श्री सम्पत	413397	"	4500=00	452808	"	4500=00	189134	"	1500=00	458472	"	9500=00	
14	श्रीमती कौलेसरी	श्री राम लाल	413398	"	4500=00	452809	"	4500=00	189135	"	1500=00	458473	"	9500=00	
15	श्रीमती इशलावती	श्री त्रिलोकी	413399	"	4500=00	452810	"	4500=00	189136	"	1500=00	458493	"	9500=00	
16	श्रीमती मन्जू	श्री राजाराम	413400	"	4500=00	452811	"	4500=00	189137	"	1500=00	458474	"	9500=00	
17	श्रीमती लखराजी	श्री लखराज	413401	"	4500=00	452812	"	4500=00	189138	"	1500=00	458556	24-5-97	6500=00	
18	श्रीमती सिंगारी	श्री जयराम	413402	"	4500=00	452813	"	4500=00	189139	"	1500=00	458475	19-3-97	9500=00	

19	श्रीमती ज्ञानी	श्री बब्बुने	413404	"	4500=00	452814	"	4500=00	189140	"	1500=00	658476	"	9500=00	
20	श्रीमती सिरपत्ती	श्री रामलगन	413403	"	4500=00	452815	"	4500=00	189141	"	1500=00	458552	24-4-97	6500=00	
21	श्रीमती सम्पाती	श्री बरसाती	413405	"	4500=00	452816	"	4500=00	189142	"	1500=00	458498	19-3-97	9500=00	जरनां
22	श्रीमती सोनबरसा	श्री कुमारे	413406	"	4500=00	452817	"	4500=00	189143	"	1500=00	458533	24-4-97	6500=00	ग्रामीण
23	श्रीमती सोमई	श्री भवानदीन	413407	"	4500=00	452818	"	4500=00	189144	"	1500=00	458557	"	6500=00	बैंक

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बस्ती ग्रामीण बैंक गुलबाखोर के द्वारा भुगतान का विवरण विकास खण्ड-लखौली

संलग्न (ग)

क्र० सं०	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	खाता सं०	खाता खोलने की तिथि				भुगतान की तिथियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्रीमती सिताबी	श्री राम अचल	2445	10-2-97	17-5-97	28-4-97	2-5-97	
2	श्रीमती गुजराती	श्री विशम्भर	2446	11-2-97	18-5-97	29-4-97	10-5-97	
3	श्रीमती फूलमती	श्री बुद्धिराम	2547	25-6-97	25.7-97	किस्त 6500.00		
4	श्रीमती मथुरा	श्री हरी राम	2541	25-9-96	5-11-96	4-12-96	28-4-97	30-5-97
5	श्रीमती इन्द्रावती	श्री सुभाग	2444	11-2-97	17-5-97	28-4-97	28-5-97	
6	श्रीमती रजिया बानो	श्री इलाहतअली	968	पुराना खाता	14-3-97	28-4-97	30-4-97	
7	श्रीमती धर्म राजी	श्री राम प्यारे	2450	15-2-97	17-5-97	29-4-97	30-4-97	
8	श्रीमती शहीदुन्निशा	श्री सैयद	2455	24-2-97	19-5-97	28-4-97	5-5-97	
9	श्रीमती सोनमती	श्री राम अवध	2457	5-2-97	17-5-97	28-4-97	28-5-97	
10	श्रीमती मालती	श्री मन्नु लाल	2448	12-2-97	17-5-97	28-4-97	30-4-97	
11	श्रीमती कुमारी	श्री श्यामलाल	2442	7-2-97	18-5-97	25-4-97	30-4-97	
12	श्रीमती कैलाशी	श्री रामजगन	2458	19-4-97	7-5-97	II + III + IV तीनों का भुगतान एक साथ		
13	श्रीमती गुड्डी	श्री सम्पत	2459	19-4-97	7-5-97	23-5-97	6000.00	
14	श्रीमती कलेसरी	श्री रामलाल	2465	15-4-97	9-5-97	II + III + IV तीनों का भुगतान एक साथ		
15	श्रीमती इसलावती	श्री त्रिवेणी	2449	15-2-97	18-5-97	29-4-97	III + IV दोनों का भुगतान एक साथ	
16	श्रीमती मंजू	श्री राजा राम	2456	5-2-97	29-4-97	II + III + IV तीनों का भुगतान एक साथ		
17	श्रीमती लछराजी	श्री लछराज	2571	29-10-96	5-12-96	14-3-97	28-4-97	28-5-97
18	श्रीमती सिंगारी	श्री जय राम	2464	15-4-97	9-5-97	II + III + IV तीनों का भुगतान एक साथ		
19	श्रीमती ज्ञानी	श्री अबुल्ले	2467	19-4-97	7-5-97	II + III + IV तीनों का भुगतान एक साथ		
20	श्रीमती सिरपती	श्री राम लगन	2439	5-2-97	22-5-97	12-5-97	31-5-97	
21	श्रीमती सम्पाती	श्री बरसाती	2441	5-2-97	22-5-97	30-4-97	III + IV दोनों का भुगतान एक साथ	
22	श्रीमती सोनबरसा	श्री कुमारे	2462	15-4-97	9-5-97	30-5-97	IV	
23	श्रीमती सोनई	श्री भगवतीन	2440	5-2-97	17-5-97	28-4-97	28-5-97	

ग्रामीण बैंक गुनवाखोर विकास खण्ड—अशोकी के भुगतान का विवरण

संलग्नक (ब)

क्र० सं०	नाम लाभार्थी	पिता/पति का नाम	द्वितीय किश्त				तृतीय किश्त		चतुर्थ किश्त			
			खाता सं०	खाता खोलने की तिथि	भुगतान की तिथि	धनराशि	दिनांक	धनराशि	दिनांक	धनराशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	श्रीमती सिताजी	श्री राम अचल	2443	10-2-97	17-3-97	4500.00	28.4.97	1500.00	2-5-97	9500.00		
2	श्रीमती गुजराती	श्री विशम्भर	2445	11-2-97	18-3-97	4500.00	29-4-97	1500.00	10-5-97	9500.00		
3	श्रीमती फूलमती	श्री बुद्धिराम	2547	25-5-97	—	—	23-7-97	6500.00	—	—		
4	श्रीमती मधुरा	श्री हरी राम	2341	25-9-96	8-11-96	4500.00	4-12-96	1500.00	28-4-97	1500.00	30-5-97	6500.00
5	श्रीमती इएलावती	श्री सुभाग	2444	11-2-97	17-3-97	4500.00	28-4-97	1500.00	28-5-97	6500.00		
6	श्रीमती रजियाखानों	श्री इलामत अली	968	पुराना खाता	14-3-97	4500.00	28-4-97	1500.00	30-4-97	9500.00		
7	श्रीमती धर्म राजी	श्री राम प्यारे	2450	15-2-97	17-3-97	4500.00	29-4-97	1500.00	30-4-97	9500.00		
8	श्रीमती शहीदुन्निशां	श्री सैयद	2455	24-2-97	19-3-97	4500.00	28-4-97	1500.0	5-5-97	9500.00		
9	श्रीमती सोनमती	श्री राम अवध	2457	5-2-97	17-3-97	4500.00	28.4-97	1500.00	28-5-97	6500.00		
10	श्रीमती कुमारी	श्री श्यामलाल	2448	12-2-97	17-3-97	4500.00	28-4-97	1500.00	30-4-97	9500.00		
11	श्रीमती कुमारी	श्री श्यामलाल	2442	7-2-97	18-3-97	4500.00	29-4-97	1500.00	30-4-97	9500.00		
12	श्रीमती कैलाशी	श्री राम जगन	2488	19-4-97	7-5-97	15500.00	द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ तीनों का भुगतान एक साथ					
13	श्रीमती गुड्डी	श्री सम्पत	2489	19-4-97	7-5-97	9500.00	23-5-97	6000.00	—	—		
14	श्रीमती कौशेसरी	श्री राम लाल	2483	15-4-97	9-5-97	15500.00	द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ तीनों का भुगतान एक साथ					
15	श्रीमती इसलावती	श्री त्रिवेणी	2449	15-2-97	18-3-97	4500.00	29-4-97	1100=00	तृतीय एवं चतुर्थ दोनों एक साथ			
16	श्रीमती मंजू	श्री राजाराम	2458	5-5-97	29-4-97	8500.00	खाते में (सात हजार) 7000.00 अवशेष है।					
17	श्रीमती मखराजी	श्री मखराज	2571	29-2-96	5-12-96	4500.00	14-3-97	4500.00	28-4-97	1500.00	28-5-97	6500.00
18	श्रीमती सिंगारी	श्री जयराम	2484	15-4-97	9-5-97	15500.00	द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ तीनों का भुगतान एक साथ					
19	श्रीमती ज्ञानी	श्री बबुन्ने	2487	19-4-97	7-5-97	15500.00	द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ तीनों का भुगतान एक साथ					
20	श्रीमती सिरपती	श्री राम जगन	2459	5-2-97	22-3-97	4500.00	12-5-97	1500.00	31-5-97	6500.00		
21	श्रीमती सम्पती	श्री बरसाती	2441	5-2-97	22-3-97	4500.00	30-4-97	11000.00	—	—		
22	श्रीमती सोनबरसा	श्री कुमारे	2482	15-4-97	9-5-97	6000.00	द्वितीय एवं तृतीय एक साथ		30-5-97	6500.00		
23	श्रीमती सोनई	श्री भवानदीन	2440	5-2-97	17-3-97	4500.00	28-4-97	1500.00	28-5-97	6500.00		

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 82 का उत्तर पृष्ठ....पर)

संलग्नक—1

क्रम संख्या	शिकायत-कर्ता का नाम दिनांक	विषय
1	श्री बृजेन्द्र नाथ ग्राम—भुलईडीह दिनांक 13-1-97	इन्दिरा आवास योजना में भारी अनियमितता की जाँच।
2	श्री सुख लाल ग्राम—कंचपुर दिनांक 13-1-97	इन्दिरा आवास योजना में भारी अनियमितता की जाँच।
3	श्री राम चन्दर शुक्ला अध्यक्ष, जनता दल दिनांक 4-2-97	मांग-पत्र सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी।
4	श्री राम तेज चौधरी आदि दिनांक 1-4-97	इन्दिरा आवास योजना में भारी अनियमितता।
5	श्री बिरछारी लाल श्रीवास्तव आदि ग्रामीगण कार्यालय, विकास खण्ड रुपइडीह के स्टाफ दिनांक 27-5-97	उत्पीड़न समाप्त करने एवं खण्ड विकास अधिकारी, रुपइडीह के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।
6	श्री राजाराम आदि ग्रामीगण विकास खण्ड रुपइडीह के स्टाफ दिनांक 4-6-97	" "
7	श्रीधर पाण्डेय ज्येष्ठ उप प्रमुख विकास खण्ड—रुपइडीह दिनांक 7-6-97	निःशुल्क बोरिंग/इन्दिरा आवास/निर्बल आवास में अनियमितता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूची "ङ"

(देखिये अता० प्र० सं० 85 का उत्तर पीछे पृष्ठ . 63 . पर)

सूची

क्रम-सं०	विधान सभा क्षेत्र	वि० खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम की कुल जन-संख्या	अनु० जाति/जनजाति की जनसंख्या	अनु० जाति/जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	भदोही	सुरियांवां	कुसीड़ा	2506	894	34.44
2	भदोही	भदोही	अजयपुर	2103	671	31.00
3	भदोही	सुरियांवां	खरगरोन	1705	627	34.00
4	भदोही	सुरियांवां	पट्टी मकनपुर	1656	564	34.00
5	भदोही	सुरियांवां	छतरीकापुरा	1368	541	39.54
6	भदोही	भदोही	बीरापट्टी	1435	539	37.55
7	भदोही	भदोही	अहमदपुर फुलवरिया	1518	506	33.33
8	भदोही	औराई	कटेवना	1503	491	32.67
9	भदोही	सुरियांवां	मुसुधी	1457	474	32.53
10	भदोही	भदोही	हडवार्हमपुर	1540	473	30.71
11	ज्ञानपुर	ज्ञानपुर	बैरीपुरवा	1881	639	33.97
12	ज्ञानपुर	ज्ञानपुर	लोहरासास	1096	518	47.26
13	ज्ञानपुर	औराई	बंजारी	1626	500	31.11
14	ज्ञानपुर	औराई	डभका	1201	485	40.38
15	ज्ञानपुर	औराई	जाढी	1555	483	30.98
16	ज्ञानपुर	डीघ	बिछिया	1402	468	33.33
17	ज्ञानपुर	ज्ञानपुर	रघुराजपुर	1038	463	44.60
18	ज्ञानपुर	ज्ञानपुर	दशरथपुर	1395	449	32.20
19	ज्ञानपुर	ज्ञानपुर	शिवरामपुर	935	431	46.00
20	ज्ञानपुर	ज्ञानपुर	सिंहपुर	1406	423	30.08
21	औराई	औराई	पिलखिनी	1610	612	38.01
22	औराई	औराई	दलपतपुर	1786	595	33.31
23	औराई	भदोही	अनेगपुर	1395	570	41.50
24	औराई	औराई	बाबूसरोंय	1598	481	30.10
25	औराई	औराई	वासुदेवपुर	1034	481	40.97
26	औराई	भदोही	मूरपो रामपुर	1134	477	42.06
27	औराई	औराई	भरतपुर	1147	473	41.23

नत्थी 'च'

(देखिये अतां० प्र० सं० 116 का उत्तर पीछे पृष्ठ . . 74 . . पर)

जनपद बस्ती के विकास खण्ड रूधौली में राजकीय नलकूपों से दिनांक 15 मई, 1997 से 30 जून, 1997 तक की अवधि में धान की लगायी गयी नर्सरी का क्षेत्रफल व इस निमित्त चलित घण्टों का नलकूपवार विवरण।

नलकूप संख्या	चलित घण्टों की संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)
74	230	23
41	290	29
37	290	29
44	250	25
55	70	7
63	250	25
65	210	21
68	—	—
140	25	2
18	144	11
120	290	26
82	285	25
92	290	26
93	190	13
154	263	22
80	40	3
81	310	28
46	185	15
142	235	21
42	233	17
127	295	26
153	315	30
53	370	38
56	395	33
57	435	39
59	250	23
60	425	39
130	380	35
27	395	35
31	270	23
36	—	—

विधान सभा

नलकूप संख्या	चलित घण्टों की संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)
52	425	39
69	415	38
119	475	41
121	415	38
123	485	45
75	375	36
76	395	38
77	410	39
162	270	25
	योग .. 11,275	1,032

विधान सभा पुस्तकालय

प्रतिलिपि

संख्या 1094/97—27—सिं—4

प्रेषक,

श्री बी० एस० लाली,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग,
उ० प्र०, लखनऊ।

सिंचाई अनुभाग-4 लखनऊ, दिनांक 13 मई, 1997

विषय :—वर्ष 1997 में धान, हरा चारा एवं हरी खाद की फसलों की सिंचाई हेतु 15 मई, 1997 से 30 जून, 1997 तक प्रदेश की सभी नहर प्रणालियों तथा राजकीय नलकूपों से निःशुल्क सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर गत वर्ष शासनादेश संख्या 923/96—27—सिं-4—2 रेट/88, दिनांक 05 जून, 1996 के अन्तर्गत शासन द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में खरीफ फसल में धान की रोपाई आदि हेतु सभी नहरों तथा राजकीय नलकूपों से 10 जून से 15 जुलाई तक सिंचाई की निःशुल्क व्यवस्था की गयी थी।

2—इस वर्ष 1997 की खरीफ में भी कृषकों को प्रेरित करने के दृष्टिकोण से श्री राज्यपाल महोदय केवल धान, हरा चारा एवं हरी खाद की फसलों के लिये प्रदेश भर में राजकीय नलकूपों तथा नहरों द्वारा 15 मई, 1997 से 30 जून, 1997 तक निःशुल्क सिंचाई सुविधा प्रदान किये जाने तथा फसल की शेष अवधि में प्रचलित नियमानुसार सिंचाई शुल्क लगाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3—शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि इस संबंध में आवश्यक अभिलेख रखे जायें और शासन को यह सूचना उपलब्ध करायी जाय कि प्रश्नगत सुविधा दिये जाने से उपरोक्त अवधि में धान की नर्सरी, हरी खाद व हरे चारे से अलग-अलग कितना क्षेत्र आच्छादित हुआ। कृपया वर्ष 1997 खरीफ से संबंधित उपरोक्त निःशुल्क सुविधा के आंकड़े शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4—यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-9—658/दस—1997, दिनांक 13 मई, 1997 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह० बी० एस० लाली,
प्रमुख सचिव।

संख्या (1) यथोपरि, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2—कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3—राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4—समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5—समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6—सिंचाई अनुभाग-9।
7—वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 (तीन प्रतियों में)।
8—गोपन अनुभाग—1।
9—राजस्व अनुभाग-10/11।

आज्ञा से,
ह० राशिद मोईन,
संयुक्त सचिव।

संख्या यथोपरि (2), तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (कृषि अनुभाग-2) को कि उपरोक्त प्रस्तर-3 के अनुसार अपने स्तर से सूचना सिंचाई विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
ह० राशिद मोईन,
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये अता० प्र० सं० 145 का उत्तर पीछे पृष्ठ 85 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के दूसरे बुद्धवार हेतु निर्धारित श्री अम्बरीश कुमार द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-145 का संलग्नक :—

योजना का नाम	शासनादेश संख्या	दिनांक
इन्दिरा आवास योजना	सं-2213/38—5—97—654/97	27-5-97
ट्राइसेम योजना	सं-1570/38—6—97—26 टी आर/97	8-5-97
एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम	सं-1499/38—6—97—आईआरडी-65/96	1-5-97
गंगा कल्याण योजना	सं-2184/38—6—97—6 आईआरडी/97	17-6-97
उन्नत टूल किट्स योजना	सं-1537/38—6—97—32 आईआरडी/97	1-5-97
राष्ट्रीय बायो गैस	सं-2667/38—5—97—651/97	21-6-97
डी०डब्लू०सी०आर०ए० योजना	सं-1443/38—6—97—20 डी/96	30-4-97
जवाहर रोजनगार योजना	मैनुअल, 1994	अगस्त, 1994
सुनिश्चित रोजगार योजना	मार्गदर्शिका, 1993	सितम्बर, 93
राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम	सं-2718/38—5—97—652/97	21 जून, 1997

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूची 'च'

(देखिये अता० प्र० सं० 175 का उत्तर पीछे पृष्ठ . 97 . पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र के दूसरे बुद्धवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-175 के उत्तर का संलग्नक :-

क्र० सं०	विकास खण्ड	सम्पर्क मार्ग का नाम	स्वीकृत धनराशि	व्यय की गयी धनराशि	विवरण
1	2	3	4	5	6
1	उतरौला	उतरौला मनकापुर मुख्य मार्ग से बरीबनवर तक खड़ंजा कार्य	2.92	2.814	पूर्ण
2	,,	उतरौला मनकापुर रोड पर बनकटवा से माधव बहुवा होते हुये नयानगर बनकटवा तक मि०पु०/खड़न्जा कार्य	5.25	0.559	प्रगति में
3	,,	पेहर से बोगीबीर सम्पर्क मार्ग पर मि०पु०/खा० कार्य	5.00	—	—
4	श्री दत्तगंज	शाहपुर इटई प्रा० पा० से रामजानकी जोत तक मि० पु० कार्य	4.08	3.523	पूर्ण
5	,,	पिपरा याकूब से रूसी मजारी पुरैना काननगी पुरैना वाजिद होते हुये बहादुरपुर गेट तक मि० पु० कार्य	7.57	5.539	पूर्ण
6	,,	चन्दापुर चुचुईया से छेदीसीह तक मि० पु० कार्य	3.89	3.876	पूर्ण
7	,,	देवरिया अयथा मार्ग से छगौली ज्वाला पुरवा स्कूल तक मि० पु० कार्य	4.05	2.328	प्रगति में
8	,,	बोण्डा उतरौला मार्ग से चहटवा तक खड़ंजा/आर०सी०सी० पुलिया कार्य	5.15	2.429	प्रगति में
9	,,	आसाम रोड बाई पास से श्रीदत्तगंज बाजार तक खड़ंजा कार्य	0.93	0.439	प्रगति में
10	,,	बलरामपुर उतरौला मार्ग से मालिकपुर से डमाडार होते हुये दक्षिण डिहवा तक खड़ंजा कार्य	3.22	0.158	प्रगति में

1	2	3	4	5	6
11	श्री दत्त गंज	उतरौला मनकापुर मार्ग से महुआडार तक खड़ंजा कार्य	6.44	—	प्रगति में
12	मैडासबुजुर्ग	उतरौला सादुल्लानगर मार्ग से चेतिया चौराहा बडनी चापा तक सो० कार्य	18.06	11.806	प्रगति में
13	,,	धर्मपुर से सिसहना मार्ग पर मि० पु० कार्य	7.96	7.221	पूर्ण
		योग–	74.52	40.692	

विधान सभा सचिवालय उ०प्र० लखनऊ

पी० एस० यू० पी०–17 विधान सभा–26-12-97—813ओपेटोसेटर/ऑफसेट।